राजस्थाम

22/28

भू-प्रबन्ध नियमावली

(SETTLEMENT MANUAL)





राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

जयपुर,

नवम्बर, 1989

सर्वेक्षण, प्रभिलेख लेखन व मू-प्रवन्ध संक्रियाओं के लिए कानूनी व्यवस्थायें राजस्थान भू-ास्व अधिनियम, 1956; राजस्थान भू-राजस्व [सर्वे, प्रभिलेख व मू-प्रवन्ध] (राजकीय) नियम, 1957 राजस्थान भू-राजस्व [भू-प्रवन्ध कार्यवाहिया] [राजस्व मण्डल] नियम, 1957 में बताई गई हैं. मगर , प्रभिलेख व भू-प्रवन्ध का कार्य विशेष तकनीकी प्रकृति का होने के कारण इसके सम्पादन में चारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। है एवं वरिणामस्वरूप भूमि में जुड़े सम्बन्धित कृषक वर्म भी भारी प्रसुविधायें होती हैं। इन कठिनाइयों के निराकरण व कर्मचारियों के मार्ग-दर्शन हेतु राज्य कार एवं विभाग की स्रोर से समय-।मा पर हिदावतें जारो होती रही हैं, मगर इन्हें पर्याप्त नहीं कर विभागीय नियमावली की कमो प्रनुभव की जाती रही है।

श्रव राज्य सरकार द्वारा विभागीय नियमावली (मैन्युश्रल) स्वीकृत हो जाने से इस सन्दर्भ में नारियों की कठिनाइयों एवं भूमि से जुड़े लोगों को श्रपने कार्य में सुगमता होगी, ऐसी मेरी श्राजा है।

> त्रार. वी. सोनटके राजस्व सचिव



सुवर्शन चौहड़ा, आई.ए.एस.

भू-प्रवन्ध ग्रायुक्त

भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

इंडेल 2, 991

भू-प्रबन्ध विभाग मुख्यतः भू-राजस्व के निर्धारण व भू-प्रभिलेख को ब्रादिनांक के कार्य से जुड़ा हुआ है। राज्य की राजस्व ब्राय में भू-राजस्व का महत्त्व जितना कम हुआ है उसकी तुलना में जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण तथा उन्नत कृषि विधियों के कारण भूमि पर दबाब बढ़ने से भू-श्रमिलेख का महत्त्व उससे कहीं ब्रिधिक बढ़ गया है।

विभाग के कार्य प्रक्रिया से संबंधित विधि प्रावजात, ग्रिधिसूचनात्रों, राज्य सरकार के ग्रादेश तथा विभागीय परिपन्न समेकित रूप से उपलब्ध कराने के प्रयास में यह संहिता प्रस्तुत की जा रही हैं। इसके संकलन के लिये भू-प्रवब्ध विभाग के ग्रिधिकारियों/कर्म चारियों की एक समिति ने ग्रिथिक परिश्रम किया था। सिमिति से प्राव्त प्रार्थिक का राज्य सरकार से ग्रनुमोहन कराया जाकर विभागीय उपयोगार्थ यह संहिता प्रकाकित की गई है।

यह अपेक्षित है कि इस संहिता के अध्ययन से भू-प्रबंध विभाग के कर्मचारी व अधिकारी लाभाग्वित होंगे। यह भी अपेक्षा है कि भू-प्रबंध के कार्य में एक बाता आ सकेगी और कार्य नियमपूर्वक सम्पादित सकेगा।

यदि प्रकाशन में कोई बुटि दृष्टिमत हो तो इसे विभाग के ध्यान में लाये जाने का अनुशह

सुदर्शन चौहड़ा, भ-प्रबन्ध ग्रायुक्त, राजस्थान, जयपुर ।

VERTE IF FIRE

विषय सूची

TRUTH THURS

सूबर्गन चीत्रयाः स्वरूपः मानुसः राज्यम् वस्तुरः

श्रध्य	विषय	q	5	संख्यां
(1)	प्रारम्भिक	1	से	4
(2)	भू-प्रबन्ध विभाग की संरचना एवं कार्यं कलाप	5	से	18
(3)	भू-माप एवं तैयारी मानचित्र कागजात (मौका)	19	स	63
(4)	भू-ग्रभिलेखन कार्य-कार्य प्रणाली एवं ग्रधिकार	64	से	86
(5)	भू-प्रबन्ध की कार्यवाही-कार्यारम्भ से भूमि वर्गीकरण तक	87	से	108
(6)	लगान दरों का निर्धारण तत्सम्बधि प्रतिवेदन तथा बाद की कार्य बाहि	109	से	132
(7)	भू-प्रबन्ध कार्यं वाहियों वा समापन	133	से	135
(8)	श्रापत्तियां (उजरदारियों) तथा श्रपीजो की मुनवाई एवं श्रमलदरामद	136	से	143
(9)	ग्रभिलेखों का संधारण, निरीक्षण एवं प्रतिविषियों का नारी करना	144	से	156
	परिशिष्ट			
परि	गिष्ट <u> </u>			
(1)	कारगुजारी का विषय मानदंड	159	से	167
(2)	राजस्थान भू-राजस्व म्रधिनियम 1956 (संख्या 15 सन् 1956) की धारा 110(1) के म्रन्तंगत जारी की जाने वाली उद्घोषणा का प्रारूप	168		
(3)	राजस्थान भू-राजस्य मधिनियम, 1956 की धारा 110 (2) के अन्तेगत			
CA	जारी की जाने वाली उद्घोषणा का प्रारूप	169		
(4) (5)	भू-प्रबन्ध विभाग के नक्शों में प्रयोग होने वाले संकेत	170		Contract Con
(6)	कर प्रस्तावना प्रतिवेदन तैयारी करने के ग्रध्यायवार बिन्दू			
(7)	Copy of the Letter No. F. 4 (4) Rev. B/GR./65 dated	- 1	14	100
	Jaipur 28 May 1965	181	से	186
(8)	परिशिष्ट (क) विभागीय कार्य विधि			

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. भूमि व राज्य :

भारतवर्ष सबैव से ही कृषि प्रधान देश रहा है। भूमि को हमारे देश में नुष्य सम्पदा माना गया है। इसलिये भूमि में कृषकों के स्वत्वाधिकार निर्धारित करना तथा समय-समय पर उनका पूनर्वीक्षण करना एवं भूमि से होने वाली आय से राज्य कोष का अशवान और उसकी वसूली की प्रक्रिया सुनियोजित करना प्रशासन का प्रमुख कत्तं व्य हो गया, यहां तक कि समूचे भारतीय प्रशासन का मूल आधार भूमि ही है।

जिन व्यवितयों को कृषि मिन में किसी प्रकार का स्थाई ग्रधिकार यानी मूमि को धारण करने का अधिकार अथवा जीतने या जुतवाने का अधिकार प्राप्त है उनसे भूमि की उपज अथवा विश्व आय का एक अंश प्राप्त करने का अधिकारी राज्य अपने आपको सर्वव से मानता ग्रा रहा है। साथ ही भूमि के स्वत्वाधिकारों ग्रथवा कृषक भी सदैव से ही यह मानते ही था रहे हैं कि अपनी पैदाबार अथवा विश्व ग्राय का कुछ ग्रंश राजकोष में देना उनके लिये श्रावश्यक है। इस प्रकार यह राज्य तथा कृषकों के बीच में साझेदारी का मामला है। बुष्काल के समय राज्य भी कृषकों की नि:शुल्क सहायता करना श्रपना कर्तव्य समझता श्राया है। सदियों पूर्व से ही एक स्रोर कृषि उपज अथवा स्राय का एक स्रंश कृषक से प्राप्त करना राज्य का श्रधिकार बन गया तो दूसरी थ्रोर भूमि को कुछ वर्षों तक निविध्न जोतने वाले व्यक्ति को यह भूमी श्रपने कब्जे में रखने का तथा उसकी मृत्यु होने पर उक्त मूमि उसके उत्तराधिकारियों की हो जाने का अधिकार प्राप्त हो गया । संक्षिप्त में स्थित इस प्रकार है कि राज्यांश का भुगतान कर देने पर स्थाई तौर पर भूमि धारण करके उसे जोते ग्रथवा जुतवाने वाले व्यक्ति, भूमि के मालिक मान लिये गये। जिन व्यक्तियों से ऐसे मालिक अपनी कृषि मूमि जुतवाते थे, वे साधारण कृषक हो गये। धीरे-धीरे ग्रधिकारों की कमी-बेशी के आधार पर कृषकों के भी कई भेद हो गये। राज्य द्वारा जो ग्रंश लिया जाता था उसे भू-राजस्व ग्रथवा रेवेन्यू तथा भूमि-धारकों द्वारा जो ग्रंश वास्तविक जोतने वालों से लिया जाता है उसको लगान ग्रथवा बांटा की संज्ञा दी गई। भारतवर्ष में भू-राजस्व को कभी कर नहीं माना गया। सर्वेव से भूमि में राज्य की एवं इसे धारण करने वाले अथवा जोतने वाले व्यक्ति की एक प्रकार की साझेंदारी ही माना गया, जब तक कुषक राज्यांश श्रदा करता रहता है तथा भूमि को किसी प्रकार की स्थाई हानि नहीं पहुंचाता तो उसकी भूमि से सामान्यतः कभी निष्कासित नहीं किया गया । कभी-कभी कोई शासक अथवा अन्य मूमिधारक दुष्टता एवं अन्याय पूर्वक ऐसा कर गया तो वह सामान्य रिवाज नहीं कहा जा सकता।

म्-राजस्व वसूली-विभिन्न रूपः

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तस्कालीन राजपूताना के विभिन्न देशी राज्यों को मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। अलग-अलग राज्य में मूमि धारकों के तथा कृषकों के अलग-अलग प्रकार थे। अलवर एवं भरतपुर राज्य में बिस्वेदारी प्रयाप्त प्रमुख थी, तो पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भागों में यानी जैसलमेर, जोधपुर एवं बीकानेर

राज्यों में अधिकांश भूमि जागीरवारों के पास यी। जुल मिलाकर अधिकतर राज्यों में अनेक प्रकार की जागीरवारी प्रथा प्रचलित थी। जागीरवार राजाओं को नकद सिराज अबा करते थे। किन्तु इत्वकों से अपना हिस्सा अनाज के रूप में लेते थे। प्रारंभ में इजारे- बार एक प्रकार के ठेकेवार ही थे। इस्तयरारवार एक प्रकार के स्थाई जमीवार थे। जागीरवार, इजारेवार इस्तमरारवार व जमींवार भी कृषक से अपना हिस्सा अधिकतर अनाज के रूप में लेते थे। खिलहान में ही बंटाई हो जाती थी। जहां बंटाई होना सम्भव नहीं होता, वहां प्रति बीघा की दर से निर्धारित करके नकदी रुपया ले लिया जाता था। कई बार खड़ी फसल का "कूंत" करके राज्य का हिस्सा निश्चित कर लिया जाता था और उसका मूस्य निकाल कर नकद रकम राज्य अथवा भूमि धारक वसूल कर लेते थे। माल के अलावा इष्कों को कई प्रकार की लाग-बाग भी देनी पड़ती थे। खालसा भूमियों में राज्यांश 1/3 भाग से 1/6 भाग तक होता था। किन्तु जागीर के गांवों में जागीरवार निया करते थे।

3. भू-प्रबन्ध का प्रारम्भ :

मानवीय दृष्टिकोण श्रपनाने वाले राजा ग्रीर जागीरवार कृषकों पर ग्रधिक बोझ नहीं डालते थे तथा काफी रियायत बरतते थे। धीरे-धीरे ब्रिटिश सरकार की सलाह पर राजा लोगों ने बंदोबस्त का कार्यक्रम ग्रयनाना शुरू किया । राजयुताना में सर्वप्रथम कोटा राज्य का भू-प्रबन्ध सन् 1876-77 में हुआ व फिर अलवर राज्य का भू-प्रबन्ध सन् 1890-91 में मि. माइकेल एफ. ग्रो., डायर ने किया। तत्पश्चात इसी ब्रिटिश ग्रफसर ने सन् 1900-1901 में समुचे भरतपुर राज्य का भ-प्रबन्ध किया। इसी प्रकार और राज्यों में भी भ-प्रबन्ध की कार्यवाही होती चली गई। शुरु-शुरु में खालसा भूमि का बंदोबस्त कराया गया। बाद में जागीर के गांवों का भी बंदोबस्त कराया गया । राजस्थान राज्य का निर्माण होने के समय जोधपुर, बीकानेर, जैसलवेर व सिरोही जिलों में तथा जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र में जागीर के अनेक गांवों में बंदोबस्त की कार्यवाही नहीं हुई थी। ज्यों-ज्यों म्-प्रबन्ध की कार्यवाही पूर्ण होती जाती थी, वैसे ही उक्ज का हिस्सा लेना यानी बंटाई श्रीर कुताई प्रथा बंद होती चली गई तथा बंदोबस्त विकाग हारा निर्धारित लगान की दरों से ही लगान वसल किया जाने लगा। भू-प्रबन्ध विनाग हारा निर्धारित लगान की दरें निःसन्देह बंटाई, लटाई व कुंसा इत्यादि के माध्यम से दिये जाने वाले ग्रंश से काफी कम थी। भू-प्रबन्ध की कार्य-वाही में लगान निर्धारित करने में मानवीय दृष्टिकीण अपनाया गया ताकि कुषक की श्रपनी भमि से लगाव बना रहे।

4. भूमि मुधार की प्रक्रिया :

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भूमि मुधार एवं कृषि उन्नति के अनेक प्रोपाम हाथ में लिये गये। भूमि मुधार कार्यक्रम के माध्यम से सर्वप्रकार की जागीरदारी प्रथा, जमींदारी एवं बिस्वेदारी सभी को समाप्त करके दास्तिविक कृषक तथा राज्य के बीच सीधा संबन्ध स्थापित किया गया। कृषक का शोधग रुका। दूसरी और कृषि उन्नित की एवं सिचाई की अनेक योजनाओं द्वारा खेती की पैदावार तथा आमदनी बढ़ाने का कार्यक्रम अपनाथा गया। राजस्थान राज्य का निर्माण होते ही वास्तिविक जीताओं की सुरक्षा करने के लिये विभिन्न अधिनियम / अध्यादेश जारी किये गये।

- (1) राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रॉफ टिनेन्स ग्राडिनेन्स, 1949 लागू किया ।
- (2) सन् 1952 में राजस्थान लैण्ड रिफार्म एवं जागीर रिजरण्शन एक्ट, 1952

- (3) सन् 1959 में राजस्थान जमोदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन श्रीविनियम, 1959
- (4) सन् 1960 तक जागीर पुनर्षहण का कार्य सम्पूर्ण हो गया।
- (5) सन् 1964 में भूतपूर्व नरेशों द्वारा अपनी निजी सन्पत्ति में रखी गई कृषि-भूमियों पर से उनका अधिकार समान्त किया गया ।

इस प्रकार कृषक का तोबा सम्बन्ध राज्यमे नुड़ गरा 15 ग्रक्ट्बर, 1955 को राजस्थान काश्तकारी ग्रीधिनियम लागू करके सभी कृषकों को खातेदार बना दिया गया । यद्यपि उपकृषक ग्रीर गैर-खातेदारों को श्रीणयां भी रखी गई तथायि कानून में एवं नियमों में एसी व्यवस्था की गई कि उपकृषक तथा गैर-खातेदार भी खातेदार बन जाय। इस कानून में कृषक ग्रयनी भूमि का एक अकार से स्वामी बन गया। व राज्य सरकार से उसका सीधा सम्बन्ध हो गया। विचीलिया प्रया सब के लिये सनाप्त हो गई।

5. संक्षिप्त भू-प्रवन्ध :

जागीरों का मुग्नावजा सही तौर पर आंकने के दृष्टिकोण से तथा अनाज के रूप में लगान वसूली तुरन्त समाप्त करने के दृष्टिकोण से राजस्थान संक्षिप्त भू-प्रबन्ध अधिनियम,1953 पास करके भू-प्रबन्ध से बचे हुये क्षेत्रों का जल्दी-जल्दी शोध्र मौटे तौर पर भू-प्रबन्ध करवा लिया गया।

6. भु-राजस्व ग्रधिनियम :

सन् 1956 में राजस्थान भू-राजस्व प्रधिनियम लागू करके लगान तथा भू-राजस्व की वपूली की प्रक्रिया को नियमित व सही कर दिया गया जिससे पूर्व में इस हेतु की जाने वाली प्रतेक ज्यादित्यां समाध्य हो गईं। तकद द्वया के रूप में लगान वसूल करना प्रिन्वार्य कर दिया गया। लगान किस्तों में प्रदा करने की व्यवस्था की गई। संक्षिप्त भू-प्रवन्ध कार्यवाहियां करके सभी भूनियों का लगान निर्धारित कर दिया गया। बाद में एक के बाद एक तहसील में भू-प्रवन्ध का कार्य प्रारम्भ करके सारे राज्य में वंदोवस्त कर दिया गया। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां नियमित भू-प्रवन्ध न हो चुका हो।

7. भू-प्रबन्ध की व्यवस्था :

राजस्थान मू-राजस्व ग्रधिनियम, 1956 के ग्रध्याय 7 एवं 8 में सर्वे, मू-ग्रभिनेखन एवं भू-प्रबन्ध की प्रक्रिया का तथा इस होतु नियुक्त ग्रधिकारियों के ग्रधिकारों का प्रावधान किया गया । राज्य में भू-प्रबन्ध की सनस्त कार्यवाहियों उक्त ग्रधिनियम के इन दोनों ग्रध्यायों के प्रावधानों तथा विभागीय निर्वेशों के ग्रन्तर्गत की जासी है। भू-प्रबन्ध विभाग हारा "इन्स्ट्रवशन्स ग्रान संडिलमेन्ट ग्रावरेशन्स" नाम की ग्रंग्रेजी पुस्तिका तथा "हिदायत खानापुरी" नाम की हिन्दी पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इसके ग्रतिरिक्त समय-समय पर निर्वेश-पत्र जारी किये जाते हैं।

8. म्-प्रबन्ध विभाग का मुख्य कार्यः

मू-प्रबन्ध विभाग का मुख्य कार्य प्रत्येक खेत का एवं तदनुसार प्रत्येक खाते की कुल जीत का लगान निर्धारित करना है। इसके लिये यह भी ब्रावश्यक है कि यह भी पुनिश्चित किया जाये कि समुक 2 खेत अथवा जोत का लगान कौन अदा करेगा तथा राज्य कितके साथ मृमि का बंदोबस्त कर रहा है, वह व्यवित भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये ? लगान अदा करने का अधिकार जिस व्यक्ति के हक में भू-प्रबन्ध के माध्यम से अभिलिखित किया जाता है वहीं व्यक्ति खातेदार अथवा गैर-खातेदार जैसी भी स्थिति हो, माना जाता है। म-प्रबन्ध को कार्यवाही समाप्त होने के बाद समय-समय पर नामान्तरकरण विधिवत तस्वीक होते रहते हैं तथा राजस्व विभाग द्वारा चौसाला जमावंदी बनती रहती है जब तक कि दुवारा भू-प्रवन्ध प्रारम्भ न किया जाय । खातेदारों के थ्रलावा ग्रन्य प्रकार के कुषकों को भी जिन्हें किसी न किसी प्रकार का अधिकार अपने कब्जे की मूमि में प्राप्त हो गया है राजकीय रेकार्ड में स्रिभिलिखित किया जाना आवश्यक है ताकि उनके अधिकारों की भी सुरक्षा हो सके । मु-प्रबन्ध एवं अधिकार अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही करने से पहले तहसील के प्रत्येक गांव की सम्पूर्ण भूमि की, खेतों, रास्तों, नदी, नालों, श्मशान, जंगलों, अन्य पड़त भूमि इत्यादि सभी की विधिवत पैमाइश किया जाना आवश्यक है । पैमाइश होकर गांव का नक्शा तैयार होना तथा मौका मिलान एवं गांवों की सीमाओं का मिलान करके खेतों को तथा मुमि के अन्य दुकड़ों को शिनाख्त करने के दुष्टिकीण से उनकी नम्बर भंदाजी किया जाना परमावश्यक है क्योंकि इसी नम्बर श्रंदाजी के श्राधार पर श्रधिकार श्रीभलेख तैयार किया जाता है। इस प्रकार भू-प्रबन्ध विकाग के कार्यकलायों के निम्नलिखित तीन मुख्य ग्रंग हुये। यही मू-प्रबन्य कार्यवाहियों की तीन विभिन्न सीदियां है जिन्हें एक के बाव एक कमानुसार पूरा कराना पड़ता है तभी भू-प्रबन्ध की कार्यवाही सम्पूर्ण समझी जाती है :--

- (1) भूमि का सर्वेक्षण, तैयारी नक्शा, भौका मिलान, सीमा मिलान एवं नम्बर खदाजी।
- (2) ब्रिधिकार ब्रिनिलेख तैयार करना तथा उनको गांव के मजमए-ब्राम में तस्वीक करना ।
- (3) मू-प्रबन्ध यानि भूमि वर्गोकरण करके प्रत्येक प्रकार की भूमि की ग्रौसत उपज एवं ग्राय को ध्यान में रखते हुये लगान की वरें निर्धारित करना एवं तत्वश्चात् प्रत्येक खेत एवं प्रत्येक खाते का लगान निर्धारित करते हुये उसकी ग्रवायगी की प्रणाली निर्धारित करना ।

9. मिसल बंदोबस्त :

उपरोक्त तीनों कार्यवाहियां समाप्त हो जाने के उपरान्त मिसल बंदोबस्त यानि बंदोबस्त की जमाबंदी तैयार की जाती है। बंदोबस्त की कार्यवाही समाप्त करके कुषकों को पर्वा लगान जारी कर दिया जाता है तथा राजस्व विभाग को मिसल बंदोबस्त भेज दी जाती है जिसके ग्राधार पर वे खसरा गिरदावरी चौसाला तैयार करते हैं तथा ग्रायन्वा हर चार साल बाद प्रोग्राम के अनुसार प्रत्येक गांव की जमाबंदी तैयार करते रहते हैं। बंदोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये गांव के नक्शे की प्रतियां तथा गांवों का राजस्टर भी राजस्व विभाग को संभला दिये जाते हैं। इसी प्रकार विदित होगा कि जहां मू-प्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त होती है वहीं से राजस्व विभाग का कार्य प्रारम्भ होता है। भू-प्रबन्ध जड़ है तो राजस्व प्रशासन पेड़ है जिसकी ग्रनेक शाखायें हैं।

अच्याय 2

1. भू-प्रबन्ध विभाग की स्थापना:

राजस्थान राज्य के वर्तमान स्वरूप के गठन के तुरन्त बाद एकीकृत भू-प्रबन्ध विभाग की स्थापना हुई। इससे पूर्व राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों में मलग 2 भू-प्रबन्ध विभाग कार्य कर रहे थे। कोटा राज्य में भू-प्रबन्ध कार्य 1876-77 में प्रारम्भ हुम्रा जिसे वहां के स्थानीय अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद ने सम्मन्त कराया। मलवर राज्य का भू-प्रबन्ध कार्य बिटिश अधिकारी नाईकल स्रोडायर ने 1894 से 96 तक किया। इसी अधिकारी ने भरतपुर राज्य का भू-प्रबन्ध सन् 1900-1901 में किया। जयपुर राज्य में खालसा क्षेत्र का भू-प्रबन्ध कार्य एक बिटिश अधिकारी विनिक्तशब द्वारा किया गया।

2. प्रशासनिक व्यवस्था:

विभाग के उच्चतम अधिकारी भू-प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन संचालक भूमि एकीकरण विभाग के नाम से जाने जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से समस्त भू-प्रबन्ध अधिकारियों पर एक आयुक्त का ही नियंत्रण होता है। भू-प्रबन्ध आयुक्त के सहयोग हेतू निम्नलिखित अधिकारीगण मुख्यावास में नियुक्त हैं:--

- 1. अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त (प्रथम)।
- 2. अतिरिक्त भू-प्रबन्ध ग्रायुक्त (द्वितीय)।
- 3. भू-प्रबन्ध प्रधिकारी (मुख्यावास)।

विभिन्न अधिकारियों के प्रशासनिक कार्य का निस्तारण निम्न प्रकार से होता है:--

1. भू-प्रबन्ध प्रायुक्त :

- (क) विभागाध्यक्ष सामान्य वित्तीय एवं लेखा तथा राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अशील) के अन्तर्गत समस्त अधिकार सम्पन्न ।
- (ख) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 के अध्याय 7 एवं 8 के अन्तर्गत समस्त अधिकार।
- (ग) राजस्व अपीलें एवं अन्य राजस्व कार्य।
- (घ) नीति सम्बन्धी निर्णय।
- (इ) सभी मामले जिनमें भू-प्रबन्ध आयुक्त की स्वीकृति आवश्यक है तथा जिनके लिये अन्य अधिकारी की नियुक्त नहीं किया बना है।

- (ब) गोपनीय शाखा।
- (छ) राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों (आर. टी. एस को परिनिन्दा एवं वेतन-वृद्धि रोकने के अधिकार।
- (ज) लेखा विभाग में कार्यरत लेखाकारों को राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमों के अन्तर्गत साधारण दण्ड देने का अधिकार।
- (क) अन्य विकागों से यांग आने पर भू-मापकों/निरीक्षकों को उपलब्ध कराना ।

2. श्रतिरिक्त भू-प्रबन्ध ग्रायुक्त (प्रथम) :

- (क) कार्यालयाध्यक्ष के अधिकार।
- (ख) संस्थापन शाखा (भर्ती, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगी परीक्षायें) :-
 - (i) कार्मिक व्यवस्था (ij) सेवाभिलेख (iji) सेवा निवृत्ति प्रादेश (iv) अवकाश व श्रत्थ
- (ग) सामान्य शाखा।
- (घ) बाहनों की व्यवस्था एवं रख-रखाव।
- (इ) सर्वे एवं भू-प्रबन्ध/भू-प्रश्निलेख कार्य की योजना व व्यवस्था (नायब तहसील-दार)।
- (च) भू-प्रबन्ध कार्य का कार्यक्रम एवं प्रचीत (सवर मुन्सरिम)

3. अतिरिक्त भू-प्रबन्ध आयुक्त (दितीय) :

- (क) राजस्थान ग्रसैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं ग्रपील) नियम 11 के प्रन्तर्गत विभागीय ग्रध्यक्ष प्रथम श्रेणी के ग्रतिरिक्त के प्रधिकार।
- (ख) रेन्टरेट रिपोर्ट की जांच, टिप्पणी तथा इससे सम्बन्धित राजस्व मंडल एवं राज्य सरकार से पत्र व्यवहार।
- (ग) भू-राजस्य दरों का सामान्यकरण।
- (घ) विभागीय जांच।
- (ड) ड्राइंग शाखा:
 - (i) प्राज्यकारों के कार्य पर नियंद्रण ।

- (ii) सीमा नक्शों का प्रमाणीकरण।
- (च) कम्प्यूट शाखा।
- (छ) रीडर शाखा।
 4. भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी (बुख्यावास) :

(क) लेखा शाखा:

- (i) लेखा एवं बजट (ii) राशि आहरित एवं वितरित करने के अधिकार ।
- (iii) केश-बुक और लेखा संबंधी रजिस्टरों की देखरेख ।
- (iv) स्टोर (v) पेंशन एवं वेतन निर्धारण।
- (ख) निरीक्षण (सदर मुन्सरिम-III) :
 - (i) क्षेत्र का निरीक्षण प्रतिवेदन ।
 - (ii) कार्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन ।
- (ग) जांच:—विभागीय जांच ब्रायुक्त, ब्रतिरिश्त विभागीय जांच ब्रायुक्त एवं उप-विभागीय जांच ब्रायुक्त के समक्ष विचाराधीन मामलों में विभागीय प्रतिनिधि का कार्य तथा ब्रन्य न्यायालय संबंधी कार्य ।
- (घ) ज्यूडिशियल शाखा ।
- (ड्) अभाव अभियोग ।
- (व) सामान्य कार्य ।
- (छ) पुस्तकालय एवं रिकार्ड।

कार्य विभाजन की दृष्टि से मुख्यालय के कार्य को तीन शाखाओं में नितरित किया हुन्ना है:-

(1) संस्थापन शाखा:

इस शाखा का प्रभारी अधीक्षक होता है जो सम्पूर्ण संस्थापन एवं कार्यालय के अन्य सभी कार्यों की देखरेख करता है। सम्पूर्ण स्टाफ पर अधीक्षक का नियंत्रण रहता है।

(2) लेखा शाखा:

शाखा प्रभारी लेखाधिकारी कहलाता है जो दिल संबंधी सभी कार्यों की देखरेख करता है । विमाग के बजट एवं खर्च के सही-सही हिसाब रखने के लिये पूर्ण उत्तरदायी होता है ।

(3) सदर मुन्सरिम शाखा :

भू-प्रबन्ध विभाग के मुख्यावास का यह ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रानुभाग है। राज्य में भू-प्रबन्ध की कार्यवाहियों को प्रारंभ करवाजा, ग्रधीनस्थ ग्रधिकारियों की कठिनाइयों को दूर करना,समय-समय पर समुचित निर्देश जारी करना, सामित्र कार्य प्रगतियां ग्रांकते रहना तथा समय पर कार्य पूरा करवाना तथा भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी द्वारा भेजे गये भूमि वर्गीकरण एवं नगान निर्धारण के प्रस्तावों की जांच करना इत्यादि इत्यादि इसी ग्रनुभाग द्वारा किये जाते हैं। इस ग्रनुभाग की दो मुख्य शाखा है:-

- (1) कार्य प्रगित शाखा:—(1) राज्य भर के लिये प्रत्येक मू-प्रवन्ध प्रशिकारी पार्टीबार भू-प्रवन्ध का पंचवर्वीय कार्यक्रम तैयार करना (2) कार्यक्रम के अनुसार पुनं मू-प्रवन्ध हेतु ली जाने वाली तहसीलों के लिये राजकीय विक्रित जारी करवाना (3) सर्वे एवं मू-माप कार्य प्रारंम करवाने की सूचना रखना (4) प्रत्येक माह प्रत्येक पार्टी के कार्य की प्रगित को मांकना तथा इस संबंध में आवश्यक निर्वेश जारी करना (5) मासिक/ जैमासिक कार्य की समीक्षा करने के पश्चात राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजना (6) मोक पर आने बाली मुश्किलात के सम्बन्ध में निर्वेश जारी करना (7) राज्य सरकार के निर्वेशों की पालना करवाना (8) सर्वे इत्यादि कार्यवाहियों से संबन्धित बन्त्रों एवं फाम तथा शीटों की आवश्यकता मालुम करके लेखा शाखा (अंडार) को बताते रहना। एवं (9) मू-म्राभिलेख का संरक्षण इत्यादि इत्यादि इस शाखा के प्रमुख कार्य हैं।
- (2) लगान निर्धारण शाखा:—(1) भू-प्रबन्ध प्रधिकारी द्वारा भेके गये चकत राशि के प्रस्तावों की जांच करके उनका अनुमोदन करना (2) प्रस्थाई कर प्रस्तावना की जांच करके उसको मंजूर करना (3) रेन्टरेट रिपोर्ट की जांच करके उसमें अग्रिम कार्यवाही करना (4) रेन्टरेट स्वीकृत हो जाने के उपरान्त तंबन्धित भू-प्रबन्ध पार्टी को राज्याज्ञ भिजवाना तथा पर्वी लगान जारी करवाने का जाम करवाना (5) रेशनेलाइजेशन आप्राप्त रेन्टरेट्स का कार्य इस्थावि-इत्यावि इस शाखा के मुख्य कार्य हैं।

भू-प्रबन्ध पार्टियों के फील्ड कार्य का निरीक्षण करवाना भी इसी अनुभाग का काम है। इस शाखा के प्रभारी महायक भू-प्रबन्ध अधिकारी (मुख्यावास) अथवा सवर मुन्तरिम होंगे।

3. मुख्यालय में नियुक्त तथा घ्रन्य ग्रधिकारियों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व निम्न प्रकार निर्धारित हुये हैं :--

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 15 के भाग 3 एवं 15 की उप धारा 1 के अन्तर्गत मंत्रायालिक कर्मवारी एवं चतुर्थ थेणी कर्मवारियों के लिये कार्यालयाध्यक्ष के निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये हैं:---

1. मुख्य कार्यालय प्रधिकारी

ग्रतिरिक्त मू-प्रबन्ध ग्रायुक्त (प्रथम) कार्यालया-ध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष उच्चतर कार्गालया-ध्यक्ष ।

2. क्षेत

भू-प्रबन्ध प्रधिकारी । उच्च प्रधिकारी भू-प्रबन्ध आयुक्त 3. तहबील या क्षेत्र

जो सहायक भू-प्रबन्ध एवं भू-अभिनेख प्रष्टि-कारी क्षेत्र में हो वे कार्यालयाध्यक्ष एवं जनुशा-सनारमक प्रधिकारी होंगे । उच्च प्रधिकारी भू-प्रबन्ध प्रधिकारी । उच्चतर प्रधिकारी भू-प्रबन्ध प्रायुक्त ।

- (2) राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अयोत) नियम 12 के भाग 3 पार्ट II के अनुसार मंत्रालयिक सेवाओं एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सभी प्रथम नियुक्तियां विभागाध्यक्ष हारा की जावेगी।
- (4) राजस्थान असैनिक सेवार्थे (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 14 के अस्तंगत निम्नलिखित दण्ड पर्याप्त कारण एवं भूमिकाओं के आधार पर दिये जा सकेंगें :---
 - (क) परिनिन्दा।
 - (ख) वार्षिक वेतन वृद्धि अथवा पदोस्नति का प्रवरोध।
 - (ग) बेतन के बयान राशि की कटौनी जिनकी आर्थिक होने संबन्धित राज्य द्वारा असावधानी प्रथवा नियमों एवं आदेशों की अबहेलना के कारण हुई है।
 - (घ) निम्नतर ग्रेड ग्रथका पर पर पदावनित श्रवता पेंशन में कटौती जो नियमा-नुसार हो।
 - (ड) ग्रनिबार्य सेवा निवृति ।
 - (च) राज्यसेवा मुक्ति जो भावी निवीग के लिये वाधा नहीं मानी जावेगी।
 - (छ) राज्य तेवाओं से पदच्युत करना जिसके कारण साधारणतया भावी नियोग के लिये अयोग्यता बनती हैं।

जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है उपरोक्त (क) से (ड) तक की शक्तियां मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ग्रतिः भू-प्रबन्ध आयुक्त की प्रवस्त की गई है। शेव दो यानी (च) द (छ) की शक्तियां मू-प्रबन्ध आयुक्त में निहित है।

(5) भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी व अति. भू-प्रबन्ध ग्रायुक्त द्वारा पारित ग्रादेशों की ग्रपील ग्रादेश श्राप्ति से 90 दिवस की ग्रवधि में भू-प्रबन्ध ग्रायुक्त को प्रेषित की की जा सकती है।

4. मू-प्रबन्ध पार्टी का गठन :---

राजस्थान भू-राजस्व प्रधिनियम 1956 के ब्रध्याय 7 की धारा 106 एवं 107 के ब्रन्तर्गत राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसुवना द्वारा यह निर्देश देती है कि किसी स्थानीय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जावे अथवा यदि सर्वेक्षण हो चुका हो तो ऐसे स्थानीय क्षेत्र के अभिलेखों का सामान्यत अथवा श्रांशिक रूप से पुनरीक्षण किया जावे। वर्तमान में भू-प्रवन्ध कार्य के लिये निम्न 13 दल गठित है:—

क्र.सं. 1	पार्टीका नाम 2	मुख्यावास 3	दल का प्रकार 4
1.	भू-प्रबन्ध ब्रधिकारी, जयपुर	जयपुर	नियमित पार्टी
2.	भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी, बोकानेर	बीकानेर	n
3.	भू-प्रबन्ध प्रधिकारी, उदयपुर	उरयपुर	n
4.	भू-प्रबध अधिकारी, जोधपुर	जोधपुर	"
5.	भू-प्रबन्ध त्रधिकारी, भीलवाड़ा	भीलबाड़ा	u
6.	भू-प्रबन्ध श्रधिकारी, ग्रलवर	भ्रलबर	,,
7.	भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर (जनजाति)	उदयपुर	जनजाति क्षेत्र योजनान्तर्गत
8.	भू-प्रबन्ध प्रधिकारी, बांसवाड़ा (")	बांसवाड़ा	n
9.	मू-प्रबन्ध अधिकारी, सीकर	सीकर	भूमि सुधार योजनान्तर्गत
10.	मू-प्रवन्ध प्रधिकारी, टोंक	टोंक	,
11.	भू-प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर	भरतपुर	n
12.	मू-प्रबन्ध ग्रधिकारी, कोटा	कोटा	नियमित पार्टी
1 3.	मू-प्रबन्ध श्रधिकारी, श्रजमेर	ग्रजमेर	n

5. मू-प्रबन्ध ग्रधिकारी का कार्यालय एवं कार्य:--

धूरी भू-प्रबन्ध अधिकारी पार्टी में निम्नलिखित पद होते हैं :

क्रमां 1	क नाम पद	स्वीकृत संख्या 3	
1.	मू-प्रवन्ध अधिकारो	1	
2.	सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारीः	4 न	ोट:-ग्रावश्यकता ग्रनुसार
3.	सवर मुन्सरिम	1	विमागाध्यक्ष किसी
4.	कार्यालय सहायक	1	पार्टी में ग्रेड I के
5,	वरिष्ट लिपिक	5	प्रारूपकार को जो
6.	कनिष्ट लिविक	16	नियुक्त कर लकते है।
7.	कनिष्ठ लेखाका र	1	and the state of t
8*	प्रारूपकार ग्रेड II	new Jones Is 1	
9.	प्रारूपकार ग्रेड III	2	
10.	निरीक्षक	20	
11.	भू-मापक	118	
12.	जमादार	1	
1 3.	चतुर्थं श्रेणी कर्त्रचारी	10	
	TE THE VOICE LINES OF THE PARTY		

मू-प्रबन्ध प्रधिकारी के कार्य: विकास कार्यकार विकास कार्य

- (1) प्रत्येक भू-प्रवन्ध अधिकारी अपने क्षेत्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। अपने अधीन नियोजित स्टाफ को अनुशासन में रखते हुए उनसे बानदंड के अनुसार पूरा काम लेने का उत्तरदायित्व मुलतः सहायक मू-प्रवन्ध अधिकारियों का है जो मू-प्रवन्ध अधिकारी के निर्देशानुसार व मार्गवर्शन में कार्य करते हैं।
- (2) पार्टी के पूरे कार्य का जायजा लॅकर काम का बंटवारा करना तथा क्षेत्रवार अथवा गांववार सुविधानुसार सहायक सू-प्रबन्ध अधिकारियों को कार्य क्षेत्र देना।
- (3) पार्टी के लिये मू-प्रबन्ध का कार्यक्रम मू-प्रबन्ध ग्रायुक्त को प्रस्ताचित करते रहना ।

- (4) मूमाप, तरमीम वकतराशी एवं मू-प्रभिलेखन की जांच।
- (5) हिरायत चकतराशी तैयार करना तथा तत्संबन्धी सभी पूर्व कार्यवाहियां करना।
- (6) पार्टी में कार्यरत सभी अमीनों द्वारा समयावधि कार्यक्रम के रिजस्टर को आदिनांक रखना एवं उसके मुताबिक प्रोग्राम की कियान्बित सुनिश्चित करना।
- (7) मुख्य कार्यालय द्वारा समयावधि कार्यक्रम तैयार करना, ग्रस्थाई कर प्रस्तावना एवं स्थाई कर प्रस्तावना तैयार कराना ।
- (8) पार्टी हेतु श्रावश्यक सर्वे यंत्र एवं फार्म् स हेतु मुख्यालय को इन्डेन्ड प्रस्तुत करना ।
- (9) त्रधीनस्य सहायक म्-प्रबन्ध प्रधिकारियों के कार्य का छमाही निरीक्षण।
- (10) अधीनस्य निरीक्षकों के कार्य का वार्षिक निरीक्षण ।
- (11) ग्रपने कार्यालय का तिमाही निरीक्षण ।

सहायक भू-प्रबन्ध श्रविकारी के कार्य :

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को क्षेत्र तथा कार्य के वितरण का बायस्य भू-प्रबन्ध अधिकारी का है जो समय-समय पर उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं अपने अधीन नियोजित स्टाफ से निर्धारित कार्यक्रम के मृतािवक मानवंडानुसार कार्य केंकर समया-विव में कार्व पूर्ण कराने व अनुशासन बनाये रखने का वायित्व सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का होगा जैसािक अपर भी बताया जा चुका है। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के कार्यों की सूची नीचे वी जा रही है।

- 1. भूनापन को जांच एवं चैक लाइनें डालना ।
- 2. तरमीम की जांच।
- 3. रेकार्ड राइटिंग की जांच ।
- 4. चकतराशी की जांच।
- 5. रकवा बरारी को जांच।
- 6. तस्वीक पर्चा खतौनी ।
- 7. उजरदारी (अ) इन्द्राज संबंधी (व) लगान संबंधी सुनना ।
- मून्मामक एवं निरीक्षक द्वारा योजनाबद्ध कार्यक्रव का प्रोप्राम (ग्रलाटमेंट) रिजस्टर तैयार करना इसकी कियान्विति ।
- 9. श्रमलबरामद की जांच (कियान्वित)

सबर मुनसरिम के कार्य

- 1. निरोजक द्वारा सम्यादित कार्य की देख-रेख ।
- 2. ग्रमीनवार प्रस्तावित कार्य की समयावधि प्रोग्राम-ग्रलॉटमेंट रिजस्टर के मृता-विक जांच करते रहना तथा प्रोग्राम निर्धारित श्रविध में पूरा कराने हेतु चेतावनी-पत्र जारी करते रहना
- 3. भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी द्वारा फील्ड के निरीक्षणों में दिये गर्व निर्वेशों की अनु-पालना कराते रहना ।
- 4, मु-मापक यन्त्रों का इन्डेन्ट करना ।
- s. मुद्रित फार्मा का इन्डेन्ट करना।
- 6. जु-नावकों को सबें यंत्र समय पर उपलब्ध कराना ।
- 7. भू-श्रिभलेख का संरक्षण ।
- कर निर्धारण के संबंध में आवश्यक आंकड़ें तैयार करना व करवाना !
- भू-प्रबन्ध प्रधिकारी को टेक्नीकल मामलों में समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा रायवेना ।
- 10. सफाई का सुपर चैकिंग ।

प्रारूपकार के कार्य

ड्राइंग कार्य --

- 1. शोटों पर हैडिंग लिखना तथा सीमा पुख्ता करना ।
- 2. तैयारी लट्ठा ट्रेस ।
- 3. तैयारी मौमियां ट्रेस ।
- 4. चैंकिंग ट्रेस ।
- 5. पेन्टोग्राफ ।
- 6. तैयारी मजमूली।

निरीक्षकों के कार्य

भू-मापकों द्वारा सर्वे एवं मन्त्रमिलेख संबंधी तथा भू-प्रबन्ध संबंधी जो भी कार्य

किया जाता है एवं जो भी कागजात तैयार किये जाते हैं, उन सब की जांच करते रहना ब नुनिश्चित् करना कि कार्य शुद्ध हो रहा है, कोई गलती नहीं रह रही है तथा समय पर निर्धारित कारगुजारी के पुताबिक कार्य सम्पन्न हो रहा है, यह निरीक्षक का प्रमुख कार्य है। नीचे खास-सास कार्यों की सूची भी वी जा रही है:—

- 1. भू-मापन की जांच एवं शिस्तवांजी करना ।
- 2. सीमा मिलान ।
- 3. तरमीम की जांच।
- 4. मू-ग्रमिलेख की जांच ।
- 5. शीट पुस्तगी एवं नम्बर ग्रंबाजी ।
- 6. रकवा बरारी की जांब।
- तैयार किय गये खसरों से तथा राजस्व जमाबंदी से पर्चा खतौनी की जांव ।
- 8. चकतराशि करना ।
- 9 कसल कटाई प्रयोग करना व नतीजा तैवार करना।
- 10. कर निर्धारण--
 - (क) लगान फैलावट की जांच
 - (ख) पर्वा लगान की जांच ।
- 11. श्रमलदरामद की जांच ।
- 12. मिसल बंदोबस्त की जांच--
 - (क) प्रथम प्रति,
 - (ख) द्वितीय प्रति ।

निर्धारित कारगुजारी के लिये परिशिष्ट संख्या 1 वेखिये ।

भू-मापक के कार्य--

मू-प्रबन्ध विभाग में मू-मापक एक आधारभूत व महत्वपूर्ण कर्मचारी । सारा

1. भू-मापन कर शीव को तैयार करना ।

- 2. तरमीम ।
- 3. भू-ग्राभिलेखन ।
- 4. गिरबावरी करना ।
- 5. रकबा बरारी ।
- 6. तैयारी पर्वा खतौनी एवं वितरण तथा ए. एत. जो. से पर्वा तस्दीक मौके पर करवाना।
- 7. निरीक्षक को चकतराति में मदद करना ।
- s. तेयारी **बाहा**त
- ०. तरतीव
- 10. जिन्सवार तैयार करना ।
- 11. तैयारी कागजात बाबत कर निर्धारण शाखा ।
- 12. तैयारी लगान पर्चा एवं वितरण ।
- 13. रेकार्ड रिपोर्ट करना ।
- 14. मिसलों व खतरा परिशोधन का अमलवराबद करना ।
- 15. तंयारी मिसल बंदोबस्त ।
- 16. तैयारी सफाई कापी द्वितीय ।

भू-मापक की कारगुजारी का मानवण्ड परिशिष्ट संख्या 1 पर देखिए।

6. भू-प्रबन्ध इकाई स्थापित करने के आधार :

राज्य सरकार भू-राजस्व श्रिधिनयम, 1956 की धारा 106, 107 के श्रन्तर्गत जिस स्वानीय क्षत्र के भू-प्रबन्ध हेतु श्रिधिसूचना जारी करती है उसका चवन निम्न श्राधार पर किया जाता है:—

- 1. भू-प्रबन्ध की ग्रवधि ।
- 2. सिंचित क्षेत्र में वृद्धि ।
- 3. उत्पादन में वृद्धि ।
- 4. प्रत्य परिवर्तन जिससे राजस्व में बढ़ोतरी की सम्भावना है।

7. पंचवर्षीय योजना :

भू-प्रबन्ध प्रधिकारियों द्वारा श्रपनी पार्टी के शेव कार्य को मध्य नजर रखते हुए आगामी पंचवर्षीय कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिससे नई तहसीलों का कार्य हाथ में लिये जाने के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं और उनकी प्राथमिकता उस क्षेत्र को दी जाती है जिसे सर्वाधिक क्षेत्र जिनित होता है और जिससे राज्य सरकार को लाभ मिल सके। पंचवर्षीय योजना का काल, राज्य की पंचवर्षीय योजना का काल, राज्य की पंचवर्षीय योजना की अवधि के अनुसार ही है।

8. अमण कार्यक्रम :

मू-प्रबन्ध कार्य वास्तव में फील्ड का काम है। सारा काम गांवों में ही होता है।
मू-माप, मू-प्रभिलेखन, परिशोधन तस्वीक, तैयारी चाहात इत्यादि-इत्यादि सभी प्रमुख कार्य फील्ड पर होता है। इसलिये सहायक भू-प्रबन्ध प्रधिकारीगण को तथा मू-प्रबन्ध प्रधिकारीगण के निरन्तर वौरा करना पड़ता है। सहायक मू-प्रबन्ध प्रधिकारीगण के लिये 15 दिन एवं 10 राति विश्वाम तथा भू-प्रबन्ध प्रधिकारी के लिये 7 दिन एवं 5 रात प्रत्येक माह में वौरा करना प्रावश्यक है। जब फील्ड सीजन न चलता हो प्रथवा फील्ड कार्य न चलता हो तब दौरा कम भी किया जा सकता है। सहायक भू-प्रबन्ध प्रधिकारीगण के दौरे के संबंध में भू-प्रबन्ध प्रधिकारी को प्रत्येक महीने का काम देखकर उनके दौरे का कार्यक्रम महीना शुरू होते ही श्रथवा शुरू होने से पहले ही सुनिश्चित कर देना चाहिये ग्रन्थया मासिक कार्य प्रगति जैसी चाहिये वैसी नहीं हो पावेगी। कार्य की स्थित को देखते हुये प्रत्येक सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी को कहां-कहां कितना-कितना दौरा करना चाहिये यह भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी सुनिश्चत् करें।

बौरा करते समय सहायक भू-प्रबन्ध प्रधिकारी एवं भू-प्रबन्ध प्रधिकारी को जिस गांव में दौरा किया जाता है उस गांव एवं क्षेत्र से संबन्धित भूमि और मिट्टी की बनावट व उत्पादकता एवं फसलों इत्यादि का प्रध्ययन प्रवश्य कर लेना चाहिये तथा प्रत्येक क्षेत्र में प्रमुख-प्रमुख गांवों के संबंध में प्रपना नोट भी प्रलग से तीन प्रति में लिख कर तैयार करना चाहिये क्योंकि ऐसे नोट भू-प्रबन्ध से संबंधित कई कार्यवाहियों में समय-समय पर उपयोग होते हैं।

न्यायिक कार्य-

भू-प्रबन्ध मायुक्त, भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं सहायक मू-प्रबन्ध अधिकारियों के स्यायिक कार्यों, अधिकारियों एवं कार्य प्रणाली का विवेचन अध्याय 8 में किया गया है ।

फील्ड सीजन-

मू-प्रवन्ध पार्टी में पूरे वर्ष को दो भागों में विभक्त किया गया है। (1) फील्ड सीजन, (2) ऑफित सीजन। फील्ड सीजन र जन्दूबर से 1 नवावर तक कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है जो 8 महीने का होता है। यि 1 अक्टूबर से शुरु किया जाने तो 31 मई को समाप्त होगा, 15 अक्टूबर से शुरु किया जाने तो 15 जून को समाप्त होगा, यदि 1 नवस्वर को प्रारम्भ किया जाने तो 30 जून को समाप्त होगा। यदि 8 माह से अधिक फील्ड सीजन चलाना आवश्यक समझा जाने तो भू-प्रवन्ध आयुक्त की स्वीकृति ली जानी आवश्यक है। किन्तु फील्ड सीजन 9 माह से अधिक किसी सुरत में नहीं हो सकता। तेष 4 माह का समय ऑफित सीजन कहलाता है। फील्ड सीजन में भू-मापक व निरीक्षक स्टॉफ फील्ड पर गांनों में जाकर कार्य करता है। ऑफिस सीजन में स्टॉफ पार्टी के मुख्याबास सव्यव सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के मुख्याबास पर बैठ कर कार्य करता है।

मुख्यावास—

"फील्ड सीजन में भू-मापकों और निरीक्षकों का मुख्यावास मू-प्रवन्य अधिकारी का मुख्यावास ही माना जाता है। निरीक्षकों और सू-मापकों की वही सस्ते दिये जाते हैं जो मू-प्रवन्ध अधिकारों के मुख्यावास के लिये लागू होते हैं। फील्ड सीजन में भू-मापकों को जिस स्थान पर कार्य के लिये मेजा जाता है वह उनका कार्यक्षेत्र होता है। भू-प्रवन्ध अधिकारी सहायक भू-प्रवन्ध अधिकारियों का तथा उनके अधीनस्य लिपिक, भू-मापक, निरीक्षकगण व चतुर्थ थेणी कर्मचारी का अस्थाई मुख्यावास भू-प्रवन्ध अधिकारी के मुख्यावास के अतिरिक्त अन्य स्थान अर्थात् भू-प्रवन्ध के अन्तर्गत तहसील के मुख्यावास अथवा अन्य मध्य के स्थान पर कायम कर सकते हैं। ऐसे अस्थाई मुख्यावास पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को वही भत्ते देय होगें जो भू-प्रवन्ध अधिकारी के मुख्यावास के स्थान पर देय होते हैं। यह अस्थाई मुख्यावास कार्यक्षेत्र को अंणी में आयेगा। अतः इसे स्थानान्तरण नहीं माना जाबे।"

9. यात्रा भता :

"फील्ड सीजन प्रारंभ होने पर पार्टी मुख्यावास अथवा सहायक मू-प्रबन्ध अधिकारी के निर्विष्ट मुख्यावास से कार्य क्षेत्र पर जाने का तथा फील्ड सीजन समाप्त होने पर वापिस आने का यावा मस्ता तथा सर्वे यंत्र आदि व अन्य राजकीय सामान ने जाने व लाने का वास्तिक्त क्या भू-मापकों व निरीक्षकों को देव हैं। फील्ड तीजन में भू-मापकों वानिरीक्षकों को राजकीय कार्य से यदि कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर याता के आदेश विये जाते हैं तो नियमानुसार याता मस्ता देय हैं। यदि किसी वर्ष विधिवत फील्ड सीजन न चलाया जाय ग्रीर स्टॉफ को अल्य अवधि के कार्य के लिये गांव में भेजा जावे तो उन्हें विधिवत याता मस्ता देय होगा। ऐसी हालत में निरीक्षक या भू-मापक को चैनमैन की सुविधा नहीं दी जावेगी। किन्तु यदि किसी निरीक्षक व भू-मापक को जन्वे अर्थे के लिये फील्ड में मेजा जावे तो केयल आने-जाने का वास्तविक व्यव दिया जावेगा। विधान मस्ता देय नहीं होगा किन्तु नियमानुसार चैनमैन ग्रीर कुली की सुविधा दी जावेगी। विधान सिरीक्षक व भू-मापक को अपने कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान अर्थात उप-जिलाधीश या तहसील कार्यालय या अन्य महकमें में विशिष्ट कार्य हेतु भेजा जावे तो विधियत याता मस्ता देय होगा।"

10. चैनमैन एवं कुलियों की व्यवस्था :

"फील्ड सीजन में जब सर्वे और खसरा लेखन का कार्य होता है तब कार्यरत प्रत्येक भू-मापक को चैनमैन व जुली रखने की हजाजत ही जाती है। प्रत्येक निरीक्षक को एक खैन-मैन रखने की स्वीकृति है, चैनमैन की उपस्थिति माह के प्रत्येक दिन हो सकती है किन्तु यदि निरीक्षक आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य अवकाश पर हो तो चैनमैन की उपस्थित दर्ज नहीं होगी। इसी प्रकार भू-मापक को जैनमैन रखने को स्वीकृति है। जिस दिन भू-मापक सर्वे के अन्तगत जरीब बलाने का कार्य करता है उस दिन भू-मापक को चैनमैन के अतिरिक्त 3 कुली रखने की इजाजत है। निर्धारित संख्या में चैनमैन और कुली रखकर इसकी धौपचारिक स्वीकृति सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। भू-प्रबन्ध अधिकारी को पूर्वान्ताति से सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी छोर निरीक्षक मा और समय में भी आवश्यकतानुसार चैनमैन रख सकते हैं। चैनमैन व कुलियों के पारिश्विक का भुगतान न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार किया जाता है परिपाटी के तौर पर भू-प्रबन्ध आधुक्त न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार बेतन की दर की स्वीकृति जारी करते हैं। चैनमैन व कुली का चेतन प्रतिमम के अनुसार बेतन की दर की स्वीकृति जारी करते हैं। चैनमैन व कुली का वेतन प्रतिमाह व प्रतिदित बोंनों ही रूप में निर्धारित किया जाता है। प्रतिमाह वेतन का तात्यर्थ यह है कि

सन्ताहान्त का अवकाश शुमार करके ही वेतन निर्धारित किया है। खंनमेन और कुलियों की हाजरी विभाग द्वारा निर्धारित सस्टररोल के फार्म पर ग्रंकित की जाती है। मस्टररोल के फार्म या ग्रंकित की जाती है। मस्टररोल के फार्म जाते जाने शुदा फार्म जिन पर भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा सत्यापन किया हुआ ही हो प्रयोग में लाये जाने चाहिये। सदर मुन्सिरम शाखा द्वारा इस प्रकार के सत्यापित सस्टररोल के फार्म सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी यह रिकार्ड रखें कि किस प्रबन्ध अधिकारीगण को दिये जावे। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी यह रिकार्ड रखें कि किस नम्बर का फार्म किस निरीक्षक या भू-मापक को दिया गया है। यह सुविधाजनक होगा कि मस्टररोल का फार्म निरीक्षक या भू-मापक को वेने से पूर्व फार्म पर निरीक्षक या भू-मापक का नाम ग्रंकित कर दिया जावे। प्रत्येक माह निरीक्षक को 1 ग्रौर भू-मापक को 2 फार्म दिये जावे। मस्टररोल के फार्म निरीक्षक या भू-मापक को माह प्रारंभ होने से पहले दे दिये जावे। सुविधा के लिये वेतन वितरण के समय यह फार्म बांटे जा सकते हैं।"

अध्याय 3

भु-साप एवं तैयारी मानचित्र व कागजात (मौका)

प्रारंभिक

सदाई, बंटाई एवं कूंसा इत्यादि के माध्यम से राज्यांश यानी लगान की अवायगी की प्रणाली को समाप्त करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक था कि प्रत्येक गांव के प्रत्येक मू-खण्ड यानि खेत, नदी, नाला, पहाड़, जंगल, किबस्तान, रास्ते इत्यादि का अलग-अलग सही स्म तफल मालूम किया जावे तािक यह पता चल सके कि कितनी-कितनी सूमि किस-किस प्रकार की अमुक-अमुक व्यक्ति के कब्जा काश्त में है। प्रत्येक खेत की पैमाइश होकर क्षेत्रफल निकालने के बाद ही सूमि की उपज च श्राय इत्यादि को ध्यान में रखते हुये नकद लगान की दरें निकाली जा सकती है। अबुल फजल के कथनानुसार पैमाइश की शुक्अत सर्वप्रथम हुमायं के विजेता शरशाह सूरी के शासनकाल से प्रारंभ हुई। बाद में मुगल बादशाह अकबर में अपजे प्रतिभाशाली राजस्व मंत्री टोडरमल की मदद से पैमाइश का वैज्ञानिक श्रीर सही तरीका विकसित किया। जरीब श्रीर गट्ठा जिन्हें आजकल भी पैमाइश में काम में लिये जाते हैं टोडरमल के आविष्कार हैं।

गांव के सभी भ-खण्डों की पैमाइश करने पर पूरे गांव की पैमाइश हो जाती है तथा गांव की सीमा निर्धारित हो जाती है। इस तरह सभी गांवों की सीमार्थे निर्धारित होकर परी तहसील की सीमा ग्रीर फिर पूरे जिले की सीमा बन जाती है। पृथ्वी के धरातल की पूरी तस्वीर भू-माप के माध्यम से तैयार कर वी जाती है। सर्वे के पश्चात् जो मानचित्र तैयार होता है, वह वास्तव में पूरे गांव की सही तस्वीर है। राजस्थान राज्य के निर्माण से पूर्व वेशी रियासतों में भिन्न-भिन्न नाप की जरीबें काम में ली जाती थी। जयपुर, शाहपुरा व टोंक रियासतों में भिन्न-भिन्न नाप की जरीबें काम में ली जाती थी। मेवाड राज्य में 152-112 फीट की जरीब काम में ली जाती थी। किशनगढ, झालावाड व अलवर राज्यों में 132 फीट की जरीब काम में ली जाती थी। धौलपुर राज्य में 150 फीट की जरीब व कहीं-कहीं 152-112 फीट की जरीब काम में ली जाती थी। मुख्यतया 165 फीट की जरीब जिसे शाह जहानी जरीब कहते हैं अथवा 132 फीट लम्बाई की जरीब जिसे गंटरी जरीब कहते हैं, ही काम में ली जाती थी। भिम का क्षेत्रफल बीघा, बिस्वा एवं बिस्वांसी में निकाला जाता है। एक जरीब लम्बा और एक जरीब चौड़ा यानि एक जरीब स्ववायर क्षेत्रफल को एक बीघा कहते हैं। इसलिये जरीव के छोटी-बड़ी होने के लिहाज से अलग-अलग क्षेत्रों में बीचे का क्षेत्रफल मिन्न हो गया । राजस्थान निर्माण के बाद भी शाहजहानी और गंटरी दोनों ही प्रकार की जरीबों से पैमाइश होती रही यानि किसी क्षेत्र में जहां गंटरी जरीब से पैमाइश हुई (ढाई बीघे का एक एकड़ या तो दूसरे क्षेत्र में) जहां शाहजहानी जरीब से पैमाइश हुई (एक बीघा 12 विस्वा क्षेत्रफल का एक एकड़ था। राजस्थान बाट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत पैमाइश के लिये वाशिमक प्रणाली लाग की गई। राज्य सरकार ने 15 जनवरी, 1963 से क्षेत्रफल के लिये निम्नलिखित इकाइयों का प्रयोग अनिवार्य

मीटर, किलोमीटर

1. लम्बाई

1. 100 वर्ग मीटर यानी एक एयर

 100 एवर यानी 10,000 वर्गमीटर यानी एक हैक्टैयर ।

3. व. कि. मी. यानी 100 हैक्टेयर

वाशामिक प्रणाली के अनुसार खेतों का क्षेत्रफल हंक्टेयर तथा एयर में निकाला जाता है। पूरे मौजे का क्षेत्रफल भी हैक्टेयर और एयर में ही प्रविधात किया जाता है। किन्तु पूरी तहसील अयवा जिला अयवा राज्य का क्षेत्रफल व. कि. मी. में प्रविधात किया जाता है। 10 मीटर लम्बे और 10 मीटर चौड़े वर्गाकार क्षेत्रफल को एक एयर तथा 100 मीटर लम्बे एवं 100 मीटर चौड़े वर्गाकार क्षेत्रफल को एक हैक्टेयर एवं 1000 मीटर लम्बे तथा 1000 मीटर चौड़े क्षेत्रफल को एक व. कि. मी. कहते हैं। वाशामिक प्रणाली के अन्तर्गत जरीब की लम्बाई 20 मीटर होती है। इसलिये 5 जरीब लम्बा और 5 जरीब चौड़ा वर्गाकार क्षेत्रफल एक हैक्टेयर होता है। वाशामिक प्रणाली की शीट पर बना हुआ स्ववायर 5 जरीब लम्बा और 5 जरीब चौड़ा वर्गाकार क्षेत्रफल एक हैक्टेयर होता है। 132 फीट की यानि गंटरी जरीब की पैमाइश के 6 बीघा 4 बिस्वा का एक हैक्टेयर होता है। 132 फीट की यानि गंटरी जरीब का लगभग 3 बीधा 19 बिस्वा क्षेत्रफल एक हैक्टेयर के बराबर होता है। सन् 1963 के बाद में जिन तहसीलों में नया बंदोबस्त का कार्य शुध किया गया, उनमें वाशिमक प्रणाली से ही पैमाइश की गई है। वर्गमान में इस राज्य में वाशिमक प्रणाली लागू है।

जित क्षेत्रों में खेतों की, रास्तों की तथा राजकीय भूमि की स्थिति में लगभग 33 प्रतिशत प्रथवा इससे प्रधिक परिवर्तन हो, वहां तहसील के पूरे गांवों की प्रजसरे ना पैमाइश करवाई जाती है यानि पैमाइश का काम पूरा का पूरा फिर से किया जाता है। जिन क्षेत्रों में परिवर्तन ग्रधिक नहीं हुवे हों यानि एक तिहाई से कम परिवर्तन हुये हों उन क्षेत्रों में प्रजसरे नौ पैमाइश न करवाई जाकर केवल तरकीम करवाई जाती है थानि । व के मानवित्र में ही जहां-जहां भूखण्डों में भूमि की कभी बंशी हो गई है, ऐसी कभी बंशी को नाप कर लाल स्थाही से बर्शा बिया जाता है। वर्तमान समय में जनसंख्या की ग्रत्यधिक वृद्धि होने के कारण मूमि की मांग बहुत बढ़ गई है। खेतों के कई टुकड़े हो गये हैं तथा राजकीय खाते की सिवाय चक भूमि भी छोटे-छोटे भू-खण्ड बना कर भूमिहीन कृषकों को प्रावटित की जा खुकी है। काफी तावाद में गैर मुमिकन कृषि प्रयोग्य भूमियां कृषि योग्य बनाई जाकर खेती के काम में ली जा रही है। इसलिये खेतों की हालत में बहुत परिवर्तन हो गया है। फलस्वरूप वर्तमान समय में तरमीम से काम नहीं चल सकता। पुराने नक्शे जो बने हुये हैं, वे फुटों की साप में है। उन्हें मीटर की नाप में परिवर्तन करने हेनु भी ग्रजसरे नौ पैमाइश ग्रावश्यक है। इसलिये सभी तहसीलों में ग्रजसरे-नौ पैमाइश कराई जा रही है।

वैमाइश का कानूनी स्वरूप-

1. विज्ञप्ति का प्रकाशन:

किसी भी गाँव क्षेत्र अथवा तहसील इत्यादि की पैमाइश कराकर नया नक्शा बनाने की ब्रावरयकता तभी होती है जबकि उक्त क्षेत्र का भू-अभिलेख आदिनांक करवाना हो अववा उस क्षेत्र का भू-प्रवन्ध ब्रथवा पूर्व भू-प्रवन्ध करवाना हो। जब भू-प्रवन्ध आयुक्त की सिफारिश पर राज्य सरकार यह निश्वय कर लेती है कि प्रमुक क्षेत्र का पूर्न भू-प्रबन्ध कर-वाना है प्रश्वा मू-श्रां निलेख को आदिनांक करवाना है, तब राज्य सरकार राजस्थान भू-राजस्य श्रांधिनियन, 1956 की धारा 106 एवं 107 के प्रत्तगंत राज-पत्र में विज्ञप्ति जारी करके उक्त क्षेत्रों को सर्वे तथा भू-प्रभिलेखों कार्यवाही के श्रधीन कर देती है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त क्षेत्र सर्वे एवं भू-ग्रांचिलेख कार्यवाही के अन्तर्गत आ जाते है। पुने भू-प्रबन्ध भी यदि उन क्षेत्रों का करवाना हो तो राज्य सरकार धारा 142 के प्रन्तर्गत जी विक्रप्ति जारी साथ ही ताथ कर देती है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को भार. 52 के अन्तर्गत समस्त ग्राम्य और राजस्व अधिकारियों एवं कर्षवारियों को उनके लिखित में अथवा मौधिक रूप से भी अधिकृत होने की दशा में खेतों पर जाने तथा पंजाइत करने तथा अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य करने का अधिकार आप्त है। अतः सर्वे हेतु विक्रस्ति राज-यह में प्रकाशित होकर मू-प्रवच्य अधिकारी द्वारा उद्योवणा प्रकाशित होने पर तासकीय तन्त्र को खतों व कुओं पर बाकर पंगाइश करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार धारा 107 के अन्तर्गत विक्रांप्त जारी होने का तास्त्र्य यह हुआ कि शासकीय तन्त्र को मू-अभिलेख का पुनरीक्षण (रिवोजन) करके उसमें परिवर्तन करने का एवं उसे अधिकार करने का श्रविकार प्राप्त हो गया।

2-अधिकारियों की नियुक्ति :

श्राधिनियम की बारा 108 के अन्तेगत राज्य सरकार को अतिरिक्त भू-अभिनेत अधिकारी तथा सहायक भू-अभिनेख अधिकारी की नियुनित करने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक जिले के लिए उस जिले के जिलाबीरा मुन्यभिलेख अधिकारी होते है। किन्तु बिंद स्थाई अतिरिक्त मु-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई ही तो बबें एवं मु-अभिलेख कार्यवाहियों के इन्यान के रूप में सरकार मतिरिक्त कु मनिलेख अधिकारियों को निय्क्ति करती है जिन्हें तमें तभा न-प्रतिलेख का पुनरीजन कराने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक भू-प्रबन्ध अविकारी अपने क्षेत्राधिकार में मू-अभिनेख अधिकारी भी होता है। सहावक मू-अभिनेख श्रीधकारी, मु-त्रजिलेख अधिकारी में ही शानिल किये गये हैं। श्रीविनियम के श्रामर्गत जिस प्रकार तारे प्रधिकार भू-प्रमिलेख प्रधिकारों को प्राप्त है उसी प्रतार सहायक भू-प्रभिलेख अधिकारी को भी प्राप्त है। किन्तु सहायक अधिकारियों को भु अभिनेख अधिकारी में शानिस शनार करने का तात्वर्य यह है कि मुल्लिमिलेख प्रधिक रो प्रशासिक इंग्डिकोग से सुविधानसार काम निषटाने के लिये जिन्न-जिन्ने सहायक प्रधिकारियों को सनव समय पर अलग-अलग कार्य बांटते रहते हैं, चाहे क्षेत्र के हिसाब से बांटे, चाहे अनुक-जनक प्रकार के कान के हिसाब से बाटे। काम को तहलियत से सीधा निपटाने के इध्विकीण ते इस वितरण में वे प्रयने लिय भी अमुक-जमुक काम रख तकते हैं। दूसरे बच्चों में यों कह तकते हैं ति जब तक भू-प्रशितेख एवं भू-प्रबन्ध प्रविकारी किसी सहायक प्रविकारी की कार्य का आवंटन न करें तब सक वह बैकार रहेगा। इसिवये मू-प्रवन्ध प्राधिकारियों के लिये यह ब्रावस्थक है कि कार्य का वितरण अपने अधीनत्व अधिकारियों को आवस्य ततानुसार करते रहें ताकि किसी का भी समय व्यर्थ बरबाद न हो।

3-म्-म्रभिलेख संवालक की नियुवित:

स्रिधितिवन की धारा 109 के अन्तंत्रत राज्य सरकार हारा तिबुक्त स्-समिलेख संचालक इन कार्यवाहियों के तंत्रालक होते हैं यानी इन समस्त कार्यवाहियों की देखरेख कर कर्ने की क्रता से निकटबाना तथा समब-समय पर समुदित निर्देशन करते रहने व सबस्याओं का निराकरण करने का उनका दाखित्व है। राज्य तरकार के नजदीक वे ही इन सब कार्य-बाहियों के लिये उत्तरदायी है। जिन क्षेत्रों में सू-प्रबन्ध की कार्यवाहियां चलती है वहीं भू-मबन्ध जायुक्त ही संचालक मू-ग्राभिलेख होते हैं। अन्य क्षेत्रों में राजस्व मण्डल के मू-ग्राभिलेख बाबा के इन्बाज सबस्य संचालक भू-ग्राभिलेख कहलाते हैं।

3-ए- जिन तहसीलों प्रथवा स्थानीय क्षेत्रों में सर्वे व रिकार्ड लेखन व भू-प्रबन्ध का कार्य प्रारम्भ हो जाता है उन क्षेत्रों के पटनारी भू-प्रबन्ध ग्राधिकारी के ग्रधीनस्य कार्य करते हैं। इस संबन्ध में संबन्धित जिलाधीश राजस्थान भू राजस्व छैन्ड रेकार्ड नियम 21 के प्रन्तगंत प्रावेश जारी करके पटनारियों को भू-प्रबन्ध ग्रधिकारियों के प्रधीन कार्य करने प्रावेशा जारी करते है।

4- पैमाहश के संबन्ध में ग्राधिकारियों द्वारा प्रारम्बिक कार्य:-

(क) उष्चोणकों का जारी करना — जैसाकि ऊपर बतावा जा चुका है भू-ग्रामिलें प्रिष्ठिकारी पहायक भू-ग्रामिलेख ग्राधिकारी, राजस्थान भू-राजस्व ग्राधिनियम की धारा 10(1) के ग्राम्त त उन्धीवणा जारी करते है जो राजस्थान भू-राजस्व [सर्वे एंड सेंटिलमेंन्ट] [राजकीय] नियम 1957 के नियम 15 के तहत दिये गये फार्म में जारी की जाती है। फार्म परिशिष्ट बंख्या 2 में दिया गया है। उद्योषणा के माध्यम से ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि वे पंमाइग के काम में राज्य कर्मचारियों की सबद करने का बाध्य है। खेतों को व गांव की सीमाएं भू-मावकों को सही तौर पर बताना उनका कानूनी कर्तव्य है। वूसरी उद्योषणा जारा 110(2) के ग्रन्तगंत जारी करके ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि वे ग्राप्त वेतों की सामा गांव की सीमाओं को बुखत्त कर ले तथा उक्त सीमाओं के सही प्रवंतन हेतु निजानात गांड दें। यदि वह 15 दिवस में ऐसा नहीं करेंगे तो राज्य सरकार उनके बच्चें पर यह काम करवा लेगी तथा खर्चा उनसे बसून कर लिया जावेगा। भू-मावक ग्रामवासियों को इक्ट्रा करके मौखिक रूप से भी यह उद्घोषणायों सुनवायेगा धारा 110(2) में उन्लेखित भूतरी उद्घोषणा को फार्म परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

"सर्वे करने वाले कर्मचारी जिनमें देनिक पारिश्वमिक पर नियुक्त कर्मचारी भी सिम्मिलित है को नियमानुसार किसी खेत व बाड़े में प्रवेश का ग्रिधिकार है। किन्तु इस ग्रिधिकार के उपयोग में कानून के हारा लगायु गर्थे प्रतिबन्धों के साथ साथ ब्यावहारिक दृष्टिकोण से यह ब्यान रखा जावे कि यथा संभव फसल का नुकसान न हो "।

(ख) सीमा विवाद का निपटारा:—खेतों की अयवा गांव की सीमा से संबन्धित यदि कोई विवाद उत्पन्त होते हों तो ऊपर विणत अधिकारी अधिनियम की घारा 111 के आवधानों के अनुसार जहां तक संभव हों, मौजूदा गांव के नक्शें के आधार पर उन विवादों को निपटायेंगे। यदि मौजूदा नक्शों के आधार पर विवाद का निपटारा संभव नहीं तो वास्तविक कम्बे के आधार पर ऐसे विवादों का निपटारा कर विया जायेंगा।

विक अपर विजत बोनों विधियों से विवाद का निपटारा सं शव तहो यानी यह पत न चल पाये कि वास्तविक सही कब्जा किसका है और यह भी अदेशा पाया जावे कि किसी एक पंक ने गत तीन महीनों में सही ध्यवित को हटाकर गलत तीर पर रज्या पर तिया है तो ऐसे मामले में संकिष्त जांच के माध्यम से अधिकारी को यह पता बताना चाहिये कि कानूनी तीर पर कब्बा धारण करने का अधिकारी कौन है तबीपरान्त उसी प्रकार से सीमा विवाद को निपट। देना चाहिये।

स्मरण रहे कि खेतों और गांवों के सीमा विवाद कई बार बड़ा बतरनाक रूप बारण कर लेते हैं और वर्ण से चले आते हैं। इसलिये पैमाइशं की कार्यवाही गुद करने के साय ही सर्वप्रथम निष्पक्ष रूप से विधिक्त मीके की जांच करते हुये इन विवादों का निपटारा कर बालरें चाहिये। कई मु-खन्ड ऐसे हैं जो एक ही समय में दो-दो गांव में पैमाइश करके बोनों गांबों के नक्शों में विखा दिये गये है जब कि वास्तविक कब्जा किसी एक ग्राम के क्वकों का है। यदि ऐसे मामलों को तुरन्त नहीं निपटाया गया तो न तो मू-मापक ही अपना काम सही उप से निधारित समय में कर पायेगा और ना ही यह विवाद समाप्त होंगे। कई गांवों में ऐसी स्थित भी पाई गई है कि दूसरे गांव में सम्मिलत आरागी उस गांव के मध्य में आई हुई है प्राने जमाने में एक अमुक गांव का जागीरदार पड़ौस के अन्य गांवों में स्थित उसकी जागीर की अन्य आराजियात को मां अपने ही गांव में शाधिल रखता था। इसी तरह पैमाइबं. करवाता था। अब इस व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है जो आराजी जिस गांव के बीच में स्थित है उसे उसी गांव में नापकार समावंश कर दो जावें।

(ग) नक्शों तथा समरे की तैयारी:--प्रधिनियम की घारा 112 के प्राचवार्तों के प्रन्तंगत बाद पैमाइशं नक्शा व खसरा नियमानसार तैयार करवाया जाना चासि में । इनके संबन्धमें विस्तृत विवरं यथा स्थान दिया हुआ है ।

5- पैमाइश' की प्रविध :

भू-प्रबन्ध विनाग में पैसाइशं का कार्य फील्ड सीजन में होता है को 8 महीने का होता है । सामान्यतः एक फील्ड सीजन में ही पूरी तहसील नप जानी चाहिये । पर किनी कमी इतना स्टाफ उचलब्ध न होने के कारण बूसरे सीजन में भी कुछ महीने बचे हुंगे गांवों को पमाइश चलती है। प्रतिवर्ष एक अक्टूबर से लेकर एक नवम्बर तक किसी भी तारीख से फील्ड सीजन प्रारम्भ करने का भीवें विया जाय, उस तारीख से 8 महीने गिन कर फील्ड सीजन की अवकी निश्चित कर बेनी चाहिय । आवश्यकता महलू स होने पर भू-प्रबन्ध अधिकारी, भू-प्रबन्ध आयुक्त की पूर्व सहमित प्राप्त करके फील्ड सीजन में एक महीना बढ़ा सकते है यानि किल्स सीजन को बजाय 8 महीने के 9 महीने तक का भी कर सकते है । किन्तु 30 यून से आगे किसी भी सुरत में फील्ड सीजन नहीं बढ़ाया जाना चाहिये । सेव 4 महीने यानि वर्ष का सीतम आफिस सीजन कहलाता है । इस प्रविध में भू-पापक पार्टी के मुख्यावास पर अथवा सहायक भू-प्रवन्ध अधिकारी के मुख्यावास पर स्व कर उन्हीं के कार्यालयों में काम करते हैं तथा आवश्यकतानुसार भू-प्रवन्ध अधिकारी की पूर्व अनुमित प्राप्त करके सौके पर भी जा सकते हैं। किन्तु जहां तक ही, कम से कम दिनों तक ही बोध पर रहना चाहिए ताकि याजा असा का व्यर्थ कार सरकार पर न बढ़े।

6. पंसाइश की कारगुजारी का सापदण्ड :

पैमाइरा के लिये राजस्वान राज्य के प्रत्येक भाग के लिये खेतों के बड़े-छोटे होने खबता पहाड़ी या रेतीने क्षेत्र होने के हिसाब से प्रत्येक भूमापक के नित्रे प्रतिमाह नापरण्ड वर्ग किलोमीटर में निर्वारित किया हुआ है। भू-प्रवन्ध से संबन्धित तको स्टेबों हें निर्वारित

मापबण्ड [राज्य सरकार के आदेश लंखा एक-5(16) राजाग्रुप-1176 विनांक 13-10-76 हारा अनुभोवित] परिजिष्ट एक में दिवा गया है। भू-मापकों की चाहिए कि हर सूरत में मारदण्ड के अनुसार पूरा कान सर्वे अब प्लोटिंग करके देवें तथा अपना कार्यक्रस इस तरह आयोजित करें कि एक फील्ड सीजन में उनको आवंदित काम उनके द्वारा पूरा कर दिवा जाये वरना पूरी पार्टी की प्रोग्नेस विष्ठाड़ेगी।

7. प्रारम्भिक पैसाइश की विधि :

श्रजसरे नौ पैमाइश दो प्रणालियों से की जाती है। (1) मुसल्लस बंबी एवं (2) ट्रावर्स प्रणाली। राजस्थान राज्य में अधिकतर मुसल्लस बंबी प्रणाली से पैमाइश की जाती है। निम्नलिखित पंक्तियों में पैमाइश करने का तरीका एवं तत्संबन्धी हिदायते श्रीकत की जाती है:—

(1) यन्त्रादि प्राप्त करके गांव में पहुंचाना :

भमापक को अमक गांबों की पैसाइश का आदेश मिलते ही स्टोर से (1) मेंट्रिफ जरीब व नुषे 10 (2) वो गटठा (3) शिस्त (4) तखता (5) तिपाई (6) झंडी 10 (7) बांस 10 (8) कंघा (9) परकार (10) गुनिया (11) राइट एंगल (12) पैमाना (13) चौगा (14) काउँ पिन अवदा चिमटी 10 (15) केविल यंत्र (16) सुहावल (17) कम्पास (18) पैदिक शोटें (19) 4 एव ड्राइंग पेन्सिल (20) साबी पेन्सिन (21) रबर (22) फीस्ड बुक बनाने के लिये खाली कानज (23) भूमापको की डायरी (24) चैनमैन तथा कुलियों की हाजरी रिजस्टर के फार्म (25) मस्टरील के फार्म एवं (26) नत्थी डोरा प्राप्त करना चाहिये। इस के भ्रलावा पुरानी शीटें भी प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि दावसं प्रणाली से पैमाइश होती हो तो कल्प्यटेड शीटें भी संबंधित ग्रामीं की प्राप्त कर तेनी चाहिये। उपशोकत सामान तथा प्रपना निजी सामान लेकर भू-मापक को निर्दिष्ट गांवों में तुरन्त पहुंचना चाहिये। गांव में पहुंचने के बाद सरपंत्र प्रवृता बाई पंचों से एवं प्रत्य मीतविरान से सम्पर्क करके ग्रपने उहरने की व्यवस्था करनी चाहिसे। स्मरण रहे कि जहां तक डो सावंजनिक स्थान पर ठहरने की व्यवस्था करें तथा इलगत राजनीति से संबन्धित व्यक्तियों के मकान घर न ठहरें। यंत्रावि व जन्य सामान प्राण्त करके गांव में पहुंच कर व्यवत्या करने वे धितन्य नहीं करना चाहिए। सामान पहुंचामे का खर्चा वित पेश करने पर राज्य कीश से दिया जायेगा ।

(2) कुलियों व जैनमेनों की व्यवस्था :

सर्वे के लिये प्रत्येक भू-मायक को 1 चैनमेन तथा 3 कुली रखने की इजाजत है। मून्मायक को गांव बालों से सम्यक्ष करके मीके पर पहुंचते ही चैनमेन और कुली रखने को व्यवस्था कर तेनी चाहिये। चैनमेन मौके पर पहुंचते ही रखा जा सकता है और महीने के समस्त बिन उतकी उपस्थित अंकित होगी। किन्तु यदि भू-मायक आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश पर हो तो चैनमेन की उपस्थित अंकित नहीं की जावेगी। कुली को उपस्थित उसी दिन अंकित की जावेगी जिल दिन भू-मायक अपने कार्यकेत के खेलों में सर्वे या अन्य कार्य के तिये जाता है। ननर पातिका मीमाओं में पड़ने बाले आमों के जिये जहां गांव वालों का पूरा सहयोग पान्त नहीं होता है भू-अवन्छ अधिकारी की पूर्वानुमित से एक अतिरिक्त चैनमेन और एक अतिरिक्त की जा सकती है। चैनमेन

भीर कुलियों की नियुवित के भीवजारिक आदेश संदिग्धत व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्नों वर सहायक भू-प्रवन्ध अधिकारी से प्राप्त कर लेने चाहिये। चीनमेन और कुलियों की हाजरी के लिये नम्बरगुदा और सत्यापित सस्टररील के कार्स ही प्रमोग में लेने चाहिये। सस्यर रोल वर किसी भी हालत में काट-छांट नहीं होनी चाहिये।

(3) उब्बोधणा प्रकाशित करना :

जब मूमापक पार्टी मुख्याबास से प्राप्ते कार्य के के लिये सर्वे करने के लिये रवाना होगा तब मू-प्रामिलेख | तहावक शू-प्रामिलेख प्रधिकारी हारा धारा 110 राजस्थान लेग्ड रेकेन्यू एक्ट के प्रस्तांत जारी की गई उद्योधवा की प्रतियां उत्तको दी जावेगी । ऐसी उद्योखणा की काफी प्रतियां लेकर उनको चलना चाहिये इस उद्योखणा पत्र का फार्क राजस्थान भू-राजस्थ (सर्वे एवं सैटिलवेल्ट) (राजकीय) नियम, 1957 के नियम 15 के तहत उक्त निवमों के पीछे दिया हुआ है । इसको पंचायत अवन पर तथा गांव में प्रन्य प्रमुख स्थानों कर चिपकाया जावेगा तथा भू-प्रापक बोधिक छप से भी पंचायतों अथवा प्राप्त वासियों के कहेगा कि तमें का कार्य प्रारंत हो रहा है इसलिये कानूनन प्रस्केक कारतकार को इस काम में मदब बेना अनिवायों है तथा प्रस्केक कारतकार को प्ररंत करने प्रपत्त विद्या लिया प्रारंत हो रहा है इसलिये कानूनन प्रस्केक कारतकार को इस काम में मदब बेना अनिवायों है तथा प्रस्केक कारतकार को प्ररंत करने प्रपत्त विद्या तथा प्रारंत हो तथा गांवों की सीमाओं के निज्ञानात को सही जनह पर सही तौर पर गाड़ देवा वा बना देना चाहिये जिससे कि प्रत्येक खेत की तथा सम्याव की तथा प्राप्त विद्या जाना चाहिये कि व्यवि वे ऐसा नहीं करेंगे तो भूपवन्य विभाग गांव की व कोतों की सोमा। अतिथ वत करने के लिये प्रावश्यकतानुसार सीमा चिन्ह खड़े करवायेगा जिसका खर्वी प्राप्तवाितयों से वज्रल किया जावेगा।

(4) हैण्ड बिल वितरण करना :

उपरोक्त जर्बोवना पत्र पतासित करने के सनावा भूपायापक को भू-प्रबन्ध प्रचार हेतु बिये जाने वाले छने हुने हैग्ड विल भी खाल प्राप्तवासियों को वितरण करने चाहिय तका पंचायत सकत पर विश्वताने वाहिने व लट्यं कों को व बार्ड बंबों को देने वाहिने।

(5) सरहद्दी गश्त :

सर्वे का कार्य गुरु करने से पहले भू-मापक को गांव की लरहद पर ग्रामवासियों को साथ लेकर गांव की सरहद पर नस्त करना चाहिये तथा पूरी सरहद के खनों-पेच याणी घूमाबों को समस लेना चाहिये । जहां कही दो गांवों के बीच सरहद का तनावा हो उस त्वन को शब्दी तरह समझ कर थ्यान में कर लेना चाहिये। सरहदी गरत उत्तर-पश्चिमी कोने से गांव ही बांवें हाथ की तरक रखते हुथे प्रारम्भ करमा चाहिये तथा सरहदी मितानात को ढूंदते हुए खलना चाहिये। चहां नहीं निज्ञान विलते जांवें उन निशानों को पुरिवात करते हुथे ग्रामे ढूंदना चाहिये। चहां तमदद समझने में पुरानों सोटों से तथा प्राववासियों से पूरी मदद लेनी चाहिये।

(6) हिंदाबत चांदाबंदी व कायमी मरकज :

(1) जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है सबसे पहले भूमापक गांव के प्रासाविधान को साथ लेकर कौने उसर-पश्चिमी से ब्राबादी को बॉएं हाथ रखते हुये तरहरी यश्त करे गश्त करते समय सरहर के खमों-पेच को निगाह में रखें, ताकि सरहरी चांदे ब्रासानी से ठीक जगह कावन किये जा सकें।

- (2) सरहदी चांदे मुस्तिकल मुकामात पर कायम किये जाये :--
- (क) जहां मीके पर सहरदी मीनार बंदी हो, या कच्चे पत्थर गढ़े हों बहां पर चांदे मीनारों या पत्थर पर ही कायम किये जावें।
- (क) जहां पर किश्तवार मजरुब्रा सरहदी हो, वहां पर जांदे पर किसी खेत के मुस्तिकिल कोने पर खमोपेच का क्याल रखने हुए कायम किये जांग ।
- (ग) जहां पर आराजी पड़त सरहदी हो, वहां पर सरहदी निशानात का ख्याल रखते हुये जहां तक मुनिकत हो कि ती मुस्तिकल मुकान पर चाँद काय म किये जाय विशेषतया यदि आराजी पड़त में सरहदी गांवों का तताजा हो, ऐसी हालत में जरूर मुस्तिकल मुकानात (चबूतरा, देवरा, फलदार बड़े दरखत इत्यादि) के पास चाँदे बनाये जाय और मुकागात के नाम का इन्द्राज नक्शे जात में भी किया जाय, ताकि जब कभी मौके की सहत की जरूरत हुई, तो मुकामात मिल सके।
- (व) जहां पर सरहदी नदी, नाला या रास्ता हो, तो इनके खमोपेच का ख्याल रखते हुये चांदे आराजी पड़त के अनुसार ही नुश्तिकल मुकामात पर कायम किये जांय और नाम मुकामात का नक्शों में इन्द्राज किया जाय।
- नोट:-नदी, नाले, रास्ते, हक्त, खेत इत्यादि के बीच में कभी खांदे कायम नहीं किये जाय।
- (ड) जहां पर सरहद पहाड़ों के डाल में आ गई हो, तो सरहदी चांदाबंदी मौके के लिहाज से सरहदी निशानात से भी दूर पहाड़ी के सिरे पर की जाकर सरहदी निशानात की पेनाइस पास के ऊंचे चांदों से हिस्ती, अलग छोटे-छोटे मुस- ल्लिस बना कर की जाव। इसी प्रकार पहाड़ी हिस्सों में सरहदी नालों की शिस्ती लाइनों का चांदों से काट लेकर पेमाइश की जाव।
 - जहां थियोडोलाइट ट्रावर्स से काम हो रहा हो वहां पहाड़ के दाल में सरहदी भुकामात से दूर बांदे बनाना जरूरी नहीं है।
- (च) चांदों का आरासी अन्तर 20 जरीब से कशांवि अधिक नहीं होना चाहिये। विशेषतया पहाड़ी भाग में तो 15 जरीब से अधिक व दुगने पैमाने के मवा जियात में 10 जरीब से अधिक चांदा लाइने नहीं डाली जावे।
- (छ) जेरकार प्रापसी गांवों के चांदे प्रलग-मलग नहीं रखे जांव । तिरीक्षक हल्का इस पर विशेष ध्यान दें।
- (ज) चांदाबंदी का काम कोने उत्तर-पश्चिम से प्रारंभ होकर गांव की आबादी को बांपे रखकर बजानिब पश्चिम, दक्षिण व पूर्व चांदाबंदी करते हुये उसी जगह खत्म होगा, जहां से आरंभ किया गया था । वक्त बांदाबंदी सरहदी घुमाव (जिनको तूदा कहते हैं) जो लाइन खांदा के दाहिने व बायें होगा, अमुद में उठाये जांच जिनका अन्तर कदापि एक जरीब से अधिक न हो।

(झ) जहां तक संभव हो चांदाबंदी की लाइने ग्राम की सीमा के अधिक ग्रन्दर नहीं निकाली जावे। यदि मजबूरी में निकाली जाय तो ग्रलाबा माड़ों के किसी किस्म के दरखत नहीं कटाये जांय।

(7) हिदायत सरहदी पैमाइश:

- (1) भूसापक गांव में पंहुचते ही सरहदी गांवों के प्रमुख कृषकों, पंची व सरपंचों तथा ग्रमीनों व पटवारी को तहरीरें, वास्ते निशादेही सरहद के देवें ।जब वह मौके पर पहुंचे और निशादेही करें तब मौके की निशादेही लेकर तहरीरे निशादेही के निशाँनात को ले लवें।
- (2) जहां मोके पर कच्ची पक्की मीनारेबंदी हो या नदी, नाला, निस्कानिस्क होकर कोई तनाजा नहीं हो वहां पेमाइस सरहदी बहुत ग्रहतियात से करदी जावे ग्रौर बोनारों से मीनारों का ग्रन्तर भी ग्रलग नापा जाय !
- (3) जहां पर आराजी अकबुजा मिलती हो और कोई तनाजा नहीं हो तो मकबुजा के खमोपेन की अहतियात से पैमाइश करें। यदि संबन्धित मवाजियात के उपरोक्त मौतिबरान की निशादेही मौके के कब्जों के बरिखलाफ हो, तो सिर्फ तहरीरें ले ली जाय और कब्जा के अनसार ही पेमाइश की जाय।

(4) तनाजा:

(क) सीमावर्ती (कडवी या पक्की) मीतारा बंदी के विरुद्ध प्रामों की सीमा रेखायें मौके पर भेज दी जानी चाहिये ताकि संबन्धित निरीक्षक उन सीमा रेखाग्रों के संबन्ध में मौके पर पूरी जांच करके तथा मौके का जिलान कर मौके पर ही रिजस्टर सीमा में सीमा मिलान का नीट ग्रंकित करेगा तथा जिन ग्रामों में भू-मापन चल रहा हो उन ग्रामों के भू-मापकों से यदि कोई विवादग्रस्त सीमा रेखा जो निर्णीत हो चुकी हो तो ग्राप्त कर उनका भी मिलान करके उसकी टिप्पणी भी रिजस्टर सीमा में ग्रंकित करेगा। यदि किसी ग्राम की सीमा के संबन्ध में ग्रामवाली विवाद बताते हों तो ऐसा सीमा पर स्थित सीमा विन्हों (कच्चे या पक्के) तक उस क्षेत्र का भू-मापन किया जावेंग तथा विवादग्रस्त भूमि क्षेत्र को पेन्सिली सीमा रेखा से चिन्हित किया जावें। यदि सीमा निहों (मीनारों।पर्थों) के ग्रन्दर या बाहर किसी भूमि का विवाद हो तो उसे भी ग्राम ना पत्र दिखाया जावे तथा संबन्धित ग्रामाग्रामों की ग्राम 'चायतों। ग्रामवासिथों से लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जावे। विवादग्रस्त भूमि विका किसी कृषक की खातेदारी/गेर खातेदारी में हो तो उस भूमि का भू-राजस्व जिस ग्राम में संग्रहित होता हो उसका भी सम्पूर्ण विवरण दिवाया जावे।''

विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है जब कभी भी इन सीमा विवादों के निर्णय दिये जावें तो निर्णय देने वाले प्रधिकारी की विवादप्रस्त भूमि के खातेदारी/गैर खातेदारों के खाते की समस्त भूमि (दोनों प्रामों की प्रोवरलेपिंग भूमि) के इन्द्राजात के बाबत भी अपने निर्णय में स्पष्ट ग्रादेश देना चाहिये। केवल एक प्राम की भूमि के बाबत निर्णय देना ग्रधूरा निर्णय माना जावेगा।

(ख) सीमा विवाद यवि दो पक्षकारों के मध्य हो ग्रीर विवादग्रस्त मूमि पड़त हो एवं दोनों पक्षकार ग्रपनी ग्रलग-ग्रलग सीमाबंदी बताते हों ऐसी विवादाग्रस्त ज्ञी का भूमापन दोनों पक्षकारों को बताने के अनुसार करके उसे मानचित्र में खाम रेखाओं से दिखाया जाने ।

- (व) सीमा विवाद से प्रभावित भूमि की निरीत्रक द्वारा जांच की जाकर उचित प्रणाली यानी सहायक मूप्रवन्ध अधिकारी के माध्यम से अपनी टिप्पणी अंकित करके मानचित्र का अलग ट्रेंसिंग कनाथ पर ट्रेस उतार कर विवादप्रस्त भूजि की भिन्न रंगों से दिखां हुये प्रस्तुत की जावेगी। सहायक जू-प्रवश्व अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ इसे भू प्रवन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंने। जू-प्रवन्ध अधिकारी राजस्थान जू-राजस्य अधिनियम की खारा 111 में निपत्त रीति से दोनों पक्षकारों की मुनकर ऐसे विकाद का खिनश्वान करेंगे।
- (5) जहां पर पैन् वा लाइन इस्तलाफ देवें और इस्तलाफ दोनों का माकूल सब्त हो तो दोंनी लाइने नक्शे में बनाई जाय। और लाइने इस्तलाफ की जगह साम रखी जाय ताकि दुस्ती की कार्यवाही बाद तकतील सरहदी रिजल्टर कराई जायेगी मौके पर इस्तलाफ की सुरत संबन्धित सवाजियात के नीतिबदान की भी बतलाकर तहरीरें उनकी मय राय के ले ली जाय।
- (6) फील्ड बुक सरहरी बाकाबरा साफ अलग सिवाही से बनाई जाब और उसमें बांदों की कैंकियत, मीनारेंजात की कैंकियत पुरता, खाब, शक्तिस्तों, रंग अंबाई, बबूतरी इत्यादि इत्यादि साफ 2 दर्ज की जाब और अगर मकबूजा तरहरी हो तो हर खम ने खेतों का बाव मय काबिज ने लिखा जाय, लरहरी नदी नालों के नाम का इन्द्रांज किया जाय, पड़त में मुस्तिकित नियानात आसपास के सरहरी पैमाइस कर नक्षे में बनाये जांय और उनके नाम खा इन्द्रांज अलाबा फील्ड बुक के नक्षेत्रांत में किया जाय।
- (7) सरहर के आसमात मुस्तकिल निशानात बबूतरा, देवरा, वह दरखत (आस दह पीपल, महुआ और नीम) इत्यादि जरूर पैसाइश किये आद ।
 - (8) निरोक्षक द्वारा तरहद पुकतगी:--
- (क) नक्शे नें बरचवत पुब्तगी अगर कोई तनाजा नहीं हो तो सीमा वर्ती बाओं के मानचित्र से सीमा का निजान कर दोनों आमों के निरीक्षक नू-मापकों ते सीमा निलान की प्रति स्वरूप हस्ताक्षर करायेगें।
- (ख) अगर तनाजा राजकीय मूभि व खातेदारान के साथ हो, तो पीलो रोशंनाई से टूटे खत से दावा लाइन बनाई जाय व जैरकार मौजे कह लाइन टूटे खत स्वाही के बनाई बाब
- (ग) खातेबारान वें ज्ञापती तनाजें की दावा लाइनें हरी स्वाही से व जेरकार की स्याह लाइन टूटें खत से बताई जाव।
- (ख) सरहदी राजिल्डर की खानापूरी कील्ड बुक के बाद सरहद पुखतगी सियाही से करें। लेकिन मौके पर मौतिबरान व कर्मचारियों से सरहद रिजिल्डर में जरूर लिखा सिया जाय और तिरीक्षक खुद भी बल्त जांच नोट लिखें।

8. पैंसाइश का समय तथा स्टाफ की हाजरी :

सामान्यतया लगमग 9 बजे के समय बु-मापक को चैन मैन व कूलियों सहित वर्षे का सामान लेकर पैमाइश के लिये खेतों पर रवाना हो जाना चाहिये हिया शाम की 5 बजे कार्य समाप्त करके वापिस अपने विवास स्थान पर प्रस्तान करना चाहिये। पैमाइश का कान कठिन काम है। इसलिये बीच में विश्वास करने की आवश्यकता है। वोपहर को 1-1-112 वंदे का समय भोजन व विश्वास इत्यादि के लिये निकाल लेना चाहिये। गर्मी को मौसम में (15 अप्रोल से 30 जून तक) दोपहर के समय कार्य करना बड़ा दूमर हो जाता है। इसलिये लगभग सुबह 6-30 बजे अपने निवास स्थान से रवाना होकर खेतों पर पंहुब कर सर्वे प्रारंभ कर देना चाहिये! 11 बजे 12 बजे के बीच में कभी भी शुविधानुसार कार्य वंद करके अपने स्थान पर लीट आना चाहिये। तत्यश्चात भोजन एवं विश्वास के परवात 3 और 4 बजे के बीच में फिर सर्वे कार्य प्रारंभ करके दिन छिपे तक कार्य करना चाहिये। आवश्यकतानुसार जूनापक इस समय बारणी में परिवर्तन कर सकता है। चैनमैन व कुलियों की हाकरी रोज की रोज दर्ज करनी चाहिये तथा निरोक्षण कर्ता निरोक्षक व अधिकारों को जब-जब थे थीके पर आवें उपस्थित पंजियत पंज करके उनका रिमाक लगवाना बाहिये। इसी तरह भू-मापक को अपनी वैनिक डायरों भी नित्य प्रति भरनी चाहिये तथा विन भर में को काम गांव के जिस तरफ के खेतों में किया है उसे शाम को डायरी में भर नेना चाहिये।

9. चैन के नाप के लिये झड़्डा कायम करना :

निरीक्षक मीटर के फीते से लम्बाई 20 मीटर जगह में नाप कर 2 बिन्दू कायम करके वहां लकड़ी की सजबूत खूं दियां गढवा थेगा। यह जरीव नापने का ग्रब्धा होगा। तित्य प्रति पैमाइश का कार्य शुरू करने से पहले सू-मापक श्रपनी जरीब की इस श्रब्धे पर नाप लेगा। करीब की लम्बाई सही होने की दशा में उस जरीब से पैमाइश करेगा श्रन्यथा उसे सही करके हो पैमाइश करेगा। जांच कर्ता अधिकारिगण भी अपने सामने जरीब की लम्बाई को तहा सेहत करने के लिये इसी श्रब्धे पर जरीब को नार्षेगे।

10. पैमाइश-तकनीक :

मांव को पैमाइश के लिये सर्वत्रथम गांव की शक्त का एक डांचा तैयार किया लात। चाहिये। यह कार्य दी प्रकार से किया जाता है।

(1) वियोडोलाइट मशीन से ट्रावर्त प्रणाली द्वारा: --इस प्रणाली हे ट्रावर्त (मू-मापक) वियोडोलाइट मशीन की मदद से गांव की सरहद पर वारों तरफ बांदा काय करते हुवे गांव की सरहद से बाहर अन्वर घेरा बनाता हुआ गांव की सीमा का हांचा तैया करता है। गांव की सरहव से बाहर अन्वर घेरा बनाता हुआ गांव की सीमा का हांचा तैया करता है। गांव की बाहरतिक सीमा नहीं बनाई जाती। किन्तु सीमा के बादर-बाहर जिले तरह गांव की सीमा घूमती है, उसी तरह लाइनें डालकर गणित के हिनाब से हांचे की लाइनों को कम दिया जाता है तथा मैद्रिक स्ववायर शोट पर गांव का हांचा कम्प्यूटेशन गणित के माध्यम से उतार दिया जाता है। तत्वरचात् सीमा पर कायम किये गये चांचों से गांव के अन्वर होते हुये गांव में पढ़ने वाले अववा सीमा रेखा पर ही अन्य स्थान पर पढ़ने वाले जिलाक स्थानों तक कोण बनाते हुये गांव के बीच में भी शीट पर जाइनों हाल दी जाती है। इन बीच में डाली गई आधार लाइनों की सदद से तथा आधार लाइनों पर डाली गई पेटा लाइनों की मदद से लिया आधार लाइनों पर डाली गई पेटा लाइनों की मदद से लिया आधार लाइनों पर डाली गई पेटा लाइनों की मदद से लिया आधार लाइनों वाद की सीमा पर आवश्यकतानुसार यथा स्थान मुस्तिकल मुकाम कायम किये जाते हैं जिन्हें चांदा कहते हैं। बीमा में जहां चूमाव हो उस स्थान तर चांदी अवश्य कायम किया जाता चाहिये। द्वावसंर (भूमापक)

हारा ट्रावर्स सर्वे करके फील्ड बुक कम्प्यूट शाखा में भेज दी जाती है जहां सरहदी ढांचे व बेस लाइनों इत्यादि की शीट तैयार कर दी जाती है, सर्वे करने के लिये प्रस्थान करते समय भू-मापक को संबन्धित गांव की शीटें दे दी जाती है। इस प्रणाली में भू-मापक गांव के भू-खण्डों खतों को पैमाइश करने के लिये ट्रावर्स द्वारा निर्धारित गांव को सीमा से गांव के अन्दर की तरफ आधार पंक्तियों पर चलते हुये खेतों की पैमाइश करता है। थियोडोलाइट मशीन के प्रयोग से ट्रावर्स करना एक विशिष्ठ तकनीकी प्रणाली है जो कठिन है। इस कार्य का वास्त-विक ज्ञान जानकर ट्रावसंरे के साथ मौके पर काम करने से ही प्राप्त हो सकता है अन्यथा किसी तरह से समझ में नहीं त्या सकता।

(2) प्लेन टेबिल से मुसल्लसबंदी करने की प्रणाली द्वारा:-


- (क) युसल्लसबंदी का कार्य प्रारंभ करने से पहले ग्राम के मानचित्र को स्थिति को देखते हुए एक चौपारा (सेन्टर पाइन्ट) के लिये उचित स्थान नियुक्त करना चाहिये ताकि प्राप्त के मजरुआ रकबे की पैमाइश सही हो सके। इसके लिये सेन्टर पाइन्ट पर तखता जमा कर बेर्यारंग द्वारा "नीर्थ" (उत्तर) कायम करना चाहिये। "नार्थ" कामय कर उत्तर और दक्षिण हर दो लाइनों की वापसी और रवानगी एक ही लाइन मानी ज कर बुनियादी लाइन स्थापित की जानी चाहिये तथा चौवारा (सेन्टर पाइन्ट) से उत्तरी सीमा ग्रौर दक्षिणी सीमा तक जरीब द्वारा लाइन चला कर मताबिक मौका खेतों की स्थिति फील्ड बुक में दर्शाई जावे। दूसरी लाइन इसी प्रकार पूर्व व पश्चिम को चौपारा से चलाई जाकर ग्राम की सरहद तक पंहुचाना चाहिये। इस प्रकार ग्राम के चार खण्ड बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में केन्द्र बिन्दु कायम करके चारों दिशाओं में चार लाइने डाली जाती हैं। यह काम निरीक्षक का है। निरीक्षक कम से कम दस-दस जरीब की लाइन चारों दिशाश्रों में चलायेगा । निरीक्षक का फर्ज होगा कि वापसी न्यानगी की लाइनों की सेहत जरिये शिस्त मौके पर कुछक जगह कर लिया करे भू-मापक इन्हीं लाइनों के आधार पर दहाई या पंजों से छोटे-छोटे मरकज बनाते हुये भ-मापन करेगा । इसका नजरी खाका भी साथ-साथ मृताबिक मुसल्लिस लाइने तैयार करेगा । इसको खाका मुसल्लसबंदी कहा जावेगा । उत्तरी-पश्चिमी मार्जिन लाइनों के मध्य का खंड (ब्लॉक) संख्या एक, दक्षिणी-पश्चिमी माजिन लाइनों के मध्य का खन्ड (ब्लॉक) संख्या 2, उत्तरी-पूर्वी माजित लाइनों के मध्य का खंड 3, तथा दक्षिणी-पूर्वी माजिन लाइनों के मध्य का खंड संख्या 4 होगा। श्रीर प्रत्येक मुसिल्लिस लाइन पर मरकर्जो का विवरण नजरी खाके में दर्ज करेगा। चांदे व भरकजों के स्थानों को लाल स्याही से दिखा कर नम्बर डाले जावे। इस प्रकार इन्हीं लाइनों को शीट में भी शिस्त ग्रंदाजी द्वारा निरीक्षक से कायम जरा कर छोटी-छोटी शिकमी लाइनें चला कर किश्तवार करेगा।
- (ख) मरकज हस्त्र जरुरत बनाये जायं, लेकिन मरकज व चौपारे ऐसी मुस्तिकल जगह पर कायम किये जायें जिससे दक्त सहत हूंडने में िककत पेश नहीं आये-जैसे कुएं की इसन, मगरी, कौना और पालो वगैरह।
- (ग) मुतिलतंबंदी मकबूजा किश्तवार में बाकायदा की जाय और मुतिलिसों की लाइनों का फासला जहां तक हो 20 से 25 जरीब के दिनयान में हो, यानि एक पूरी मुतिलिसबंदी की शोट में कम से कम 4 मरकज जरूर हो। दो शीट के मौके की मुतिलिसबंदी बाकायदा जहां तक हो, होगी। बड़े जायद शीटों के मौजों में बिलानाम को शिस्त से तकाती मुकामात कायम कर पैमाइश की जाय। एक शीट में कम से कम चार मुकामात जरूर बनाये जायं, और यह भुकामात मुस्तिकल हो जिनके नाम का इन्द्राज नक्शों में किया जाय। लेकिन माजिन व चैकर लाइनों की बाकायदा जरीब बंदी की जावेगी, मुतिलिस की लाइनों या तकाती मुकामात का चैक चांदों से बकायदा किया जाय। चोदा लाइन के बीच

कोई काट नहीं किया जाय। हर एक तकाती मुकाम, करीब-करीब तीन जगह से कट जाना चाहियें। धौर तकावी पैमाइश के दिम्यानी किश्तवार नदीं, नाला, रास्ता, मुस्तकि निशानात विखरा हुआ किश्तवार वर्गेरह की पैमाइश, तकाती मुस्तकिल निजानात के जरीब अंदाजी कर की जाय।

(घ) वाज दक्त शिक्स अंदाची करते वक्त कुछ रकवा श्रीट के बाहर निकन जाने से टुकड़े लगाय जाते हैं, वे न लगाये जाकर पूरी ही बीट मीजे पर लगाई जान ।

मीचे दोनों प्रणालियों दारा **तैयार कियें** गव ढांचे दर्शावें गवें हैं।

मानिल -2 कार के मीने का मुखल्लम करो का नवरी नवशा



द्रावक क्रजाली हारा चैनाईशी ग्राम का नवजा

शाम : --

जिलाः

प्रान्तः

11. शिस्त ग्रंदाजी :

ट्रावर्त प्रणाली से किये जाने वाले भू-माप में शिस्त ग्रंदाजी की आवश्यकता नहीं होती है। शिस्त ग्रंदाजी मूसिल्लस बंदी पैमाइश में की जाती है। भू-मापक निरीक्षक द्वारा स्थापित चौपारा व उत्तरी-दक्षिणी, पूर्वी-पश्चिमी लाइनों के आधार पर जो मरकज बनाते हुये भू-माप करता है तथा मौके पर मूसिल्लस लाइनें बना कर फील्ड बुक में ग्रंकित करता है उन मुसिल्लस लाइनें को उन स्थानों पर किखा तिपाई जमाकर निरीक्षक शिस्त के द्वारा कायम कर शोट में रेखायें कायम करता है। इस किया को शिस्त ग्रंदाजी कहते हैं। भू-मापक को मुसिल्लस लाइनें बड़ी सावधानी से तथा मौके की स्थित को देखते हुये सही निकालनी चाहिये, अ मरकज (चांदा) ऐसे मुस्तिकल स्थान पर कायम करना चाहिये जहां पर झंडी आसानी से इंग्टिगोचर हो सके, ग्रंधिकांश बंजड़ भूमि, खेतों के चौमेडा या कुएं के पास चांदें स्थापित करने चाहिये।


12. मुश्किलात मौका :

पैमाइश करते समय मौके पर जो मुश्किलात मू-मापक के सामने श्राती है उनके हल करने के संबन्ध में निम्नलिखित हिदायत दी जाती है :---


- (क) मार्जिन लाइन बाकायदा निकालते वक्त अगर बहुत बड़ा पहाड़ लाइन में आ जावे तो निरीक्षक खुद जहां तक लाइन को शिस्त से ले जा सके, ले जावे और नहीं ले जा सके, तो पहाड़ के नीचे ही किसी मुस्तिकिल निशान पर उसको खत्म कर देवें और पहाड़ की पैमाइश पहाड़ के ऊपर व दिमयान में मुस्तिकिल मुकामात कायम कर दी जावे। और अगर पहाड़ दिमयान हो तो मार्जिन लाइन की जरीब अंदाजी व जरिये शिस्त व मुसल्लिस कायम कर शुरू कर दी जाय। जरीब अंदाजी पहाड़ों की टुटना, लेविल, सुहावल से सेहत के साथ ही की जाय।
- (ख) खादरों में जहां ज्यादा तादाद से पेड़ हों लाइन तराशी नहीं कराई जा सकती हो तो भी फासला लम्बी रस्सी या लोहे के तार से पैमाइश कर लिया जावे श्रीर तार या रस्सी को जरीब से नापली जावे ।
- नोटः— जहां पैमाइण दूगने पैमाने पर कराई जाय, वहां पर मुसल्लसबंदी की लाइनों का व तफाती मुकामात का फासला मुकरिस फासले का आधार रहेगा और मरकज व तकाती मुकामात मुकरिरा से दुगने से भी ज्यादा होंगे।
 - (ग) वरवक्त जरीब श्रंदाजी किसी किस्म के फलदार दरखत नहीं कटवाये जायें श्रीर जहां तक हो सके बड़े कीमती दरखत भी बचाये जायें। कम कीमती दरखत, खाखरे, खेजड़े, बैर वगैरह कटवाये जायें। बाड़ किसी भी किस्म की हो कटवादी जावे। सिर्फ पक्के पत्थर का काट नहीं हटवाया जाय।
 - (घ) मरकज व चौपारों पर पत्थर गाड़ दिये जायें। पत्थर ऐसे हों, जो आसानी से हटाये नहीं जा सकें, उन पर नम्बर डामर से बना दिया जाय, जहां पर पत्थर नहीं मिले वहां बम्बूल व किसी टिकाऊ दरइत की लकड़ी करीब 3 फीट लम्बी व 6 इंच मोटी को दो फीट डामर लगाकर जमीन में गाड़ देवें। और ऊपर डामर से नम्बर डाल देवें। अथवा जहां मोटी व टिकाऊ ईटें मिले जहां ईटें गड़वा कर नम्बर डाल देवें।

नीचे मुश्किलात मौका के कुछ उदाहरण खाका खींच कर बताये गये हैं।


[1] मुश्कालत मीका सरहद



[2]



छ] मुरिकतात गीका भारतीन आयादी, गहाइ, भरा हुआ बड़ा तालाल बर्भेशह



ट्रावर्स प्रणाली द्वारा शीट में स्थापित चांदी को ग्राधार मानते हुये भू-मापक मौके की स्थिति को षघ्यनजर रखते हुये एक चांदे से दूसरे चांदे पर जरीव चलाकर छोटे-छोटे खण्ड बनाते हुए उन्हीं लाइनों के दहाई पंजों से छोटी-छोटी शिकमी लाइन चलाकर मौके की स्थिति को देखते हुए किश्तवार करेगा जिसे फील्ड बुक में दर्शीयेगा। फील्ड बुक में दर्शीये हुए कार्य को मिलान शीट में प्लाट करता जावेगा। इसी प्रकार मुसल्लसवंदी में जो चौपारा कायम किया जाता है उत्तरी ग्रीर दक्षिणी, पूर्वी-पश्चिमी लाइनों के दहाई पंजों को ग्राधार बनाते हुए छोटे-छोटे विभुज बनाकर मरकज कायम करता जायेगा। यहां यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि एक मरकज बिन्दु को कम से कम तीन स्थानों में मुसल्लिस लाइनों चलाकर काटना चाहिए उन्हीं मुसल्लस लाइनों के दहाई पंजों से छोटी-छोटी शिकमी लाइनें चलाकर किश्तवार करना चाहिए तथा नित्य फील्ड बुक में दर्शीते हुए कार्य की शीट में प्लाट कर देना चाहिए। प्लॉटिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि शीट गंदी न हो समय-समय पर निरीक्षक भू-मापक के कार्य का निरीक्षण व जांच लाइन चलाकर प्रावश्यक मार्गदर्शन देगा। किश्तवार के संबन्ध में खास-खास हिदायतें नीचे दर्ज की जाती है:—

- (1) किण्यतार के लिये शिकमी लाइनें डाली जावेगी, शिकमी लाइनें मुसल्लिस या मुरब्बें की एक भुजा से दूसरी भुजा तक जाना चाहिए, याने शिकमी लाइन मुसल्लिस या मुरब्बें के बीच में नहीं छोड़ी जाय। शिकमी लाइन के सहारे दूर शिकमी लाइन नहीं डाली जाय। कोस बांध कर किण्यतवार की पैमाइस नहीं की जाय।
- (2) चाह, नक्शे में सर्वे कर के बनाये जायं, श्रौर चाह जारी व जदीद गैर जारी के ढाणे जिस तरफ हो, उसी तरफ नक्शे में सही बताये जायं । श्रलामत (संकेत) चाह की श्रलग-श्रलग है, सो मुश्राफिक श्रलामत नामा (संकेत सूची) बतलाई जाय । मौके पर श्राराजी पड़ते में मकबूजा बीड व चरनोट के निशानात कम होते हैं, इसलिये काविजान को हिदायत कर मुश्राफिक कब्जा निशानात बनवा पैमाइश की जाय।
- नोटः— वक्त पैमाइश भू-मापक को मौके की स्थिति के विपरीत एक खेत को भागों में विभाजित नहीं करना चाहियें। मौके पर यदि श्रलग-श्रलग **ख**त बन गये हैं तो उसी तरह न्यारे-न्यारे नापकर बनाना चाहिए ।
 - (3) नदी, नाले, रास्ते, ग्राबादी वगैरह नक्षे में टैमाइश कर सही बनाये जाण श्रीर उनके नाम का इन्द्राज नक्षे में किया जाय श्रीर पहाड़ी हिस्से में खात-खास पहाड़ियों की चोटियों व मशहूर मुकामात की सही-सही पैमाइश कर उनके नाम का इन्द्राज नक्षे में किया जाय ।

सड़क पुछता व रेलवे लाइन व नहर जहां नहर के दोनों और पट्टियां छोड़कर सड़क या रास्ता बना हो, चार खेतों से सर्वें कर बनाई जाय। मौसमी रास्ता (रास्ता खाम) वैल/ऊंट गाड़ी आने-जाने का चार मीटर चौड़ा दो समानान्तर बिन्दु कित रेखा (कटी हुई लाइन) से तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी पथ (मुस्तिकल पगडंडी) एकल बिन्दुकित रेखा से बनाये जावें। स्थायी (पुछता) एक प्राम से दूसरे ग्राम तक एवं ग्राम से द्वाणियों को जाने वाले रास्ते 6 मीटर चौड़े समानान्तर अविक्षन्न रेखाओं (पुछता लाइन) से दिखाये जावें। चारागाह अथवा मवेशियों के पानी पीने के लिये तालाब तथा कुओं तक जाने वाला रास्ता (गोवा) को मौके की स्थिति के अनुसार अविक्षिन्त (पुछता) रेखा से विखाया जावे।

- (4) वहां श्रोंके पर कोई मेड़ न हीकर कड़ने के लिहाज से रक्जा जलग-प्रानन बताया जाय वह चैन साहत से बनाया जाय ।
- (5) प्रावादी के पास बाढ़े व खाद डालने की जगह हो, प्रतग पैमाइश न कर शामिल झाबादी की बाध । लेकिन को बाढ़े वैर कारत हों उनकी असन वैजाइश की जास ।
- कोट:—निरोक्षक पड़त प्रावादी मूमि तथा और निशानात को तसरीह कर प्रावादी की हबूद कायम करेगा । प्रावादी में विधियत तब्दील हुई मूमि के कागजात भी पंजायत से तल्य करके तसल्ली कर लेगा ।

ह अब के संबन्ध में मू मापक के ध्यान देने योग्य बातें :--

- सर्वे में जाने से पूर्व घू-मापक को जिस क्षेत्र में सर्वे हेतु जाना है वहां किस-किस मकार के बन्तों को प्रावश्यकता होगी में सभी यंत्र कार्यांलय से मशी प्रकार जॉब करके आप्त करने चाहिये !
- जरीब को फीते से नाय कर सही कर लेनी चाहिए एवं मीके वर पहुंच कर मितिदिल जरीब की माप करने हेतु झड्डा बना लेना चाहिये !
 - जीट नेते समय निम्न बातों का ध्यान रखना वाहिये :--
 - (क) पूरानी शीट जिस केंब में पैमाइश पर जाता है उसी लेश भी ही ।
 - (क) जिस गांव की शीटें झाप्त करें वे पूरी हों। अन या वेशी न हीं।
 - (ग) दावतं की हुई कम्ब्यूटेंड बीटे हों तो दावतं रेखायों का जितान कर सेना वाहिये ।
 - (ध) शीटों के माजिन मिलान की भी जांच कर इश्मिनान कर लेना चाहिये।
 - (क) शीटों के पीछे सर्व क्य से करड़ा लगा हुआ होता चाहिये । कहीं सिकुड़क का रही हो तो पूरा ज्यान रचना चाहिये ।
 - (च) शीट सावधानी व इत्यानान से रखने हेतु चौना रखना चाहिये।

4. जरीय जलाते समय ज्यान देने योग्य बातें :--

- (क) करोब की प्रतिश्ति खड़वा सेनाप कर देखनो वाश्ति कि चैर छोटो या अड़ी सी नहीं हुई है। कर्क छाने पर उसे ठोक करना चाहिये।
- (च) जहां से जरीव आरम्भ की जावे व जहां समाप्त करनी हो के दोनों स्थाध ताफ ताफ नजर खाते चाहिए ।
- (थ) बार जरीब चलाते समय कही ऐता हो कि प्रारम्भ से तो निर्विष्ट स्थल दिख रहा है क्वर क्रम में जाकर यह किन्द्री कारचों से नगर नहीं सा रहा है तो

वहां पूर्व स्टेशन से ग्रागे वापसी लाइन द्वारा ग्राग बढ़ना चाहिये।

- (६) सर्वे करते समय रेखायें कम से कम होनी चाहिये।
- (ङ) किश्तवार लाइनें इस प्रकार चलानी चाहिये कि खेतों की खमोपेच चैन रेखा से ग्रधिक से ग्रधिक डेढ़ जरीब से ज्यादा दूरी पर नहीं हो।
- (च) चैन रेखा जहां तक संयव हो समतल भिम में होकर चलानी चाहिये।
- (छ) चन रेखा से जो भ्राफसैट उठाये जावें उन स्थानों पर चिन्ह बना देना चाहियें ताकि वक्त जांच भ्रभुविधा न हो ।
- (ज) चन चलाते समय सुत्रों की जांच कर लेनी चाहिये कि सुये पूरे 10 हैं या नहीं एवं चैन फटकार कर चलानी चाहिये। सूत्रा गाड़ते समय हत्ये के बाहर एवं प्रारम्भ में हाथे के अन्दर होना चाहिये।
- (झ) हर पांच एवं दस जरीब पर निशान बनाने चाहिये। यह कम पूर्ण चैन लाइन समाप्त होने तक होना चाहिये। पांच जरीब की समाप्ति पर निशानात के साथ लकड़ी की खुंटी लगानी चाहिये।
- (ट) यदि कहीं सुग्रा न गड़ सके तो शीटों का चिन्ह बनाकर सुग्रा रखकर फालीग्रर (चैन खींचने वाला) को ग्रागे बढ़ाना चाहिये।
- (ठ) यदि पहाड़ी इलाका या जाये व भूमि ज्यादा ऊंची नीची हो तो सुहावल की सहायता से चैन सीड़ी उतार तरीके से चलानी चाहिये।
- (ड) यदि खेत में फसल खड़ी हो तो चैन चलाते समय 3-4 श्रादिमयों की मदद से चैन उठाकर चलानी चाहिये ताकि फसल का नकसान न हो सके।
- (ढ) यदि जरीब चलाते समय कहीं खाल या नाला श्रा जावे तो उसे किसी रस्सी की सहायता से नाप लेना चाहिये एवं बाद में उस रस्सी को चैन से नाप कर दूरी निर्धारण कर लेनी चाहिये ।
- (त) जरीब चलाते समय जरीब की कड़ियों को सही पढ़ना चाहिये।
- (थ) यदि सरहद की नाप हो रही हो तो उस समय बार्ड पंच, सरपंच श्रयवा गाँव के प्रमुख व्यक्तियों को साथ लेकर चैन चलानी चाहिये।
- (द) जहां सर्वे करते समय शीट मार्जिन पर शीट खतम हो, वहां मौके पर चौपारे का निशान लगाना (👍) चाहिये ।
- (ध) शीट का एक सावा कागज पर खांका बनाना चाहिये एवं प्रतिदिन की रेखाधीं को उसमें शंकित कर उनको दिशा भी बतानी चाहिये ताकि प्लाट करते समय गलती न हो।

(न) कार्य समाप्त होने पर चैन को तह करके रखनी चाहिये एवं सुझों की भी गिनती करनी चाहिये कि पूरे हैं या नहीं।

5, शीट सम्बंधी प्रक्रिया:—

- (क) शीट में जो प्लाट किया जावे वह बहुत ही होशियारी व सफाई से किया जाना लाहिये ।
- (ख) शीटों को मौके पर छे जाने पर उनके फटने व खराब होने का पूरा ध्यान रखना चाहिये।
- (ग) ब्लॉट करते समय यदि रेखा में करेवशन श्रा जावे तो उसे नियमानुसार बांट कर सही बनाकर शोट पर प्लाट करना चाहिये। जांच करने वाले श्रधिकारी के नोटिस में यह बात लाई जावे ताकि जांच कर्ता श्रधिकारी को इसका ज्यान रहें।
- (घ) किसी भी जांच ब्रधिकारी के ग्राने पर उससे नापे हुये क्षेत्र की जांच करवा लेना चाहिये ताकि स्वयं को इत्मिनान हो जावे व शीट पुरुतगौ में भी रूकावट न ग्रावें।
- 6. फोल्ड बुक बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें-
 - 1. फील्ड बुक नीचे से ऊपर की तरफ लिखी जाती है ।
 - 2. फील्ड बुक में मध्य में चैन की पूरी व श्रगल-बगल में श्राफसैट की दूरियां लिखी जाती है।
 - 3. प्रत्येक रेखा की ग्रलग-ग्रलग फील्ड बुक लिखी जाती है।
 - प्रत्येक प्रारंभिक स्टेशन का नाम लिखते हुये गन्तव्य स्टेशन का नाम भी लिखना चाहिए एवं उनका दिशा निर्देश भी लिखना चाहिये ।
 - 5. सरहद पैमाइश पर समीपीय ग्राम का नाम भी दर्ज करना चाहिये।
- 6. सैन रेखा पर जब भ्राफसैट बनाया जावे तो पूर्व के सूत्रों एवं कठियों का ध्यान रखकर सही दूरी तिखनी चाहिये ! साथ ही भ्राफसैट की दूरी भी सही होनी चाहिये ।
- 7. चैन रेखा पर श्राकर मिलने वाली भेड़ों एवं कनेनों का पूरा ध्यान रखना चाहिय व दाखिलों, खारजी, तिमेडा व चौमेडा को सावधानी से फील्ड बुक दज करना चाहिये ।
- 8, फील्ड बुक में नदी, तालाब, सड़क, रास्ते, पगडंडी ग्राविको भी लिख लेना चाहिये।

- a. बदि नहीं तनाजा वाबा जाबे तो उसे भी निचना चाहिये ।
- 10. फील्ड बुक में बू-मायकों की मौते की यहचान के लिये भी अपने कुछ चिह्न लिख लेना चाहिबे एवम् किसी प्रकार की कोई नई बात बात होती है तो बह् भी वर्ष कर लेनी चाहिये ।

1. बानवित्र तैयार करते समय (प्लॉटिंग) ज्यान देने योग्य बातें-

- प्लॉट करने वाले यंत्रों को बिलकुल साफ रखना चाहिये । पेन्सिल बारीक होनी बाहिये न तो बड़ी हो बीर न ही ज्यादा छोटी हो ।
- 3. हावों को पहले साफ कर सेना चाहिये ताकि शीट पर सावों के वस्ते न पड़े ।
- 3. ज्लॉट करते समय भू-मापक को साफ कपड़ा रखना चाहिये धौर समय-समय पर यंत्रों को व हाथ को साफ करते रहना चाहिये।
- रबर से लाइन मिटाते समय रवड को कपड़े से साफ कर लाइन मिटानी चाहिये ताकि शोट पर धावा न पड़े।
- अन लाइनें हल्के हाथ से खींची जानी चाहिये एवं खेतों की भेड़ बताने वाली लाइन कुछ नहरी होनी चाहिये यानी चैन लाइन में व भेड़ की लाइन में अन्तर नबर आये ।
- % चैन लाइन बीचते समय दोनों जिन्दुयों की जांच कर लाइन लोधी खींचनी चाहिये।
- 7. लाइनों के करेपशन को विभाजित कर व्लॉट करना बाहिये।
- शीट किसी कारण से गंदी हो जावे तो उसे दिखाकर फीरन प्रकसर के दस्तवत करा लेने चाहिये।
- प्लॉट की लाइन खींचते समय श्वास बंद कर लाइन खींचनी चाहिये इससे हाच हिलने का डर नहीं रहता है।
- 10. बारजी लाइनें फील्ड वृक्त के प्रनुसार उसी दिशा में दिखाने बाहिये तर्गर्छ नौका मिलान में सहायता रहे ।
- 13. बीहर बुक से ब्लॉट करते समय दिशा जान की बांच कर सेनी बाहिये।
- 12. ब्लॉट करते समय मृंह उधर होना चाहिये जिधर से सर्वे की गई है बानी प्रारंतिक स्थान नीचे व गन्तव्य स्वान ऊपर होना चाहिये।
- 13. प्रतिदिन किये हुये सर्वे कार्य की दूसरे दिन सर्वे पर जाने से पूर्व प्लाटिन कर लेनो चाहिये।

. फिर्नावार करते समय ध्वान देने योग्य वाते:---

- एक खेत में मजदंत्रा व गैर मजदंत्रा बोनों भूमि हो तो अलग-अलग नाप करनी बाहिये।
- सरकारी सूसि व बोर्ड आदि में जिस प्रकार कृषक में चारा आदि काटने हेतु निशान बना रखे हैं उसी अनुसार कृषक के करनेवार पैमाइश करनी चाहिये।
- खेत यदि एड़त हो झौर उनकी मेड़े दिखती हों तो उन्हें झलग-झलग ही नापता व्यक्तिये।
- 4. बन विभाग, रेलवे, पी. डालू. डी., इर्रीगेशन प्रावि की मूमि की नाप भी पुणक 2 करनी चाहिये।
- 5. ऐसी डोल जो 2 मीटर से ज्यादा चौड़ी है, ग्रलग से सर्वे कर नवरों में बतानी चाहिये।
- छोटे-टोरे पेड़ों को तमी काटना चाहिये जब वे लाइन चलाते समय बाधा उत्पक्त करते हों। जहां शक संभव हो, पेड़ों को नहीं काटना चाहिये।
- 7. पगडन्डी को नुकात से दिलाना चाहिये जैसे-
- नदी नाले जो स्याई हैं उसकी सब में जंगल की भूमि पर भी नहीं तक संसक हो झागे तक सब कर बनानी चाहिये।
- भू-माप में आने वाले आलामातों के चिन्हों को सबें करते समय बनाकर नक्शे
 में भी बनाने चाहिये।
- 10. बदि कोई मन्दिर या मस्जिद या कुप्रां हो तो उत्तको पृथक सर्वे करनी बाहिये।
- 11. भागवी की भूमि की पृथक सर्वे करती वाहिते। विद्व उसी जगह बताता चाहिये जो भूमि कावाबी के नित्रे निजमानुसार सुरक्षित है।

15. मू-भाप में काम आने वाली रेखायें:-

- 1. चैन लाइन-दो सर्वे स्टेशनों के मध्य जो रेखा सीघी ततती है यह चैन लाइन कहलाती है।
- 2. बेस लाइन-जिस रेखा पर शिक्षनो लाइने आकर निजतो है या धारं स होती है बह रेखा बेस (प्राधार) आइन कहलाती है।
- 3. चेक लाहर सर्वे किये हुये क्षेत्र की जांच करने हेतु यह लाइन डाल कर जांच की जाता है वह चेठ लाइन कहनाती है।
- ट्रायसं लाइन-दो चांदों के बीच की लाइन को ट्रायसं लाइन कहते हैं। यह लाइन महम्मतः प्राम की सीमाओं पर बनाई जाती है जो एक फ्रेम वर्त में बनदो है।

- खारजी लाइन—यह लाइन जो सर्वे करते समय चैन रेखा के दाये या बाई बिना कटान दिये जाती है खारजी लाइन कहलाती है।
- वापली लाइन—वह लाइन जो तीन झिल्डयों की सीध में लाई जाकर किसी श्रन्य स्थान पर मिले इसे वापसी लाइन कहते हैं।
- मुख्बा लाइन—इस रेखा को वर्गाकार रेखा भी कहते हैं। यह रेखा एक दूसरी रेखा के समानान्तर व समकोण बनाई हुई होती है।
- 9. शिकमी लाइन-सर्वे करते समय खेतों के कौने के नजवील का लिहाज करते हुये किश्तवार करने हेतु जो लाइने चलाई जातो है उन्हें शिकनी लाइन कहते हैं।
- 10. कैंची लाइन—देन रेखा के आगे पीछे दांग्रे बांग्रे चैन की लाइन को काटती हुई आपसेट तक जाने वाली रेखा केंची लाइन कहलाती है।
- 11. माजिन लाइन-एक सरहद से दूसरी सरहद तक सतह ग्राराजी के श्रनुसार शीट को पृथक-पृथक करते हुये जाने वाली रेखा माजिन लाइन कहलाती है।
- 12. तनाजा लाइन-जिस भूमि को सीमा पर विवाद होता है उस रकवें को पृथक दिखाने वाली लाइन तनाजा लाइन कहलाती है।
- 13. सरहदी लाइन-दो ग्रामों की सरहद बनाने वाली लाइन सरहदी लाइन कहलाती है।
- 14. और लाइन—वैन रेखा के नीचे खेत की मेड जिस स्थान से प्रारंभ होकर खत्म होती है उसके मध्य को जगह को जैर लाइन कहते है प्रथात चैन खेत को मेड़ पर जिनतो दूरी चल उतनो लाइन को तथा उतनी लाइन को जैर लाइन हो है।
- 15. हवाई या आसनानी लाइन—हवाई लाइन में प्रारंभ का तो ज्ञान होता है मगर प्रन्त का ज्ञान नहीं होता यानी वह लाइन किसी एक सुनिष्ठत स्थान से प्रारंभ होकर किसी अन्याजियां (काल्पिका) स्थान की तरफ जाती है।

16. भू-मापन में काम ग्राने वाले चिन्हः

- मुकाम-जिस स्थान से करीब प्रारंश होती है उस स्थान को व जहां खत्म होती.
 है दोनों उन स्थानों को मुकाम कहते हैं।
- 2. पंजा-मौके पर जरीब चलाते हुये पांच, पन्द्रह, पच्चीस जरीब जिस स्थान पर समाप्त होतो है उस जगह पंजा का निशान बनाया जाता है । ये चिन्ह बनाने की प्रथा निशिष्त सी नहीं है । सगर मुख्यतः निम्न प्रकार के चिन्ह बनाये जाते है—

जिसर से जरीब स्नाती है, उसके आड़ी रेखा बना कर टी की शक्ल का निशान बना दिया जाता है या टेडी लकीरों की टी बनाते हैं या गोला बना देते हैं।

43

3. दहाई – भौके पर जरीब चलाते हुये दस जरीब जहां खत्म होती है उस स्थान पर दहाई का निशान बनाया जाता है जो कास (1) की शक्त का होता है।

- 4. गोदा- जिस स्थान से चैन रेखा लाई जाती है उसके साथ ही खेत के कीने पर गोदा का चिन्ह की शवल में बनाया जाता है।
- 5. मरकज वह स्थान जगह एक से प्रधिक लाइनें प्राकर मिलती है मरकज कहलाता है। जिस विशा से लाइन प्राती है उस दिशा में गोदा पर रेखा भ मि पर बनाई जाती है जैसे
- 6. कटान- (चैन रेखा जिस स्थान पर खेत की मेड़ को कास करती है वहां पर कटान का चिन्ह चैन रेखा के समानान्तर भूमि पर बनाया जाता है।
- न्रीपारा जिल स्थान पर समकोण बनाती हुई चार रेखाये या चेन लाइने ग्राकर मिलती हैं, उस स्थान को चौपारा कहते हैं। मौके पर (1) विन्ह बनाया जाता है।
- 8. चांदा जहां दो या अधिक दावर्स लाइनें या चैन लाइनें ग्राकर मिलें उस स्थान को चांदा कहते ह । चिन्ह 🍆) प्रकार का होता है ।
- 9. तदा- जिस स्थान पर दो प्रामों की सरहद घुमाव खाती है उस स्थान पर पत्थर जाता है व नवशे में यही पत्थर निम्न चिन्ह से दिखाय। जाता है ।
- 10. तिगड़डा या सेहदा- जिस स्थान पर तीन ग्रामों की सरहदें श्राकर मिलती हैं उक्त स्थान को तिगड़डा या सेहदा कहते हैं। मौके पर यह स्थान पत्थर की शक्ल में होता है। मगर नक्शे में इसे निम्न प्रकार से दिखाया जाता है:-
- 11. चौमेडा- जहां तीन ग्रामों की सरहद से ग्रधिक सरहदें श्राकर मिले, वह स्थान चौमेडा कहलाता है। मौके पर यह पत्थर या मीनारें की शक्ल में होता है। मगर नक्शे में निम्न प्रकार होता है:
- 12. मौके पर पुख्ता पत्थर लगे होने पर श्रीर मौके पर पत्थर न होने पर निशानात है टूटवा लाइन के अन्तर से निशानों में पर्क बताया जावे ।
 - 17. पैमाइश के समय मौके की स्थिति का गत पैमाइश से मुकाबला :-

सर्वे का उद्देश्य यह है कि मौके पर खेतों व ग्रन्य भू-खन्डों की जैसी भी स्थिति हो उसका सही विव्र खींच ितया जाय। गुजिरता पैमाइश के बाद धीरे-धीरे कृषकगण ग्रपने खेत की सीमा बढ़ा लेते है यानि शनेः शनेः पास के रास्तों, सिवाय चक भूमि, मंगरी की तलहटी खेत की सीमा बढ़ा लेते है यानि शनेः शनेः पास के रास्तों, सिवाय चक भूमि, मंगरी की तलहटी इत्यादि ग्रथवा पास के खेत की भूमि ग्रपने खेत में विला देते हैं ग्रीर ग्रपनी डोलों को खिसका इत्यादि ग्रथवा पास के खेत की नई शक्त का सिलान गत शीट पर बने खेत से नहीं होता है। ऐसे लेते हैं। ऐसी स्थिति में खेत की नई शक्त का मिलान गत शीट पर बनाने के बाद आसानी मामलों में भू-मापक को चाहिये कि खेतों का मौजूदा चित्र शीट पर बनाने के बाद आसानी को खोते से गत खसरा नंबरों के रकवों को देखकर निम्नलिखित कार्यवाही करें:—

- विक्षक ने राजकीय अधि, रास्तों गोवर इत्यादि पर लग्गा कर तिया है ती कटी हुई लाइन से गत खाते के अनुसार उसका खेत खताका जाय ताकि अतिकाम किया हुआ हिस्सा स्पष्ट अतीत हो जावें।
- 2. यदि कृषकों ने अपने ही खाते के कुड़ीत के दो खेतों अपना उनके कुछ हिस्सों की मिलाकर खेतों की आपसी सीमा में तबबोकी करलो है और कुछ रकबा करोब-करोब बराबर बैठता हो, तो जु-मापक को इस मामने में कुछ कार्यवाही नहीं करनी है।
- 3. यदि एक इषक द्वारा दूसरे कृष्ठ के पड़ोंस के खेत पर अतिकाग करके कुछ एक्बा अपने खेत में जिला लिया है और इस वजह से कुल रकबा बढ़ता घटता है तो खेत गीं दूरा शक्त के मुप्रापिक बनेंगे। किन्तु पवा खतीनो तैवार होकर खाते का मिलान हो जाने के पश्चात मही कभी बेगो का ठीक पता चल जाने पर हल्का निरोक्षक पेन्सिली नोट खेत-बार कभी बेगो का प्रश्मेक पूर्व पर ग्रंकित करेंगे और तरमवात सहायक भू. प्रबन्ध ग्रधिकारी द्वारा गोंका देख लिया जावेगा। मीका देखकर सही स्थिति का संस्थापन सहायक मू. मबन्ध ग्रधिकारी द्वारा पर्च की कार्यालय प्रति पर कर दिया जाता चाहिये। यह सारा कार्य पर्च तस्वीक होने से पहले कर लिया जाना चाहिये। ऐसे कमो वैगों चल खातों की एक सूची निरोक्षक द्वारा बाद मिलान तयार की जावेगी जिल पर बाद करने संस्थापन मौका सहायक मू-प्रबन्ध ग्रधिकारी अपना प्रमाण पल प्राइटमवार ग्रंकित करेंगे। यह प्रमाणकित सूची पर्च फाईल पर रेकाई में रहेगी।

धुवी निव्नलिखित प्रोकानी में होती

i. tř. 1	श्रीम बातेदार 2	गत जाता सं ख् या 3	णूल खेत गत पै 4
		2	
जुल र कवा 5	गत पैमाइश	चून बेत हान पैनाइंस 6	कुत रक बा हात पैमाइश
		and the state of t	
कभी	बेशी रकवा	घन्तर का कारण	सहा. भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी द्वारा भोके की जांच करने के बाद सत्यापन करना
	8	9	10
fe	शोष विवरण 11		

- 18. गैर-खातेवारों/ब्राबंटियों को खेतों की वैवाइन व गीट पर खेत बनाने की मंश्किलात :---
 - (1) कई सूमिहीत कुवकों को लिया जिया है तथा सीके पर उनका कब्जा है। ऐसे मीके पर उनको संभला दिया गया है तथा मौके पर उनका कब्जा है। ऐसे व्यक्तियों के खेत वरवस्त पैनाइश भू-मापक अवश्य बनायेगा। मगर कुबकों को सिवाक भूमि का आवंदन हो जाने पर भी मौके पर उनका कब्जाकाश्त नहीं होता। किसी तरह के नितानात मौके पर न होने को वजह से भूमापक वरवस्त पैनाइश उनका खेत नहीं बना पाता। ऐसे मामलों में यदि पटवारी ने किशतबार लड्डा वर लाल स्वाही से खेत की सोमा बना रखी हो तो भू-मापक को तद्नुसार ऐसी सीमा नई शीट पर फिट कर देनी चाहिये।
 - (2) यदि लट्ठा किश्तवार पर लाल स्वाही से खेत न बनाये गये हों स्रीर भूमि खाली पड़ी हो तो संबंधित कुषकों को मौके पर ले जाकर उसी खसरा नम्बर में मौके को स्थिति देखते हुए उनको स्रावंटन किया हुआ रकबा शीट पर किट कर दिया जाना चाहिये।
 - (3) यदि लट्ठा किस्तवार पर लाल स्वाही से खेत न बनाये गये हों श्रीर मौके पर भूमि खाली पड़ी हो बाती प्रतिक नियों का कबना नौके पर ही (श्रावंटी का कबना काश्त न हो) तो सहानक लू-प्रबन्ध अधिकारो अपने स्तर पर मौका देखकर अपना निर्णय देगें। अतिकनो के नाम पर सूचि की खातेदारी हरणिज दर्ज नहीं होगी।
 - (4) यदि भूमि का आवंटन हिली अपूर अतदा निष्यर में किया गया हो ग्रीर वास्तिकिक कब्ना आवंटी में दूबरे खबरा निष्यर में हिया हुता है जहां किसी अन्य व्यक्ति को भूमि आवंटित नहीं हुई है और सामान्त्राः किसी अन्य संबंधित कृषक को आपित नहीं है तो राजस्व विभाग (परगता अधिकारी) को उक्त आवंटी के हक में नियमत करने के नित्रे प्रस्ताव में भेज दिया जावे। प्रस्ताव में भेज दिया जावे। प्रस्ताव में भेज दिया जावे। प्रस्ताव में भेज के उपरान्त शीट पर खेत किट कर दिया जावे। तथा भू अभिनेख तैयार करके खतरा के खाना "विशेष विवरण" में पेनितनी नोट अकित कर दिया जावे कि नियमन प्रस्तावित है। इस प्रकार के प्रस्ताव पर नियमानुसार राजस्य अधिकारी द्वारा नियमन संबन्धी लिखित सुचना प्रित्त होने पर ही प्रभिनेखों में प्रविध्वित की जावेगी।
 - (5) कई आवंटिति ऐसे हैं जिनका गत जमावंदी में नाम दर्ज हो गया है परः तु मौके पर कब्जा न होने की वजह से हाल पैनाइशी रेकार्ड में उनका नाम दर्ज नहीं होना चाहिये।
 - (6) कुछ कृषक सक्षम अधिकारी के इस प्रकार के आवंडन ताहण प्रस्तुत करते हैं जिनका गत राजस्व जनावंदी में प्रमानदरामद नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मौके पर आवंडन आदंश के अनुसार कब्जा है तो भू-मापक को उसके नाम पूर्वा बना देना चाहिये।
 - (7) जिन मामलों में आवंटन आदेश के अनुसार संबन्धित खसरा नस्वर पर कृषक का कब्ना नहीं है अपितु दूसरे खसरा नस्वर पर आवरटन आदेश में

श्रंकित क्षेत्रफल के बराबर भूमि पर कृषक का कब्जा है श्रीर कोई विवाद नहीं है, तो आवंटिति का कब्जे के मुताबिक पर्ची जारी कर दिया जावे।

19. पैमाइश की जांच व निरीक्षण :

ज्यों-ज्यों पैमाइश समाप्त होकर फील्ड बक से शीट पर मानवित्र तैयार होता जाये उसी प्रकार संबन्धित सहायक भ-प्रबन्ध अधिक।री तथा निरीक्षक की परताली लाइने डालकर पैमाइश की व प्लॉटिंग की जांच करते रहना चाहिये। अ-प्रबन्ध श्रधिकारी भी जब-जब उस क्षेत्र पर दीरे में जावें, चैक लाइने डलवा कर सर्वे की जांच ग्रवश्य किया करें। ग्रति-रिक्त भ-प्रबन्ध आयुक्त व भु-प्रबन्ध आयुक्त को भी चैक लाइन देकर जांच करनी चाहिये। लाइन देने के बाद निरीक्षक तथा अधिकारीगण शोट को आवश्यक रूप से अपने कब्जे में रखे तथा लाइन के दोनों बिदुशों के बीच में पड़ते वाले कोने व कटानों की सही गिनकर चैंकिंग करें। निरीक्षक को तथा जाँचकर्ता अधिकारियों को यह देखना चाहिये कि भ-मापक शीट को मैली तो नहीं कर रहा है तथा प्रसावधानी से काम करके जीट की कहीं से फाड़ी प्रथवा बराब तो नहीं कर दो है। जांचकर्ता अधिकारी शोट में परताकी लाइनें खींच कर कुल फासला व ग्रवना नाम व तारीख का इन्द्राज करें। निरीक्षक की नजरी व चौमड़े की जांच भी 50 प्रतिशत करनी वाहिये । प्रत्येक भ-मापक का काम किश्तवार निरीक्षक की चैक करके निरीक्षण पत्र में जांच को इन्द्राज विस्तत तौर पर मय नतीजा दर्ज करना चाहिये। इसी तरह प्रत्येक जांच अधिकारी को भी निरीक्षण-पत्न में विस्तृत नोट अंकित करना चाहिये। पहाडी हिस्सों में परताली लाइन में फासले का कोई अन्तर नहीं ग्राना चाहिये । पहाडी हिस्सों में एक जरीब पर एक कड़ी का फर्क जायज माना जावेगा तथा कोने कटान की जांच में एक गृहठे तक का फर्क जायज माना जायेगा । दो गांवों की आपसी सीमा में किसी किस्म का फर्क जायज नहीं माना जावेगा।

शिश्तश्रंदाजी की जांच में सिर्फ 5 कड़ी का फर्क जायज माना जावेगा।

निरीक्षक का फर्ज होगा कि बरवक्त नजरी जांच ग्राराजी पड़त में खासतौर से इस बात की जांच कर कि कोई बड़ा दरस्त, चबूतरा, नाला वगैरह व कौई खास मुस्तिकल मुकाम ग्रमीन ने छोड़ तो नहीं दिया है।

20. भौका मिलान :

शोट तैयार होने पर भू-मापक को प्रत्येक खेत की शक्स का मौके से मिलान करना चाहिये तथा देखना चाहिये कि मौके के हिसाब से शक्स ठीक बनी है या नहीं तथा सभी खेत तथा प्रन्य भू-खण्ड शीट पर मौके के हिसाब से ही हैं या नहीं। निरीक्षक भी नजरी मौका मिलान शीट से करके देखें। जहां बड़े-बड़े भू-खण्डों में से छोटे-छोटे रकवे कु पकों को कुछ वर्षों से प्रावंटित हुये हैं तथा भीके पर स्पष्ट खेत नजर नहीं ग्राते हैं वहां भू-मापक को चाहिये कि संबंधित व्यक्तियों को मौके पर ले जाकर उनको प्रावंटित क्षेत्रों को स्थित को समझ ले तथा क्षेत्रफल को नाप कर फील्ड-बुक भर कर खेत बना दें। प्रावस्य ऐसा देखने में म्रातंटित हुई। किन्तु उसने पास के दूसरे दड़े भू-खंड में कब्जा कर लिया या उसी भू-खंड में दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया यानी पटवारी द्वारा नक्शा लट्ठा में की गई तरनीम से विपरीत कब्जा मौके पर पाया जाता है तो ग्रफसरान पार्टी के सामने यह मामला रख कर मू-मापक को निर्णय करा लेना चाहिये। जमाबंदी में गैर-खातेदारी या खातेदारी ग्रंकित होने पर भी मौके पर कब्जा न पाये जाने को सूरत में संबन्धित ब्यक्ति को मौके पर ले जाकर उसके

रकबे की निशांदेही करा लेनी चाहिये या उसका रकबा नाय कर नक्शे पर खेत बना देना

21. सरहद मिलान :

सरहद मिलान करने का कर्तव्य निरीक्षक का है। प्रत्येक मौजे के चारों ग्रोर की सरहदों का मिलान पास के मौजों की लगती हुई सरहदों से करके सेहत कर लेना चाहिये। यह काम सरहदी मौजों की पुरानी शीटों को लेकर तरहद मिलान करने से भी हो सकता है। मौजूदा पैमाइश में सरहदी मौजों की जो शीटें तैयार हुई हैं उनको साथ जमा कर भी सरहद मिलान किया जा सकता है। सरहद मिलान का सबसे ग्रन्था तरीका यह है कि पास-पास के गांवों से संबंधित निरीक्षक सब साथ बैठ कर मवाजियात की सरहद का मिलान करें। सरहद मिलान के समय सरहद बनाने में वाकई गलती पाई जावे तो जरूरत के मृताबिक ग्रमुक हिस्से में फिर से पैमाइश कराई जा सकती है। परताली लाइनें डाल कर भी सहत की जा सकती है।

22. भू-मापक द्वारा मौके पर कागजात की तैयारी :

(1) भु-मापक को मौके पर कई कागजात तैयार करने पड़ते हैं :

1.	खसरा	प्रवत्न सं. 1
2.	खसरा परिशोधन	प्रवत्न सं. 2
3.	सुची फलदार वृक्ष	प्रवत्न सं. 3
4.	नक्शा मरकज व चौपारा	प्रवत्र सं. 4
5.	सूची सीमा चिन्ह	प्रवत्न सं. 5
6.	रजिस्टर सीमा	प्रपत्न सं. 6
7.	नक्शा कृप मय गोशवारा	प्रपत्न सं. 7
8.	नक्शा तालाब व नाडा मय गोशवारा	प्रपत्न सं. 8
9.	विवाद-पत्र	प्रवत सं. 12
10.	दैनिक कार्यवाही श्रमीन	प्रपत्न सं. 14
11.	मस्टर रोल चेनमेन कुलियान	प्रयत सं
12.	वस्तूर गांवई	प्रपत्न सं

(2) इन कामजातों को तैयार करने की विधि हिदायत खानापूरी नामक विभागीय पुस्तिका में दी गई है। फार्म नम्बर भी जो ऊपर दर्ज किये गये हैं वे उत्तत पुस्तिका में उल्लिखित फार्मजात के नम्बर हैं। निर्धारित विधि के अनुसार प्रत्येक अभिलेख के खानों की पूर्ति सावधानी से भू-मापक को करना चाहिये। हिदायत दानापूरी में उल्लिखित फार्म नं. 12 विवाद-पत्र एक अत्यन्त महत्यपूर्ण लेख है। हिदायत इस प्रकार हैं कि बंद खसरा लिखते समय यह पाया जावे कि किसी क्षेत्र के बाबत विवाद है और उसकी अलग-अलग व्यक्ति अपने-अपने नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो खसरा लिखने वाले का कर्तव्य होंगा कि जिस व्यक्ति को जवाद-पत्र में वर्ज कर दें ताकि इन क्षेत्रों को विशेष तौर पर निरीक्ष क एवं अन्य प्रधिकारी जांच कर इन्हाज के बारे में अपना निर्णय दे सकें। इन्हाज के बाद जिस किसी व्यक्ति को आपित्त हो तो वह कानून के अनुसार अधिकारी के इन्हाज के बाद जिस किसी व्यक्ति को आपित्त हो तो वह कानून के अनुसार अधिकारी के क्षेत्र में भू-मापकगण इस पत्र को तैयार नहीं करते हैं। असीनों व निरीक्षकों के घ्रान में सारे विवाद

ग्रा जाते हैं यानी उन्हें यह पता चल जाता है कि ग्रमुक-ग्रमुक क्षेत्र के बाबत ग्रलग-ग्रलग व्यक्ति ग्रपने नाम दर्ज कराता चाहते हैं। किन्तु फिर भी ग्रामीनगण विवाद-पत्र तैयार नहीं करते हैं। सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी भी इस ग्रोर कर्ताई ध्यान नहीं देते हैं। ग्रतः ग्रमीन द्वारा विवाद-पत्र हर सूरत तैयार किया जावे। सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी के समक्ष लिखित उजरदारों के रूप में श्रथवा तस्वीक पर्वा मौखिक रूप से भी ग्रथवा ग्रन्थ किसी प्रकार से ऐसा व्यवहार यदि पेश हो गया जिसके लिखे संबंधित ग्रभीन ने खसरा लिखते समय वाद-पत्र तैयार करके पेश न किया हो तो ऐसे ग्रमीन के विद्य ग्रनुशासनात्मक कार्यवाही ग्रवश्यमेव की जानी चाहिये। विवाद होते हुये भी वाद-पत्र तैयार करके पेश न करना लापरवाही का द्यौतक है। प्रत्येक विवाद-पत्र की ग्रलग-ग्रलग मिसल कायम की जावेगी तथा हिदायत खानापुरी में ग्रंकित हिदायतों की पालना को जावेगी। यदि किसी गांव में विवाद न हो तो भी विवाद-पत्र का फार्क भर कर यह ग्रंकित कर दिया जावे कि इस ग्राम में कोई विवाद नहीं है। इसकी तस्वीक निरोक्षक व सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी करेंगे।

- (3) दैनिक कार्यवाही अभीन प्रत्येक दिन लिखी जावेगी। फील्ड में कार्र करते समय यदि सर्वे कार्य किया गया हो तो भू-मापक यह दर्ज करेगा कि कितनी जरीव चलाई गई व कितना रुक्वा पेमाइश किया गया। फील्ड-बुक में भी अभीन तारीखवार प्रवि-ष्टियां करेगा। फील्ड-बुक की प्रविशिष्टयां और दैनिक डायरी में दिखाई गई पैमाइश का मिलान होना चाहिये। यदि खक्षरा लेखन का कार्य किया गया है तो संबंधित कॉलम में खसरा नम्बर अंकित किया जाये। खलरा परिशोधन का कार्य होने पर जिस तारीख को खसरा परिशोधन खोले गये हैं उनकी संख्या की प्रविष्टि डायरी में को जाये। तब सहायक मू-प्रवन्ध प्रधिकारी खतरा परिशोधन तस्दीक करे तो भू-मापक अपनी डायरी में खतरा परिशोधन तस्दीक करे तो भू-मापक अपनी डायरी में खतरा परिशोधन तस्दीक की वास्तिवक स्थित अंकित करें। डायरी के अंत में गोशवारा विस्तृत रूप से लिखा जावे। सर्वे के बारे में गोशवारो में यह अंकित किया जाये कि ग्राम का कुल रक्वा कितना है, गत माह तक कितना रक्वा तर्व हुआ। इस माह कितना सर्वे हुआ और गोष कितना रक्वा रहा। इसी प्रकार का विस्तृत विवरण खसरा परिशोधन खोलने और तस्दीक करने के बारे में किया जावे।
- (4) भू-मायक के आज में पंहुचले ही ग्रामवासियों हार। इस प्रकार के प्राथना पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं जिनको उजरवारी की संज्ञा नहीं दो जा सकती और जिनके अनुसार मिसल कायम करना भी आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के प्रार्थना-पत्नों का निस्तारण पेमाइश और खसरा के ग्रंकन के समय ही हो सकता है। कई मामलों में छुवक इस प्रकार को प्रार्थना मौखिक रूप से भू-मायक को करते रहते हैं और भू-मायक उस पर कार्यवाही करने का आपवासन तो देता रहता किन्तु कुछ मामलों में जो कार्यवाही नियमानुसार होनी चाहिये वह भी नहीं की जाती है। इसलिये वह आवश्यक है कि काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत ऐसे प्रयंता-पत्नों जिनका निस्तारण पैनाइन खसरा लेखन या खनरा परियोधन को प्रक्रिया के दौरान हो सकता है को भू-मायक एक रजिस्टर में इर्ज करेगा। उपरोक्त प्रकृति के प्रार्थना-पत्न आदि निरोक्षक, सहायक भू-भवन्छ प्रविकारों वा मू-प्रवन्ध अधिकारों के समक्ष प्रस्तुत हों तो यह अधिकारों इस प्रकार के प्रार्थना-पत्नों को मू-मायक को निस्तारण हेतु होंगे। भू-मायक इन सनस्त प्रार्थना पत्नों को एक रजिस्टर में अकित करेगा, जिनकी निस्तारण हेतु होंगे। सू-मायक इन सनस्त प्रार्थना पत्नों को एक रजिस्टर में अकित करेगा, जिनकी निस्तारण होतु होंगे। -

क. सं.	दिनांक	प्रार्थन।-पत्र देने वाले का	प्रार्थना-पत्र का विषय	ध्रार्थना-पत्न परकी गई		चैकिंग ग्रधिकरी के हस्ताक्षर मध
		का नाम		कार्यवाही	दिनांक	क हस्ताकर न क
1	2	3	4	5	6	7

23. निरीक्षक द्वारा पैमाइश के समय मौके पर तैयारी कागजात :

निरीक्षक भोके पर गांव में ही निम्नलिखित कागजात तैयार करेगा :-

1. नक्शा उपज फार्म संख्या 11

2. दस्तूर गांवाई नया फार्म बनाकर प्रचलित कर दिया गया है।

निरीक्षण-पत्र भू-माप व संशोधन कार्य फार्न संख्या 13

4. दैनिक कार्यवाही निरीक्षक फार्म संख्या 15

निरक्षिक दस्तूर गांवाई नामक अभिलेख तैयार करेगा जो एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह एक प्रकार से गांव के इतिहास एवं अन्य हालात पर पूर्ण विवेचनात्मक लेख है, जो परिशिष्ट 4 पर उल्लिखित हिदायतों एवं रूपरेखा के आधार पर निरीक्षक को विस्तृत रूप से तैयार करना चाहिये।

दस्तूर गांवाई को तथा प्रत्येक गांव से संबन्धित अन्य हालात को अध्ययन करके निरीक्षक को प्राम निवरण-पत्न भी तैयार करना चाहिये। सहायक भू-अभिलेख अधिकारी को इन दोनों अभिलेखों की सतर्कतापूर्वक जांच करके गांव के मजमाए- ग्राम में तस्दीक करना चाहिये। दस्तूर गांवाई अधिकार अभिलेखों में शामिल है तथा प्राम विवरण-पत्न के आधार पर प्राम र्जिस्टर तैयार होता है जिसकी प्रविष्ठियों का बड़ा महत्व है यानी इसी रिजिस्टर की प्रविष्ठियों तथा दस्तूर गांवाई के आधार पर गांव की इकाई अभिलिखित होती है।

24. नम्बर ग्रंवाजी :

नम्बर ग्रांदाजी करने का काम निरीक्षक का है। इस संबंध में निम्नलिखित हिदा-यतें दी जाती हैं:-

- (1) नम्बर सिलसिला शुरुआत नम्बरों की, कोने उत्तर-पश्चिम से शुरू होगी और दिलग पूर्व कौने पर खतम होगी। सिलसिला नम्बर ऐसा रहना चाहिये कि जिससे खँत बूंडने में दिककत न आयें। नम्बर अंदाजी में गॉर्थ का ध्यान परा रखा जावे।
- (2) नम्बर अन्दानी मोने पर की जाय और निम्निव्यत बांतें ध्यान में रखी जावें।
- (क) जहां तह हो एक आसामी के नकबूबा नम्बरों का नम्बर सिलसिना एक हो रखा जावें और इस सिलसिने में अगर कीना कूदान होता हो तो कुदान नहीं जाना जाय जैसे-
 - (ख) आसामोबार नम्बर अंदाजों करते वक्त अगर कुछ नम्बरों के लिये शोट कूदान होता हो तो सहलियत देख दूबरी शीट में नम्बर डाल कर वापस उसी शोट में बिना कूदान के आ जाय। लेकिन जहां जहां दो से ज्यादा शोटें मिलती हों वहां यानी चौपारा के पास शीट कूदान नहीं किया जाय।

- (ग) ब्रासामीवार नम्बर सिल्लिसले को ध्यान में रखते हुये भी एक माह से संबन्धित पीवल खेतों का नम्बर सिलिसिला जहां तक हो एक ही रखा जाय।
- (घ) एक बड़े मकबूजा रकवे में भुस्तफरिक हकूत व पीवल खेत होते हैं जिन में कूदान की वजह से जायद नम्बर डाले जाते हैं, जो सही नहीं है। ग्राइन्दा ऐसे रकवे में सिर्फ एक ही नम्बर डाला जाकर बीच के खेतों में ग्रलग-श्रलग नम्बर डाल कर बाहर से सिलसिला नम्बर पकड़ लिया जाय। ऐसा करने में जो कुदरती कूदान होता हो तो कूदान नहीं समझा जाय जैसे-
- (ड़) नम्बर श्रंदाजी एक शीट से खत्म होकर दूसरी शीट में होना चा.हये। बिला नाम पड़त के नम्बर जहां तक हो, माजिन पर ही खत्म कर देना चाहिये इसी तरह नदी, नाले, रास्ते भी माजिन पर ही खत्म कर देना चाहिये क्योंकि रकवे के रह जाने का श्रंदेशा है।
- (3) नम्बर कहां-कहां डाले जाय--पीवल खेत मौके के अनुसार पैमाइश किये जाकर अलग-अलग नम्बर डाले जायें. लेकिन--
 - (क) रजका, साठे वगैरह के लिए बाड या डोल गैर मुस्तिकल मौके पर होते हं, उसको एक ही खेत शुमार किया जाकर बिन्दुग्रों से बताया जाय ग्रीर ग्रलग नम्बर नहीं दिये जायें।
 - (ख) खेत की पाली हो जिसकी काश्तकार पाली मानते हों, उसको शामिल खेत की जाकर अलग नम्बर नहीं दिया जाय ।
- (4) हकत खाकी खेत ग्रलग पैमाइश किये जाकर नम्बर डाले जायें। लेकिन मेड़े जिनको काश्तकार मेड़े मानते हों, उनको शामिल खेत पैमाइश की जाकर बिन्दुओं से दी जाय, ग्रीर ग्रलग नम्बर नहीं दिया जाय ।
- (5) हकत कदीम जिनके मुस्तिकल मेड़े है श्रीर जो कुए से सिचित रहा हो या जो मेड़ को शक्ल में हो या जो मुस्तिकल काश्त के चक्र के बीच में हो उनकी ग्रलहदा पैमाइंश की जाकर नम्बर डाले आयं लेकिन —
 - (क) बिला नाम हकत कदीम के खेत, जो दो एयर से छोटे हों, उनकी पैमाइश नहीं की जाय श्रीर दो एयर से ऊपर के सभी खेतों की पैमाइश की जाकर चहवार एक ही नम्बर डाला जाय ।
 - (ख) बिला नाम कांकड़ काश्त की इकलाई पंमाडश कर एक ही नम्बर डाला जावे।
- (6) बीड चरनोट--
 - (क) बीड कदीम जिसकी पाती नहां हुई है शामिल ही नापा जाकर एक ही नम्बर डाला जाय ।
 - (ख) अगर बीड चरनोट के नम्बरों में रक्तबार्गर मुस्तकिल काश्त हुआ हो तो उसको बिन्दुओं से बनाकर अलहदा नम्बर नहीं डाला जाय ।

(7) तालाव नाडी:-

- (क) जिन तालाबों में वाले से गांवाई या सार्वजनिक कई हिस्से कायम हैं श्रौर उन हिस्सों के मुद्राफिक ही तालाब खाली होने पर काश्त होती है तो ऐसे तालाबों में एक ही नम्बर डाला जाय श्रौर उनके हिस्से पहिले के मुद्राफिक खसरे में दर्ज कर विये जायं श्रौर जहां पर श्रलग मुस्तिकल पालिये होकर कब्जा काश्तकारान का है, यहां पैमाइश की जाकर नम्बर डाले जायं।
- (व) बड़े तालाओं की पाल की पैमाइशम अलग की जाकर एक तम्मर डाला जाय। लेकिन छोटी पालें अगर मकबूना आसामियान है, तो खेतों के साथ पाल की बिन्दुओं से बतलाई जाकर अलहदा नम्बर नहीं डाला जाय और पाल के चिन्ह बनाये जार्य।
- (ग) श्रगर नाडियां मकबूजा बीड़ चरनोट में हो श्रौर पेटा काश्त नहीं होता हो श्रीर पिलाई भी नहीं होती हो, तो भी ऐसी नाडियों के पाल व पेटे में श्रलग-श्रलग नम्बर डाला जाय श्रौर श्रगर नाडियां फूटी हुई हों तो पाल बिन्दुश्रों से बताई जाकर श्रलग-श्रलग नम्बर डाला जावे। यही श्रमल पड़त बिना नाम तालाब नाडियों में रखा जावे।
- (घ) फूटे तालाब की बड़ी पाल के अगर वो हिस्से हों, तो बीच के टूटे हिस्सों को बिन्दुओं से जोड़ कर एक ही नम्बर डाला जाय और पेटे में नाला, नाली व खाली हो, तो पैसाइश कर बिन्दुओं से बनाई जाय। कोई अलग नम्बर नहीं डाला जाये।

नोट:-पहाड़ी हिस्से के गांवों में खेत के बंदे हो तो उन्हें पाल की ग्रलामात से नहीं बनाये जायं

(8) चाह-

- (क) कुए के श्रहाते में उसके पास की पड़त या गैर मुमकित जो कुए के काश्तकारों को शामलाती हो तो कुए के साथ ही रखी जाकर एक ही नम्बर डाला जाय।
- (ख) मकबूजा खातेदारान की जमीन में या बिला नाम में खब्बे, रियां व पावटी हो, तो पैमाइश कर पास की पड़त जमीन व संबंधित नम्बरों में शामिल किये जाकर श्रलहदा नम्बर नहीं डाले जावें । लेकिन जहां गैर-जारी बाह, खड्डे, रियां व पावटी, मुलशिका नम्बरों के श्रासामियों का न ही, तो ग्रलग नम्बर डाला जाय ।
 - (ग) बिला नाम चालू कुए, बावड़ी हों, तो पैमाइश किये जाकर नम्बर झलग बाला जाय।

(9) गेर मुमकिन:

(क) मंदिर, मस्जिद, पथवारी, कजिस्तान, शमशान, छतरी, चबूतरा, देवरा, मकान श्रीर खलिहान इत्यादि नवशे में बनाये जावें व श्रलहवा नम्बर वाले जावें।

- (ख) रेलवे, सड़क, पक्की सड़क, मुस्तिकल आम रास्ते, नदी, नाले और पहाड़ वगैरह में जहां तक हो सके, प्रत्येक में एक ही नम्बर डाला जावे।
- (ग) बिला नाम काबिल कारत, गैर-काबिल कारत अलग छांटा जावे व जलग-अलग नम्बर डाला जावे।

तम्बर ग्रंदाजी का काम निरीक्षकगण कई नार अमीतों पर छोड़ देते हैं जिस मुनापक इस काम के जानकार न होते के कारण भारी गलतियां कर देते हैं जिससे नम्बर ग्रंदाजी ए कदम गलत हो जाती है। ऐसा कई जगह देखा गना है। ग्रतः निरीक्षक इस महत्वपूर्ण कार्य को स्वयं करें। गलतियां रहने पर निरीक्षक को दोशी मान कर सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

25. पुख्तगी नवशा :

शीट पुख्ता करने का कर्तव्य हल्का निरोक्षक का है। इस काम में भू-मापकों की इमदाद ली जा सकती है। किन्तु उन्हीं भू-भापकों को इस काम पर लगाना चाहिये जिनको कि लिखावट शुद्ध हो ग्रीर जिनकी ड्राइंग ग्रन्छी हो। इस संबंध में निय्नलिखित हिदायतें दी जाती हैं।:-

- (क) पैमाइश खत्म होते ही नक्से में किश्तवार श्रीर सरहद की पुछता मौके पर ही की जावे श्रीर नम्बर श्रंदाजी भी मौके पर ही पुछता की जावेगी। नश्शा पुछता करते वक्त निरीक्षक व श्रमीनों को इस बात का खयाल करना चाहिये कि लाइन कहीं छोटी-बड़ी न हो, एक-सी गहरी काली व बारीक हो। लाइनें सीधी छोटी पटरी के सहारे खींची जावें।
- (ख) लाइन मिलान में निरीक्षक को चाहिये कि बरवनत सरहद पुछतगी अगर कोई बात काबिल मुलाहिजा आवे, तो उसी वनत अधिकारी के समक्ष पेश करके आदेश प्राप्त कर कार्यवाही करें। लाइन मिलान में किसी किस्म का करेक्शन नहीं देवें।
- (ग) नवशे में मुकामात की पुष्तगी अलामत नामे के अनुसार की जावे।
- (घ) चांदा, तूदा व नरकज इन हर एक का नम्बर सिलिसला ग्रलग-ग्रलग रहेगा। चौपारा मरकज में शुमार होगा।
- (इ) नक्शे की पहली शीट में उत्तर दिशा की तरफ झंडी व भाले का निशान बनाया जावे।
- (च) पैमाना नक्शे के ग्राखिर में नाप कर बनाया जाय।
- (ছ) नक्शे की पहली शीट में जिस तरह कुल शीटें नक्शे में लगी हों उनको तरतीब देही बतलाई जाय।
- ्ब) सरहदी मीनारों पर सरहदवार, तस्वर सिलसिता श्रलग-श्रलग रहेगा। किरपदों पर नम्बर नहीं डाला जाय। जीरो का निशान रखा जावे। श्रीर वृह सरहद पर दोनों सिरपटों के दर्शियानी मीनारों पर नम्बर डाले जावें। अहां तक हो सके पड़ीस के मीजों में मीनारों का नम्बर एक ही रखा जावें।

इस कदर कार्यवाही के बाद नक्शा व कागजात फीरन पार्टी के दफ्तर में सदर मुग्सरिम के पास भेजे जावें। तूदों व तिरापटों के बीच की दूरी ग्रंकित की जावे।

(त्र) सर्वे शीट पर सरहदी क्षामों के नाम पेन्सिलों से अभीन और स्याही से डाइंग सेक्शन में लिखा जायेगा।

26. मुरब्बाबंबी:

मुरुबाबंदी की प्रणाली में खेतों के वर्गाकार चक वनाये जाते हैं, यह प्रणाली गंगानगर जिले के सिंचित क्षेत्र की तहसीलों में लागू है। कोटा जिले के कमाण्ड क्षेत्र में भी इस प्रणाली को प्रपनाया जा रहा है। हर एक मौजे की पंमाइश के लिये जब तक छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जाये, बहुत मृश्किल होती है। इसलिये खेतों के लिहाज से गांव को छोटे या बड़े टुकड़े में बांट देते हैं। इसी को मुरुबाबन्दी कहते हैं थ्रीर टुकड़े करने के लिये जो लाइनें डाली जाती हैं उनको मुरुबा की लाइन कहते हैं। ट्रावर्सशुदा मौजों में श्रामतौर पर भुरब्बाबंदी से किस्तवार की पमाइश की जाती है। इसलिये जहां इस तरह का काम हो, वहां नीचे लिखे मुजब श्रमल किया जाना चाहिये:—

(1) मुरब्बाबंदी की इमदाद के लिये एक सरहद के किसी चांदे से गांव के बीचोबीच होते हुये दूसरी सरहद तक एक सीधी लेन डालो जाये इसकी पेटा लाइन कहते हैं।

(2) किसी एक मौजे में जरूरत के लिहाज से एक से ज्यादा पेटा लाइनें भी डाली जावें। इसी तरह अगर जरूरत हो तो एक पेटा लाइन पर दूसरी पेटा लाइन दूसरी तरफ की सरहद से पहली लाइन पर राइट एंगल बनाते हुये भी सरहद तक डाली जा सकती है।

(3) किसी पेटा लाइन के मुकाम से सरहदी चांदे पर या दूसरी पेटा लाइन के किसी मुकाम तक मुख्बे की लेन डाल कर किश्तवार के लिहाज से छोटे या बड़े, जसी सूरत हो, टुकड़े बनाये जावें। इन टुकड़ों के चारों जिले बराबर न हों ग्रीर चारों कोने भी राइट एंगल में न हों तो भी पैमाइशो मुहाबरे में यह टुकड़े गुरब्बे ही कहलायेंगे।

(4) पेटा लाइन व मुख्बे की लाइने तिकालते वक्त किश्तवार पैमूद कर लिया जावे श्रीर कोने कटान वह दहाई पंजे वगैरह के निशानात मौके पर बना दिये जावें।

- (5) निरीक्षक हल्का मुरब्बावंदी की जांव कर किश्तवार की इजाजत देवें।
- (6) किसी मौजे में एक से ज्यादा शोटें हों, तो बरूए शोट मौके पर माजिन की लाइनें ग्रहतियात से कायम की जाकर मुख्बाबंदी की जाबे और किश्तवार व सरहद वगैरह का पैमाइश हस्ब कायदा की जावे।
- (7) मुरब्बे के ब्रान्दर हस्ब जरूरत शिकमी लाइने डालकर किश्तवार पैमाइश की जावे ।

27. मानचित्र में प्रयुक्त होने वाले संकेत :--

निरीक्षक हुल्का को चाहिए कि समय-समय पर भू-मापक के सबें कार्य को जांच

कर निरोक्षण पत्र में प्रावश्यक निर्वेश देते रहें। भू-मापक ग्राम के जिस क्षेत्र की पैमाइश पूर्ण कर लेवें निरीक्षक द्वारा शिस्त ग्रंदाजी कराकर शीट में प्लॉटिंग करता रहे। शीट में प्लॉट होने के पश्चात् निरीक्षक जांच सवें लाइन अवश्य डालकर ग्रंपनी जांच विस्तृत टिप्पणी निरीक्षण-पत्र में ग्रंकित करें। मानचित्र में भिन्न-भिन्न प्रकार के स्थलों को जैसे हुआं, ग्राम सस्ता, ग्रस्थाई रास्ता, पगडण्डी, रेल्वे लाइन, सड़क, नवी, पहाड़ दृश्यादि के क्यांने के लिए विधाग द्वारा निम्नांकित चिन्ह प्रचलित किये हैं। इन्हों चिन्हों को काम में लेना चाहिए। वर्तमान में प्रचलित चिन्ह परिशिष्ट 4 पर दिये गये हैं।

- 28. रास्तों व ब्राबादी को पैमाइश तथा शीट पर पुत्ता या खाम रास्ता कायम करने, ब्राबादी का इन्ब्राज करने हेतु निस्त हिदायतों को ध्यान में रखा जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे:—
 - (1) गैर-मुमकिन रास्ते:---
- (क) जहां कहीं भी गत बंदोबस्त के बाद अन्य नये गैर-मुमिकन सार्वजनिक रास्ते बन गये हैं और गांवों का जनता द्वारा उनका स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है वहां ऐसे रास्तों का स्पष्ट तौर पर सर्वेक्षण किया जाकर उनको गैर-मुमिकन रास्तों के रूप में कायम किया जावे तथा अलग खसरा नम्बर डाल कर सिवाय चक में दर्ज किया जावे।
- (ख) जहां कहीं नये गैर-मुमिकन सार्वजनिक रास्ते बन गये हों तथा पुराने सार्वजनिक-गैर मुमिकन रास्ते भी उसी प्रयोजनार्थ चालू हों, तो ऐसी दशा में दोनों रास्तों का सर्वेक्षण किया जावे तथा रेकार्ड लेखन किया जावे । किन्तु ऐसा करते समय यह देख लिया जावे कि रास्ते स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग में आ रहे हैं तथा कित्यय ग्रामवासियों ने कुछ कृषकों को महज तंग करने की गरज से ही व्यथं में नथा रास्ता कायम नहीं किया है ।
- (ग) जहां नये सार्वजनिक गैर-मुमिकन रास्ते कायम हो चुके हैं तथा ग्राम की जनता को इन रास्तों से पूरी सुविधा भी हो तथा पुराने रास्तों का प्रयोग बिलकुल समाप्त हो चुका हो यानी पुराने रास्तों को गांव को जनता प्रयोग में नहीं ले रही हो एवं उनके प्रयोग की ग्रावश्यकता भी न हो, वहां पुराने रास्तों का िंद से सबें अण करके कायम करने की ग्रावश्यकता नहीं है। उकत पुराने रास्ते की भूमि जितनी-जितनी जिस-जिस कृषक के खेत में मिल गई है, उसको उसी कृषक के खेत में मिली हुई शुमार की जाकर सर्वेक्षण व ग्रिमिलेखन कर लिया जाये।
- (घ) जहां किसी कृषक ने गैर मुमिकन रास्ते का कुछ साग अपनी खातेदारी के खेत में मिला लिया हो, किन्तु साथ ही साथ लगभग जतना ही रकबा सुविधा को दृष्टि से रास्ते के लिये रास्ते में लगता हुआ स्थाग दिया हो तो ऐसी सूरत में बाद जांच सहायक मृश्वक्य अधिकारी खातेदारी में शामिल किये गये रकबे की खातेदारी में ही शुमार करते हुँ सर्वेक्षण व अभिलेखन सम्पन्न कर सकते हैं। त्यागा हुआ रकबा गैर-मुमिकन रास्ते का भाग बनकर सिवाय चक भूमि हो जावेगा। किन्तु ऐसे मामलों में यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि खातेदार को तो सुविधा हो जावे किन्तु आम जनता को किसी तरह की असुविधा पैदा नहीं हो जाये। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुँ सहायक सू-प्रबन्ध अधिकारी बाद जांच व छानबीन उपर विणत प्रकार से अमल कर सकते हैं।
- (छ) मुख्य पुख्ता मार्ग से खेतों पर जाने के लिये मौके पर चालू पाये जाने बाले सभी रास्ते ग्रवश्य दिखाये जावें। पर ऐसे रास्ते श्रधिकतर खाम रास्ते होंगे जिनका झलग नम्बर नहीं पड़ेगा तथा कटी लाइन से दिखाया जाबेगा।

(च) मौसमी रास्तों के संबन्ध में पुरानी हिदायतों तथा राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सर्वेक्षण ग्रामिलेखन एवं भू-प्रबन्ध) (राजकोय) नियमों, 1957 के नियम 17 के प्राबधानों के ग्रनुसार कार्यवाही की जावे ।

(2) आबादी:

- (क) सर्वेक्षण के समय जहां कहीं भी यह पाया जाने कि किसा व्यक्ति ने कृषि भूमि पर, चाहे वह अकृषित अयवा सिवाय च ह अथवा खातेबारियां गैर खातेबारी किसी भी प्रक.र की हो, विना इजाजत यानि अनाधिकृत तौर पर मकान बना लिया अथवा श्रन्य किसी प्रकार से ग्राबादी करली है, तो उस ग्राबादी क्षेत्र को नापकर उसे अलग खसरा नम्बर दिया जावे । किन्तु भूमि वर्गीकरण पूर्व बंदोबस्त के अनुसार ही रखा जायेगा । स्राबादी भूमि वर्ग दर्ज नहीं किया जावेगा। खसरा के विशेष विवरण के खाने में दर्ज किया जावें कि यह ग्राबादो अनाधिकृत तीर पर बिना इजाजत बनाई गई है। ऐसा करने से भौके की स्थिति एवं कानूनी स्थिति दोनों ही स्पष्ट हो जावेगी। किन्तु इस विवरण में सुद्दत यानी श्रविध किसी सूरत में दर्ज नहीं की जावे। कुछ श्रमीनों एवं निरीक्षकों को यह प्रवृत्ति पाई गई है कि ऐसी अनाधिकृत आकारी को मृब्दत अववा श्रवधि जरूर दर्ज कर देंगे। जिससे कि श्रतिकमों को नाजायज फायदा उठाने में मदद मिल सके इस प्रवृत्ति को पूर तौर पर रोका जाना चाहिये । निरीक्षको एवं सहायक भू-प्रवन्ध अधि-कारियों को अच्छी तरह जांच करके देखना चाहिये कि अधोनस्य कर्मचारी ऐसी अनाधिकृत स्राबादी की मुद्दत दर्ज नहीं कर दें। हिदायत के खिलाफ स्रमल करने वाले के विरुद्ध श्रनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जानी चाहिये। इस प्रकार के समस्त मामलों की क्रमवार सूची पूर्ण विवरण सहित तैयार की जाकर सहायक भू-प्रवन्ध अधिकारी द्वारा संबन्धित तहसीलदार को सर्वेक्षण व रिकार्ड लेखन का कार्य समाप्त होते हो भिजवा देना चाहिये तथा प्रति जिलाधीश को भी भेज दो जाना चाहिय , ताकि नियमानुसार प्रामियम आदि की बसली की कार्यवाही उनके द्वारा की जा सके।
- (ख) जिन कृषि भूमियों में आबादी का निर्भाण सक्षम अधिकारी नी इजाजत से अधिकृत तौर पर किया गया है, उन मामलों में सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी निजी तौर पर जोच करके तथा कागजात की पड़ताल करके भूमि वर्गीकरण बदल कर आबादी दर्ज करदें। यदि ऐसी आबादी पूर्व में निर्मित आबादी से लगती बनाई गई है तो इस नव निर्माण को अलग खसरा नम्बर देने की जरूरत नहीं है। किन्तु यदि यह नव निर्माण दूरी पर स्थित है तो उत्पर (क) में वर्णित प्रकार से अलग खसरा नम्बर दिया जावेगा।

28. खसरा इन्द्राज वक्त पैमाइश :---

राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम, 1956 को धारा 112 के श्रन्तर्गत खसरा तथार करना जरूरी है। राजस्थान भू-राजस्य (सर्वे, रेकाड एवं सिंटलमेन्ट) (राजकीय) नियम, 1957 के नियम 19 के अन्तर्गत नियमों में दिये गये प्रयत्न तख्या 3 में यह अभिनेत्र तैयार किया जाता है। खसरा बंदोबस्त रेकार्ड में एक बुनियादी कागज है या यों कहें कि यह पत्न बंदोबस्त की नींव हैं। इस पत्नक से ही दूसरे सब अभिलेख तैयार होते हैं। इसलिये खसरे की खानापूरी बहुत सावधानी से करनी चाहिये। जांच करने वाले अफसरौं को भी सत्रकंतापूर्वक जांच करनी चाहिये।

खसरे में जो भी इन्द्राज किये जावें वे मीके के खिलाफ नहीं होने चाहिये याने सीटों में दिये गये सिलसिलेवार खसरा नम्बरों के अनुसार कृषकों के नाय, जिस व दीगर इन्द्राज भीके के अनुसार ही करना चाहिये। खसरा फार्म परिशिष्ट 4 में दिया गया है। किन्तु सक्षम अधिकारी को स्वीकृति के बिता गत राजस्व जमावंदी के विपरीत इन्द्राज नहीं होने चाहिये।

खसरे के खाना नम्बर 1, 6 8 9, 10, 11 से 15, 21, 22, 23, 24, α 25 की पूर्ति भू-मापक मौके पर पैमाइश के साथ ही करेगा। शेष खाना नम्बर 3, 4, 5 α 16 से 20 की पूर्ति भूमि वर्गीकरण के परचात् की जावेगी। खाना नं.2 को पूर्ति रकबा पास होने पर होगी। अतः जब तक रकबा पास न हो जिन्सों का क्षेत्रफल खाना नं. 11 से α 15 में पेन्सिल से ही बर्ज होगा।

30. खसरा लेखन-खसरा तैयारी करते समय ध्यान देने योग्य बातें:

जब गास की सर्वे शोटें तैयार होकर सीमा मिलान व नम्बर ग्रंदाजी से भी पूर्ण हो जावे तो मौके पर ही ग्रंसीन को बू-प्रभिलेखन की तैयारी का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिय। भू-प्रभिलेख कार्य में सर्वप्रथम खसरा लेखन का कार्य किया जाना होता है। ग्रंतएव ग्रावश्य-कतानुसार फार्मी से खसरे की जिल्दे तैयार की जानी चाहिये। हिदायत खानापुरी में फार्म नं.1 खसरे का फार्म है, जिसको भरने के लिये विस्तृत निर्देश नीचे दर्ज किये जाते हैं:---

- (1) खसरे के प्रत्येक सफे में 5 नम्बरों का ही इन्द्राज किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक जिल्द में 100 से ग्रधिक पृष्ठ नहीं होना चाहिये। पृष्ठ संख्या का प्रमाणीकरण सहायक भू-प्रवन्ध ग्रधिकारी से खसरा के शुरू में करवा लेना चाहिये।
- (2) खसरे के खाता नं. 1 में सिलिसले से नम्बर दर्ज करने चाहिये एवं प्रत्येक खेत का नाम, जो कृषक बतावें, लिखना चाहिये। इस प्रषत्न के खानों में पूर्ति हिदायत खानापूरी में दी गई हिदायतों के ब्रनुसार किया जाना चाहिये।
- (3) खसरे के खाना नं. 2 की पूर्ति प्रत्येक खेत का व मौ जे का क्षेत्रफल पास होने पर की जावे व जहां तक संभव हो लाल स्याही से ही रकबा दर्ज किया जावे।
- (4) भूमि वर्गीकरण हो जाने पर खाना नं 3, 4 एवं 5 की पूर्ति की जाने।
- (5) खाना नं. 6 में उस चाह का नम्बर या तालाब या नहर के नम्बर का हवाला विया जावे जिससे वह खेत सिचित होता है यानों कुआ होने पर चाह नम्बर और यिद भूमि नहरी हो तो नहर जिससे पानी आता है, का नम्बर लिखना चाहिये। यिद कोई खेत दूसरे गांव से सिचित होता है, तो उस ग्राम का नाम व खसरा नम्बर लिखना चाहिये। कभी-कभी कोई कृषक ग्रन्य कृषकों से मांग कर पानो पिलाता है तो यदि वक्त पैमाइश ऐसी स्थित मालूम पड़े तो इस खाने में मांग्या पानी लिखना चाहिये ताकि चाहत में ऐसे नम्बर को ग्रन्म से बताया जा सके।
- (6) खाना नं. 22 का इन्द्राज गत राजस्व जमाबंदी से करते समय खाना नं. 7 में जमाबंदी के खाते की संख्या दर्ज करदी जानी चाहिये। नये खाते या पर्धः खातौनी से इसका कोई संबंध नहीं है।

- (7) खाना नं.89, व 10 की पूर्ति गत भू-भाषन के खसरा नम्बर, क्षेत्रफल व किस्म जमीन से की जानी चाहिये। यदि गत खसारा नम्बर का कुछ भाग ही नये नम्बर में श्राया हो तो नम्बर के आगे "मिन" शब्द का प्रयोग करना चाहिये।
- (8) खाना नं. 11 से 15 में बनत पेमाइश मौजूदा बोई गई जिन्स सियालू व उन्हालू को दर्ज की जानी चाहिए व पीवल तथा बिना पीवल ग्रलग-अलग दर्ज करते हए यदि दो फसली रकबा है तो उसे भी खाना नं. 14 व 15 में दर्शाना चाहिए सियालू व उन्हालू की मुख्य-मुख्य जिन्सें निम्नांकित हैं:—-

सियाल 'खरीफ' — मोठ, मंग, ग्ररहर, तिल, मंगफलो, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, गन्ना, मिर्च, हल्दी, कपास, सन, ग्वार तम्बाक, चवला इत्यादि ।

उन्हालू 'रबी' — गेहूं, जौ, चना, गोजरा, ग्रफीम, गाजर, मेथी, रजका, मटर द दीगर सिब्जियां।

- (9) खाना नं. 16 से 20 की पूर्ति भूमि वर्गीकरण के समय पैमाइश के दूसरे वर्ष में उपरोक्तानुसार की जानी चाहिये।
- (10) खाना नं. 21 "मोक्ता" में राजस्थान सरकार शब्द लिखना चाहिये क्योंकि स्रब कृषक व सरकार के बीच में स्नन्य कोई श्रेणी नहीं रही है।
- (11) खाना नं. 22 "नाम कृषक (गत भू-माप) "में राजस्व विभाग द्वारा तस्वीक गुद। चालू चतुर्थवर्षीय जमाबंदी एवं तस्वीक गुदा नामान्तरकरणों के आधार पर कृषक खातेदार या गैर-खातेदार का नाम दर्ज करना चाहिये। भू-मापक को विशेष रूप से इस खाने की पूर्ति करते समय खाना नं. 8 के नम्बरों का ध्यान रखना चाहियें और यदि किन्हीं कारणों से इन खानों में दो या अधिक खातों की भूमि आती है तो ऐसा नहीं करना चाहिये यानी चालू जमाबंदी के खातों की अलग-अलग प्रविष्टि करनी चाहिये, चाहे ऐसा करने से नक्शो में बटा नम्बर ही बयों नहीं डालने पड़ जावें।
- (12) खाना नं. 23 "नाम (कृषक वर्तमान)" में उस व्यक्ति का नाम झावेगा जो वर्तमान में कातून सम्मत तरीके से मौके पर काश्त करता है। यदि खाना नं. 22 "गत भू-माप " के कृषक के विपरीत नाम झाता है, तो भू-मापक को चाहिये कि ऐसे मामले में वह विभाग द्वारा निर्देशित खसरा परिशोधन-पत्न में ऐसे इन्द्राजात को दर्ज करने व बाद विधिवत स्वीकृति, अफसरान उनके द्वारा दिये आदेश का अमल करें। स्मरण रहें कि खाना नं. 22 के खिलाफ खाना नं. 23 में कोई भी भिन्न इन्द्राज सक्षम अधिकारी को आजा के बिना नहीं किया जावे। इस मामले में गलती पाई जाने पर सखत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। खाना नं. 23 में अन्तिम जमाबंदी जो तहसील से प्राप्त हुंई है, उसमें श्रीकृत कृषक का नाम एवं विवरण दिया जावे। इसके अलावा तहसील से प्राप्त नामान्तरकरण, आवंदन व नियमन सूची/ पत्नाविलयों में दिये गये निर्देशों का भी समावेश कर इसी खाने में उन सबके द्वारा होने वाले संशोधन को झीकित किया जाना चाहिये।
- (13) खाना नं. 22 अू-प्रिजिल का एक महत्वपूर्ण खाना है जिसमें वर्तमान भू-मापन द्वारा किये गये कुषक का नाम, श्रेणी कृषक वर्ज किया जाना है। जहां तक कृषक की श्रेणी दर्ज करने का प्रश्न है ग्रद्ध केवल विशेषकर दो ही श्रेणियां

खातेदार प्रथवा गैर-खातेदार हैं। रह गई हैं। सभी खुदकारत-होल्डर राजस्यानं कारतकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार खातेदार कारतकार हो गये हैं। कृषक का कृषिकाल ग्रंकित करते समय यह जानकारी उससे ही पूछ लेना चाहिये। यदि कृषिकाल पुराना है तो केवल "कदोनों" गृद लिखा जाना चाहिये। भियाद नहीं खोलना चाहिये। इस खाने में खसरा परिशोधनों तथा मिसलों द्वारा किये गये सभी परिवर्तनों का समावेश आदिनांक किया जाना चाहिये हिदायत खानापूरी में दिये गये निम्न निर्देशों की अनुपालना अवस्य की जानी चाहिये:

- (1) काश्तकार एक से अधिक हो तो उनके हिस्से बटों से दिये जाषें।
- (2) खेत रहन हो तो कृषक के आगे राहिन तथा उसके बाद मूं तहिन का नाम दर्ज किया जावे। विशेष विवरण के खाने में रकम व तारीख रहन भी दर्ज की जावे। ऐसी नई प्रविष्टि रिजस्टर्ड अक्षिलेख के आधार पर ही होनी चाहिये।
- (3) जो खसरा नम्बर किसी के अधिकार में नहीं हो, उसे बिला नाम सिवाय स्वक दर्ज किया जावे।
- (4) मन्बिर के नाम माफी की जमीन का इन्द्राज आगे दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाये।
- (5) शामलात वेह भूमि अब नहीं रही यानी यह अब चरागाह भोषित कर दी गई है अथवा सिवाब चक एवं तवनुसार शामलात देह इन्द्राज नहीं किया जाकर सिवाय खक / चरागाह इन्द्राज किया जावे।
- (6) राजस्थान काशतकारो श्रीधिनियन को धारा 16 तथा हिदायत खानापूरी के पृष्ठ 15- पर बीणत भूमियों में खातेवारी श्रीधकार नहीं श्रीजत होते । इन भूमियों पर श्रीतक्रमण होकर यदि किसी व्यवित हारा श्रीतक्रमण कर लिया गया है श्रीर श्रीतक्रमण क्षेत्र के लिये नया खसरा तस्वर हे भी दिया गया है तथा इस खाने में प्रारम्भिक इन्हाज खाना न. 22 ही दुहुराया जाने तथा विशेष विवरण के खाने में श्रीतक्रमी का नाम व पूर्ण विवरण इन्हाज पेन्सिली किया जावे तथा श्रन्त में ऐसे श्रीतक्रमणकारियों की सूची बनाई जाकर जिलाधीश तहसीलदार को वास्ते श्रीम कार्यवाही भेज हो जाने । पेन्सिली प्रविष्टि स्पाही से पुढता न की जावे और पेन्सिली इन्हाज की किसी भी हालत में नकल न दी जावे ।

खाना नं. 24 में उन्हीं उप - कृषकों का नाम लिखा जावे जो तहसील में बनाई गई उप-कृषकों की पंजिका में तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किये द्वये हैं। इसके मलावा मन्य किसी व्यक्ति का तब तक इन्द्राज नही किया जावे जब तक ऐसा करने की ग्राज्ञा कोई सक्षम म्राधिकारी न दे देवे ।

- 14. खाना नं. 25 "विशेष विवरण" में निम्त बातें लिखी जानी वाहिये ।
 - (क) सड़क, रेल व रास्तों के संबंध में कि किस ग्राम से किस ग्राम को जाते हैं।

- (ख) बिना इजाजत अवैध आबादी बताने पर खाना नं. 25 में अवैध आबादी लिखना चाहिये। किन्तु किस्म जमीन पूर्ववत ही रखा जाना चाहिये ताकि पेनल्टो फलावट की जा सके।
- (ग) चाह होने पर चाह के पक्के कच्चे होने, गहराई पानी की, पानी से धरा-तल तक का नाप, चौड़ाई चाह, लाब तामीर का सम्बत्, लाबत, मुख्य चाह ग्रन्य साधन सिचाई ग्राबि का विवरण देना चाहिये।
- (घ) ब्राबादी, मन्दिर, मस्जिद, इमशान या कब्रिस्तान होने पर उसका विवरण।

विशेष विवरण के खाने में हिदायत खानापूरी के अनुसार इन्द्राजात अवश्य किये जानें चाहिये। विशेषकर मिचाई के साधनों, अवस्थाओं एवं तामीर की साल, वृक्षों की कैफियत, आवादी की कैफियत, मन्दिर, मन्त्रिर की कैफियत श्राटि।

नोट-(क) खसरे की पूर्ति होने पर भू-नापक, निरोक्षक व सहायक भू-प्रयन्ध प्रधिकारी खसरे के प्रत्येक पृष्ठ पर बाद चैकिंग अपने हस्ताक्षर करेंग।

- (ख) खसरे प्रथक के पृष्ठ पर यह नोटिस आवश्यक रूप से दर्ज होता चाहिये कि खसरे के खाना नं. 22 गन भू-माप के कृषक का इन्द्राज चालू जमाबंदी सम्बत्—से सम्बत्—के व तस्वीकशुदा नामान्तरकरणों के आधार पर किया गया है इस नोट पर भूमापक व निरीक्षक के साफ-साफ हस्ताक्षर मय दिनांक होने चाहिये।
- (ग) खसरे के खाना नं. 22 की प्रविष्ठियों के संबन्ध में निरीक्षक की गृहराई से जांच करना चाहिये। यदि जांच के बाद भी गलती रह जाना पाई तो निरोक्षक के खिनाफ सख्त श्रनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- (घ) जनरे को समाध्य पर प्राप्त के पूर्ण रकवें का गोसवारा लगाया जाना चाहिये।

श्रावश्यक नोट बाबत खानापूरी जिन्स

- एक हो खेत में वो जिन्स शामित बोई गई हो तो उसमें जो जिन्स लगभग 25 प्रतिशत से कम है वह दर्ज नहीं की जाकर दूसरी जिन्स ही दर्ज की जावे। 25 प्रतिशत से ज्यादा होने पर प्रत्यत्त से रकबा ग्रलग-प्रलग दोनों जिन्सों का दर्ज किया जाने जैसे, गोंजू, बेझड़ वगैरह।
- 2. जड़ां जितो खेत में कितो जिन्त के साथ ग्रालहदा अलहदा वहुत मामूली रकबे भें कोई इतरो चीज बोई गई हो तो खरीफ रकबे की जिन्स को बड़ी तादाद की जिन्स में हो शुनार की जावे। सिर्फ सब्जी व गन्ना ग्रालग दर्ज की जावे।
- 3. चंद खेतों में तीयरी फसल चरी. चीणा, ज्वार वर्गरह की बोई जाती है उसकी जिन्स के खाने में सबसे नीचे सुर्खी से दर्ज की जावे।

- 4. जो जिन्स सम्बत् हाल में बोई जाबे लेकिन ग्रायन्दा सम्बत् में पके उसे यहां दर्ज न की जाकर खाना कैंकियत में भय रकबे के पेन्सिली दर्ज की जावे। मसलन सांठा फलां साल के लिये।
- 5. ग्रगर कोई जिन्स बोने के बाद पैदा नहीं हो तो नाम व रकबा लिख रकबे पर सुर्खी से घेरा लगाया जावे श्रीर पैदाबार के खाने में "नाबूद" लफ्ज लिखा जाबें मसलन मक्की 0000 एयर नाबूद।
- 6. बीड जदीद पड़त का रकबा भी जिन्स के खाने में दर्ज किया जावे ताकि हर एक खेत का मुमकिन रकबा दर्ज हो जावे। तीन साल तक की पड़त भूमि की "पड़त जदीद" 4 से 6 वर्ष तक की पड़त भूमि को "पड़त कदीम" व सातवें वर्ष में उसको बंजड़ दर्ज किया जावे।
- 7. विशेष- इन्द्राज वक्त पैमाइशं पुख्ता किया जाय। बकाया खाने बाली रखे जावें। खसरे का इन्द्राज साफ और खुशखत में होना चाहिये क्योंकि इसी ख सरे में तस्बीक के मुताल्लिक कुळ इन्द्राज किया जावेगा।

३०. नक्शा उपज-पैदावार :

लगान निकालने के लियं पैदावार का सही हाल मालूम होना जरूरी है इसलिये वक्त पैमाइश व भूमि वर्गीकरण जो जिन्स पकी हुई मिले उन्हें कटाई जावे। प्रथम संबन्धित सहायक भू-प्रबन्ध ग्रिथकारी गांव में फिर कर खेत निर्धारित कर देवे कि जिन्सें किन खेत में कटाई जावे। खेतों को निर्धारित करते समय जहां तक हो सके भूमि वर्गीकरण के श्रनुसार श्रीसत दर्जे के खेत तजवीज किये जावें। फसल कटाई प्रयोग करने का कर्तव्य निरीक्षक का है। ग्रतः निरीक्षक ध्यान रखकर ग्रिधकारी को मौके पर ले जाकर हर फसल के समय खेत तय करवा कर लिखित श्रादेश प्रान्त करतें। निरीक्षक खुद जिन्स ग्रपने सामने व शामलात मुखियान देह कटवाकर जिन्स सुखने पर तुलवा लेवें। कटी हुई जिन्स को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करें। तील हो जाने के बाद जिन्स मालिक खेत को लौटादी जावे।

जिन्स की खेत एक एयर से श्रधिक नहीं कटवाई जावे। जिन्स कटवाने में यह ख्याल रखा जावे कि सब खेत एक ही चक में हो। पहले जरीब से ठीक रकवा नापकर बाद में फसल कटावें। कुल कार्यवाही नक्शा उपज फार्म नं 11 में निस्न प्रकार दर्ज की जावे।

खाना नं. 1 नम्बर सिर्जासना दर्ज किया जावे।

खाता नं. 2 खसरा नम्बर व खेत का नाम दर्ज किया जावे जिसमें से जिन्स कटवाई गई हो ।

ह्याना नं. 3 जिस नम्बर में से जिन्स कटवाई गई उसका भूमि वर्गीकरण दर्ज किया जावे।

खाना नं. 4 जो जिन्स कटवाई गई उसका नाम दर्ज किया जावे।

- खाना नं. 5 जितने क्षेत्रफल में जिन्त कटवाई गई वह क्षेत्रफल दर्ज किया जावे ।
- खाना मं. 6 कटाई रुई जिल्ल की पंडाबार दूरो सुखने पर तीत्र कर वजन कि ली पाम तील से वर्ज किया जावे।
- खाना नं. 7 पैदाबार प्रति हैक्टर वें फैलावट की जाकर इस खाने में वर्ष की जाबे या तील किलीशाम लिखा जावे।
- खाना नं 8 पैदावार एकड़ में फैलाबट की जाकर इस खाने में दर्ज की जावे तील किलोबाम में लिखा जावे।

खाना नं 9 खेत की खाद दिया गया हो तो इन्हाज किया जाने या कोई विशेष बात हो तो इस खाने में दर्ज की जाने । इसकी पेशानी इस प्रकार है-

> फार्म नं. 11 पुष्ठ संख्या----

नक्शा उपज

ग्राल			तहसील		जिला		- सम्बत्	
क. सं.	नाम खेत मय खसरा नम्बर	बर्गीकरण रा	जिन्स क्षेत्रफल	तोल उपज	ग्रीसत उपज		विशेव	
					प्रतिबीघा	प्रतिबीघा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

31. रकवा बरारी :

भूमाप करने के बाद सीटें बाद जांच निरीक्षक द्वारा पुरता करवी जाती है धौर मोके के धनुसार उनमें नम्बर अंदाजी भी करदी जाती है। श्रव सीटों से खेतों व अन्य भूखंड़ों का रकवा निकाला जाता है। यह कार्य तीन प्रकार से निकाला जाता है।

 कंघी प्रकार द्वारा 2. जीमेंड़ा द्वारा 3. मैन्यूरेशन द्वारा या क्षेत्रमाय गणित द्वारा ।

वर्तमान में जू-प्रबन्ध विभाग में खेतों का रकबा कंघी, परकार की सहायता से ही निकालने की परिपादी प्रचलित है। क्षेत्रफल निकालने में निम्म प्रवक्त तैयार होते हैं।

1. क्षेत्रफल प्रथम-पन्न (प्रपन्न नं. 12):-इस पन्न में सारे ग्राम के खेतों का सिलसिला-धार रकवा निकाल कर क्षेत्रफल के खाना (2 व 3) में दर्ज करना चाहिये ।

- 2. क्षेत्रफल द्वितीय पत्र (प्रपत्न नं. 19):-इस पत्न में भी सारे ग्राम के खेतों का सिलिसिलै से रक्बा निकाला जाकर दर्ज किया जाता है। ध्यान रहे जिस अमीन ने प्रथम पत्न तैयार किया है वह द्वितीय पत्न नहीं बनावेगा। प्रथम पत्न निरीक्षक अपने पास रखेगा।
- 3. क्षेत्रफल तुटिफल (बदर) (प्रपत्र नं. 20):-इस पत्र में उन खेतों का ही क्षेत्रफल निकालना है जो प्रथम पत्र व द्वितीय पत्र तैयार हो जाने पर ग्रापस में मिलान नहीं खातें हैं। यह पत्र तीसरा ग्रमीन बनायेगा व तब तक प्रथम व द्वितीय पत्र निरीक्षक ग्रपने पास रखेगा।
- 4. क्षेत्रफल तृटिफल (सदर) (प्रपत नं. 21): —इस पत्र में उन खेतों का ही क्षेत्रफल निकलेगा जिन्हें प्रथम, द्वितीय तृटिफल (बदर) में से मिलान करने पर रकबा नहीं टकराता हो। यह पत्र किसी होशियार भू-भापक से ही बनवाना चाहिये व यह पत्र बन जाने पर प्रथम पत्र के मध्य (मीन) के खानों (4 व 5) की पूर्ति करनी चाहिये।
- 5. क्षेत्रफल प्लानीमीटर (प्रथम) (प्रपत्न नं 22):--पूर्ण ग्राम का रकबा प्लानीमीटर यंत्र की सहायता से खण्डों में विभवत करते हुये यह पत्र तैयार करना चाहिये एवं सम्पूर्ण ग्राम का रकबा दर्शाना चाहिये।
- 6. क्षेत्रफल प्लानीमीटर (द्वितीय) (प्रयत्न नं. 22):—प्रथम पत्न प्लानीमीटर की तरह ही किसी दूसरे भूमापक से यह पत्र बनवाना चाहिये।
- 7. फार्म आफसेट (प्रपन्न नं. 26):—ट्रावर्स के ग्रामों में कम्प्यूट करते समय ट्रावर्स के चांदों के दरम्यानी रकबे को यू. टी. मान कर क्षेत्रफल निकाल दिया जाता है। अब यदि ग्राम की सीमा इस ट्रावर्स लाइन से अन्दर या बाहर है तो उसे फार्म ग्राफसेट में प्लस या माइनस बताते हुये क्षेत्रफल निकालना चाहिये व कुल ग्राम का रकबा दर्ज करना चाहिये।
- 8. योग दहाई व पन्द्रहवी (प्रपत्न नं. 24 व 25):—इन प्रपत्नों में प्रथम पत्र के मध्य मीन के खेतों के क्षेत्रफल का दहाई का व पन्द्रहंबी का यौग लिखकर कुल ग्राम का क्षेत्रफल टकराया जाता है।
- 9. सूची क्षेत्रफल (प्रपत्न नं. 17):— उपरोक्त सभी पत्न बन जाने पर इन पत्न की पूर्ति की जाता है एवं क्षेत्रफल जो पास किया जाना है उसका निर्धारण किया जाता है। एक प्रतिशत की कभी बेशी पर रक्जा स्वीकार कर दिया जाता है। अगर एक प्रतिशत से अधिक या कम है तो सारी रक्वा बरारी प्रथम पत्न से पुनः कराई जानी चाहिये। बड़े ग्रामों में एक प्रतिशत से भी कम का अन्तर रहना चाहिये।
- 10. क्षेत्रफल या निर्णयात्मक पत्न (प्रपत्न नं. 16):—इस पत्न में सूची क्षेत्रफल में पास किये गये क्षेत्रफल की स्वीकृति वो जाती है तथा उन कारणों का विवरण दिया जाता है जिनके स्राधार पर रकवे की कमी वेशी हुई है। इस पत्न पर सू-प्रबन्ध अधिकारी की स्वीकृति स्रावश्यक है।

ग्रावश्यक नोट:-

 क्षेत्रफल के प्रत्येक फार्म पर भू-मापक व निरीक्षक के हस्ताक्षर ग्रावश्यक है व सूची क्षेत्रफल व निर्णयात्मक पत्र पर सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी व भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी के हस्ताक्षर होना जरूरी है ।

- रकता हमेशा बेशी की तरफ पास होगा। लेकिन बेशी का इत्मिनान पूरी तौर पर हो जाना चाहिये।
- रकचा बरारी की नजरी जांच एक दफा अवश्य निरीक्षक व भूमापक दोनों करलें।
- 4. जिन क्षेत्रों में खेत बहुत छोटे होने के कारण दुगने पैमाने पर प्लाट किया हुआ हो, उनमें रकवा निकालते समय प्रत्येक खेत के रकवे का आधा रकवा ही दर्ज करना चाहिये।
- 11. रकबा पास होकर अधिकारियों का निर्णयात्मक आदेश हो जाने के उपरांत अस्येक खसरा नम्बर का रकबा खसरा के खाना नं. 2 में बर्ज कर देना चाहिये। इसी के अनुसार जिन्सों में खाना नम्बर 12 से 15 में भी रकबा के इन्द्राज कर दिये जानें।
- 32. यदि खसरा लेखन होने के पश्चात् रकवा बरारी का कार्य कार्यांक्य में कराया जाना है तथा नया फील्ड सीजन शुरु करना हो तो रकवा बरारी पार्टी के लिये शिट तथा खसरा परिशोधन पत्र इत्यादि श्रीमलेख सू-मापकों से सहायक भू-प्रबन्ध ग्रिधकारी पार्टी के मुख्यावास अथवा भू-प्रबन्ध ग्रिधकारी पार्टी के मुख्यावास अथवा भू-प्रबन्ध ग्रिधकारी पार्टी के मुख्य अभिलेखागार में जमा करवाया जावेगा जहां से रकवा बरारी पार्टी को बांछित रेकार्ड उपलब्ध कराया जायेगा । बाद रकवा पारिंग रेकार्ड फिर ग्रिभिलेखागार में ग्रा जायेगा ।
- 33. शीट पुख्तगी व सरहद मिलान के पश्चात् शीट अभिलेखागार में जमा करादी जावेगी । ग्रावश्यकतानुसार ग्रावेश से निकाली जावेगी । ज्योंही वांछित कार्य पूर्ण हो, त्योंही वापस ग्रभिलेखागार में जमा करादी जावेगी ।

मानचित्र राखा का कार्य

दल की मार्नाचल शाखा मुख्यतः निम्न कार्य करेगी--

- 1. शीटों के हैंडिंग व पेशानी लिखना व सरहदी गांवों के नाम लिखना।
- 2. चकतराशी ट्रेस तैयार करना व शीटों से मिलान करना।
- 3. चकतराशी के बाद हाल सर्वे शीटों में तरमीम उठाता ।
- 4. सफाई ट्रेस तैयार करना व मिलान करना।
- 5. लहा ट्रेस तैवार करना व मिनान करना।
- 6. मुजिमिलियां तैयार करना व नई पेवाइश के हिसाब से मीट्रिक प्राप से गांवों की जमा कर नई मुजिमिली बनाना ।
- 7. पेन्टोग्राफ का कार्य।
- 8. दोगर नवशे बनाना व नकूलात तैयार करना ।

अध्याय 4

भू-मनिलेख कार्य -- कार्य प्रभाली व अधिकार

1. ग्रधिकार लेल एवं कर्लब्य :

मूमि-ध्यवस्था एवं प्रशासन राज्य सरकारों का अपरिहायं एवं महस्वपूर्ण उत्तरवायित्व है। इस व्यवस्था का स्वरूप एवं प्रकार विशिन्न प्रकार से संधारित भूमियों पर संबन्धित व्यक्तियों के अधिकार एवं वायित्वों से जुड़ा होने के कारण एक जिंदल कार्य है। भूमि सुधारों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह भी रहा है कि जहां तक संभव ही अधिकार-अभिलेख विधि विधान सम्मत होने के साथ-साथ सरल एवं बोधमम्य हों तथा जन साधारण को प्रामीण स्तर पर ही उपलब्ध हो सके जिससे कि समस्त भूमि धारकों एवं जोत स्वामियों को उनके अधिकार एवं वायित्व सुनिश्चित होकर सुरक्षा प्रवान कर सके तथा साथ ही साथ सरकार को भी भू-राजस्व एवं अन्य करों को वयूली बुटि-रहित पद्धति से सुनिश्चित एवं पुरिक्षित हो सके। अधिकार अभिलेखन एक ऐतिहासिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जिसका भूल उद्देश्य वास्तिविक कृषक का स्वामित्व अधिकार अभिलेखन में स्वप्टतः परिलक्षित करना है।

राजस्थान भू राजस्व श्रधिनियम 1956 की धारा 88, 89 एवं 90 के प्रावधानों के म्रान्तगंत सभी प्रकार की कृषि भूषि तथा निर्धां, नालों, पहाड़ों, नहरों, खानों, यातायात मार्गों, सावंजिनक उपभोग की सभी प्रकार की भूषि का स्वामित्व राज्य सरकार में सिन्निहित है तथा ग्रकृषि कार्य में झाने वाली सभी भूषि का स्वामी जिनका कि कोई अन्य स्वामी नहीं हो, राज्य सरकार ही है तथा सभी प्रकार की कृषि प्रकृषि भूषि पर भू-राजस्व, उपकर एवं प्रीमियम आदि संदेय है अतएव राजस्थान राज्य में अधिकार अधिलेखन उनका संधारण एवं ग्रादिनांक नथीनीकरण किये जाने की व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्था है।

भू-प्रबन्ध विजाग का कार्य भू-सर्वेक्षण के साथ प्रधिकार ग्रम्लिखन का निर्माण एवं पुनर्सर्वेक्षण किये जाने पर पुनर्तिर्माण करना है सर्वेक्षण/ पुनर्सर्वेक्षण का उद्देश्य भूमि पर भौके की सुरत का प्रतिविक्ष्य नक्षों में रेखांकनों द्वारा जिन्ह बनाकर करना है । स्पष्टतया इस प्रक्रिया में सूथि के प्राकृतिक रूप के साथ विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाई प्रमित्त का तब्दत स्वरूप ग्रा जाता है जिस प्रकार कि वह संधारित है। ग्रतएव ग्रधिकार प्रमित्तेष्ठ में भी उन सभी प्रकार एवं स्वरूगों के बारे में त्रव्यात्वक ग्रादिनांक नवीनीकरण प्रकार का विरोधाभाव नहीं हो। ग्रतएवं उपरोक्त उद्देशों की प्राप्ति के लिये भू-प्रवन्ध एवं व्यवस्था में निक्त 5 प्रक्रियायें कलानुसार एवं उत्तरोत्तर अवगई जाती है।

- भू-प्रबन्त/ अधिकार अनिलेख संशोधन कार्य के अन्तर्गत आई तहसील/ प्राप्त के समस्त सूचि का सर्वेक्षण/पुनसंवेक्षण सीका मिलान, क्षेत्रफल निर्धारण एवं मानचित्र का निर्माण आदि कार्य जिसका विदरण अध्याय 3 में विया जा चुका है।
- 2. उपरोक्त सनस्त भूमि के जू-प्रिमिलेखों एवं रजिस्टरों का निज्ञीन, प्रविद्धियाँ का आदिनांक संशोधन, परिवर्धन, जिलीपन एवं नवीबीकरण ।

उपरोक्त निर्मित मानचित्रों, भू-ग्राधिलेखों एवं रिजल्टरों का भविष्य में प्रादिनांक संधारण एवं ग्रालेखन ।

- 3. आवासीय भूमि का सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण, मानचित्र तथा अभिलेखों का निर्माण एवं संघारण ।
 - 4. समस्त भूमि पर जो भू कर देय हो, भू-राजस्य का निर्धारण/पुननिर्धारण।

उपरोक्त प्रथम तीन कार्य राजस्थान भू-राजस्व ग्रिधिनियम के ग्रव्याय 7, चौथा कार्य ग्रध्याय 7-ए श्रीर पांचवा कार्य श्रव्याय 8 के प्रावधानों के श्रन्तगंत किया जाता है। ग्रिधिकार श्रिक्तिखों का निर्माण उक्त श्रिधिनियम के श्रनावा निम्न श्रिधिनियम, नियम तथा श्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाता है:—

- 1. राजस्थान काश्तकारी आधिनियम, 1955
- 2. राजस्थान भू-राजस्य (सर्वेक्षण, भू-प्रभिलेख एवं भू-प्रबन्ध) (सरकारी) नियम 1957
- 3. राजस्थान भू-राजस्व (भू-प्रबन्ध कार्य) (राजस्व मंडल) नियम, 1957
- राजस्थान भू-राजस्व (भू-ग्रामिलेख) नियम, 1957
- 5. राजस्व न्यायालय मैनुग्रल भाग 1 व 2, 1956
- 6. राजस्थान कारतकारी (सरकारी) नियम, 1957
- 7. राजस्थान कायतकारी (राजस्व मंडल) नियम, 1957
- 8. हिदायत खानापूरी भू-प्रबन्ध विभाग ।

इसके अलाव। राज्य लरकार, राजस्व मण्डल एवं भू-प्रबन्ध प्रायुक्त भी समय-समय घर प्रावेश, परिपद्ध (Circular) तथा रेग्यूलेशन जारी करते रहे है तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों से संबन्धित नियम बनावे गये हैं। अधिकार अभिलेखन की प्रक्रिया के अन्तर्गत उपरोक्त सभी प्राराजों का नाजन करते हुने अभिनेख लेखवह किये जाते हैं।

2. भू-मिलिख में जिलादों के निपटारे का अधिकार :

राजस्थान भू-राजस्थ अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अन्तर्गत भू-प्रक्रिलेख अधिकारी एवं सहायक क् अभिलेख अधिकारियों को सभी विवादों का जो कृषक की भेगी से अथवा कृषक के अभि धारणाधिकार अथवा भूमि धारण करने की अविधि से संबन्धित हो, का निपटारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विये गये सिद्धान्तों के अनुसार करना होता है। विवादों के निपटारे में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में विषत अथवा निर्धारित अश्विया को ही अपनाना आवश्यक है न कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विगत अभिया को। इसका ताल्पर्य यह हुआ कि कृषक की श्रेणी अथवा भूमिधारण करने के अधिकार अथवा स्थित अथवा

प्रविध से संबन्धी मामलों के निपटारे में संक्षिप्त जांच की प्रिक्ष्या प्रप्रवाई जायेगी, दावों को सुनवाई के लिये निर्धारित प्रिक्रिया नहीं प्रप्रवाई जायेगी। देय लगान से संबन्धित विवादों में निपटारे का ग्राधार पूर्व वर्ष में काबिल देय लगान होगा। इस प्रकार विदित होगा कि विरासत, बल्गीश, बेनान, रहन विनियम, विभाजन, खातेवारी प्रथवा गैर खातेदारी श्रधिकारों की पृविष्ठि, उपकृषक होने की पृविष्ठि इत्यादि के संबन्ध में काश्तकारी श्रधिनियम में उपलब्ध तत्संबन्धी प्रावधानों के मूल सिद्धानों के ग्रनुसार कार्यवाही होगी। भू-श्रक्षिलेख श्रधिकारी/सहायक भू-श्रक्षिलेख श्रधिकारियों के राजस्थान भू-राजस्व ग्रधिनियम 1956 की धारा 106 से 130 तक में विणत श्रधिकार ही भू-प्रबन्ध श्रधिकारों/सहायक भू प्रवन्ध ग्रधिकारों को प्रयत्त किये गये हैं। नामान्तरकरण खोल कर तस्दीक करने का ग्रधिकार इस ग्रधिनियम की धारा 133 एवं इससे ग्रागे की धाराशों में दिया गया है जिसका ग्रधिकार इस विभाग के ग्रधिकारियों को प्राप्त नहीं है ग्रतः भू-प्रबन्ध श्रधिकारो/सहायक भू-प्रवन्ध ग्रधिकारी परिशोधन तस्वीक ग्रयवा विवादों के निपटारों की भी कार्यवाहियां करते हैं वे राजस्थान काश्तकारी ग्रधिनियम 1955 में विणत तत्संबन्धी प्रावधानों में प्रतिपादित सिब्धान्तों को कार्य में लेते हुये करते हैं।

3. खसरा लेखनः

खसर। लेखन मौके पर ही किया जाने का कार्य है। इस संबन्ध में विस्तृत हिदायत अध्याय 3 में ग्रंकित की जा चुकी है।

4. भू-प्रभिलेखन का प्रधिकारः

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 106, 107 एवं 108 के अन्तर्गत गजट में विज्ञिष्त प्रसारित हो जाने के उपरान्त भू-अभिलेखन की शिक्तयां भू-अबन्ध विभाग को प्राप्त हो जाती है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अमुक क्षेत्र अधवा तहसील में सब कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 2 माह के अन्दर समस्त पैन्डिंग नामान्तरकरणों का निण्टारा पटवारियों को पंचायतों से अथवा तहसील से, जैसा भी हो, करवा देना चाहिये और इसके बाद पटवारियों को कोई नामान्तरकरणों नहीं खोलना चाहिये और सारे परिवर्तन अब खसरा परिशोधन पत्र के माध्यम से ही होंगे। इस संबन्ध में निष्निलिखित हिदायतों का पालन किया जाना चाहिये।

- 1. सामान्यतः सर्वे समाप्त होकर खसरा लेखन होने के पश्चात ही परिशोधन पत्न भरे जाने चाहिये किन्तु कई मीजे इतने बड़ हैं कि उनको पैमाइश ग्रीर खसरा लेखन में कई-कई महीनें लग जातें है इसी बीच में उन गांवों के ग्रनेक छुषकों का काम एक जाता है। सही अर्थों में खाता तबवील हुये बिना अथवा संयुक्त खातों का विभाजन होकर ग्रलग-अलग खाता कायम किये बिना इच्छुक छुषकों को बिजली का कनेवशन अथवा छुषि विकाद के ऋण मिलना मुश्किल हो सकता है। इसालये परिस्थितियों के अनुसार ऐसे मामलों में सर्वे समाप्त होने से पहले भी गत खसरा नम्बरों से परिशोधन बल भर कर तस्वीक किये जा सकते हैं। किन्तु ऐसे मामलों की मौजेवार मूची कू अवन्ध अधिकारी को प्रेषित करके उनकी अनुसात प्राप्त करलों जानी चाहिये और तबनुसार खसरा परिशोधन की तस्वीक की कार्यवाही की जानी चाहिये।
- 2. खसरा लेखन की कार्यवाही मौके पर समाप्त करने के परचात् भू-मापक को खेतों की गरत गिरवावरी करके खसरे में फसल की स्रोर सिचाई के साधनों की पुविष्ठि करना चाहिये कब्जा कारत के संबंध में जो भी परिवर्तन भू-मापक के ध्यान में स्रावे उन्हें पेन्सिली नोट करके संबन्धित कृषकों को बुलाकर उनसे पूछताछ करके स्रावश्यकतानुसार खसरा परिशोधन पत

खीलकर तस्दीक करवा लेना चाहिये श्रीर तदनुसार खसरा में श्रमलदरामंद भी कर दैना चाहिये। चूँकि सर्वे कार्य अवतूबर अथवा नवस्वर के महीने से शुरु होता है इसलिये पहली गरत गिरदावरी फसल रवी की होगी। दूसरी बार मौका गरत करने का समय खरीफ की फसल के समय आयेगा।

- 3. जिन गांवों की पैमाइश समाप्त होकर खसरा लेखन हो चुका है श्रीर एक बार मौका गश्त हो चुकी है उन गांवों के लिये दूसरी फसल पर यानी फसल खरीफ पर मौका गश्त करने का प्रोग्राम प्रत्येक भू-प्रबन्ध पार्टी के लिये समय से पूर्व निर्धारित करके प्रकाशित कर देना चाहिये जिसमें भूमापकों के नाम लिखते हुये स्पष्ट निर्देश श्रीकत किये जाने चाहिये कि श्रमुक श्रमुक भूमापक श्रमुक श्रमुक समय में श्रमुक श्रमुक गांव की मौका गश्त फसल खरीफ करेगा और मौके पर पाये गये परिवर्तनों का पेन्सिली नोट लिखकर खसरा परिशोधन भर कर तस्वीक करायेगा। इस मामले में विशेष सतर्कता बरतने की बात है श्रन्यया मौका गश्त का समय निकल जायेगा श्रीर न तो गिरदावरी हो जायेगी श्रीर न परिवर्तनों की खोजवीन होकर परिशोधन तस्वीक हो सकेगा।
- 4. भू-प्रबन्ध विभाग को दो साल तक यानी 4 फसलों का मौका गश्त करवाना जरूरी है। इसलिये ध्रगले वर्ष के लिये भी फसल रबी ध्रौर खरीफ के लिये भी उपरोक्त अकार से ही मौका गश्त का प्रोग्राम पहले से ही तैयार करके भूमापकवार और मौजेवार शाया करके यह कार्यवाही समय पर सम्पन्त करवाई जानी चाहिये। इस तरह मौका गश्त के दौरान ही भूमापक को चार बार प्रत्येक मौके में घूमकर परिशोधन पत्न भर-कर तस्दीक करने का अवसर मिल जायेगा।
- 5. इसके श्रलावा नक्शा चाहात तैयार करने के सिलसीले में श्रथवा चाहात तैयार होने के बाद मौके पर चकतराशी करने के सिलसिले में भूमापक को निरीक्षक के हमराह गांव में जाने का फिर मौका मिलता है। स्मरण रहें, चकतराशी भी खेत खेत पर घूम कर की जाती है। इसलिये इस श्रवसर पर भी जितने परिवर्तन पाये जावें उनके लिये फिर श्राव- १५कतानुसार खसरा परिशोधन भर कर परिवर्तन तस्दीक करा लिये जानें चाहिये।

उपरोक्त स्रवसरों के श्रलावा भी जब कभी किसी वजह से कुषकों को परिशोधन पक्ष भरवाना हो तो वे इसके लिये प्रार्थना-पत्न प्रस्तुत कर सकने हैं प्रार्थना पत्न पर सक्षम स्रिधिकारी का स्रादेश प्राप्त करने के पश्चात् खसरा परशोधन पत्न भरे जा सकते हैं और अधिकारी द्वारा सुविधानुसार गांव के दौरे के समय ऐसे खसरा परिशोधन पत्न तस्दीक किये जा सकते हैं।

सामान्यतः खसरा परिशोधन पत्न भरने के लिये कुषकों को प्रार्थना पत्न देने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु किर भी यदि कुषकगंण प्रार्थना-पत्न देते हैं तो भूमापक को ऐसे प्रार्थना-पत्नों को लेकर एक रिजस्टर में उन्हें दर्ज करना चाहिये और यदि अधिकारी का दौरा उस गांव में निकट भविष्य में हो तो उन पर आदेश करवा लेना चाहिये अन्यथा यदि कानूनी हो और नियमित हो तो परिशोधन पत्न भर कर तैयार कर लेना चाहिये और वरवस्त तस्दीक प्रार्थना-पत्न एवं परिशोधन पत्न दोनों हो निरीक्षक के माध्यम से अधिकारों के समस प्रेरित कर देना चाहिये किन्तु स्मरण रहें, पर्चा खतौनी तस्दीक हो जाने के पश्चात् कोई भी परिवर्तन परिशोधन पत्न के माध्यम से नहीं होना यानी परिशोधन पत्नों की स्टेज पर्चाख तौनी तस्दीक से पहले पहले कमाप्त हो जाती है।

असरा परिशोधन के भरने एवं तस्दीक करनें से संबन्धित हिदायत नीचे दर्ज की जा रही

- भूमावक को कमांक लगे हुवे और भू-प्रबन्ध श्रधिकारी द्वारा सत्यापित खसरा परिशोधन के फार्म दिये जावें । भू-मायक उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक फार्च का हिसाब रखेगा
- 2. जिस तारीख को खसरा परिशोधन भरा जावेगा उसकी पृतिष्ठि भूमापक ग्रयनी वैनिक डायरी में तिथिवार करेगा। वैनिक डायरी के गोशवारे में भरे गये खसरा परिशोधन का विवरण विया जावेगा।
- 3. सहायक भू-अवन्ध अधिकारी द्वारा भूमापक के प्राप्त में खसरा लेखन के लिखे मोजूदगी में ही खसरा परिशोधन पत्नों का सत्यापन किया जावेगा। सहायक भू-अवन्ध अधिकारी अपनी डायरी में सत्यापित खसरा परिशोधन का तारीखवार ब्यौरा दर्ज करें गे और डायरी के गोशवारे में ग्रामवार खसरा परिशोधन का विवरण निम्न पेशानी में देंगे

नाम ग्राम	कुल भरे गये	सत्यापित किये	खारिज खसरा	पेन्डिंग खसरा
	ख. परिशोधन	गये ख. परिशोधन	परिशोधन	परिशोधन
1	2	3	4	5

- 4. प्राप्त प्रार्थना-पत्न वर्ज किया जाकर संबन्धित सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को बास्ते निस्तारण भेजा जाना चाहिये। इसी प्रकार सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी सीये प्राप्त प्रार्थना-पत्नों को वर्ज रिजस्टर करा कर उनका निस्तारण जरिये मिसल करें। इस प्रक्रिया में उन्हें अधिक से अधिक 20 दिन लेना जाहिये। जिन मामलों में एक माह से अधिक की देरी पाई जाबे उन मामलों को भू-प्रबन्ध अधिकारी को उस सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी से हस्ता-न्तरित कर दूसरे सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अथवा स्वयं द्वारा एक सप्ताह में निपटारा कर अधिकारी वे देना चाहिये। इन मिसलों को पेशीदर पेशी न चलाया जावे। प्रार्थना-पत्न पेश होकर वर्ज रिजस्टर होने पर आवश्यकतानुसार परिशोधन पत्न भरवाकर एक ही बार में अस्तिम निर्णय बाद सुनवाई मजसये आस में कर दिया जावे। अमलदरामद तदनुसार कर दिया जावे। वपतर में बैठकर किसी भी परिशोधन पत्न का निर्णय नहीं किया जावेगा।
- 5. इस तरह के आदेशों का अमलदरामद गत पटवार जमाबंदी में नोट लगवा कर किया जाना चाहिये तथा उसी नोट (गत पूर्व इन्द्राज जमाबंदी) की प्रति प्रार्थी को नियमानुसार दे दिया जाना चाहिये जिससे कि वे आगे कार्यवाही कर सके । खसरा बंदोबस्त में पुरन्त अमलदरामद कर दिया जाना चाहिये । इसी प्रकार की प्रक्रिया अन्य नामलों में भी अपनाई जानी चाहिये अलावा इसके कि जहां पर नवीन जमाबंदी बाद वितरण एवं तस्दीक पर्चा लगानी बन गई हो तो नोट उस जमाबंदी में ही लगाना चाहिये न कि पुरानी जमाबंदी में तथा उसी की नकल भी जारी की जानी चाहिये । अन्य मामलों में पुरानी जमाबंदी में ही नोट लगाया जाकर उसी की प्रति दी जानी चाहिये ।
- 6. सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी निरीक्षक कि जांच के पश्चात् राजस्थान भू-राजस्व (भू-स्रिभिलेख अधिनियम) के नियम 121 से 137 के प्रावधानों के अनुसार खसरा परिशोधन तस्बीक करेंगे। इस संबन्ध में नियम 121(4) के प्रावधानों की ओर विशेष रूप से ध्यान विज्ञाया जाता है। इस प्रावधान के अनुसार खसरा परिशोधन पर निर्धारित विधि से आवेश लिखें जाने का प्रावधान है। कुछ सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी नियमानुसार आवेश कारित न करके

केवल प्रमाणित शब्द लिख देते हैं। प्रमाणित शब्द लिख देने से यह माना जावे कि विधिवत श्रादेश नहीं दिया गया है और खसरा परिशोधन श्रादेश के लिये पुनः सहायक मू-प्रबन्ध श्रिधकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। ऐसा मानला भू-प्रबन्ध श्रिधकारी के ध्यान में लाया जावे।

7. सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी खसरा परिशोधन तस्दीक का प्रोग्राम इस प्रकार बनावें कि तस्दीक भू-मापकों को फिर से आने की आवश्यकता न रहें। समय व व्यय की बचत हो।

5. नामान्तरकरण या खसरा परिशोधन तस्वीक :

नामान्तरकरण यानी एक खातेदार का नाम हटाकर उसके वारिसान अथवा भ्रम के केताओं अथवा अन्य व्यक्तियों का नाम उसी भूमि पर वहीसथत खातेदार दर्ज करने के सिलसिले में राज्य सरकार के आदेश कमांक एक 4 (4) राजस्व / 1-बी/यूप/65 तारीख 28-5-65 के अनुच्छेद 21 में वर्ज की गई विस्तृत हिदायतों तथा राजस्थान भू-राजस्व भू-श्रिभिलेख निथम 1957 के नियम 121 में वर्णित सिद्धान्तों तथा प्रिक्या एवं उनमें निहित भावना का पूरा-पूरा ध्यान रखा जावे । उक्त नियमों में विस्तृत प्रक्रिया उल्लिखित है जिसे श्रपना कर ही नाम बदले चाहिये। सहायक भ-प्रबन्ध श्रधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक केस की जांच व छानबीन स्वयं विधिवत करके परिवर्तन दर्ज करें। स्रमीनों व निरी-क्षकों से ऐसे परिवर्तनों की एक सूची मात्र श्रपनी सुविधा के लिये तैयार करवाकर सहायक भ-प्रबन्ध ग्रधिकारी अपने पास रख सकते हैं ताकि ध्यान में रहे तथा कोई मामला छूट न जाय। यह सुची ग्रमीन निरीक्षक वरवक्त सर्वे व रेकार्ड रार्डीटम बनावेंगे । किन्तु प्रत्येक दरख्वास्त पर मलग-मलग मिसल कायम की जाकर या पर्चे की तस्दीक के समय स्वतः बाद जांच निर्णय लेना चाहिये । सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी का यह महत्वपूर्ण कर्त्तव्य होगा कि वह ग्रपने तौर पर यह देखें कि मौके की स्थिति सही तौर पर भू-प्रबन्ध के कागजात में प्रदक्षित जाय। किन्त ऐसा करने में कानून के प्रावधानों का पूरा ध्यान रखा जायेगा, गैर कानूनी हस्तानान्तरण का अमल दरामद नहीं किया जावेगा तथा कानून की अवहेलना करते हुए ऐसा करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी के विश्वध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेंगी उपरोक्त राजाज्ञा इस नियमावली के भाग 2 के अन्त में दो गई है

बिनागीय पुस्तिका हिदायत जान।पूरी में उल्लिखित फार्म संख्य। 2 जसरा परिशोधन पत्न "फर्व इंडितलाफ इन्द्राज जसरा" विभागीय आदेश एस/सी/आर/जनरल/ 10/ 73/ ए/588-93 दिनांक 5-4-77 के अनुसार भरा जाता है। ये निम्नांकित है:--

फार्न 2 क--उत्तराधिकार व उसके फलस्क्ल्य विभाजन के मामले।

फार्म 2 ख- बाहमी रजामबंदी से खातों के विभाजन के मामले।

फार्म 2 ग-विकय पत्र एवं वसीयत व दान-पत्र संबंधी मामले।

फार्म 2 घ-धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विनिमय (हिस्से 6000) संबन्धी मामले ।

फार्म 2 च--सिवाय चक अथवा चरागाह भूमि के विधिवत आवंटन तथा पुराने कब्जे अथवा अतिकमण के आधार पर सिवाय चक अथवा चरागाह के विधिवत नियमन के मामले। फार्म नं. 12--विवाद पत्र संबन्धी मामले ।

इनको भरने में निम्नांकित प्रक्रिया अवनाई जावे।

- 1. इन फार्मी को सर्वप्रथम अमीन खसरा लेखन के साथ-साथ भरेगा तथा उसके पश्चात् इनकी जांच निरीक्षक द्वारा की जावेगी। दोनों अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित करेगें। इसी प्रकार सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी अपनी आजा देकर दिनांक एवं मुकाम केम्प सहित हस्ताक्षर करेगें।
 - 2. इनके सभी खाने भरे जावें तथा कोई खाना खाली नहीं छोड़ा जावे।
- 3- खसरा परिशोधनों के तस्दीक की तारीख तहसीलदार सरपंच ग्राम पंचायत एवं पटवारी को कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेजी जानी चाहिये।
- 4. खसरा परिशोधानों की तस्दीक एवं जांच मजसजे ग्राम में संबन्धित ग्राम में ही की जावे तथा सभी संबन्धित उपस्थित काश्तकार, पंच, सरपंच, पटवारी, तहसीलदार के हस्ताक्षर कराये जाने चाहिये।
- 5. विवाद-पत्र भी श्रमीन द्वारा खसरा परिशोधन लिखते समय ही भरे जाने वाहिये। खसरा लेखन के समय किसी क्षेत्र को बाबत विवाद पाये जाने पर जिसको श्रलग-श्रलग व्यक्ति श्रयने नाम दर्ज कराना चाहते हों श्रमीन द्वारा विवाद-पत्र भरा जाना चाहिये। इसमें खाना नं. 4, 5 व 6 गत भू-माप श्रयबा परिवर्तित पाये जाने पर गत जमाबंदी तहसील के इन्द्राज के श्रनुसार भरे जाने चाहिये। खाना नं. 7 व 8 वर्तमान भू-माप के श्रनुसार भरा जाना चाहिये। खाना नं. 9 में उस व्यक्ति का नाम इन्द्राज किया जाना चाहिये जो कि क्षेत्र पर वर्तमान में काबिज हो। निरीक्षक विशेष जांच कर श्रपनी टिप्पणी खाना विशेष विवरण में देगा श्रौर हस्ताक्षर के मय दिनांक करेगा। सहायक भू-अबन्ध श्रिधकारी खसरा परिशोधन के तस्दीक के समय बाद सरसरी जांच एवं प्रकृताछ मजमजे श्राम श्रपना निर्णय मौके पर ही देकर भय दिनांक व मुकाम हस्ताक्षर करेंगे। इस निर्णय के परचात् इन्द्राज खाना नं. 24 खसरे में श्रमीन द्वारा किया जावेगा। इस इन्द्राज का व परिशोधन के तस्दी किसी को उज्य हो तो वह श्रपनी श्रपील/उजरदारी विधिवत सक्षम श्रिधकारी के समक्ष उपस्थित करेगा।
- 6. उत्तराधिकारी संबन्धी मामलों में मृतक की मृत्यु के पश्चात् उन सभी उत्तरा-धिकारियों के नामों तथा हिस्सों का इन्द्राज किया जाना चाहिये जो कि हिन्दू उत्तराधिकार ग्रिधिनियम, 1956 अथवा मुस्लिम लों के अनुसार उत्तराधिकारी बनते हैं। हिन्दू काश्तकारों के मामलों में विशेषतया मृतक की विधवा, जीवित पुत्रियों तथा मृतक पुद्रियों की जीवित संतानों का भाग अवस्य लगाना चाहिये जब तक कि किसी ने अपने भाग को विधिवत परि-त्याग न कर दिया हो।
- 7. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वसीयत रिजस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है। परन्तु वसीयत धारी की वास्तविक कब्जे की बाबत विशेष जांच की जानी चाहिये। कब्जा नहीं होने पर वसीयत धारी के नाम परिशोधन तस्त्रीक नहीं किया जाना चाहिये।
 - 8. सिम्मिलित हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि में वसीयत कर्ता केवल अपने भाग की

ही बसीयत कर सकता है जो उसे सम्मिलित परिवार का विभाजन करने पर मिलता । वसीयत के आधार पर भाग दर्ज किये जाते समय इस बात की विशेष जांच की जानी चाहिये ।

- 9. इसी प्रकार गोदनामें की जांच की जानी चाहिये। हिन्दू गोद पुत्र एवं पालन प्रधिनियम, 1956 (Hindu Adoption and maintenance Act,) के अनुसार रिजस्टर्ड गोदनामा तब तक सत्य माना जावेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध रिजस्टर्ड गोदनामा तब ते के सत्य माना जावेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध रिजस्टर्ड गोदनामा किया जावे। परन्तु गोद लेने देने के अन्य प्रावधानों का भी ध्यान अनरजिस्टर्ड गोद के मामले में रखा जाना चाहिये।
- 10. गोद पुत्र मान्य होने की सूरत में गोद लेने वाले की सम्पत्ति का उतना ही अधि-कारी बनता है जितना कि गोदधारक की यदि कोई एक मात्र सन्तान जीवित होती । गोद-धारक की विधवा का भाग उसके जीवनकाल में ही गोद पुत्र के नाम नहीं किया जा सकता।
- 11. वसीयत की मान्यता देते समय अन्तिम वसीयत पूर्व में की गई सभी वसीयत के विरुद्ध मान्य होगी।
- 12. मुस्लिम लॉ में गोद लेने देने का प्रावधान नहीं । अत्र व उनके मामलों में उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।
- 13. जन-जातियों के उत्तराधिकार के मामलों में उनके रीतिरिवाजों के श्रनुसार हिस्से एवं उत्तराधिकार के मामलों का निपटारा किया जाना चाहिये क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार के प्राप्ति का निपटारा किया जाना चाहिये क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार क्रियाचिम इसे मान्यता प्रदान करता है।
- 14. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की घारा 40 के अनुसार काश्तकार की मृत्यु के पश्चात् ही उत्तराधिकारियों को उसकी जोत में हिस्से प्राप्त होते हैं। अतएव काश्तकार के पश्चात् ही उत्तराधिकारियों को उसकी जोत में हिस्सा नहीं दिया जा सकता और ना ही के जीवनकाल में उसके पुतों अथवा अन्य सन्तानों को हिस्सा नहीं दिया जा सकता और ना ही विभाजन स्वीकार किया जा सकता है। गोद पुत्र को भी इसी प्रकार गोदधारी के जीवन काल में कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते।
- 15. गोद पुत्र का संबन्ध उसके पूर्ववर्ती असली माता-पिता के वंश से सर्वथा समाप्त हो जाती है और उसे उसके अतली माता-पिता की जोत की सूमि में कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता।
- 16. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं जिससे कि मृतक की विधवा को उसके द्वारा दूसरी शादी कर लेने पर मृतक पति के हिस्से से उत्तराधिकार में हिस्सा न प्राप्त हो सके। परन्तु यह अवश्य है कि उसके पूजेपित से उत्त्वन्न संतानों को पुर्न भू-पित के भाग में उत्तराधिकार अधिकार नहीं प्राप्त होगा।
- 17. हिन्दूओं में यवि किसी की एक से अधिक जीवित विधवार्ये हैं तो उन सभी को एक-एक भाग अन्य सभी वैध उत्तराधिकारियों के साथ प्राप्त होगा।
- 18. यह श्रावश्यक नहीं कि सभी उत्तराधिकारी वास्तविक कब्जे में हो यदि कोई सन्तान बाहर नौकरी करती है या श्रन्य किसी कारण से घर पर नहीं रहती श्रौर केवल एक सन्तान जो घर पर रहती है, उसी का कब्जा चाहे वास्तविकता एक सन्तान हो, सभी सन्तानों के नाम परिशोधन भरा जाना चाहिये

क्योंकि अनुपस्थित संतानों का कब्जा उपस्थित भाई के माध्यम से (आधार पर माना जावेगा जब तक कि अनुपस्थित संतानों की उपस्थित सन्तान द्वारा वैध तरीके से निवासित किया जाना सिद्ध नहीं कर दिया जाता ।

- 19 'क' ग्रपने पुत्र 'ख' को उत्तराधिकारी छोड़कर मर जाता है। भूमि पर वास्तविक कब्ना उप-कृषक 'ग' का है। नामान्तरकरण 'ख' के नाम भरा जाना चाहिये क्योंकि 'ख' का
- 20. विकय दान एवं वसीयत के मामले में नामान्तरकरण नहीं भरा जावे यदि ऐसे दस्तावेज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विरुद्ध है। यथा---

'क' नामक काश्तकार अपनी जोत का कुछ भाग (मू-खंड) जिसका कि क्षेत्रकल उस न्यूनतम क्षेत्रफल से कम है जो धारा 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम के अन्तर्गत उस स्थान के लिये निर्धारित है, "ख" को विकय दान या बिसयत में देता है। 'ख' उसके नामान्तरकरण के लिये प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना ब्रस्वीकृत की जानी चाहिये चाहे कब्जे का हस्तान्तरण क्यों न हो गया हो क्योंकि ऐसे हस्तान्तरण प्रारंभ से ही गैर कानूनी

श्रथवा

यदि "क" द्वारा उसकी जोत का उपरोक्त प्रक्रिया से हस्तान्तरित भाग अपरोक्त न्यून-तम सीमा से अधिक है परन्तु यदि 'क' के पास शेव रहने वाला भू-भाग भी उपरोक्त न्यूनतम / सीमा से कम रह जाता है तब भी हस्तान्तरण अवैध होकर शून्य है।

ग्रथवा

"क" अपनी जोत का पूरा-तूरा खसरा नम्बर उपरोक्त प्रक्रिया से हस्तान्तरण करता है। ऐसा करना वैद्य है श्रौर नामान्तरकरण भरा जाकर मंजूर किया जाना चाहिये।

"क" अपनी जोत से केवल एक हिस्से का उपरोक्त प्रक्रिया से हस्तान्तरण करता है और जिसमें बिना विमाजन के क्षेत्रफल का अलगाव नहीं किया जा सकता। ऐसा हस्ता-न्तरण भी धारा 42 के प्रावधानों से प्रकावित नहीं होता और नामान्तरकरण भरा जाकर मंजूर किया जाना च। हिये क्योंकि इस प्रक्रिया में टुफड़े नहीं बनते जब तक कि उनका विभाजन

ग्रथवा

"क" श्रपनी जोत का संपूर्ण खसरा तस्वर कई व्यतियों को उसी संख्या के श्रनुसार शेयर्स में चाहे एक साथ अथवा कई बार में हस्तान्तरण करता है -यह वैध है और ऐसा नामानान्तरण भरा जाकर स्वीकृत किया जाना चाहिये। यथा वे अपनी जीत का खसरा नम्बर पांच विकेताओं को प्रत्येक को 1/5 आग बेचता है। बेचान वैध है स्रोर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये । 'क' वो रजिस्ट्रियों द्वारा पहली रजिस्ट्री से 3 व्यक्तियों को 3/5 भाग व दूपरी रिजस्ट्री से 2 को 2/5 भाग प्रत्येक का भाग बराबर बेचान करता है यह हस्तान्तरण भी बैच है और नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना

ब-एक जोत के 3 भागीदार 'क' 'ख' 'ग' है जिसमें कि प्रत्येक का माग 1/3 है। एक मागीबार अपना हिस्सा 1/3 भाग विकय अथवा वान अथवा वसीयत करता है। अन्य भागी-दार इससे सहमत नहीं एवं कब्जा दिया जाने से इंकार है। 'ख' ग्रपनी रजिस्टर्ड डीड में कब्जा दिया जाना कथन भी करता है। परन्तु 1/3 भाग विभाजित हो कर सुनिश्चित् नहीं हुन्ना । जिस पर भी 1/3 भाग पर केता का नाम संयक्त खातेदारी में दर्ज किया जा सकता है। किन्तु कता ग्रसग से किसी 1/3 भाग पर कब्जा चाहता है, तो भूमि का विभाजन पहले कराना जरूरी है।

स-राजस्थान में यह प्रथा रही है कि पिता के मरने के बाद बड़े पुत्र को पगड़ी बांधी जाती है और वही कर्त्ता खानदान हो जाता है । कभी-कभी उसी के नाम ही पिता की समस्त भूमि का नामान्तरकरण राजस्व अभिलेखों में हो जाता है। तथा अन्य भाईयों का नाम नहीं भाता। बाद में पता चलने पर सभी बड़े भाई सहित इस गलती को दुख्क्त कराना चाहते हैं। राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 6 (34) राज/युप/476 दिनांक 4-10-77 के अनु-सार ऐसी गलतियों को सुधारा जाकर अभिलेख में नामान्तरकरण कर विया जावे । परन्तु रेकार्ड खातेदार की सहमति नहीं होने पर ऐसा नहीं किया जावे । क्योंकि राजस्थान कारत-कारों अधिनियम के प्रभाव में प्राने के पूर्व हिन्दू लॉ के तहत सभी पुत्र पिता से बंटवारा कराने का हक रखते थे और एक बार अलग हो जाने पर वे पुन: शामिल होकर पिता की मृत्यु के बाद बंटवारा कराने के हकदार नहीं वन सकते । राजस्थान काश्तकारी श्रधिनियम लागू होने के बाद पिता के जीवनकाल में पूत्र काश्त भिम का बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं कर, सकते।

23. रहन रखी गई कृषि भूमि :

राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 432 (2) के अन्तर्गत खातेदार कृषक को अपनी कृषि भूमि दूसरे व्यक्ति के यहां रहत जिल कब्ज रखने का अधिकार प्राप्त है, किन्तु ऐसे रहने में रहने की रकम रहन की अवधि में जो पांच वर्ष से अधिक किसी सूरत में नहीं हो सकती, स्वतः भगतान हो गई, समझी जाने दूसरे शब्दों में यों कहिये कि कृषि मूनि का कोई रहन बिल कब्ज 5 वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं हो सकता तथा यह अवधि समाप्त होने पर रहन स्वतः समाप्त हो जायगा दिनांक 13-2-76 को संशोधित धारा 43 लागू होने पर कानूनी स्थिति यह बन गई है कि वर्ष 75 में अध्यादेश जारी होने के विनांक को जो भी रहन पांच वर्ष पुराना हो चुका था वह स्वतः जागुजाश्त हो गया । काश्तकारी अधि-नियम 15-10-55 को लागू हुआ जिस दिन से पहले के जो रहन वे रहन की अवधि अथवा 20 वर्ष का समय समाप्त होने पर स्वतः बागुजास्त हो गये । इस प्रकार बागुजास्त हये रहन की भूमि का कब्जा राहिन को हर प्रकार के भार से मुक्त सम्हलाने के लिये उप-धारा (4-ए) के अन्तर्गत अतहीन एवं अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में सुमि है, कानुनी तौर पर बाध्य है। ऐसा न करने पर काबिज दस्तदांजी पुलिस जुर्म बनता है तथा दंड के। प्राव-धान किया गया है। अतः रहन के संबन्ध में काननी स्थिति उपरोक्त प्रकार से होने के कारण यह ग्रावश्यक हो गया है कि सहायक म्-प्रवन्ध ग्रीधकारी उपरोक्त प्रकार से कानूनी तौर पर बागुजाश्त हुये रहन की भूमि को मूल खातेदार के नाम पर ही दर्ज करें। राहिन मुतेहिन का श्राभिलेखन कदापि नहीं करें। खसरा के खाना कैफियत में नोट दर्ज किया जावें कि संशोधित धारा 43 मार. टी. ए. 55 के प्रावधानीतर्गत रहन बागुजाश्त हो चका है। मृतः राहिन मुतेहिन की इन्द्राज हटाया गया ।

24. कब्बा मखालिफाना :

संधारित भूमि (Occupied land) की परिभाषा धारा 5 (27) राजस्थान कारतकारी श्रधिनियम में दी गई है। इसके श्रनुसार वही भूमि संधारित मानी जावेगी जो किसी व्यक्ति को कृषि हेंतु उठाई गई हो (late or su-blet) श्रौर किसी काश्त-कार के कब्जे में हुँ। श्रन्य प्रकार से कब्जे में प्राप्त श्रूमि श्रासंघारित भूमि मानी कावेगी।

इसी प्रकार अतिकमी (trespasser) की परिभावा धारा 5 (44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दी गई है। इसके अनुसार वे सभी न्यक्ति अतिकमी है जो किसी भूजि का कब्जा अनाधिकृत प्रकार से प्राप्त करते हैं अथवा रखते हैं अथवा अधिकृत व्यक्ति को कब्जा संधारित करने से रोकते हैं।

उपरोक्त दोनों परिभाषाओं को सम्मिलित व्याख्या करने पर स्पष्ट है कि कब्जा कानून समस्त प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने तथा रखने पर ही किसी का कब्जा मान्य है तथा तभी वह कानुनी प्रावधानों का लाभ प्राप्त कर सकता है । परन्तु इसके विपरीत एक परिस्थिति ऐसा भी है जिसमें यदि निष्कासित (वास्तविक) व्यक्ति को यह पता हो कि उसकी भूमि पर किसी अतिकमणकारी में कब्जा कर लिया है और वही उस भू भाग का लाभ प्राप्त कर रहा है अथवा भू राजस्व दे रहा है, उसके विषरीत भी यदि वह कोई ऐसी प्रक्रिया काम में नहीं लेता है जिससे कि वह उस व्यक्ति से पुनः कब्जा बेदखल कराकर प्राप्त करले श्रीर इस प्रकार निष्का-सित बास्तविक स्वामी बेदखली की पूर्ण मियाद 12 वर्ष व्यतीत कर देता है और उसके विप-रीत व्यक्ति का कब्जा लगातार 12 वर्ष के बाद बना रहता है तो निष्कासित व्यक्ति के काश्त-कारी अधिकार धारा 63 (4) राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 27 मारतीय लिमि-टेशन अधिनियम के अर्न्तगत समाप्त हो जाते है और विषरीत व्यक्ति द्वारा कब्जा मुखालि-फाना प्रथम दृष्टया सिद्ध करने पर नामान्तरकरण कराने का अधि कारी है और नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये । किन्तु ऐसी मामलों में सत्तर्कतापूर्वक कब्जा मुखालिफाना की पूरी जांच की जानी चाहिये। मात्र कब्जा होना ही मुखालिफाना कब्जा नहीं है अपितु ऐसा कब्जा 12 वर्ष से अधिक की अवधि तक निरन्तर खुले आम सर्व विदित तौर पर वास्तविक स्वाभी एवं उक्त ग्राम के कृषकों को जाहिर होता चाहिये ग्रीर ग्रब भी कायम रहता चाहिये।

5. यदि कोई व्यक्ति किसी काश्तकारी से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न्यूनतम सीमा से कम क्षेत्र का भू-खंड विकय/दान/वसीयत द्वारा प्राप्त कर उसे उससे मिलते हुये खसरा नम्बर जिसका कि स्वामी वह स्वयं है में मिला लेता है तो भी परिशोध न स्वीकृत किया जाना चाहिये।

26. इसी प्रकार धारा 42 राजरथान कारतकारी ग्रधिनियम की न्यूनतम केत्र सीमा का प्रावधान उस हस्तान्तरण में भी नहीं लागू होता जिसमें कि विकेता किसी खसरा नम्बर में ग्रपना सर्वस्थ थाग हस्तान्तरित कर देता है । यथा 'क' का खसरा नम्बर X में 1/3 थाग का भू-खंड है वह उस भू-जन्ड को पूरा-पूरा विकय कर सकता है चाहे वह भू-खंड न्यूनतम सीमा से कम क्यों न हो ।

खातों के विभाजन के मामले :

27. धारा 53 राजस्थान काश्तकारी श्रधिनियम के अन्तर्गत विभाजन में वे ही भामले भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा स्वीकृत किये जावें जहां पर कि वास्तविक विभाजन कृषकों द्वारा मौके पर पूर्व में ही किया जा चुका है। सभी रेकाईड काश्तकार उस विभाजन को स्वीकार कर कब्जा व काश्त कर रहे हैं। और श्रविखित श्रभिलेख काश्तकार को भी कब्जा व काश्त पारि-वारिक सहमति द्वारा करा दिया जा चुका हैं। तथा ऐसे सभी विभाजनों के श्रनुसार मौके पर नये खेत बन चुके है और उन्हें वर्तमान भूभाप द्वारा नये व सर्वे नम्बर दे दिये गये हैं। ऐसे मामलों का निर्णय भू-श्रभिलेख श्रधिकारी को धारा 125 लैन्ड रेवेन्य एक्ट तथा धारा 53-

54 एवं 54-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत करना चाहिये। जहां पर मौके पर विभाजन नहीं हुआ है और नवीन विभाजन की मांग की जाती है उसे नहीं किया जाना चाहिये।

विनिमय संबन्धी मामले :

28. धारा 48 राज. काश्तकारी श्रिधिनियम के श्रम्तर्गत वे ही मामले भू-श्रबच्ध विभाग को करने चाहिये जिसमें विनियमन पूर्व में ही एक ही वर्ग के इचकों द्वारा श्रापसी सहमित के आधार पर उसी तहसील के क्षेत्र में कर लिया गया है। तथा उसी के अनुसार वे अपने-श्रपने विनियमित क्षेत्रों पर काबिज व काश्त हैं। तथा लगान अदा करते हैं। जहां पर तहसील स्वार द्वारा लगान स्वीकार कर लिया गया है वहां पर उन्त्री सहमित परीक्ष रूपेण होना मानी जावेगी। तहसील क्षेत्र के बाहर यदि कोई विनियम, में ाया खेत आता है तो उसे भू-श्रवच्य विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये जब उन्न कि वह भू-माप भू-श्रवच्य में नहीं श्रा जावे। इस संबन्ध में बने नियम राजस्थान काश्तकारी जब श्रिधिनियम (सरकार) नियम 24 ए. ए को ध्यान में रखा जावे।

सिवाय चक एवं चारागाह की श्मि:

29. ऐसी किसी भूनि पर खातेवारी ग्रधिकार देने का ग्रधिकार भू-प्रबन्ध विभाग व नहीं है जो राजकीय भूमि, सिवाय चक श्रथवा चाराग्रह हो। अत्रुप्य तहसील द्वारा दिये ग्रथेपट्टे पेश किये जाने पर ही ऐसा किया जाना चाहिये क्योंकि राज भू-राजस्व कृषि भूमि भावंटन नियम, 1970 के नियम 15से 20 के तहत यही आवंटन आवेश Allol ment order) माना है नियमितिकरण के मामले में भी पट्टे जारी किया जाता है। यदि किसी श्रदालत को डिग्री भी जारी हुई है तो वह उसकी इजराह करा कर तहतील से पट्टे प्रस्तुत करें और तभी ग्रधिकार ग्रधिलख ग्रथवा खसरा में उपरोक्त परिशोधन के माध्य से इन्हाज किया जावे।

उपरोक्तानुसार खसरा परिशोधन के तस्कीक हो जाने पर अमीत खसरे के खाना नं. 23 में वर्तमान काश्तकारों के नाम प्रत्येक नये सर्वे नम्बर के सामने करें। इन्हीं इन्द्राजों के आधार पर बाद में पर्वे तैयार किये जावें।

30. प्राय मोके पर यह देखने में पाया जाता है कि सिवाय चक भूमि अथवा चारागाह भूमि में राजस्व. अधिकारियों द्वारा जिन-जिन व्यक्तियों को एक ही बड़े खसरे नम्बर में अथवा कई खसरा नम्बरों में भूमि का आवंटन किया गया था वे आवंटन आदेशोनुसार मौके पर काबोज नहीं है अथवा कड़जा प्राप्त नहीं किया है अथवा यदि सभी आवंरियों को मौके पर कब्जा आवंटन आदेश के अनुतार विया जाकर तरमीम बनाई जाती है तो उस खसरे का खेलफल बढ़ जाता है। नक्शे में भी कोई तरमीम बनी होनी नहीं पाया जाता। अवंटी के पास भी कोई नक्शा आवंटित भूमि के कब्जे का होना नहीं पाया जाता। ऐसे मामलों में अभीन ने सर्वेक्षण के अनुसार जो नये नम्बर मौके पर नाप कर मानविज्ञ में दर्शाये हैं उन्हीं का खसरे में इन्द्राज किया जाना चाहिये तथा प्रामवासियों से पूछ कर जो आवंटी जिस नये सर्वे नम्बर पर कोडि आवंटी काविज नहीं है उसे पुतः सिवाय चक ही दिखाना चाहिये। तथे सर्वे नम्बर पर कोई आवंटी काविज नहीं है उसे पुतः सिवाय चक ही दिखाना चाहिये। तथे सर्वे नम्बर पर पर विकोई आवंटी काविज नहीं है एवं कोई अतिक्रमणी काविज काशत है तो उसका नाम नहीं लिखा जाकर उसे सिवाय चक ही लिखा जाना चाहिये। जहां पर आवंटियों में कब्जा काशत नहीं कर अत्येक आवं-

टित क्षेत्र की सीमा निर्धारित नहीं की है वहां पर सभी ब्रावंटियों का नाम सामृहिक लिखा जाना चाहिये। तात्पर्य यह है कि अत्येक ब्रावंटि का कर्तव्य है कि वह ब्रपने खेत की सीमा निर्धारित करा कर उसकी सीमायें वरवक्त नाप बतावें ख्रीर यदि लोग ऐसा न ें करते तो भू-प्रबन्ध विभाग ख्रपने स्वविवेक से नहीं बना/दर्शी सकता। परिणामस्वरूप ख्रिकार अभिलेख भी उसी प्रकार बनाया जाना चाहिये।

- 31. राज्य के कुछ भागों में कुषकमण प्रपने खेत की सीमा पर भूमि सुधार का कार्य करते हुये दूसरे लगे खेत पर ग्रांतिकमण कर कुआं/बाड़ा ग्रांवि बना डालते हैं। ऐसे मामलों में कुआं/बाड़ा ग्रांवि संबन्धित निर्माणकर्ता कुषक की खातेवारी में ही वर्शीया तथा लिखा जाना चाहिये जबकि कि दूसरा व्यक्ति उजरवारी कर उस भू-भाग पर ग्रथना ग्रांधिकार सिंद्ध नहीं करता क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कुआं/बाड़ा ग्रांवि बनते समय ही एतराज करना चाहिये या और ऐसा नहीं कर उसने स्वतः अपनी सहमति वे वी है, ऐसा माना जावेगा।
- 32. माफी मन्दिर की जमीनों के नामलों का अभिलेख निम्न प्रकार से तैयार किया जावे:—
- (अ) वे सभी स्वित्त जो राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहुण प्रधिनियम की धारा 9 के आव बानुसार राजस्व रेकार्ड में खातेदार ग्रंकित थे वे सभी उपरोक्त प्रधिकार भविष्य में भी रखेंगे और खातेदार कहलावेंगे। इसी अकार धारा 10 के अनुसार वे सभी व्यक्ति जो जागीर भूमि में खुदकाश्त भूमि के धारक थे वे जागीर पुनंगहुण दिनांक से खातेदार हो जावेंगे। इसी अधिनियम की धारा 2 आई के अनुसार खुदकाश्त भूमि वह भूमि है जो बंदीवस्त रेकार्ड में इस प्रकार लिखी गई है। यह एक्ट दिनांक 18-2-52 को लागू किया गया और इस प्रकार सम्बत् 2008 से पूर्व यदि कोई व्यक्ति उपनित प्रकार से बंदोवस्त रेकार्ड में ग्रंकित है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तथा खुदकाश्त होल्डर खातेदार हो जाता है। इसी प्रकार धारा 15 राजस्थान काश्त-कारी ग्रंधिनियम, 1955 जो सं. 2012 में दिनांक 15-10-55 से लागू किया गया बे सभी व्यक्ति जो टोनेन्ट थे परन्तु खुदकाश्त के सब-टिनेन्ट नहीं थे खातेदार हो जाते हैं। खुदकाश्त की उपरोक्त परिभाषा धारा 5 (23) में पुनः सम्मिलत करदी गई है। अतएव मन्दिर की माफी भूमियों में कौन से व्यक्ति खातेदार बने तथा कितनी भूमि मंदिर की खुदकाश्त में थी बंदोबस्त की जमाबंदी जो सं. 2012 या उससे पूर्व की है आधार सानी जावेगी।

उपरोक्त अभिनिखित इन्द्राज बंदोबस्त के अनुसार भिसल हकीयत सं. 2012 अथवा उससे पूर्व जो व्यक्ति कृषक के खाने में अंकित है वे खातेदार हो जाते हैं और उनके मामले किसी भी अकार परिवर्तित नहीं किये जाने चाहिये। परन्तु वह भूमि जो मंदिर की खदकाश्त में अंकित है और उसमें बाद में जिन-जिन व्यक्तियों के अपने को खातेदार अंकित करालिया है उन सभी मामलों को पुन. खोला जाना चाहिये क्योंकि मंदिर की खुदकाश्त भूमि में खातेदारी अधिकार घारा 15 एवं 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं प्राप्त होते हैं।

(व) धारा 16 ए राजस्थान काश्तकारी श्रधिनियम के प्रावधानुसार मंदिर की माफी पुनर्ग्रहण दिनांक तक खुदकाश्त के कृषक खुदकाश्त श्रासामी रहते हैं और पुनर्ग्रहण दिनांक से उप-कृषक हो जाते हैं। तथा मंदिर धारा 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 10 ए भू-मुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रावधानुसार खुदकाश्त भूमियों का खातेदार बन जाता है। धारा 11, 12, 44, 45 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानुसार खुद-

काश्त हील्डर तथा बाद में पुनर्गृ हित हो जानें पर खातेवार बन जानें पर लेट या सब-लेट केवल 5 वर्षों के लिये ही कर सकता है परन्तु धारा 46 के अन्तर्गत मन्दिर की खुदकाश्त भूमि पर ये पाबन्दी लागू नहीं होती। अतएव उपरोचत प्रावधानों के परिणामस्वरूप मंदिर को खुदकाश्त भूमि पर सं. 2012 के पश्चात् लेटी (Lety)/सब-लेटी (Sub-lety) को उप-कृषक के अलावा खातेदार कृषक बनने का कोई अधिकार नहीं बनता। अतएव ऐसे सभी व्यक्तियों पुजारियों को छोड़कर) जो सं. 2012 के पश्चात् खुदकाश्त भूमि में बाद जांच कृषक होना पाये जाते हैं उन्हें उप-कृषक लिखा जावे। अन्य सभी लोगों को जो कृषक होना नहीं पाये जाते उन्हें उप-कृषक भी नहीं लिखा जावे। कृषक होने का प्रमाण तभी स्वीकृत किया जावे जबिक वे मंदिर अथवा उसके व्यवस्थापक पुजारी को लगान देते हों तथा लगातार देते रहे हों।

(स) जहां पर पुजारियों ने अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करा लिया है वहां पर उनका नाम काट कर निम्नांकित इन्द्राज किया जावे। मन्दिर का व्यवस्थापक स्वयं को लेट/ सब-लेट नहीं कर सकता क्योंकि उस अवस्था में लगान व्यवस्थापक मूर्ति को अदा करेगा जो कि माइनर है और लगान वसुल करने में सक्षम हैं।

मंदिर श्री नाथजी (जैसा हो) व ग्रहतमाम

पुजारी--- (पूरा वर्णन मय जाति व निवास)

पुजारियों में केवल उन्हों अथवा उनके वंशधारों का नाम इन्द्राज किया जावे जिनका नाम बन्दोबस्त रेकार्ड में दर्ज हो । अन्य को कहा जावे कि वे सिविल कोर्ट से फैसला करावें। जहां पर ऐसा कोई पुजारी अथवा उसका वंशधर जीवित होना नहीं पाया जावे, वहां पर उनके निकट उत्तराधिकारियों का नाम अंकित करें। यदि वे भी नहीं हो तो ग्राम पंचायत/ ग्रामीणों द्वारा नियुक्त पुजारी का नाम अंकित किया जावे।

- (द) पुजारियों द्वारा उनके खातेदारी काल में बेची गई मन्दिर/ खुदकाश्त भूमि पर केतागणों का नाम हटा दिया जावे तथा उपरोक्तानुसार उनके स्थान पर मंदिर का नाम बतौर खातेदार लिखा जावे।
- (प) पर्ची वितरण होने के पश्चात् उजरदारी प्राप्त होने पर उसकी सुनवाई की जाकर जिन मामलों में पाया जावे कि किसी अदालत (तहसीलदार के अलावा) द्वारा खातेदार अंकित किये जानें का आदेश दिया गया है उसमें रेकरेन्स (Reference) द्वारा भू-प्रबन्ध आयुक्त किये जानें की प्रक्रिया अपनाई जावे। अन्य मामलों में विशेषतया जहां पर तहसीलदार द्वारा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम के अन्तंगत खातेदारी अधिकार अन्य व्यक्तिर को विये गये हैं वहां उनकी उजरदारी नामंजूर की जावे। जिन मामलों में सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को शंका अतीत हो वहां वे भू-प्रबन्ध अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त 1 से 31 उदाहरण केवल मार्गदर्शनार्थ है। अधिकार अभिनेख के समय आने वाली प्रत्येक प्रकार को कठिनाइयों का निराकरण केवल अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधान के अन्तर्गत ही एवं विवेकानुसार प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिये।

निम्नांकित प्रावधान इस संबंध में विशेष महत्वपूर्ण है ग्रोर उनका ध्यान ग्रवश्यक रखा जाना चाहिये:—

- 1. सहायक भू-राजस्व भू-प्रशिलेख नियम 1957 के नामान्तरकरण संबंधी प्रावधान नियम 119 से नियम 138 तक।
- 2. भारतीय राजिस्ट्रेशन अधिनियम का वह प्रावधान जिसके अनुसार अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण(Transfer) जिसका मून्य 100/- या उससे अधिक हो राजिस्टर्ड दस्तावेज से ही किया जाना चाहिये। अत्रव्य भेंट वितरण, दान, विकय, रहन के हस्तान्तरणों का राजिस्टर्ड होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिये। परन्तु पारि-वारिक विभाजन के मामलें में राजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निम्न प्रावधान
- 3. धारा 15 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान जिसके अन्तर्गत गंग केनाल, भाखरा, चम्बल एवं जवाई प्रोजेक्ट के क्षेत्रों तथा राज्य सरकार द्वारा विज्ञान्ति अन्य क्षेत्र जिनमें खातेदारी अधिकार नहीं प्राप्त होते ।
- 4. धारा 15-ए, एए, बी, 16 के प्रावधानों जिनके तहत खातेदारी ग्रधिकार राजस्थान केनाल, वस्बल प्रोजेक्ट, आबू, अजमेर सुनेल क्षेत्र के भाग तथा विशिष्ठ प्रकार की भूमियों में प्राप्त नहीं होते ।
 - 5. धारा 19 के उप-कृषकों को खातेदारी अधिकार देने संबन्धी प्रावधान ।
 - 6. धारा 30-डो, 40, 42, 43, 46, 46-ए, 49-ए, 54-ए, के प्रावधान I
 - 7. धारा 63 के प्रावधान जिसके अन्तर्गत खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते हैं।
 - 8. राजस्थान भू-राजस्व प्रधिनियम के प्रावधान प्रध्याय 7 धारा 110 से 127 तक ।
 - 9. राजस्थान भूराजस्व सर्वेक्षण, भू-ग्रिभलेख एवं बंदोबस्त राजकीय नियम 17 से 2

(6) पर्चा वितरण, प्रविष्ठियों की तस्वीक एवं विवादों का निर्णय :

- (1) पर्चा खतौनी की तीसरी परत कृषक को वितरित की जानी चाहिये। इसके पृष्ठ पर छपे हुये नोटिस में तस्दीक की तारीख व स्थान भरा जाना चाहिये। नोटिस तस्दीक की तारीख कम से कल एक राष्ताह की दी जानी चाहिये। नोटिस की प्रति प्राम पंचायत एवं तहसीलदार को भी भेजी जानी चाहिये।
- (2) इस प्रति का वितरण अधीन द्वारा धारा 60 राजस्थान लैण्ड रेबेन्यू एक्ट के प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाना चाहिये:-
 - (क) इसे जहां तक संभव हो उसी व्यक्ति को जो कृषक ग्रंकित है दी जाकर प्रथम प्रति पर प्राप्त करने का हस्ताक्षर लिया जाना चाहिये। यदि एक से अधिक कृषक ग्रंकित हो तो किसी भी भागीदार को दिया जाना चाहिये।
 - (ख) यदि किसी व्यक्ति का पावर आँफ अटानीं प्राप्त व्यक्ति है तो उसे भी दिवा जा सकता है ।

- (ग) यिं उपरोक्त प्रकार से संभव नहीं तो उस व्यक्ति के ब्रन्तिम निवास स्थान/ घर पर चस्पा कर देना चाहिये तथा दो गवाहों के हस्ताक्षर ले लेने चाहिये।
- (घ) यदि उपरोक्त भी संभव नहीं हो तो ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर चस्पा कर सरपंच से ग्रटेस्ट करा लेना चाहिये।
- (3) तस्दीक नियत दिनांक, समय श्रीर स्थान तथा मजमश्रे-श्राम में की जाकर प्रविष्ठियों का पढ़ कर सुनाया जाना चाहिये एवं संबंधित व्यक्ति तथा श्रन्य उवस्थित व्यक्ति के, पंच, संरपंच तथा तहसीलदार या उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रविष्ठि स्वीकार होने पर लिये जाने चाहिये।
- (4) सादे कागज पर लिखित में प्रार्थना-पत्न प्राप्त होने पर कार्यालय समय एवं दिनों पर कोई भी व्यक्ति भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किये गये मानचित्र, खसरा एवं दूसरे रिजस्टरों को निरीक्षण नि:शुल्क कर सकता है। यह स्तर तभी झाता है जबिक खतौनी तस्वीक हो जावे। उसके पूर्व उनका निरीक्षण नहीं कराया जाना चाहिये।
- (5) विवादास्पद प्रविष्ठियों के बारे में जहां तक संभव हो मौके पर मजमश्रे-श्राम में मालूमात व जांच कर पर्चें में दुरुस्ती कर पर्चा हाथों हाथ कृषक को दिया जाना चाहिये। इस संबन्ध में तस्दीक कर्ता श्रधिकारी को वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जिनका उल्लेख श्रव तक ऊपर करते श्रा रहे हैं। जिन प्रविष्ठियों के बारे में सबूत लिखित अभिलेख श्रयवा शहादत को श्रावश्यकताहो उन्हें संबन्धित कृषक से प्रार्थना-पन्न लेकर मिसल उजर-दारी कायम कर बाद जांच एवं सुनवाई विधिवत निर्णय करना चाहिये।
- (6) पेन्डिंग पत्नाविलयां निरीक्षक/ ग्रमीन के पास 7 दिन से ग्रधिक वास्ते रिपोर्ट रेकार्ड नहीं दिया जाना चाहिये तथा उनका भी निपटारा शीझताशीझ कर संभवतया मौके पर कर दिया जाना चाहिये।

7. तस्दीक के पश्चात् संशोधन करना :

पर्जा खतौनी तस्वीक हो जाने के बाद खसरे एवं पर्जा खतौनी के इन्द्राजों में प्रमीन एवं निरीक्षक द्वारा कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिये। यदि संशोधन प्रावश्यक हो तो उसे तरमीम पर्जा भर कर तथा उस पर सहायक भू-प्रबन्ध ग्रिधिकारी की ग्राज्ञा लेकर ही संशोधन किया जाना चाहिये। हिदायत खानापूरी में दिये गये निर्देशों के अनुसार इसे भरा जाना चाहिये तथा प्रत्येक तरभीम के साथ तरमीम पर्जा बनाया जाना चाहिये। इसे तरमीम पर्जा मिसल में नत्थी कर रखा जाना चाहिये।

यि श्रधिकार अभिलेखन के समय यह पाया जाता है कि किसी नामान्तरकरण को जमाबन्दी में चढ़ाते समय पटवारी द्वारा भूल से इन्द्राज परिवर्तित कर दिये गये हैं अथवा एक जमाबन्दी से दूसरी जमाबन्दी बनाते समय नकल में भूल से गलती श्रा गई है तो ऐसे मामलों को श्रभिलेख में लेखनी से भूल होना माना जावेगा तथा धारा 67 भू राजस्व श्रधिनियम, 1956 के श्रन्तंगत नियम 166 राजस्थान भू-राजस्व (भू-श्रभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत फर्व बदर भर कर शुद्ध किया जाना चाहिये। ऐसे मामलों में फरीकेन को नोटिस दिये जाकर मुनने की आवश्यकता नहीं क्योंकि किसी रेवेन्यू कोर्ट/ श्राफीसर के श्रावेश में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। केवल एक पंजिका से दूसरी पंजिका में नकल करते समय जो अशुद्धि/भूल हों गई है उसे ही दुक्त किया जा रहा है।

प्रशुद्धि या भूल दुरुस्त करते समय मूल इन्द्राज को केवल एक टेडी रेखा खींच कर काट देना चाहिये तथा उस रेखा के नीचे लघु हस्ताक्षर मय दिनांक व पद किया जाना चाहिये। जिससे कि भविष्य में भी मालूम किया जा सके कि काट किसने किया था। नये इन्द्राजात उसके सीघे नीचे किये जाने चाहिये और यदि इसके लिये जगह कम पड़े तो मूल प्रविष्ठि के ऋगे वाहिनी तरफ बढ़ते हुये लिखना चाहिये। ग्रीर ग्रन्त में सहायक भू- प्रबन्ध ग्रिधकारी के हस्ताक्षर मय दिनांक व मुहर की जानी चाहिये। निरीक्षक व ग्रमीन मुहर के नीचे लघु हस्ताक्षर करें।

8. राजस्थान भू-राजस्थान श्रधिनियम के श्रन्तर्गत दिये गये कृषकों के श्रधिकार एवं दायित्व श्रधिकार:-

- (1) भूमि धारक की मृत्यु के पश्चात् उसकी जोत मूमि में ग्रधिकारी का उत्तरा-धिकारियों अथवा वसीयतधारी को हस्तांन्तरण।
- (2) कृषक द्वारा भूमि को हस्तांतरित करने का श्रधिकार विकय, भेंट, वितरण बान एवं वसीयत द्वारा ।
- (3) जोत भूमि से स्तीफा देने का अधिकार।
- (4) जोत मूमि कर मकान कुन्नां तथा बाड़ा बनाने, वृक्ष लगाने तथा ग्रन्थ भूनि सुधार कार्य करने का ग्रिधिकार ।
- (5) भूमि सुधारों के परिणामस्वरूप सभी उन्नतियों का उपभोग करने का मधिकार निश्चित् सीमाग्रों।
- (6) पानी की धारा से उत्पन्न कटाव से प्राप्त भूमि पर जोत का कुछ सीमा तक स्रिधिकार ।
- (7) उप-कृषकों से लगान वसूल किये जाने में सहायता प्राप्त करने का ग्रिधकार वायित्व:-
- (1) सभी प्रकार के देय शेष एवं लगान की श्रदायगी।
- (2) सर्वे करने वाले कर्मचारियों ग्राधिकारियों की मदद सीमांकन में करना (धारा एल. ग्रार. ए. 11 तथा सीमा चिन्हों से सुरक्षित रवना।
- (3) किसी भी प्रकार से भूमि में ऋधिकार प्राप्त होने पर राजस्व ऋधिकारियों को सूचना देना।

9. अधिकार अभिलेख में पृविष्ठि इन्द्राजों की महत्ता एवं भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णयों का राजस्व न्यायालयों पर प्रतिबन्धित होना :

धारा 140, 140-एए के अन्तर्गत अधिकार अभिनेख में की गई सभी पृविष्ठियां सध्य मानी जानेगी जब तक कि उसका विषरीत सिद्ध नहीं कर दिया जाता।

10. बाद तत्वीक रिकार्ड जना करना :

वर्षां तस्वीक हो जाने के उपरान्त प्रत्येक मू-मावक दरवक्त तस्वीक अधिकारी द्वारा विये गये संशोधन झादेशों का नुरन्त झमल करके पूरा रेकार्ड मुख्य कार्यालय के झिमलेखागार में जना करायेगा। रेकार्ड जमा होने से पूर्व निरीक्षक जांच कर लेगें। पर सारा काम एक सप्ताह में समान्त होकर सप्ताहान्त में रेकार्ड जमा हो जाना चाहिये। सम्पूर्ण झमलबरामव की बांच सहायक भू-प्रवन्ध झिकारी द्वारा की जाकर खसरा व पर्वा खतौनी में जांच के हस्ताखर किए जाएंगे।


ा भूनाव में प्रवृक्त होने वाले विभिन्न यंत्र














मापमान (स्केल)




त्रोपोशनल कम्पास

गुनिया







ग्रध्याय-5

भू-प्रबन्ध की कार्यवाही-कार्यारम्भ से भूमि वर्गीकरण तक

1. सामान्य :

भू-प्रबन्ध की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा राजकीय राज-पत्न में धारा 142 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तंगत अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से प्रारंभ होती है। अधिसूचना द्वारा किसी जिले, तहसील या अन्य किसी स्थानीय क्षेत्र को भू-प्रबन्ध या पुर्न भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत लाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी धारा की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मू-प्रबन्ध कार्य समाप्त होने पर भू-प्रबन्ध कार्य की समाप्त करने की घोषणा की जाती है जिसके बाद संबन्धित तहसील/स्थानीय क्षेत्र से भू-प्रबन्ध विभाग का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है। प्रचलित परिपार्टी के अनुसार धारा 106, 107 व 142 की विज्ञान्तियां एक साथ ही सरकार द्वारा जारी की जाती है।

2. पुर्वीनुमान एवं पुर्न भू-प्रबन्ध के सम्भावित परिणाम :

जब किसी जिले अयवा तहसील या स्थानीय क्षेत्र जिसके चालू भू-प्रबन्ध का निर्धारित समय समाप्त हो गया हो या समाप्त होने वाला हो, तो पुर्नभू-प्रबन्ध कराने का आदेश देने से पहले राज्य सरकार पुर्नभू-प्रबन्ध के सम्भावित परिणामों का पूर्व अनुमान तैयार करवाती है। यह निर्णय करने के लिये कि किसी क्षेत्र का पुर्नभू-प्रबन्ध किया जाय अथवा नहीं, राज्य सरकार पूर्वानुमानों व संभावित परिणामों का अध्ययन करती है। इन्हें तैयार करने के लिये निम्नलिखित बातों के संबन्ध में भू-प्रबन्ध अधिकारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:—

- (क) क्षेत्र की सामान्य, मौतिक तथा ग्रायिक स्थिति, वर्षा तथा जनसंख्या में परि-वर्तन, संवार व्यवस्था, भू-स्वामियों, किसानों तथा कृषि श्रमिकों की संख्या पशुधन की संख्या तथा किस्म, हलों, गाड़ियों ग्रौर कृषि के यंत्रों की स्थिति एवं मजदूरों की संख्या व पारिश्रमिक में परिवर्तन संब्रन्धी ग्रन्य उपकरण व मशीनरी इत्यादि ।
- (ख) कृषि क्षेत्र, सिचित क्षेत्र (सार्वजनिक सिचाई योजनाओं ग्रौर मू-स्वामियों तथा खातेदारों द्वारा निर्मित कार्यों में भेद बताते हुये तथा ग्रसिचित क्षेत्र विभिन्न फसलों के मूमि क्षेत्रों ग्रौर फसलों की पैदावार में पिछले बंदोबस्त के समय में घटित परिवर्तन।
- (ग) भू-धारण अधिकारों, जैसे कि खुद काश्त तथा विभिन्न श्रेणियों की काश्त-कारियों में परिवर्तन जिसके साथ भू-धारियों अथवा खातेदारों द्वारा शिकमी काश्त पर भूमि देने का क्यौरा और जोत औसत माप।
- (घ) विभिन्न श्रेणियों के कुब कों के लगानों में हेर-फेर विवरण सहित, जहां तक संभव हो । निर्धारिय अवधि के लिये दिये गये खेतों के लगानों के स्तर, जिसमें यह स्पष्ट किया जाय कि पिछले छंदोबस्त में लगान की दरों का क्य

स्राधार था और वर्तमान में लगान का स्तर जो कृषकों द्वारा जोतने वालों ते वसूलों की जा रही हैं।

- (ङ) इस अवधि में कृषि पदार्थों के मूल्यों में परिवर्तन ।
- (च) किसी भौतिक स्थिति या प्राकृतिक प्रकोप के कारण वसूली को स्थांगत करने या छूट दिये जाने के ब्रादेश: ऐसे ब्रादेश कितने-कितने क्षेत्रफल व गांवों में कब-कब किस कदर जारी किये गये थे।
- (छ) राजस्व में वृद्धि या कभी होने की संभावना ।
- (ज) भू-प्रबन्ध कार्य का प्रस्तावित व्यय श्रीर पुनः भू-प्रबन्ध कार्य का प्रस्तावित कार्यक्रम । यदि पुनं भू-प्रबन्ध से बढ़ने वाली राजस्व ग्राय 10 वर्ष में पुनं-भू-प्रबन्ध पर किये गये व्यय की पूर्ति कर देगी, तो साधारणतः पुनं भू-प्रबन्ध करना उचित समझा जाता है: जब किसी क्षेत्र को भू-प्रबन्ध या पुनं भू-प्रबन्ध के श्रन्तर्गत लाने के प्रादेश धारा 142 की ग्राधिसूचना द्वारा हो जाते हैं तो भू-प्रबन्ध ग्राधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह यह देखे कि कानून के ग्रन्तर्गत समस्त ग्राधिसूचनायों प्रकाशित हो चुकी हैं। कोई खामी तो नहीं रह गई है।

भू-प्रबन्ध/सहायक भू-प्रबन्ध ऋधिकारी की नियुक्ति :

धारा 145 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी और सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों की तियुवित राज्य सरकार द्वारा की जावेगी। प्रत्येक भू-प्रबन्ध अधिकारी को राज्य आजा कर्माक का. (214)/राजस्व/डी/56, सितम्बर 3, 1956 के अन्तर्गत भू-प्रभिलेख अधिकारी की शिवतयों भी प्रदत्त कर दी गई हैं। इसी तरह सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों की सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी की शिवतयों प्रदत्त कर दी गई है। विज्ञान्तियों पर्ट 2 में देखिये।

4. मू-प्रभिलेख के वार्षिक रजिस्टरों एवं मानचित्रों की तैयारी व संधारण :

राज्य सरकार द्वारा धारा 146 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित करके कमशः सम्बन्धित के से गांवों के मानचित्रों तथा भू-अभिलेख की विभिन्न पंजिकाओं के संधारण जीर तैयारी करने का कार्य भू-अभिलेखन अधिकारी है। भू-प्रबन्ध अधिकारी को स्थानान्तरित किया ना सकता है। तदोपरान्त भू-प्रबन्ध अधिकारी इस संबन्ध में भी भू-अभिलेख का संपूर्ण कार्य भू-प्रबन्ध अधिकारी के भू-अभिलेख का संपूर्ण कार्य भू-प्रबन्ध अधिकारी के किम्मे होगा। पर अभी तक राज्य सरकार में इस प्रकार विज्ञित कभी प्रकाशित नहीं की।

5. ग्राचिक सर्वेक्षण :

भू प्रबन्ध या पुर्नभू-प्रबन्ध की कार्यवाही प्रारम्त्र हो जाने पर भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी उस क्षत्र का पर्याप्त दौरा करेगा तथा पुर्नभू-प्रबन्ध व संभावित परिणाम तैयार करने के साथ-साथ उस क्षेत्र का आर्थिक सर्वेक्षण करेगा जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जावेगा :

- (क) किस सीमा तक जिला या स्थानीय क्षेत्र सिचाई के साधनों द्वारा रिक्षत (प्रोटेक्टेड) है ग्रौर गत भू-प्रबन्ध के पश्चात् सिचाई की सुविधान्नों में वृद्धि हुई है तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है।
- (ख) कृषि का स्तर और गत मू-प्रबन्ध के परचात् कृषि भूमि के क्षेत्र की बृद्धिकां/ कमी ।
- (ग) कृषि का व्यय ग्रीर काश्तकार के स्यं के व उसके परिवार के भरण-पोक्क का व्यय ।
- (घ) मृ-प्रबन्ध के अन्तर्गत आये हुये क्षेत्र में या उसके आस-पास मंडियों का होना ।
- (ङ) गत भू-प्रबन्ध के पश्चात् ग्रावागमन एवं संचार सुविधाश्रों में विस्तार व सुधार की स्थिति ।
- (च) जोतों का आकार।
- (छ) काश्तकार की ऋणग्रस्तता की सीमा और ऋण मिलने की सुविधायें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी संबन्धित क्षेत्र की वर्तमान लगान दरें व लगान निर्धारण प्रति-वेदनों का भलीभांति अध्ययन करेगा ।

6. कर निर्धारण मंडलों/समूहों का निर्माण :--

- (क) उपरोक्त प्रकार से क्षेत्र का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के पश्चात् भू-प्रबन्ध प्रधिकारी निम्न विषयों पर प्रपना प्रस्ताव बना कर भू-प्रबन्ध प्रायुक्त को प्रेषित करेंगे:—
 - (1) कर निर्धारण मंडलों में परिवर्तन ।
 - (2) भिम वर्गों में परिवर्तन ।
 - (3) अवधि या वर्ष जो उपज के अनुमानों के आधार बनेंगे।
 - (4) कृषि उत्पादन की जिन्सों के मूल्यांक तथा गत मू-प्रबन्ध के बाद से उनमें परिवर्तन ।
- (ख) भू-प्रबन्ध ग्रिधिकारी तहसील के ग्रामों में प्रचलित विभिन्न लगान बरों का तथा साथ ही साथ उन ग्राधारों का भी जिन पर उक्त दरें तय की गई बी, पूर्ण ग्रध्ययन करेंगे।
- (ग) कर निर्धारण वृतों या कर निर्धारण समूहों का निर्माण करने में भू-प्रबन्ध ग्रिधिकारी भू-राजस्व ग्रिधिनियम की धारा 148 में उल्लिखित बातों की

समस्वता (एक होना) का जिनका वर्णन क्रयर अनुक्छेद 5 में किया गया है तथा निम्नलिखित श्रीर भी बातों का ध्यान रखेगें।

- (1) प्राकृतिक दशा, भूमि को बनावट व क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के गुणावगुण ।
- (2) जलवायु तथा वर्षा।
 - (3) जनसंख्या ग्रोर श्रमिकों को उपलब्धि ।
 - (4) कृषि संबन्धी साधन।
- (5) मुख्य रूप से पैदा की जाने वाली फसलों की किश्म व साथ में उनकी उपज मात्रा तथा मन्डियों में प्रविश्त मृत्य ।
 - (6) खातेदारों द्वारा वसूल किये जाने वाली लमान दरें।
 - (7) अवसायी भू-प्रबन्ध में निर्मित कर निधारण वृत समूह।

प्रकार विदित होगा कि तहसील क्षेत्र के विशिन्न भौगोलिक भागों, प्राकृतिक दशा, मिटटी की बनावट व गुणावगुण, विभिन्न प्रकार की भूमि की उत्पादकता, सिचाई के साधनों की पर्याप्तता, कृषि असिकों की उपलब्धि जनसंख्या, कृषि के साधन, वर्षी व जलवाय तथा फसलों के प्रकार का अध्ययन करते हुवे भू-प्रबन्ध अधिकारी की समुचे तहसील क्षेत्रों को विभिन्न कर निर्धारम मंडलों में बाटना चाहिये। यदि समुचे तहसील क्षेत्र में ऊपर विणत बिन्दुओं पर लगभग समरूपता पाई जाये तो पूरी तहसील क्षेत्र का एक ही कर निर्धारण मंडल बनाया जा सकता है। किन्तु यदि उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुये तहसील के एक से अधिक भाग किये जा सकते हों, तो पूरी तहसील की आवश्यकतानुसार एक से अधिक कर निर्धारण मंडलों में विभाजित कर देना चाहिये। यदि एक ही प्रकार के समस्त गांव एक के बाद एक लगे हुये निरन्तर न पाये जावें तो उस दशा में बजाय मंडल का निर्माण करने के समृहों का निर्माण किया जाना चाहिये। मृतपूर्व देशी रियासतों के समय भौगोलिक स्थिति पर एवं नहरों द्वारा सिचाई के साधन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता था। इसलिये अनेक कर निर्धारण मंडलों का निर्माण करना पड़ता था। यदि ऊपर वींगत सभी मुख्य विन्दुओं को ध्यान में रखते हये ज्यादा जोर मिट्टी की बनावट, मिट्टी व पानी के गुणावगण व सिचाई के साधनों की पर्याप्तता, मिट्टी और पानी के मेल एवं उत्पादकता पर दिया जावे तो ज्यादा तादाद में कर निर्धारण मंडलों के गठन की नौबत नहीं आवेगी। कर निर्धारण मन्डल बनाना हर मामले में संभव नहीं होगा क्योंकि समरूपता वाले गांव निरन्तर नहीं मिलेंगे। किन्तु कर निर्धारण समृह का निर्माण अवश्य संभव हो जायेगा। अब राज्य सरकार की नीति यह है कि ज्यादा तादाद में कर निर्धारण मंडलों का निर्माण नहीं किया जावे । कर निर्धारण मंडलों । समुहों की संख्या कम से कम रखी जावे। इसलिये यदि ऊपर दश यि गये बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जावेगा तो आवश्यकतानुसार ही कर निर्धारण समूहों का गठन संभव हो जावेगा। यदि समस्य गांव एक से एक लगे हये निरन्तर आये हुये हों तो उन्हें मंडल कहेंगे श्रोर यदि निरन्तर न स्थित होकर ग्रलग-ग्रलग हों और उनको छांटकर उनके ग्रलग-ग्रलग समुदाय बनाये जाबें तो उन्हें समूहों कहेंगे। क्षेत्र की स्थिति के लिहाज से मंडल प्रथवा समूह होना दोनों ही का निर्माण भू-राजस्य अधिनियम को धारा 149 के अन्तर्गत किया जा सकता है। जैसा कि पहले कहा जो चुका है कर निर्धारण मंडलों/सम्ों का निर्माण करने से पहले तहसील

क्षेत्र के भिन्न-भिन्न हिस्सों का ध्रमण करके के मौके का ग्रध्ययन किया जाना जरूरी है। साथ ही साथ गांव के जानकार अनुभवी व बुजुर्ग कृषकों से भी विचार विमर्श करना चाहिये। कर निर्धारण मंडलों/समूहों का निर्माण करके तहसील की मुजिमली (नक्शा) में विभिन्न रंगों से उन्हें दर्शाते हुये 3-4 नक्शे तैयार करा लेना चाहिये। एक नक्शा भू-प्रबन्ध श्रायुक्त को अस्ताबों के साथ भेजा जायेगा व शेष कार्यालय में काम ग्राते रहेंगे।

7. भूमि वर्गीकरण (चकतराशी) :

- (1) प्रधितियम की धारा 149 के ग्रन्तर्गत कर निर्धारण मंडलों/समूहों का गठन करने के पश्चात् प्रत्येक मंडल/समूह के प्रत्येक गांव की प्रत्येक भूमि का भूमि वर्गीकरण किया जायेगा। भू-प्रबन्ध की कार्यावाहियों में यह ग्रत्यक्त महत्वपूर्ण काम है। इसके लिये समूचे तहसील क्षेत्र से पाने जाने वाली भूमि, मिट्ट्यों,कुश्रों की गहराई तथा पानी की पर्याप्तता, बंघों, तालाबों, नहरों, निर्धां, नदीं के किनारों पर होने वाली खेती व तालाबों के पेटों में होने वाली खेती व तालाबों के पेटों में होने वाली खेती व तालाबों के परायक्त प्रध्ययन भू-प्रबन्ध ग्रिधारी/सहायक भू-प्रबन्ध ग्रिध-कारी को करना चाहिये। तहसील के प्रत्येक हिस्से के प्रमुख-प्रमुख गांतों का, निर्धां के किनारों तथा ग्रास-पास के गांवों का, तालाबों तथा बांधों के क्षेत्रों का तथा नहरों से सिवाई होने वंशे केते के प्रमुख इलाकों का विस्तृत श्रमण भू-प्रबन्ध श्रिष्ठकारी द्वारा किया जाना चाहिये। श्रमण के होरान स्वयं ग्रपने स्तर पर ग्रष्टव्यन करने के साथ-साथ गांवों के समझदार व ग्रनुभवी कृषकों एवं बूढ़े व बुजुर्गी किसानों से भी विचार विमर्श किया जाना चाहिये।
- (2) भूमि वर्गीकरण का मूल तात्पर्य यह है कि भूमि की उचित कीमत श्रांक कर विभिन्न प्रकार की भूमि के लिये उपयुक्त राजस्व दर्रे निकालना । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये श्रलग-श्रलग प्रावधान रखा जावे ।

(3) भूमि वर्गीकरण के 2 तरीके हैं जो निम्न प्रकार है:

- (क) भूमि वर्गीकरण की प्राकृतिक रीति :-इसके अनुसार भूमि की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है।
- (ख) भूमि वर्गीकरण की पारस्परिक रीति: इसके स्रनुसार भूमि के समस्त पहलुओं और गुणावगुणों की वृष्टिगत करते हुये उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है।

प्रथम रीति के अनुसार अपि की श्रेणियों को संख्या अधिक हो जाती है जबिक उनकी राजस्य दरों में अधिक अन्तर नहीं होता। यह विधि बांसवाड़ा और ड्रायपुर राज्य में अचितित थी। यह विशेष उपयोगी तरीका नहीं है। दूसरी विधि के अनुसार भूमि का मत्यांकन उत्पादकता के आधार पर किया जाता है जिसमें श्रेणियां भी कम बनती है तथा क्योंकरण सही-सही हो जाता है।

(4) राजस्थान के अधिकतर जागों में कम वर्षा होने के कारण चूनि में नशी की कमी-बेशी होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका ध्यान मूमि वर्गीकरण करते समय रखा जामा चाहिये।

(5) भूमि वर्ग (किस्म जमीन)

सर्वेक्षण व संटिलमेन्ट से संबन्धिः राजकीय किये जाने का प्रावधान है। नियमों के नियम 39 के अनुसार राजस्थान में सामान्यतः भूमि वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किये जाने का प्रावधान है।

(क) सिचितः--

1. चाही

कुओं द्वारा सिचित ।

2. नहरी और तालाबी

नहर या तालाबों से सिषित ।

3. दीगर

श्रन्य साधनों से सिवित ।

(ख) बिना पीवल काश्त:---

 सेंबज या सैलाबी या सराबी या खारिन्डा निचले इलाकों जिनमें वर्जी का पानी इकट्ठा होता हो अथवा भूमि में हल्का निरन्तर इलान होने से पानी भूमि पर ठहरता-भूमता हुआ आजे निकलता हो ।

2. पेटा तालाबी

तालाब के तले का क्षेत्र निसर्ने तालाब का पानी सूचने पर खेबी होती हो।

3. कढार या खातली

निदयों के तले का या किनारों का

4. बारानी या बरताती

जिस भूमि में फसल केवल बर्बा पर निर्भर हो या माल ।

(ग) युखी बिना काश्त की भूमि:--

1. पड़त या बंजर

बिना काश्त की हुई ग्रथवा पड़ी हुई भूमि।

2. बोड़

घास उगने के लिये आरक्षित की गई भूमि ।

(व) सुक्षी कृपि प्रयोग्य भूमि:---

1. गैर पुमकिन

कृषि के लिये अयोग्य भूमि जैसे नाले, पहाड़, रास्ते, रमशान बगैराह।

2. चारागाह

पशुग्रों की चराई के लिये निश्चित् की कई भूमि ।

(6) कई क्षेत्रों में कुछ ऐसी बारानी भूमि होती है जिसे माल के नाम से जाना जाता है। इसमें रबी की फसल में सिचाई के साधनों के बिना भी गेहूं, चना, सरसों,

कपास इत्यावि उत्पन्न किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में निवमों में विये गये वर्गीकरण के मितिरक्त "माल" थेणी को सूखी कारत वाली श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिये। कुछ मितिरक्त को में निवाई वाले स्थानों में नमी ग्रिधिक टिकने के कारण रवी की फसल पैदा की जाती है। इन पूजियों को सेंवज, रेल अथदा उताम कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र श्रें नियमों में वी बई भेंजियों के प्रतिरिक्त कोई भूमि वर्ग बनता हो तो वर्गीकरण में उसे भी स्थान विकान चाहिये। "माल" ग्रिक्तिश कोटा, बंबी, झालाबाड़ जिलों में पाई जाती है।

- (7) राजस्थान राज्य के कुछ इलाकों में जहां धूमि बहुत बड़े क्षेत्र में समतल है, तथा भूमि में हस्का हस्का हाल है वहां ऐसी भूमि में मिट्टी के छोटे-बड़े बंध ढाल की तरफ कुछ-कुछ किलोमीटर की दूरी पर बालकर वर्षों के पानी को रोक कर शनेः शनेः ढाल की तरफ झाणे बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया से भूमि पर पानी ठहर कर भूमि को पूरी नभी दे देता है और फिर झाणे बह जाता है। स्थाई रूप से पानी एक जगह रकता नहीं है। वर्षों खुत के बाद ऐसी भूमि में झौंसचित रबी की कारत की जा सकती है। इस प्रक्रिया को सेराब कहते हैं। भरतपुर जिले में इस प्रकार की झौंसचित कारत बहुत बड़े केन्न में होती है। जहां पानी स्थाई रूप से हके जाए यानी जिल जगह भूमि चारों और से नीची हो और झाणे ढाल न हो, वहां क्का हुआ पानी सूखने पर ही खेती हो सकती है। ऐसे स्थानों को "डहर" कहते हैं तथा ऐसी झूमि को ढहरी सूखि कहते हैं।
- (8) ऊपर वर्णित वर्गों में आवश्यकतानुसार उप-वर्ग भी किये जाने चाहिये। (1) उत्तत (2) प्रथम (3) द्वितीय एवं (4) तृतीय तक यानी यह जरूरी नहीं है कि सभी वर्गों में उप-वर्ग बनाये जावे। उप-वर्गों का निर्माण भूमि वर्गों करण का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन मसला है। भूमि का वर्गों में बांटना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि यह मौके पर स्पष्ट दिखाई पढ़ जाता है। किन्तु प्रस्थेक वर्ग को उप-खंडों में विभाजित करते समय पूरी सावधानी की आवश्यकता है। सिचाई के साधनों से सम्यक्त बगीचों को चाही/नहरी उत्तम उप-वर्ग में तथा असिचित वर्गों को बारामी उत्तम उप-वर्ग में रखा जा सकता है।
- (9) भूमि के प्रत्येक वर्ग को उप-वर्गों में विभाजन के लिय निम्नलिखित मुख्य बातों पर भ्यान विया जाना जरूरी है:---
 - (क) सिट्टी की प्रकृति व गहराई।
 - (ख) सिचाई हेतु जल की पर्याप्तता व जल के गुणावगुण।
 - (ग) मिट्टी व जल का मेल।
 - (घ) आबादी से दूरी या नजदीकी तथा भूमि अवड्-खावड् टालू अथवा पथरीली होना ।
- (10) सिट्टी की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि वहां कौनसी फसल पैदा की का सकती है। इसकों को यह जात है कि सिट्टी की गहराई तथा उसके गुणों से सूमि का सूर्व्याकन होता है और गांव वाले अपने क्षेत्र में पड़ने वाली सिट्टी के गुणों के आधार पर खेतों का नाम भी रख विया करते हैं। संगुक्त खाते के हिस्सेदार जब अपनी जोत का बंटवारा करते हैं तो इसी आधार पर बंटवारा किया जाता है।
 - (11) जाम की क्यिति से भी भूमि के नूल्यांकत में अन्तर पड़ता है। इलान पर स्थित

जमीन मिट्टी के बहाव के कारण कम कोमत की ग्रांको जाती है। पहाड़ियों के बीच में वाटी में बोई जाने वाली भूमि प्रधिक मूल्य की होती है क्योंकि पहाड़ियों से प्रत्त उर्वरक के कारण फसल ग्रन्छी होती है। मूमि की स्थित में यह भी देखा जाता है कि भूमि श्राबावी के निकट है या दूर। बड़े गांवों में ग्राबाबी की निकट का बहुत महस्व दिया जाता है क्योंकि निकट के खतों में खाद प्रबुर माला में उपलब्ध हो जाती है। ग्राबादी के पास के खतों में खाद को ले जाने में कम व्यय होता है जबकि दूर के खेतों में खाद को ले जाने में ग्रिधक व्यय होता है। ग्राबादी के पास की भूमि को सामान्यतः ग्रिधक खाद मिलता है। ग्राबादी से कुछ दूरी पर स्थित मूमि को कम खाद मिलता है। ग्रावादी से ग्रिधक दूरी पर स्थित क्षिण को उर्वरक बिलकुल नहीं मिलता। स्थित से सम्बन्धित तीसरा पहलू यह है कि क्या भूमि मंडी ग्रीर शहर से नजवीक है या दूर। मंडी ग्रीर शहर के पास पड़ने वाले क्षेत्रों को यह लाम है कि उपज को मंडी तक पंहचाने में कम खर्च ग्रीर कम समय लगता है जबिक दूर के क्षेत्रों से।

- (12) उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुय मूमि का तुलनास्मक मूल्यांकन निम्न प्रकार से होता है :--
 - (क) समतल मूमि और भारी मिट्टी श्रसमतल और हल्की मिट्टी से श्रिधक अच्छी होती है। पत्थरयुक्त कंकर वाली मिट्टी उपरोक्त दोनों मिट्टियों से कमजोर होती है।
 - (ख) समतल खेत ढलान वाले खेत से ग्रधिक मूल्यवान होता है, चाहे दोनों की मिट्टी एक ही श्रेणी की हो।
 - (ग) निचले स्थान पर स्थित खेत समतल खेत से ग्रधिक ग्रन्छा होता है।
 - (घ) जिन दूर के खेतों पर जंगली जानवरों का भय बना रहता है उनका मूल्य तदनुसार कम हो जाता है।
 - (इ) ढाणी या बस्ती के पास पड़ने वाली भूमि वूरी वाली भूमि से श्रधिक कीमती होती है।
- (13) पुर्न भू-प्रबन्ध के समय भू-प्रबन्ध झिंधकारी ध्यानपूर्वक भूमि वर्गीकरण के पिछले भू-प्रबन्ध के समय अपनाये गये सिद्धान्तों का अध्ययन करेगा। सामान्यतया पूर्व के भू-प्रबन्ध के समय अपनाये गये सिद्धान्तों को ही माना जावेगा। किन्तु यदि पूर्व के भू-प्रबन्ध के समय अपनाई गई विधि गलत प्रतीत हो या सुविधाजनक नहीं हो या परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया हो, तो परिवर्तन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि भूमि वर्गीकरण का परम्परागत तरीका समय की कसौटी पर सही उतरा है। यदि भूमि वर्गीकरण की पुरानी विधि को नहीं अपनाया जाता है तो पिछले भू-प्रबन्ध में एकवित किय गये आँकड़ों की उपादेयता उपलब्ध नहीं होगी। संक्षेप में यदि धूमि वर्गीकरण की पुरानी विधि को छोड़कर नई विधि अपनाई जाती है तो इसके लिये भू-प्रबन्ध अधिकारी को पूर्णक्य से विचार करके कारण देते हुय निर्णय केना चाहिये।

(14) विभिन्न वर्गों का विवेचन :

(1) चाही: भूमि वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग चाही है। कुएं के साथ पड़ने बाली जमीन को जाब कहते हैं और कुएं द्वारा सिचित भूमि को चाही भूमि कहते हैं। अधिकतर कुकों से पूरे जाव की सिंचाई नहीं होती क्यों कि कुओं में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता है। अतः एक कुए के जाव में भिन्न-भिन्न फसलों को रोटेशन के आधार पर सिंचाई की जाती है। जाव में कई ऐसे हिस्से भी होते हैं जिनमें चार या पांच साल से अधिक समय से भी कुएं से सिंचाई नहीं की जा सकी। यदि इस प्रकार से पूरे जाव को चाही की श्रेणी में रख दिया जावे तो यह कुषक के साथ न्याय नहीं होगा। अतः सही मूल्यांकन के लिये केवल उसी मूर्यि का चाही भेणी में रखा जाता चाहिये जिसको छिले पांच वर्ष में कम से कम एक फसल के लिये एक बार पानी अवश्य मिला हो। किन्तु यदि एक ही वर्ष अनायास सिंचित हुई है और हमेशा बारानी रही है तो उस भूमि को चाही शुमार करना अनुचित होगा। बारानी कत्तम रख सकरों हैं। पिछले पांच वर्ष को श्रीसत को वृष्टिगत रखते हुए जाव को निकत भागों में विमाजित किया जाना बाहिये:—

- (क) सिचित
- (ख) सुखी काश्त वाला जाव एवं
- (ग) पड़त
- (2) मेड़ पर पड़ने वाला वह भाग जिस पर खेती नहीं होती, पड़त के वर्गीकरण में आयेगा । इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि वह खेत जिसे कृषक में जानवूझकर कम मूल्यांकन के लिये आसिचित रख विया है, सिचित ही माना जावेगा ।
- (3) चाही भूमि के वर्गीकरण के लिये निम्नलिखित दो बिन्दू अस्यन्त महत्वपूर्ण हैं:-
 - (क) पानी की किस्म और पर्याप्तता एवं
 - (ब) कसलें
- (4) पानी की किस्म खेती के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मीठा पानी समस्त फसलों के लिये लाअदायक है। लवणयुक्त पानी से कुछ क्षेत्रों में गेहूं की फसल हो सकती है और कुछ में जो की फसल। कम नमक वाले पानी के द्वारा कपास व मक्का को खेती तब हो सकती है जब कि एक अच्छी वर्षों के पश्चात् बुवाई की जाय। खारा पानी भी कई प्रकार का है और इसका विभिन्न प्रकार की भूमि पर अलग-जलग प्रभाव होता है। गन्ने की खेती वहीं हो सकती है जहां पानी की मात्रा अधिक हो।
- (5) भूमि वर्गीकरण के लिये उपज श्रौर फसल की किस्म भी बहुत सहत्वपूर्ण है। वृश्चि को कीमत उपज पर निर्भर करती है जिस वाही भूमि में दो फसते हो सकतो है वह अधिक कीमती है। प्रतः भूमि वर्गीकरण में दो फसली चाही भूमि को ऊंबी अणी मिलनी वाहिये।
- (6) साधारणतया बाही भूमि की तीन उप-श्रेणियां पर्याप्त होती है किन्तु ग्राक् श्यकतानुसार चार उप-श्रेणियां भी की जा सकती हैं जैसाकि पहले बताया जा चुका है।
 - (7) उपरोक्त बातों को भ्यान में रखबै हुये मू=प्रबच्च अधिकारी क्षेत्र में पड़ने वाले

एक साधारण कुएं को साधारण श्रेणों की चाही भूमि का मानदन्ड मानेगा। श्रलग-श्रलम क्षेत्र में साधारण माना जाने वाला कुत्रां श्रलग-श्रलम किस्म का होगा। जित किसों में पानी बहुतायत से पाया जाता है श्रीर दोनों कसले जायी जाती है बाहे वो दो फसली लेक-फल हो क्यों न हो, तो इसे चाही प्रथल माना जावेगा। इसके मुकाबले में, जिस क्षेत्र में पानी की खाता कम हो श्रीर कम श्रीतशत केल में, बाहे वो फसलों भी उगाई जातो हो, तो भी ऐसे भू-भाग को चाही दिलीय माना जावेगा। संस्थेप में प्रत्येक भू-भाग में कुश्रों की श्रीर पानी को व उनके सल की सामान्य स्थित को देखते हुन्ने बाही प्रथम का मानदण्ड निर्धारित किया जावेगा। चाही प्रथम के कुश्रों को वृष्टिगत रखते हुन्ने श्राम्य कुश्रों के अन्तर्गत श्राने वाले जाव का वर्गोंकरण तुलनात्मक वृष्टिकोण से किया जावेगा।

- (8) बड़ी श्रावादियों के पास पड़ने वाली समतल भूमि जिसमें कीमती अपनसायिक फसलें पैदा होती है, चाही प्रथम से ऊंची अंशी में रखी जावेगी।
- (9) कुछ जुओं का पानी ऐसा होता है कि उनके द्वारा सिवित जूमि एक बा बो फसलों के परचात् कृषि योग्य नहीं रहती और उन्हें कुछ वर्ष पड़त रखना पड़ता है। ऐसी बाही भूमि को निम्नतम अंगी की बाही भूमि में रखा जीना चाहिये।
- (10) कच्चे कुओं से सिचित भूमि को पक्के कुओं से सिचित भूमि के मुकाबले निम्न श्रेणी में रखा जाना चाहिये।
- (11) कुछ खेतों की कुओं से तिचाई होती है। किन्तु यह खेत कुएं के जाब में नहीं पड़ते यानी कुएं के पास में लगातार नहीं है। बीच में कुछ खेत छोड़कर दूर स्थित है। ऐसे मामले निम्नलिखित तीन श्रेणियों के हो सकते हैं।
 - (क) खेत उसी कृषक का है जिसका कि कुत्रां है। ऐसे खेत की जाब का ही हिस्सा माना जाना चाहिये।
 - (ख) खेत अन्य कुषक के कुएं से सिंचित होता है। ऐसी भूमि की एक श्रेणी नीचे रखा है जाना चाहिये। किन्तु यदि यह प्रथा क्षेत्र में श्राम तौर पर प्रचलित हो, तो इसे सामान्य रूप सही मूल्यांकन के अनुसार उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिये। एक श्रेणी नीचे देने की जरूरत नहीं है।
 - (ग) खेत जो बदा-कदा अन्य कृषक के कुए से सिवित हो जाता है। उसे बारानी जाव की श्रेणी में रखा जावे। इस मूमि पर सबसे ऊंची श्रेणी की बारानी किस्म की लगान लगेगी।
- (12) कई बार कुएं के जाव की नहरों से भी सिनाई होती है। इस प्रकार के जाय का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाना चाहिए कि सिनाई का मुख्य साधन क्या है अर्थात् कुमा सिनाई का मुख्य साधन होने पर नहरी खेंगी में रखा जाना चाहिये।
- (13) कुछ जुओं की खास स्थिति होती है, उदाहरणार्थ सेंबज या रेल भूमि में पड़ने वाले कुएं या नदी के किनारे बनाये गये कुएं। ऐसे कुएं गांव के सामान्य कुओं से बेहतर होने के कारण इनकी भूमि का वर्गीकरण सामान्यतः एक अंगी ऊपर ही करना चाहिये चाही भूमि का वर्गीकरण करने हेतु पंजवर्गीय शौसत का प्राधार जिस वर्ष चक्रतराशी की जाती ही उस वर्ष एवं उससे पूर्व के 4 वर्षों को मानना चाहिये।

- (2) नहरी: सिंबाई का दूसरा बड़ा लोत बंधों या तानावों की नहरें है। तालाबों से सिनित श्रेव को तालाबी या नहरी क्षेत्र कहा जाता है। बड़े-बड़े बंधों को नहरी तथा नहर योजनान्तेंगत नहरों से सिंबाई क्षेत्र को नहरी भूमि कहा जायेगा। राज-स्थान में साधारणतया निम्न प्रकार के तालाब पाये जाते हैं:--
 - (क) प्रथम श्रेणो के तालाब: यह वह बड़े तालाब है जिनमें एक बार पानी अर जाने पर दो या तीन वर्ष तक पानी समाधा नहीं होता और खरीफ की फसल के श्रलाबा रबी की फसल को चार या पांच बार पानी दिया जा सकता है। ऐसे तालाबों के पेटे में कम ही काश्त हो पानी है।
 - (ख) द्वितीय श्रेणी के तालाब :--इन तालाबों के द्वारा रबी की फसल में दो या तीन वार पानी दिया जा सकता है। इनका पेटा कारत के लिये केवल उन वर्षों में उपलब्ध होता है जब वर्षा न हो और तालाब नहीं भरे।
 - (ग) तृतीय श्रेणी के तालाब: इन तालाबों के द्वारा केवल रबी की बुवाई के लिये पानी दिया जा सकता है। श्रीर शिधक से श्रीवक एक बार फसल को श्रीर पानी दिया जा सकता है। इन तालाबों का पेटा रबी की फसल के लिये हर साल तमय पर उपलब्ध हो जाता है श्रीर फसल के लिये पर्याप्त नमी मूमि में कायम रहती है।
 - (घ) चतुर्थ श्रेणी के तालाब :--इन तालाबों द्वारा किसी-किसी वर्श रवी की फसल बुवाई के लिये पानी उपलब्ध होता है तथा तालाब का पेटा सामान्यतया रवी की बुवाई के लिये उपलब्ध होता है।
 - (ङ) नाड़ा या नाड़ी: --उपरोक्त चार श्रेणियों के प्रतिरिक्त अत्यन्त छोटे तालाबों को नाड़ा या नाड़ी कहते हैं। इनमें केवल खरीफ को सिचाई के लिये पानी उपलब्ध होता है। इनके पेटे में रबी की फसल हो सकती है।

बड़े-बड़े तालाबों एवं बान्बों की नहरों से सिचित होते वाली भूमि को नहरी भूमि कहा जायेगा । इसी तरह बड़ी-बड़ी सिंबाई योजनाओं के अन्तर्गत बनी हुई नहरों से सिबित होने वाली मूमि को नहरी सूमि का वर्ग दिया जायेगा । जो खेत नहर के मुहाने के पास पड़ते हैं, या जो खेत नहर के पास पड़ते हैं और जिनको अच्छी तरह पूरा पानी सिचाई के निये उपलब्ध होजाता है तथा हर साल फसल रवी की पूरी सिवाई नवुर से संसंव हो जाती है, उन खेतों को नहरो वर्ग में ऊंची श्रेणी में रखा जायेगा । किन्तु जो खेत नहर के प्रन्तिम छोर की तरफ पड़ते हैं श्रयबा नहर ये काफी दूर है जिनको सिबाई के निये पुरा पानी उपलब्ध नहीं होता है, ऐसे खेतों को नहरी वर्ग की निम्न श्रेणी में रखा जाना चाहिये। नहरी मूमि में सामा-न्यतः वो वर्ग ही किये जाने चाहिये, यथा नहरी प्रथम एवं नहरी द्वितीय। किन्तु जिन क्षेत्रों में नहरी की स्थिति ग्रनिश्चित् है तथा वे सिवाई का पर्याप्त साधन भी नहीं है उन क्षेत्रों में नहरी वर्ग के उप-वर्ग बनाने की अध्वयकता नहीं है। तालाबों का पानी खाली होने पर उनके पेटे में जो कारत होती है, उसे पेटा कारत कहके हैं और ऐसी भूमि को "पेटा तालाबी" वर्ष दिया जाता है। यह श्रींसचित काश्त होती है। नहरी क्षत्रों में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कई कारणों से नहर में पानी स्राता बन्द हो गया हो स्रथवा ग्राठ-दश वर्व में एक कार यदा कदा शनी आ जाता है, ऐसे क्षेत्रों में मौके के हालात व इलाके की पृष्ठ भूमि का लिहाज रखते हुये भूमि वर्गीकरण करना चाहिये । अ।वश्यकता हो तो नहशे वर्ग को तमाप्त भी किया जा सकता है।

भू-भवन्य अधिकारी नहरी और तालाबी की सामान्य श्रेणी अपने विवेक के अनुसार निश्चित् करें और अन्य श्रेणियां सामान्य श्रेणी की तुलना में कायम की जावेगी। श्रेणियां कायम करते लमय पानी की माला, जमीन की किस्म और पैदा की जाने वाली फसलों का ध्यान रखा जावेगा। इस बात का ध्यान रहे कि केवल उस भूमि को नहरी वर्गीकरण में रखा जाय जिसकी वास्तव में सिचाई होती है। वह क्षेत्र जिसकी सिचाई हो सकती है किन्तु बास्तव में पानी उपलब्ध नहीं होता नहरी वर्ग में सिम्मलित नहीं किया जाय।

(3) दोगर पीवल : कुछ क्षेत्रों में कुओं और तालाबों के स्रतिरिक्त स्रन्य स्रोबों से सिवाई होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे नालों से सिवाई की जाती हैं। इसके स्रतिरिक्त पानी के प्रन्य प्राकृतिक स्रोत जिन्हें सारण, मरना या पड़वा कहते हैं, के द्वारा सिवाई की जाती है। ऐसी भूमि को दोगर पीवल कहा जाता है। यह क्षेत्र सामान्यतः बहुत छोदा होता है। स्रतः इनकी एक ही श्रेणी रखी जानी बाहिये।

3 श्रांसचित भूमि बारानी वर्ग :

- (1) साधारणतया श्रांसचित भूमि जिसमें विशेष भूमि जसे माल, सेंबल, सेलाबी, से राबी, खडीन इहरी रेल उनाम तालाबी सम्मिलित नहीं है को बारानी वर्णीकरण में रखा जाता है। वारानी वर्णीकरण में सबसे अधिक श्रेणियां होती है। श्रीर बारानी सूमि राजस्वान में सबसे बड़ा वर्णीकरण है। बारानी भूमि काली मिट्टी से लेकर रेतीली भूमि तक होती है। सूमि की किस्म के श्रनुसार उपज में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है।
- (2) बारानी भूमि के वर्गीकरण के लिय निस्निखित तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है:---
 - (क) सिट्टी की महराई तथा उसके गुण
 - (क) ऊपरी सतह की समतकता ग्रीर ग्रसमतलता
 - (ग) भूमि की प्राकृतिक उपन
 - (घ) उपज की निरन्तरतः व कौनसी कसलें उगाई जाबी है।
- (3) साधारण बारानी की तीन श्रेषियां पर्याप्त है। किन्तु ऐसे क्षेत्रों में जहां जूमि सच्छी है तथा जलवायु अनुकूल होने से बारानी क्षेत्र में बगीचे लग गए हैं जिनसे अच्छी आय-बनी होती है, ऐसे क्षेत्रों में जीवी किस्म बारानी उत्तम की श्रेणी भी कायम की जा सकती है।
- (4) भूमि का सालान्य वर्ग जहां तक संभव हो प्रथम श्रेणी में रखा जाने भीर ग्रन्थ श्रेणियां इस श्रेणी की तुलना में निश्चित् की जावे।
- (5) आजादी के समीप अधिक खाद मिलने वाले क्षेत्र को जिसने जौ व कपास पैदा होती है, सामान्य वर्ग को भूमि से एक श्रेणी ऊपर रखी जावे यानी बारानी उत्तम् का दर्जा दिया जादे।
- (6) ऐसे श्रेज में जहां बारानी मूनि एक से अधिक प्रकार की है और उनको उपज से पहचाना जा सकता है तो बगीकरण भूमि की किस्स के अनुसार किया जाना बाहिये । किस्स

आहां मूचि एक ही प्रकार की है स्रोर कृषक एक खेत को दूसरे खेत से गुण में निम्न बताते हैं, तो इस शाक्षार को भी व्यान में रखा जाना चाहिये।

(7) काली बोमट मिट्टी जो राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है और जो रबी की फसल पैदा करने के लिये नभी कायम रखने की समता रखती है, माल कहलाती है। ऐसी भूमि में साधारणतथा एक वर्ष में गेहूं ओर दूमरे वर्ष में ज्वार पैदा की जाती हैं। किन्तु कुछ बाल भूमियां इतनी खच्छी होती हैं कि अत्येक वर्ष गेहूं पैदा किया जा सकता है। ऐसी भूमि में कपास भी अच्छा पैदा होता है। माल वर्गीकरण के अन्तर्गत हो या तीन श्रेणियां रखना पर्वाप्त हैं।

(4) पेटा तालाबी :

तालाओं के भीतर की भूमि को कई जगह पेटा व अन्य स्वानों पर तालावी कहा जाता है। किन्तु तालावी नामकरण उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इससे तालाव की नहर है जिलित होने वाली भूमि का संदेह हो जाता है। अतः "पेटा तालावी" कहना ही अयरकर होगा। खरीफ की फसल के समय अधिकतर यह भूमि पानी में अंतिकत्त रहती है। भू-प्रवन्ध अधिकारी को उन केलों का भूमि वर्गोकरण करना चाहिये जो रवी फसल के समय उपलब्ध हो जाती है। राजस्थान में पाये जाने वाले तालावों का विवरण उपर दिया जा कृता है। अथस दो अंगों के तालावों का क्षेत्र रवी फसल के लिये उपलब्ध नहीं होता। तालावों या पेटा भूमि की दो श्रीणयां पर्याप्त होती है। तालाव के मध्य अथवा मध्य के नजबीक की भूमि अथवा अधिक गहराई के पास वाला क्षेत्र दूर वाले व किनारे के केन्न से बेहतर होगा।

(5) खातली या कछार :

निदयों के पाट की भूमि में तथा बिलकुल किनारों पर भी कारत की जाती है। निदयों के पाट के लिये भी भू राजस्व निर्धारित किया जामा आवश्यक है। यदि कोई केन्न हमेशा काश्त के लिये उपलब्ध रहता है तो इसे "कछार" वर्गीकरण में शामिल किया जावे अन्यथा इसे "खातली" वर्गीकरण दिया जावेगा। इस क्षेत्र की हो श्रेणियां पर्माप्त है।

(6) वहरी :

निचले स्थानों दर स्थित भूमि को ढहरी भूमि या तालाबों नाम दिया जाता है। इस भूमि में वर्षा का पानो भरकर इकट्ठा हो जाता है बो रबी की बुनाई तक सुख जाता है। इन गड़डों के ढहर कहते हैं। इस भूमि में नयी की माना ग्रधिक होने के कारण रधी की फसल बहुत अच्छी हो सकती है। सेवज क्षेत्रों में नमी रहने के कारण रवी को फसल की जाती है। किन्तु यह ढहरी के मुकाबले में कमओर होती है। रेल क्षेत्र में निदयों के ढारा या पहाड़ियों से उर्वरक प्राप्त होने से भूमि की शक्ति बढ़ जाती है। अन्य क्षेत्रों में विशेष प्रकार की भूमि पाई जाती है जिसे वहां के स्थानीय नाम से पुकारा जा सकता है। उदाहरण के लिये खादिम व उनास आदि। ऐसे भूमि की दो या तीन श्रेणियां पर्याप्त है।

(7) खडोन या खरिण्डा :

जन छोटी-छोटी सी यालीनुमा कुछ गहराई वाली भूमि को कहते हैं, जिसमें वर्षा ऋतु का पानी भर जाता है ग्रीर कुछ ग्रस तक भरा रहने के परचात् पानी सुख जाता है। जनीन में काफी नमी बनी रहती है, जिससे उनत भूमि में गेहूं, जौ, चना, सरबों की फसल हो जाती है। ऐसे छोटे-छोटे खडीन प्रायः रेगिस्तानी क्षेत्र में होते हैं। इसके विपरीत काफी दूर-दूर तक क्षेत्र में फैली हुई निचली व गहरी भूमि जिसमें दूर-दूर तक पानी इकट्ठा हो जाता है, ढहरी भूमि शुमार होती है।

(8) सराबी :

जो इलाके मीलों लम्बी दूरी में समतल होते हैं और जिनमें बहुत हल्का-इत्का हाल होता है जिसकी वजह से पानो तेजी से बह कर आगे नहीं निकलता, अपितु शनै: शनः आगे बढ़ता है जिसकी वजह से पानो तेजी से बह कर आगे नहीं निकलता, अपितु शनै: शनः आगे बढ़ता है जिससे सारे क्षेत्र में गहराई तक पानी की नमी फैल जाती है और पानी भी रबी की बुआई के समय तक निकल जाता है। उन क्षेत्रों की भूमि की सैराबी भूमि कहते हैं। ऐसे बौदों में सरकार या इचकों द्वारा प्रपने खर्चे से योड़ी थोड़ी दूर पर मिट्टी के मजबूत बंध डाल दिये जाते हैं जिनमें मोरियां भी बनाई जाती है या समय-समय पर उनको जगह-जगह से काट दिया जाता है। इस तरह पानी की भूमि पर ठहरा-ठहरा कर आगे बढ़ा दिया जाता है। सैराबी वर्ग में उप-वर्ग रखने का रिवाज नहीं है।

- (9) श्रकृषित क्षेत्र तीन प्रकार का होता है:
- (क) पड़त
- (ख) बंजर
- (ग) बीड़ या जोड़
- (2) प्रथम व द्वितीय वर्गीकरण की भूमि काबिल काश्त होती है। परत व अंजर का तुक्रनात्मक अध्ययन इस प्राधार पर किया जाता है कि भूमि कितने वर्ष बिना काश्त हुये रही। साधारणतया वह भूमि जो तीन साल प्तक बिना काश्त हुये रहे, पड़त जदीव कहलाती है। इससे अधिक छः साल तक बिना काश्त शुवा जमीन की पड़त कदीम कहते हैं। पड़त कदीम और डनके लगान में भी अन्तर नहीं होता है। फिर भी पड़त कदीम अंजड़ श्रेणी में बामिल नहीं दिया जावे। वर्तमान सम्पन्त में पड़त करीम समय में पड़त कर्ग समाप्त करके वंजड़ कर्ग ही रखने की प्रथा हो गई है।
- (3) जिस भीव को घात उगाने के लिये सुरक्षित रखा जाता है, उसे बीड या जोड कहते हैं। इसकी वो श्रेणियों होती है:—
 - (1) जो कायिल काश्त ही, और
 - (2) जो काबिल काश्त न हो।

बीड की दो अन्य उप-श्रेणियां होती है :---

- (क) बीड प्रथम या भगरी प्रथम—जहां बास प्रजुर माझा में उत्पन्न हो श्रीर काटी जावे।
- (ख) बीड द्वितीय या नगरी द्वितीय-जहां घास कादी नहीं जाती किन्तु मनेश्री चराई करते हैं।

बीड़ द्वितीय या नगरी द्वितीय का लगान नाम मात्र का निर्वारित किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा गांव के पशुश्रों के चराई के लिये निश्चित् किये गये क्षेत्र की चारागाह या गोचर भूमि कहते हैं। इस पर काश्त चरना कानूनन वर्जित हैं।

10. गेर मुमकिन :

वह भूमि जो काविज कारत नहीं है, गैर मुमकिन कहलाती है। रास्ते, श्राबादी, रमशान, नदी, नाले, कबिस्तान इत्यादि इस श्रेगी में शामिल हैं।

- 11. चारागाह—वह सरकारी भूमि है जो चारागाह घोषित है। अथवा भू-अभिलेख में चारागाह वर्ज चली आती हैं। बारागाह में कई कुएं बने हुये हैं तथा अतिकसीगण जबरबस्ती काशत करके ऐसे कुओं से सिंबाई भी कर लेते हैं। अतः चारागाह की भूमि को अलग छांटते हुये भी चारागाह में किस्म जमीन दे देना चाहिये ताकि शास्ति वसूल करने में राजकोष को घाटा न रहे। पर कुल देह के रकता पर इसका असर हीं पड़े, यह ध्यान रखना चाहिये।
- (15) हिदायत वकतराशी तैयार करना : जैलाकि करर वर्णन किया जा चुका है भू-प्रवच्य अधिकारियों को तहसील क्षेत्र के भूमि वर्गों को समझने के लिये काफी भ्रमण करना चाहिये । तहसील के प्रत्येक गांव का दौरा करके सम्पूर्ण हालात का अध्ययन करना चाहिये जिले लगभग पूरी तहसील के संबच्ध में कर निर्धारण मंडल समूहवार सारी स्थिति का जान हो सके । विभिन्न प्रकार की भूमियों की उत्पादकता विभिन्न फसलों को पैदावार, सिचाई के साधन और उनकी पर्याक्तता तथा कृषि के खर्चों एवं बचत का पूरा अध्यय करना चाहिये । प्रत्येक गांव का न्यारा-न्यारा विवरण लिखा जाना चाहिये जो भू-प्रवन्ध के लेखों में शुमार होंगे । भू-प्रवन्ध छिकारी को अपने अधीनस्थ सहायक मु-प्रवन्ध अधिकारियों को साथ बैठकर इन विवरणों पर विचार विमर्श करके भूमि वर्गोंकरण एवं लगान वर्रों के निर्धारण के लंबन्ध में निष्कर्ष विकालना चाहिये । प्राम विवरण (नोट) को रूपरेखा निम्न अकार होगी :—
 - 1. नाम तहसील
 - 2 11127 181 2012
 - 3. प्राम का क्षेत्रफल
 - 4. नवी, ताजाब, बांध इत्याबि (जो उस गांव में हो)
 - 5. प्राकृतिक हालात
 - 6. गत 20 वर्षों में वर्षा की स्थिति
 - 7. सिचाई के साधन एवं सिचित व ग्रांसचित क्षेत्र का विवरण;
 - भूमि के प्रकार एवं सिट्बी के विभिन्न भेद (विस्तृत बोट दर्ज किया जावे) ।
 - 9. मुख्य-मुख्य फतलें (यत बोल-पच्बील बर्धों में फमलों की स्थिति में परिवर्तन)

- 10. विभिन्न फसलों की श्रोसत पैवावार प्रति बीघा/हैक्टेयर
 - 11. रबी व खरीफ की प्रमृख-प्रमृख फतलों के खर्च एवं बचत प्रति बोधा/हैक्टयर (गांव के पुराने अनुप्रधी कृषकों ते पूछ-ताछ व विचार क्षिमशं करके क्यौरा लिखा जाव)। यदि पटवारी प्रथवा अन्य राजस्व कर्म चारी मौके पर उपलब्ध हो तो उनसे।
 - 12. प्राकृतिक प्रकोष (गत 20 व 25 वर्षों में) जब-जब, जिस-जिस प्रकार के हुय हों।
- 13. मीजूदा लगान की दरें--- उनका धौजित्य-परिवर्तन की ग्रावश्यकता-समाधोजन ।
- 14. श्रधिकारी के विचार व टिप्पणी।

हिदायत चकतराशी व उसकी मंजूरी:

उपरोक्त प्रध्ययन के उपरान्त पूरे तहसील क्षेत्र के लिये हिदायत चकतराशी तैयार की जानी चाहिये ।

समायोजन सारिणी :

श्रवसायी भू-प्रबन्ध में किये गये भूमि वर्गोकरण तथा लगान दरों का बारीकी से अध्ययन करके उनका नये प्रस्ताबित भूमि वर्गोकरण के साथ समायोजन किया जाना चाहिये तथा समायोजन सारिणी भी हिवायते चकतराशी के साथ लगेगी जो किसी हद तक सूमि वर्गोकरण करने वाले अधिकारियों का मार्गदर्शन करेगी। हिवायत चकतराशी मय समायोज सारिणी भू-प्रबन्ध श्रविकारि हारा भू-प्रबन्ध श्रायुक्त को वास्ते मंजूरी प्रेषित की जायेगी। भूमि वर्गोकरण करने वाले निरोक्षक/अधिकारी को समायोजन सारिणी से केवल दिशा निदेश ही लेना चाहिये। मुख्य तो मौके की स्थित ही रहेगी:—

- (1) भू-प्रबन्ध आयुक्त प्रस्ताबित भूमि वर्गीकरण को जांच के पश्चात् स्वीकृति देते हैं। यदि आवश्यक हो तो भू-प्रबन्ध आयुक्त भूमि वर्गीकरण के प्रस्ताव को मौके पर जाच कर सकते हैं। भू-प्रबन्ध आयुक्त प्रस्ताबित भूमि वर्गीकरण में यदि आवश्यक हो, तो संशोधन वरके स्वीकृत कर सकते हैं।
- (2) भू-प्रबन्ध आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् भू-प्रबन्ध अधिकारी हिवायत चकतराशी की स्कीम के अनुसार सूमि वर्गीकरण करायेंगे इस कार्य के लिये पूरे केन्न को सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी हल्कों से बांट दिया जावेगा। भूमि वर्गीकरण का कार्य सामान्यतः सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी व उनके अधीनस्य हल्का निरीक्षक करेगे। भू-प्रबन्ध अधिकारी सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारीगण के कार्य की देख-रेख व जांच करेंगे। बह स्वयं भी भूमि वर्गीकरण सौके पर जाकर कर सकते हैं।
- (3) शूमि वर्गीकरण का कार्य निरीक्षकों द्वारा सहायक सू अबन्ध अधिकारी की बेख-रेख में किया जाता है। सहायक सू-अबन्ध अधिकारी को आवश्यकतानुसार निरीक्षक विये जाने चाहिये। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि वर्गीकरण की स्कीम सहायक सू-अबन्ध अधिकारी एवं निरीक्षकों को समझा वी जानी चाहिये तथा सहायक मू-अबन्ध

प्रधिकारी ग्रीर भू-प्रबन्ध प्रधिकारी इस बात की तसल्लो करलें कि भूमि वर्गीकरण की स्कीम निरीक्षकों को समझ में था गई है। यह देखना भी ग्राह्मश्चक है कि निरीक्षक मूमि वर्गीकरण मौके पर स्कीम के ग्रनुतार करते हैं। इसलिये प्रारम्भ ते ग्रन्त तक निरीक्षकों के कार्य का जायजा लेते रहना ग्रावस्थक है।

(16) तैयारी कूप विवरण, नवशा नहरी, नवशा तालाबी, नाडा :

जैसाकि अध्याय 3 में लिखा जा चुका है, भू-मापक मौके पर ही अयदा यदि फील्ड सीजन समाप्त हो गया है तो दपतर में बैठ कर नकता चाहात, नकता नहरी एवं नकता तालाव व नाड़ी तैयार करेगा। गत भूमि वर्ग खतरा एवं जमाबंदी से दर्ज करेगा। प्रत्येक कुएं से सिचित होने वाला खेत उकत कुएं के नीचे उसके जाव में अवस्य दिखाया जावेगा। कोई खेत छुद्रता नहीं चाहिये। भू-मापक गिरदावरी करते समय खसरा के खाना नम्बर 6 में सिचाई के साधन को अवस्य दर्ज करेगा। यदि उकत खेत में सिचित फसल बोई गई हो, तो चाह नम्बर, नहर अथवा तालाव का नाम अवस्य वर्ज होता चाहिये। निर्भारित प्रपन्न के अत्येक खाने की अरा जावे। योग और औसत निकालने के बाद अपर औसत का अतिशत तथा वुकसली काशत का प्रतिशत भी निकाल कर दर्ज कर देना चाहिये।

(17) हल्का निरीक्षक द्वारा चकतराशी : विकी । विकीस प्रत्य के कालप कर प्रत्य

हुल्का निरीक्षक यह सब रिकार्ड तथा गांव का भोनिया ट्रेन लेकर चक्तराशी करने के लिये मौके पर जायेगा । भौनिया ट्रेस पर एक कौने पर पुरानी लगान दरों से निर्मित समायोजन सारिणी, जो उस गांव की दरों से संबन्धित हो, संक्षिप्त में लिख लेगाः—

- (1) भूमि वर्गीकरण के कार्य की शारम्भ करने से पूर्व निरीक्षक गांव की गश्त पड़ताल करेगा जिसके द्वारा वह यह जात करेगा कि क्षेत्र में कौनती फसल पैदा होती है। इसके पश्चात् वह अत्येक खेत पर जायेगा और प्रत्येक खसरा नम्बर का असि वर्गीकरण करेगा। साधारणतया वाही जमीन में परे जाव को एक श्रेणी में रवा जा रा चाहिये। किन्तु चाही भिम में भी जाव के एक भाग की एक भेगी में और दूसरे भाग की दूसरी श्रेणी में रखा जा सकता है । उदाहरण के लिये एक भाग में बहुत अच्छी व महियाली भूमि हो और इसरे भाग में रेतीली अभि हो, एक भाग समतज हो और उधरा भाग ग्रसमतल निरीक्षक नम्यों में विभिन्न नमीं व श्रेणी की भूमि को साट रूप से दशिया। यदि निरोक्षक को किसी अधि व वर्गीकरण के बारे में सबोह हो भी वह इस क्षेत्र की डोटेड साइन से दर्शायेगा और सहायक भू-प्रकथ क्रांकारी या न्यान्य अधिकारी से मार्ग-दर्शन प्राप्त करेगा। अध्येक सर्किल में एक जान वर्ग के अन्तर्भन याने वाली भूमि एक ही गुणों ने यक्त होनी चाहिए और एक क्षेणी में पड़ने वाजी भूमि भी इसी प्रकार एक जैसे गुणों और खपज क्षमता बाली होनी चाहिये। निरीका भौके पर धून कर चक्रतराशी करता हुआ हाथो हाथ भीमिता देस पर अधिवर्ण नीली/नाल वेल्सिन से दर्ज करेगा। चाही व ग्रान्य पीवत भूमि का वर्ग नीली पेन्सित है व बारानी भूमि वर्ग ताल पेसित से दर्ज करेगा। पूरे मोजे की चकतराशी समाप्त करके चाहल, नहरी इत्यादि में नीट दर्ज करेगा।
- (2) निरीक्षक को यह ध्यान रखना चाहिये कि समझदार कुषक प्रस्येक भूभि के तुलनात्मक गुण, कीलन व उपन धानता के बारे में पूरी जानकारी रखता है । निरीक्षक द्वारा किये गये भूमि वर्गों करण से कुषक संतुष्ट होने चाहिये। वास्तिश्वक श्रेणी से उपर की श्रेणी वर्ण करने की कोशिश नहीं की जाय। उंची श्रेणी की ज्योत ऐतो होनी चाहिये जिस पर बास्तव में श्रीविक लगान कायन किया जा सकता हो। इस कार्य की सफलता के लिये यह

आवश्यक है कि निरोक्षक के कार्य की सीके पर जांच की जावे और कृषकों को इस संबन्ध में वृरी जानकारी देकर विश्वास में लिया जावे।

- (3) फसल कटाई प्रयोग:- भूम वर्गांकरण के लाथ-साथ निरीक्षक प्रधिक कसल काटने के प्रयोग करेगा। इस कार्य के लिये वह विभिन्न वर्गों व श्रेणियों को मुख्य उपजों के अलग-अलग प्लाट चुनेगा। प्लाटों का चुनाव कारतकारों की राय से किया जाना चाहिये और प्लाट ऐसे होने चाहिये जो उस विशेष श्रेणी का सही मूल्यांकन करा। सकें। यह कार्य सहायक भू-प्रबच्ध प्रधिकारी की देखरेख में होना चाहिये। इन अनुभवों के आधार पर निरीक्षक को अपने भूमि वर्गीकरण पर विचार करना चाहिये तथा इस संबन्ध में समझदार कृषकों को राय लेनी चाहिये। उपज काटने के परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा मू-प्रबन्ध अधिकारी को यह देखना चाहिये कि प्रत्येक निरीक्षक अपने सिकल में प्रत्येक वर्गीकरण की मुख्य फसलों के कम से कम तीन परीक्षण करें।
- (4) निरीक्षक को पिछले 20 वर्षों में हुए भूमि सुधार की ग्रोर विशेष ध्यान देना चाहिये। इसमें नये कुग्नों का निर्माण सम्मिलित है। निरीक्षक को एक ब्यौरा तैयार करना चाहिये जिसमें सुधार की प्रकृति, निर्माण का वर्ष ग्रौर इसका भूमि की उत्पादन कमता पर प्रमाव दर्ज करना चाहिये। निरीक्षक सुधार का संभावित व्यय भी सालूम करेगा।
- (5) मूमि वर्गीकरण के साथ निरीक्षक भूमि की कीमत का भी मूल्यांकन करेगा।
 वह खातेवारों भ्रीर गैर खातेवारों की माली हालत व कर्जवारी के बारे में भी जांच करेगा
 तथा रेन्टरेट रिपोर्ट में विणत किये जाने वाले समस्त तथ्यों की जानकारी करके
 समूचा विवरण एकवित करेगा।

18. अधिकारियों द्वारा चकतराशी जांच तथा तत्संबन्धी श्रन्य कर्त्तव्य:-

- (1) जब पर्याप्त मात्रा में गांवों का भू वि वर्गीकरण हो चुका हो, तो भू-प्रबन्ध प्रधिकारी व सहायक भू-प्रबन्ध प्रधिकारी इन गांवों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हुये भू मि वर्गीकरण को ग्रंतिस रूप देंगे । इस दौरे का मुख्य उव्देश्य यह होगा कि वह अत्येक गांव की स्थिति के बारे में जानकारी करेंगे । भू मि वर्गीकरण के साथ-साथ इस बात की जानकारी प्रावश्यक है कि विभिन्न थिणायों की भू मि उपज क्षमता क्या है । फसल काटने का परीक्षण एक मुख्य बात है । किन्तु इसके श्रतिरिवत ग्रन्य बहुत से तरीके हैं जिससे भू मि की उपज क्षमता का सही ज्ञान किया जा सकता है । ग्रतः प्रधिकारीगण को उस समय दौरा करना चाहिये जब फसल तैयार होकर खेत में खड़ी हो । तब उन्हें ग्रधिक से ग्रधिक खेतों के वेखना चाहिये । इसके साथ-साथ उन्हें समझवार कुषकों से इस संबंध में बातचीत करनी चाहिये । यदि उपरोक्त तरीका ग्रपनाया जावे तो भू मि वर्गीकरण सही होगा । यह बात पुनः ग्रेहराई जाती है कि विभिन्न खेती की तुलनात्मक उपज क्षमता के बारे में कुषकों का ज्ञान बिलकुल सही होता है । किन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कुषक सही स्थिति बता रहे हैं ।
- (2) भू-प्रबन्ध अधिकारी और सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा भूमि वर्गी-बरण का परीक्षण कृषकों की उपस्थित में करना चाहिय। कृषकों की राय पर समृश्वित ध्यान देकर निर्णय करना चाहिये।
- (3) श्-राजस्व निर्धारित करते समय पिछले भू-प्रवन्ध के समय निर्धारित किये गये भू-राजस्व की भ्रोर ध्यान देना आवश्यक है। अतः पुराने भू-प्रबन्ध के इतिहास और

परिपाटी के बारे में छानधीन की जानी चाहिये। राजस्थान में कुछ गांव आगीरवारी में थे जिनमें मू-राजस्व निर्धारित करते समय झनेक प्रकार की विभिन्नतायें थीं। इस जांच से यह पता चल सकता है कि एक ही भूमि वर्गीकरण के क्षेत्र में पिछला मू-राजस्व भ्रक्षग-अनन वर से क्यों था।

- (4) मू-प्रबन्ध अधिकारी व सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी नये सुधारों की भीर विशेष ध्यान देकर यह ज्ञात करेंगे कि सुधारों की प्रकृति, हालत व असर क्या हुआ है तथा सुधार का ध्या कितना हुआ है। खसरा व कूप विवरण में कूप के निर्माण का वर्ष लिखा जावे।
- (5) सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी व भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा भूमि वर्गीकरण में किये गये परिवर्तन को रेकार्ड में तरमीम पूर्चों के माध्यम से प्रविध्टि की जावें। प्रत्येक खसरा नम्बर में किये गये परिवर्तन पर लघु हस्ताक्षर किये जावें। तरमीम पूर्ची रिकार्ड में रखा जावें तथा तरमीम के बारे में अमीन और निरीक्षक की डायरी में दौरे के समय नोट लगाया जावें।
- (6) सहायक भू-प्रबन्ध श्रधिकारी द्वारा प्रत्येक नये कुएं के बारे में नक्शा चाहात पर अपनी टिप्पणी श्रंकित करते हुये प्रत्येक कुएं की भूमि के वर्गीकरण को स्पष्टतः श्रंकित करना चाहिये। नथीन कुश्रों के बारे में यह भी उल्लेख करना चाहिये कि इस कुएं का लगान सम्बन् ते कि सम्बन् ते कि सम्बन् ते कि सम्बन् ते सम्बन् होगा तथा सम्बन् ते नक्त लगान वसूल होगा।
- (7) प्रत्येक गांव के निरीक्षण के बाद भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी या सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी गांव की भौतिक और श्रार्थिक स्थिति के बारे में एक नोट तैयार करेंगे।
- (8) चाही व जान की छांट: कई कुए ऐसे हैं जिनमें कई काश्तकारों का हिस्सा होता है तथा प्रत्येक कृषक का खाता अलग-अलग है। केवल कुए में सबके हिस्से हैं। ऐसे जामलों में चाही व जान की छांट करने के बाद प्रत्येक हिस्सेदार के खाते की कुए से लगी हुई जमीन पर चाही व जान के अनुपात से उनके हिस्से के अनुसार दर्ज की जाने। किन्तु जहां खाता एक ही है और एक ही खाते में कई हिस्सेदार हों, वहां इस प्रकार की छांट करने की आवश्य-कता नहीं होगी।
- (9) खसरा में भूमि वर्ग दर्ज करना :— चकतराशी पूर्ण की जाकर खसरा बंदोबस्त में प्रत्येक खेंत की किस्म जमीन दर्ज की जावेगी। प्रत्येक कुएं का जाव छांटा जावेगा तथा खेतों का भूमि वर्गीकरण चाही, जाव बारानी इत्यादि-इत्यादि किस्म जमीनवार वर्ज होगा।
- (10) तैयार टांचन (फार्मनं, 30):---तत्पश्चात् सहायक भू-प्रवन्ध प्रधिकारी-गण प्रत्येक गांव की टांचन तैयार करवायेग ।
- (11) टांचन तैजार होकर उसका टकरान होने के उपरान्त पर्चा खतौनी की कार्यालय प्रतियों में खसरा नम्बर के आगे उनकी किस्म जमीन दर्ज होगी ।
- (12) तैयार जिन्सवार :—टांचन तैयार होने के साथ-साथ नक्शा जिन्सवार (काम नं. 33, 34, 35) भी भूमि वर्गवार तैयार करा लेना चाहियें। टांचन व जिन्सवार तैयार होने पर ही लगानदरों का विनिश्चयन संभव होगा। पर्चों पर इतना काम हो जाने के बाद ही पर्चा खतौनी की तस्दीक का कार्य हाथ में लिया जावेचा।

- (13) तस्दीक पर्चा खतौनी:— (फानं मं 27) खसरा बंदोबस्त में भूमि वर्ग दर्छ हो जाने के परचात् पर्चा खतौनी की कार्यालय प्रति में प्रत्येक में खेत के आगे उसका भूमि वर्ग दर्ज किया जावेगा। शेंव दो प्रतियों में भूमि वर्ग दर्ज नहीं होगा। इतना काम हो जाने पर पर्चा खतौनी की तस्दीक की कार्यवाही होगी जिसका पूरा विवरण श्रध्याय 4 में दिया जा जुका है। कार्यालय प्रतियों में भूमि वर्ग दर्ज होकर कुल देह का रकवा जोड़ कर एरिया फाइल से टकरान होने के बाद पर्चा तस्दीक का कार्य किया जाना चाहिये।
- (14) तैयारी तहरीजः (फार्म नं. 29 व 36) पर्चा खतौनी की तस्वीक होकर पर्चा की तरमीम का अपल खतरा बंदोबस्त में किया जावेगा । इसी तरह उजरदारियों जो-जो फैसल हो चुकी होंगी, का भी अमलदरामद खतरा व पर्चा पर हाथोहाथ करवाया जावेगा । तस्वीकशुदा/तरभोमशुदा पर्चों के आधार पर तहरीज तैयार को जावेगी ।
- (18) दस्तूर गांवाई:— (1) भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी भू-प्रबन्ध कार्य के अन्तर्गत ग्राये जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लिये वाजिब-उल-अर्ज या दस्तूर गांवाई तैयार करायेंगे। यह ग्रभिलेख निरीक्षक तैयार करेगा तथा सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी इसको जांच करके पर्वा खतौनी की तस्दीक के समय गांव में मौके पर इसको ग्रामवासियों को सुना कर तस्वीक करेंगे।
- (2) धारा 173 के शावधानों को कियान्वित करने हें तु नियम:—प्राम के ग्रधि कारों व दायित्वों से संबन्धित रीति-रिवाज विवरण तृतान्त के रूप में होगा जो विषयानुसार संक्षिप्त होगा ग्रीर उसमें तर्ब-वितर्क नहीं दिये जावेंगे। जो रीति-रिवाज मौजूद पायें जावें उनका सरल विवरण होगा। विवरण-पत्न थें, जहां तक संभव हो, पृथक्-पृथक् रिवाज के लियें भिन्न-भिन्न ग्रनुच्छेद होंगें ग्रीर ग्रनुच्छेदों पर कमांक ग्रंकित कियें जावेंगें।
- (3) निरीक्षक इस अधिनियम के अन्तर्गत बताये गये नियमों के प्रधीन, प्रत्येक ऐसे वाजिब-उल-प्रज या दस्तूर गांवाई में—
- (क) लगान के प्रतिरिक्त सबस्त उपकर जो जिन विशिष्ट नामों से माने जाते हैं तथा जो संबन्धित गांव के काश्तकारों दारा भूमि पर प्रजिवास करने के कारण भव भी देय हैं,
- णिकार (ख) संबन्धित गांव में निम्न से संवन्धित रीति-रिवाज:— कि कि विकास

(a) द्वारत ए सान वर्ग दर्व करता :-- प्रकारमां। वर्ण को जारर प्रमार

- गांव में रहने वाले गा उसकी सार्वजीवक भूगि में सम्मिलित भूगियां तथा उनकी पैदावार ग्रीर गांव की भूमि को धारण करने दाले व्यक्तियों के ग्राधकार, ग्रीर
- 2. सिचाई के अधिकार, रास्ते के अधिकार और अन्य सुवाधिकार,
- (ग) कोई ब्रधिकार, रिवाज या गांव के शासन से संबन्धित अत्य मामले, जो इस ब्रिधिनयम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या अन्यथा राज्य सरकार द्वारा निश्चित कराये जाने और वाजिब-उल-अर्ज या वस्तूर गांवाई में लिखे जाने के लिये अपेक्षित हो, का निश्चित पता लगायेगा और श्रामिलिखित करेगा।

- (4) कानून के जियरीत किसी भी नामले के संबंध में कोई बात नहीं लिखी जायेगी और न कोई ऐसे रिवाज की प्रविध्वित को जायगी जो न्याय, सनानता तथा सद्भावना के विपरीत हो, प्रथवा जो किसी सक्षम प्रधिकारी द्वारा अवैध योगित करदी गई हो। इन प्रतिबंधों के अधीन ग्राम से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों के विषय में जानकारी होगी:—
 - (क) सार्वजनिक भूमि, इस पर काश्त व व्यवस्था तथा उसकी उपज का उपभोग ।
 - (ख) सार्वजनिक भूमि पर चराई के अधिकार।
 - (ग) सायर-उपज के उपभोग के ग्रधिकार।
 - (घ) ग्राम के खर्चों के विषय में रीति-रिकाज ।
 - (ङ) भूमि की सिचाई के विषय में रोति-रिवाज।
 - (च) तालाबों, नालों या प्राकृतिक नालियों से संबन्धित रीति-रिवाज ।
 - (छ) कछारी (एल्यूनियन) तथा नदी या बाढ़ से लाई गई सिट्टी (डिल्बियन) के संबंध में ।
 - (ज) प्राप्त की सीमाओं में सम्मिलित किशी सम्पत्ति, वनों विना वालिक की या विना करूज की, परित्याग की हुई या बेकार भूमियों, खनिजों, खंडहरों या पुरातत्व विषयक स्थानों पर सरकार के अधिकार ।
 - ा (झ) नालों द नदियों श्रादि में मङ्कियों तथा अस्य पालन के स्थानों के विषय में सरकार के अधिकार।
 - (ण) मनुष्यों तथा पशुग्रों के लिये वीने के पानी संबन्धी श्रधिकार या रीति-रिवाज ।

(ब) प्रत्येक वर्षोकरम से मध्येस अवो का मानव कमान को प्राप्ता उत्तम विकासी

- (ट) भू-स्वामी काश्तकारों या ग्रामीण प्रकासन में ग्रामिक उत्तमें वाले अन्य व्यक्तियों पर प्रमाव रखने वाले अन्य महत्वपूर्ण रोति-रिवाज जो भू-सम्पत्ति के उत्तरा-कार्तिक अप विकार या हस्तान्तरण के संबंध में न हो। । जान के प्राप्त पर कार्यक (प्र)
- (ठ) सार्वजनिक भूमि तथा उसकी उपज के विषय में ग्राम्य रोति-रिवाज या ग्रधिकार श्रीर ग्राम्य स्थल, सिंचाई के ग्रधिकार, पानी के ग्रधिकार, मछली पकड़ने के ग्रधिकार ग्राम की भूमि पर अन्य ग्रामवासियों के ग्रधिकार, ग्राम्य निवासियों के ग्रन्य ग्रामों की भूमि पर अन्य ग्रामवासियों के श्रन्य ग्रामों की भूमि पर अधिकार, ग्रान्थों, मार्गों तथा श्रन्य सुखाधिकार जैसे कि रमशान तथा कब्रिस्तान के मैदान, चारागाह, शिविर स्थान, ग्रानाज कूटने के स्थान, बाजार, चमड़ा उतारने का स्थान, चराने तथा ई धन लाने का ग्राधिकार, खाद तथा कवरा भावि के संबंधित में प्रधिकार तथा रीति-रिवाज ।
- (5) जहां वाजिबुल-धर्ज माजूद हो तो बंदोजस्त अधिकारी उसे संशोधित संस्करण के लिये आधार मानेगा ।
- (6) जब वाजिब उज कर्ज या दस्तूर गांवाई तैयार हो जाय, तो सहायक भू-प्रवन्ध अधिकारी संबन्धित गांव के निवासियों को एक कर सुनाने के लिये तारीख व समय

नियत करेगा जिसकी सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व ग्रामवासियों को कराई जावेगी।

- (7) नियत की गई तारीख व समय पर सहायक मू-प्रबन्ध ग्रधिकारी वाजिब उस अर्ज या दस्तूर गांवाई को इस उद्देश्य से एकिवत ग्रामवासियों को पढ़कर सुनायेगा ग्रथवा पढ़वा कर सुनवायेगा।
- (8) यदि कोई अपित दस्तूर गांवाई में दो गई किसी बात के लिये, जबिक वह पढ़ कर सुनाई जा रही हो, स्रापित उठावे तो सहायक मू-अबन्ध अधिकारी ऐसी स्रापित को लिख कर उस पर निर्णय देगा।
- (9) राजस्थान भू-राजस्व ग्रिधिनियम की धारा 173 के ग्रन्तर्गत तैयार किये गये वाजिब उल ग्रर्ज या दस्तूर गांवाई के समस्त इन्द्राज जब तक कि विपरीत सिव्ध महीं करा दिया जावें सही समझे जावेंगे।

(19) भ्रमणोपरान्त मीटिंग :

भू-प्रबन्ध ब्रिधिकारी व सहायक भू-प्रबन्ध ब्रिधिकारी द्वारा एक कर-निर्धारण मण्डल के समस्त ब्रामों का दौरा और जिरीक्षण व भूमि वर्गीकरण कर लेने के परचात् उसकी एक मीटिंग होगी जिसमें वह पूरे सर्किल के कर निर्धारण के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इस विचार विमर्श में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जावेगा:—

- (क) प्रत्येक वर्गीकरण की सूमि की मुख्य फसल की श्रीसत उपज क्या है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इसी के श्राधार पर प्रस्ताबित भू-राजस्व निश्चित् होता है। चूंकि प्रत्येक गाँव में प्रत्येक श्रेणी की शूमि की श्रीसत उपज उनके नोट में वर्ज हो चुकी है, अतः सकिल की श्रीसत उपज निकाली जा सकती है।
- (ख) प्रत्येक वर्गीकरण में प्रत्येक श्रेणी की मृख्य फसल की औसत उपज निकाली जानी चाहिए।
- (ग) प्रत्येक भूमि वर्ग का प्रस्तावित भू-राजस्व निकाला जाय।
- (घ) वह गांव या गांव के भाग जिनके रेट्स में संशोधन की आवश्यकता है, यह संशोधन इस आधार पर किया जा सकता है कि गांव ऐसी पहाड़ियों में स्थित है कि मन्डी या शहर तक पंहुवने के साधन नहीं है या जंगली जानवरों का प्रकोप रहता है। अन्य सभी मामले जो भु-राजस्व निर्धारित करने में सहायक हों।

(20) लगान निर्धारण को तैयारी:-

इसके साथ-साथ भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी उन समस्त सूजनाओं और विवरणों को एकवित करने के लिये ग्रादेश देगा जो लगान को निर्धारण के लिये ग्रावश्यक है। सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारीगण व संबन्धित निरीक्षक भू-मापक भिन्न-भिन्न स्त्रोतों से यह सूचनाये एकत्रित करने पर जुट जायेंगे।

ग्रध्वाय-6

लगान-वरों का निर्धारण एवं तत्संबन्धी प्रतिवेदन तथा बाद की कार्यवाहियां

(1) प्रारंभिक कार्यवाही:

प्रध्याय 5 में बताया जा चुका है कि किस प्रकार कर-निर्धारण मंडलों का गठन किया जावेगा। प्रत्येक मंडल में भूमि-वर्ग कायम किये जावेगी। तथा खेतों का भूमि वर्गीकरण किया जाकर प्रत्येक खेत प्रथवा भू-खण्ड को एक विशिष्ठ भूमि वर्ग दिया जावेगा। पंमाइश के साल में तथा भूमि वर्गीकरण के साल में प्रत्येक खेत पर प्रत्येक मौसम में जो फसल जितने-जितने क्षेत्रकल में बोई गई है, उसकी गिरदावरी भू-मापक श्रवस्य करेंगे। यानी दो वर्ष तक रबी एवं खरोक को कतनों की गिरदावरी की जावेगी। गिरदावरी के आधार पर भूमि वर्गवार प्रत्येक फसल के जिये कर निर्धारण मंडलवार जिल्मवार तैयार किये जावेंगे जिससे स्पष्ट पता चल जावेगा कि किस मंडल के अनुक भूमि वर्ग कितने क्षेत्रकल में कौन-कौन सी फसल पैदा हुई है। यह एक हो वर्ष का यानी श्रन्तिम वर्ष का तैयार किया जाना चाहिये, बो वर्ष का नहीं। इस प्रकार भूमि वर्गवार प्रत्येक फसल का (पीवल एवं बिना पीवल का) जिन्सवार पिन्न-भिन्न क्षेत्रकल मानुम हो जावेगा। भूमि वर्ग सिचित एवं ग्रीसचित भूमि के लिहाज से ही कायम किये गये हैं।

(2) श्रौसत उपज:

हिदायत खानापूरी के फार्स नम्बर 11 व 31 यानी "नक्या उपज" व "नक्या अनुमानित उपज" की पूर्ति प्रत्येक निरीक्षक करके नक्याजात तैयार करके पेश करेगा जिसमें उसके द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से जात की गई अनुमानित उपज प्रति हैक्टयर प्रत्येक जिन्स की पीवल व बिना पीवल निक्य-मिन्न बताई जावेगी। यदि फसल कटाई प्रयोग नहीं किया गया है ग्राय शह के लिये नहीं किया गया है ग्रीर शेष के लिये नहीं किया गया है तो निरोक्षक प्रति हैक्टयर उपज अनुभन्नी व बुजुर्ग एवं जानकार कृषकों से मालूम करके तथा स्वयं भी पूरी तरह ग्रध्ययन करके निर्धारित करेगा तथा ग्रपने सकिल से संबन्धित नक्या फार्म नं 11 व 31 की पूर्ति करके पेश करेगा। मू-प्रबन्ध ग्रधिकारी तथा संबन्धित सहायक मू-प्रबन्ध ग्रधिकारीगण भी ग्रामवासियों से पूछताछ कर व स्वयं ग्रध्ययन करके अपना मत बनाकर अपने नोट में दर्ज करेंगे जैसा कि ग्रध्याय 5 में बताया जा चुका है।

इसके स्रतिरिक्त प्रत्येक फसल के लिये प्रति हैक्टेयर पैदाबार के स्रंतिन पूर्वानुमान के स्रोकड़े राज्य सरकार के सांख्यिकी विज्ञाग द्वारा व राजस्व मंडल द्वारा ते अर किय जाकर प्रकाशित किये जाते हैं। इन स्रांकड़ों का भी संकलन करवा कर इनका भी स्रव्ययन भू-प्रबन्ध प्रधिकारी को करना चाहिये।

जपरोक्त के अलावा सरकार का सांख्यिकी विभाग प्रत्येक जिले के लिय प्रत्येक गौसम की प्रत्येक सिचित एवं असिचित फसल के लिये प्रति हैक्टेयर औसत अनुमानित पैदावार के आंकड़ों का प्रकाशन भी करता रहता है। जिल्स बार क्षेत्रफल, प्रति हैक्टेयर औसत उपज एवं प्रति विवटल बाजार भाव के 19 वर्शीय ग्रांकड़ों की पुस्तिका सांख्यिकी विभाग हारा प्रकाशित की गई है। इस विभाग द्वारा अभी तहसील स्तर के आंकड़ों को तो तयार नहीं किये गये हैं पर जिला स्तर के आंकड़े पर्याप्त माजा में उपलब्ध कराये गये हैं। इन आंकड़ों का भी अध्ययन करके इनसे भी पूरी मदब ली जा सकती है। इस प्रकार भू-प्रबन्ध अधिकारी अस्येक फसल में उत्पादित जिन्स पीवल व बिना पीवल का प्रति हैक्टेयर आंसत पैदावार जहां तक हो सके, सही अनुमान लगावेंगे।

(3) कुल उपज जिन्सवार:

प्रति हैक्टेयर पैदावार निश्चय हो जाने पर दोनों फसलों के लिये ग्रलग-ग्रलन जिन्हों की कुल पैदावार के ग्रांकड़े कर निर्धारण मंडलवार क्विटल किलोग्राम में सैयार करना चाहिये।

(4) औसत बाजार भाव :

जिस वर्ष में पुर्न भू-प्रबन्ध कार्य प्रारंभ कराये जाने की राजकीय अधिसूचना जारी हुई हो, उस वर्ष से पिछले बीस वर्षों में प्रत्येक जिन्स के बाजार भाव वर्षवार संकलित किये जावेंगे । जबाहरणार्थ यदि अधिसूचना जून सन् 1979 में राज-पत्न में प्रकाशित हुई है तो सन् 1959 से लेकर सन् 1978 तक के बाजार भाव लिये जावेंगे। तहसील कार्यालय में निर्ख रिजस्टर रखा जाता है जिसमें हर वर्ष के भाव लिखे जाते हैं। इसके प्रलावा तहसील की मुख्य-मुख्य कृषि उपज मंडी सिमितियों के रेकार्ड से भी यह सूचना एकतित की जा सकती है। राज्य सरकार का सांख्यिकी विभाग भी जिला स्तर की श्रीसत कीमतें अत्येक जिन्सवार प्रकाशित करता रहता है। 19 वर्षीय भांकड़ों की पुस्तिका उनके द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इन मांकओं से भी मदद ली जा सकती है। इस प्रकार गत बीस वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष हर जिल्ल के भावों की तालिका बना कर बीस-वर्षीय श्रोसत भाव प्रति विवटल या किलोपाम मालूम कर लेना चाहिये । कृषि मंडो उपज सिमिति के रेकार्ड से प्राप्त सूचना श्रधिक विस्वसनीय होती है। ब्रतः जितने वर्षों के ब्रांकड़े वहां उपलब्ध हो, उतने तो वहीं से लेकर काम चलाया जाना चाहिये। शेष वर्षों के लिये तहसील के आंकड़ों से काम चलाया जाना चाहिये। यदि दोनों ही स्त्रोतों से मालूम करने पर भी गत बीस वर्षा के सारे आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो तहसील की मुख्य मंडी के खास-खास थोक व्यापारियों की बहियों से अथवा व्यापार समितियों के पूर्व से ही कायम हो तो, रेकार्ड उक्त वर्षों के जिन्सवार मुख्य मालूम कर लेने चाहिये। इस तरह मु-प्रबन्ध मजिकारी को प्रत्येक जिन्स का बीस वर्षीय माव बालुम कर लेना चाहिये।

(5) उत्पादन का कुल मृत्य :

उपरोक्त कार्यवाही कर केने के उपरान्त संबंध्धित वर्ष में प्रत्येक जिन्स की पैवावार तथा उसका मूल्य एवं तहसील के पूरे उत्पादन का संपूर्ण कुल मूल्य कर निर्धारण मंडलवार अलग-प्रत्या तात कर लिया जाना वाहिये इबी प्रक्रिया में भूमि वर्गवार/उप-वर्गवार केवल मानक भूमियों में उत्पादित फसल का कुल मृत्य भी भिन्त-भिन्न मूमिवर्गवार निकाल सेना बाहिये।

(6) लगान-निर्धारण प्रक्रिया में फसल का नृत्य :

ब्रियही तक की कार्यवाही बनाप्त हो बाने पर भू-प्रबन्ध अधिकारों को विचारना चाहिये कि वह तहसील के अंडलवार उत्पादन मूल्य का हिसाब लगा कर क्यान निर्धारण की आगे की कार्यवाही करना श्रेयक्कर सनकते है अथवा केवल एक या दो भूमि वर्गों/उप-वर्गों के उत्पादन मूल्य का हिसाब लगाकर ही आगे की कार्यवाही करेंगे। यदि कैवल एक या दो उप-वर्गों के उत्पादन मूस्य एव कृषि व्यय ही सालूम करके आगे कार्यवाही करनी हो तो "चाही प्रयम" एवं "बारानी प्रथम" मूमि वर्ग की मानक सूमि माना जा सकता है। वो से अधिक "मानक भूमियाँ" नहीं हो सकती। सिंचित एवं ऑसिंचित वो मुख्य भूमि वर्ग है। इनमें में ते प्रत्येक भूमि वर्ग में जिस उप-वर्ग की सबसे क्यादा भूमि तहसील क्षेत्र में हो, उसी उप-वर्ग को उस समूह की मानक भूमि माना जावेगा। सामान्यत: चाही प्रथम बारानी प्रथम वर्गों को भूमि ही ज्यादा ताबाव में होती है। ऐसे चुने गये सानक वर्गों के उत्यादन का कुल भूल्य मंडलवार निकाल कर मागे की कार्यवाही को जा सकती है। अन्य भूमि वर्गों का अपेकिक मूल्यांकन इन्हों दो मानक वर्गों के मूल्यांकन के माधार पर गांवों में मौके पर की गई जांव के अनुसार किया जा सकता है। यहां यह और स्पष्ट करना उचित होगा कि यदि एक से अधिक कर निर्धारण मंडल हो तो मंडवार पांचों की अलग-अलग सालिका बनाकर मंडलवार ही उत्यादन तथा उत्यादन मूल्यों को निकाला बावेवा।

(7) कुचि ब्यय

लगाना निर्धारण की प्रक्रिया में केवल कृषि उत्पादन का मूल्यांकन न करना काफी नहीं है। प्रत्येक फसल पर होने वाले कृषि व्यव की हिस्त लगाना भी जरूरी है। प्रक्रम-अलग फसलों के कृषि व्ययों में काफी भिन्नता रहती है। प्रतः उत्पादन मूल्य में बे कृषि व्यय घटा कर को बचत होती है उसे ही मीटे तीर पर विभिन्न प्रकार के भूमि वर्गों के अर्थेखक मूल्यांकन का आधार बनाया जाना चाहिये। भू-प्रबच्ध के प्रन्तगंत क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलों के कृषि व्यय का अनुमान लगाया जाना चाहिये। सामान्यतः कृषि व्यय में जो खर्च के मद होते हैं उनको ध्यान में रखते हुये फसलवार कृषि व्यय, उत्पादन तथा बचत प्रति हैक्टेयर की तालिका विभिन्न श्रोतों से जांच करने के बाद तथार कर लेगी चाहिये। इस संबच्ध में नीचे दी गई तालिका संख्या 2 का प्रध्ययन करना लाभप्रद होया। इसमें कृषि व्यय की सभी संभावित मद लगभग ले लिये गये हैं।

इस प्रध्याय में जो प्रक्रिया ग्रव तक ऊपर के भ्रमुच्छेदों में समझाई गई है, उसे और भी स्पष्टतः समझने के लिये श्रमुच्छद 13 में दी गई तीन तालिकायें श्रधिक उपयोगी होगी। यह तालिकायें पूरी तहसील को एक ही कर निर्धारित मंडल मागते हुये बनाई गई है। यदि एक से अधिक कर निर्धारण मंडल हों तो प्रत्येक मंडल के लिये असग-ग्रनग फैलावट होकर इसी प्रकार की भिन्न-भिन्न तालिकायें बनेगी।

(8) लगान दरों के निर्धारण का आधार :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 152 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनान दरों के निर्धारण करने की प्रक्रिया में भू-प्रवन्व अधिकारी को निम्नसिखित वातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है:—

- 1. भू-प्रबन्ध के 20 वर्ष पूर्व के बौरान लगान की वसूली। इस प्रविध में उन वर्षों को सिम्मिलित नहीं किया आयेगा जिनको राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित ग्रिधसूचना के ग्रन्तर्गत ग्रसाधारच वर्ष घोषित किया गया हो यानी जिन वर्षों में ग्रांशाव/ग्रकाल की स्थिति की घोषणा की गई हो।
- भू-प्रबन्ध के वर्ष से 20 वर्ष पूर्व की अविध के दौरान जिन्सवार कृषि उपज के मुल्यों की श्रोसत । इस अविध में उन वर्षों को सिम्मिलित नहीं किया जावेगा जो

वर्ष राज्य सरकार की राज-पत्न में प्रकाशित ष्रधिसूचना के श्रनुसार श्रसाधारण वर्ष श्रोवित किये गये हों।

- क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की प्रकृति व उनकी उपज की प्रौसत मान्ना प्रति हैक्टेयर ।
- 4. उपरोक्त प्रकार से मालूम किये गये श्रीसत नावों के श्राष्टार पर श्रस्तेच उत्पादित जिम्स का मंडलवार मूल्य ।
- 5. कृषि कार्य का खर्चा और कुषक के स्वयं के व उसके परिवार के भरण-पोवस पर होने वाला क्या ।
- 6. प्रत्येक जीत में ते प्रत्येक साल बिना कारत के छोड़ी यई भूमि का बाती पढ़त रखी गई भूमि का क्षेत्र, फललों की बुवाई का कम व भूमि खाली छोड़ने की ग्रविध ।
- 7. लगान में की गई कभी, लगान की वसूली पर रोक व छूट प्रति वर्ष के विषय में जानकारी कर स्थिति का ग्रध्ययन किया जावे।
- श. गत भू-प्रबन्ध की लगान की दरें व गत भू-प्रवन्ध के समय उपज का धंश को सरकार या जागीरदार या जमींदार द्वारा लिया जाता या तथा उसके मूल्य धावि का विवरण जिसके आधार पर लगान की दरें विनिश्चत् की गई थी।

9. पड़ोस में ही लगी हुई तहसीलों में समान भूमि वर्गों की स्वीकृत लगान वरें। ब्रारा 152 (2) के प्रावधारों के अनुसार अत्येक भूमि वर्ग के लिये निर्धारित की जाने वाली लगान वर उपर विणत खातों का ध्यान रखते हुये प्रत्येक भूमि वर्ग में उत्पादित फसल के भूत्य के 1/6 अंग से अधिक नहीं होना चाहिये। उपर विणत कानूनी प्रावधान की मावना यह है कि भूमि वर्गवार कृषि उत्पादन के सूल्य का निर्धारित तरीके से अनुसान लगाया जाकर असमें से कृषि कार्य में लगने वाले कुल खर्चों को तथा स्वयं कृषक के एवं उसके परिवार के भरण-पोषण हेनु लगने वाले वार्षिक खर्चे का घाटा देना चाहिये। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कृषक तथा उसके परिवार के भरण-पोषण पर लगने वाले कुल खर्चे में से एक अंश तो कृषक को तथा उसके परिजारों को जुताई, बुवाई, निराई, पिलाई, कटाई इत्यादि की मजदूरी के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है यानी यह मजदूरी अन्य अमिकों को देने के बजाय अधिकतर वे खुद ही प्राप्त कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत निराई-कटाई आदि के समय अन्य अमिकों को मजदूरी के रूप में देना पड़ता है। इसलिये भरण-पोषण के खर्चे का कुछ अंश हो कुल उत्पादन मूल्य में से कम किया जाना चाहिये।

(9) श्रस्थिर क्षेत्रों में लगान दरें :

म्रस्थिर व परिवर्तनशील काश्त के क्षेत्रों में लगान की वरें प्रस्तावित करने से पूर्व भू-प्रबन्ध प्रधिकारी क्षेत्र की ग्रस्थिरता की तथा खेती की समावनाओं की व वर्ष से वर्ष तक होने वासी उपज को ध्यान में रखेगा।

(10) लगान निर्धारण के लिये ग्रन्य महत्वपूर्ण बातें :

कृषि उत्पादन की विशुद्ध आय निकालने के लिये ऊपर वर्णित खर्चों को मुलरा देने के

बलाबा यह भी पता लगाना ब्रावश्यक है कि तहसील क्षेत्र में गत 20 वर्षों में कब-कब वर्षा की कमी के कारण अकाल की स्थित व्याप्त हुई। तथा कब-कब श्रतिवृद्धि के कारण बाढ़ की स्थित पैवा हुई। किस-किस वर्ष में कितने-कितने गांवों में कुल कितना क्षेत्रफल अभावग्रस्त रहा है सथा सरकार को किस-किस वर्ष में कितना-कितना लगान वसली से रोकना पड़ा और कितने लगान की पूरी छट वी गई। इस अध्ययन से यह पता चलेगा कि कृषि उत्पादन की श्राय में से लग-भग कितने प्रतिशत कटोतो अभाव स्थित के लिये दी जावे । इसके प्रतिरिक्त प्रतिवर्ष बोई गई फसल का क्षेत्रफल तथा पकी हुई फसल का क्षेत्रफल मालम करके खराबा का प्रतिशत निका-शना चाहिये। इस प्रकार हर साल के खराबे का श्रध्ययन करते हय यह निश्चित करना चाहिये कि खराबा के पेटे कितना प्रतिशत कटीती की जावे । भिन्न की उर्वरा शक्ति बनाये रखने के लिये खेतों की बीच-बीच में एक या दो वर्ष पडत भी रखा जाता है तथा कम से बदल कर भी कारत की जाती है। कृषि योग्य भूमि में से लगभग कितनी भूमि प्रति वर्ष पड़त रह जाती है इसका भी पता लगाया जाना चाहिये। तहसील के मिलान खसरों से यह पता चल सकता है। यदि यह पाया जावे कि आलीच्य वर्ष में सामान्य से कम भिम पढत रही है तो उस दशा में अधिक बोई गई भिन के एवज वाजबी तौर पर कुछ कटौती जिन्सों के मल्य में से की जानी चाहिये। उदाहरणार्थ यदि एक सी हैक्टयर मिम में से दस हैक्टेयर भिन के लगभग प्रतिवर्ष पड़त रहती है और आलीव्य वर्ष में पांच हैक्टेयर भूमि ही पड़त रही तो कुल उत्पादन मृत्य में से पांच प्रतिशत कटौती भीन पड़त रखने के लिये दो जानी चाहिये। श्रवसायी म-प्रबन्ध के समय लगान दरों का विविश्चयन जिन श्राधारों पर किया गया था, उन श्राधारों को भी समझ लेना चाहिये तथा यह भी पता लगा लेना चाहिय कि उस समय कृषि स्राय का कितना ग्रंश लगान के रूव में लिया जाना तब किया गया था। यदि 1/6 भाग से ज्यादा भाग लगान के रूप में लिया जाता था अथवा इत ब्राधार पर लगान वरें निश्चित की गई थी तो गत लगान दरों को 1/6 डांश के आधार पर परिवर्तित करके देखना चाहिये और फिर मौजूदा समय में बढ़े हुये बाजार भावों की देखते हुये गत की लगान दरों की (समकक्ष करने के बाद) भाव बढ़ि के ग्रनपात से बढ़ा कर देखना चाहिये कि ग्रब जो लगान दरें निर्धारित की जा रही है बे उनसे कितनी कम या ज्यादा है। इस संबन्ध की प्रक्रिया श्रागे समझाई जावेगी।

11. लगान दरों का निर्धारण:

लगान की दरें दो प्रकार से निकाली जाती है-

- 1. उत्पादन के मृल्यांकन की प्रणाली द्वारा
- 2. इकाई के मृत्यांकन की प्रणाली द्वारा

किन्तु बोनों प्रणालियों के समावेश द्वारा पूर्ण प्रध्यन के उपरान्त जो लगान बरें निश्चित् की जावेगी, वे अधिक न्यायोजित होगी। किसी एक ही प्रणाली का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं होगा। बोनों प्रणालियों की कियायें आगे के श्रनुच्छेदों में समझाई जाती है।

12. विजिन्त भूमि वर्गी का अवेक्षिक मृत्यांकन :

विभिन्न भूमि वर्गों की तुलना करके उनका अपेक्षिक मूल्यांकन किया जाना नितान्त आवश्यक है। एक भूमि वर्ग की तुलना दूसरे भूमि वर्ग से किये बिना किसी भी प्रणाली से लगान दरों का निर्धा-जनहीं किया जा सकता। ऊपर अनुच्छेद 6 में विजत मानक भूमि (Standard Sails) के मुकाबले अन्य भूमि वर्गों का अपेक्षिक मूल्यांकन किया जाकर प्रत्येक भूमि वर्ग | उप-वर्ग को अक है देने चाहिये जिन्हे फंक्टर्ड (factors) कहते हैं। अपेक्षिक मुल्यांकन

प्रधिकारियों द्वारा नांवों में जाकर मौके पर की नई जांच व पूछताछ के खाधार पर सथा ख़वलायी भू-प्रवन्ध में निश्चित् किये गये मौके फैक्टर्स के आधार पर भी किया जा सकता है। विभिन्न फसलों के शुद्ध लाभ तथा गांवों में चिकिस भूमियों के विकय मृत्यों से भी मवद ली जाती है। यही प्रणालियां अब तक प्रचलित है। किन्तु न्यायोजित तो यही रहेगा कि मानक भूमि वर्गों के उत्पादन के मूल्य में से उत्पादन खर्च की कटौती करके परचात् जो शेष श्राय बचती है, उसके अनुपातों को आधार मानकर, स्वयं अधिकारियों द्वारा मौके की जांच से किए गये अपेक्षिक मूल्यांकन को उस पर ढाल कर तथा ख़वासायो भू-प्रवन्ध के फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न भूमि वर्गों का अपेक्षिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस प्रकार निर्धारित किए गये फैक्टर्स (factors) वास्तविकता के ज्यादा नजदीक होंगे जिससे राज्य को तथा कृषक समुदाय को किसी को भी हानि नहीं होने पावेगी ।

13. फैक्टर्स (factors)-अपेकिक मृत्यांकन के ग्रंकों का निर्धारण :

अवर अनुक्केद 7 में विश्वत तीनों तालिकायें नीचे दी बाती है :-

म अमीलवार एम जिन्सवार फलातों का मेत्रफल एव उत्पादन

				भूमि वर्ग	वर्ग.					Nf.	भ्रोसत	1
नाम बिल्स	याहो यासक	F -	माही ॥	बाही III	नहरी	डहरी	बारामी	बारानी	- रक्तवा वैदावार	हैक्टवर मौसत वैदामार	भाव प्रति विषय्टल ह. से	मः चुं म
-	2	63	4	10	9	7	00	6	10	11	13	13
बाजरा केन्द्रक्रम प्रति हैक्टेयर पैदायार क्रिवटलों में	200	100	1 1	1 1	100		1600	1 3 3	1000 3000 毫. 8.6 年報.	8. 6. fr	1 1	
कुल पैदावार	4000	1500	1	1	1500	1	12800	0009	6000 25800 fee.		100/- 25,80,000	80,0
2, मक्का : कोबफल प्रति हैक्ट.पैवाबार क्रिबंटलों में	300	200	1300	1 1	200	11	11	11	2000 1000 1	1.5	15 fag.	-11
कुन पैदावार	7200	7200 4000 15600	15600	-	4000	1	1	-	30600 feet.		100/- 30,80,000	0000

120/- 139,62,000	29 मिच. 0 –	4000 g.		11	300 16 4800	400 800 20 30 8000 24000	20 20 8000	500 26 13000	1250 32 40000	750 1250 35 32 26250 40000
- 89,00,000	1	7100	1800	2900	1	300	1	1300	300	200
400/- 3,20,000		800 जिब.	200	009	1	1	1	7	1	1
1	4 किय.	-	7	9	1	1	1	1	4	1
1	ī	200 青年	100	100	ı	1		r	î	1
150/- 2,52,000	100	16800 陣雪.	4800	12000	-		1	1	1	
1	10.5 बिंब.		00	1.2		1	1			1
1	1	1600%	009	1000	1	1	1	1	1	1
- 4,00,000	250	1600 मिन	400	1200	1	1		1	1	1
	5.3 विच.	1	4	9	1	1	1	1	1	1
	-	300 हैनट.	100	200	1	1		r	ı	•
12 13	11	10	6	8	7	9	5	4	3	2

निवास	क्षेत्रफल वेनामान विश्व हैका	1	1	800	300	200	250	-		1850		1	nal .
20000 6000 12500 3750 42250 feat 180/ 15 13 8 11.7 feat 150/- 3 7500 10400 5600 - 23500 feat 150/- 3 8 8 7 5 6.3 feat 200/- 750 1250 1300 1000 2100 1750 1700 - 9850 है 24	क्विटलों में	1	1	25	20	25	15	10	0,0		22.8 F		-1
500 800 700 - 2000 8 11.7 ftm 7500 10400 5600 - 23500 ftm 150/- 3 7500 10400 5600 - 23500 ftm 150/- 3 8 8 7 5 6.3 ftm 200/- 750 1250 1300 1000 2100 1750 1700 - 9850 8 24	कुल पैदावार]	1	1	20000	0009	12500	3750		1	42250 Fe	1	100/-	4225000
15 13 8 11.7 feet 7500 10400 5600 - 23500 feet 150/- 3 300 300 400 1000 - 2900 g 150/- 3 8 8 7 5 6.3 feet 200/- 750 1250 1300 1000 2100 1750 1700 - 9850 g 24	बना : क्षेत्रफल	1	1	1	1	500	00%	700				1	
7500 10400 5600 - 23500 fee 150/- 3 8 8 7 5 6.3 fee 200/ 2400 2400 2800 5000 - 12600 feet 20/- 750 1250 1300 1000 2100 1750 1700 - 9850 g 24	प्रति हैक्टेपर पैदाबार क्विटलों में	I	1	1	701	15	13	00				1 1	
8 8 7 5 6.3 [報報 2400 2400 2800 5000 - 1260 6 [報報 2400 2400 2800 5000 - 1260 6 [報報 260]	कुल पैटाबार		1	1	T I	7500	10400	2600	1	23500 F		150/-	
8 8 7 5 6.3 feq 750 1250 1300 1000 2100 1750 1750 - 9850 8 24	सरसों : क्षेत्रफल प्रति है क्ष्टेयर	1	1	. 1	300	300			1		1	1	1
750 1250 1300 1000 2100 1750 1700 - 9850 \$ 24	पैदावार विवटलों में -	1	1	1	00	00	7	2	1		6.3 fer.	1	1
750 1250 1300 1000 2100 1750 1700 - 9850 8	कुल पैदाबार	1	1	1	1		4			12600 [I E	200/-	252000
	योग रबी	750		1300	1000			1700			1	1	14196000

तालिका जिन्सवार कृषि कार्यों के खर्च एवं उपज के मुख्य तथा

₩. H.	नाम जिल्स	सफाई व सूड़	जोत संख्या	रुपये	पिलाव	बुवाई व मजदूरी	निराई व गुड़ाई	कटाई ब चुडाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बाजरा	50	2	60	-	50	100	120
2.	मक्का	R-	4	120	-	50	100	1 00
3.	बालें	50	2	60	-	50	100	1 00
4	मूंगफली		3	90		50	100	120
5.	तिल	-	2	60		50	100	120
6.	गॅहू		10	300	100	100	100	15
7.	नो	- 2 -	6	180	100	100	100	10
8.	वना	50	5	150	-	100		5
9.	सरसों	50	8	250	100	50	50	5

नम्बर 2 खर्च के प्रतिशत का मानचित्र

ख़ाई बुबाई ब ख़ाई	सिंचा ग्रोसतन		खाद ग्रोसतन	कीटनाश प्रौ षधि	कुल लागत प्रति हैक्टे.	प्रति है 0 कृषि उपज	पैदावार पर खर्च का प्रतिशत	बचत
10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	20	20	20	30	500	1000	50%	500
60	160	30	180	9500	850	1530	55%	686
30		30	-	30	450	1800	25%	1350
50	100	600	200	30	1240	2625	45%	1385
50		20	TOTO IN	-	400	1600	25%	1200
200	1000	300	300	50	2500	3500	75%	900
100	500	150	120	50	1500	2325	65%	825
100	100	250	125	-51	925	1875	50%	950
60		50	100	50	800	1400	55%	600

A rema 5 reserve to the state of the state of the state of the state of the

was result to long, so you by the term of the property of and an form of

1 TO - JOHN STARS FOR THE RE THE PER PERSON OF THE PERSON

तालिका नं . 3

मूमि वर्गवार उत्पादन मूल्य व कृषि व्यय तथा उत्पादन पर व्यय की प्रविशत

नाम भूमि वर्ग	जिन्स	तोल विवटलों में	मूल्य रुपयों में	खर्ची रुपयों में	रकबा हेक्टेयरों में	खर्चा प्रतिशत	शुद्ध बचत प्रति है. प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
बाही	बाजरा	1500	150000	75000	100	50	
प्रथम	मक्का	4000	400000	220000	200	5 5	
	गेहूं	40000	4800000	3600000	1250	75	
		45500	535 0000	3895000	1250	70	30
	बाजरा	12800	1280000	640000	1600	50	
प्रथम	वालें	1200	300000	75000	200	25	
	मूंगफली	12000	1800000	810000	1000	45	
	तिल	600	240000	60000	100	2 5	
	वना	5600	840000	420000	700	50	
	सरसों	5000	1000000	550000	1000	55	
		37200	5460000	2555000	4600	47	53

तालिका सं. 1 में भू-प्रबन्ध के अन्तंगत बोद्र में कसल खरीक व कसल रबी में होने बाली कुल कसले, उनके अधीन क्षेत्रफल, प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार तथा कुल पैदाबार विवास कि कि अधीन क्षेत्रफल, प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार तथा कुल पैदाबार 13 में असत कि जिन्स का कुल विकय मूल्य अकित कर दिया गया है। तालिका के अध्यवन से विदित होगा कि उदाहरण के लिये चुने नये इस क्षेत्र में (काल्पनिक) बाजरा, मक्का, सालें, मूंगफली एवं तिल की पैदावार कसल खरीक में तथा गेहूं, जो चना एवं सरसों की पैदावार कसल रबी में हो रही है। कसल खरीक का कुल विकय मूल्य 20 वर्षीय औसत बाजार माबों से रुपये 8900000/-तथा कसल रबी का कुल मूल्य 24196000/ आता है। वर्ष भर की सारी जिन्सों का मूल्य रुपये 33096000/- बैटा।

तालिका सं. 2 में प्रत्येक जिन्स का कृषि व्यय विभिन्न खर्चों के मदों में न्यारा 2 प्रक्रित करते हुये दर्शाया गया है। इसी तालिका में प्रति हैक्टेंबर प्रत्येक जिन्स की पैदावार का मूल्य भी दर्शाया जाकर पैदावार के मूल्य पर खर्च का प्रतिशत बताते हुये बचत भी बतादी गई है।

तालिका सं. 3 में दोनों मानक भूमियों चाही प्रथम व बारानी प्रथम में उत्पादित कुल फसलों का मूल्य तथा खर्जा एवं रकवा बताते हुये इन दोनों भूमि दगों में उगाई जाने बाली फसलों पर होने वाला ग्रोसत कृषि य्यय दशी दिया गया है तथा वच्त भी बतादी गई है। इसतालिका के अध्ययन से विदित होगा कि चाही प्रथम वर्ग की भूमि में उत्पादन मूल्य का 70 प्रतिशंत खर्च होकर 30 प्रतिशत बच्त रहती है तथा बारानी प्रथम वर्ग में 47 प्रतिशंत खर्च होकर 53 प्रतिशत बच्त होती है यानी मोटे तोर पर लगभग आधा खर्च श्रा जाता है।

चाही तथा बारानी समृहों में से चुनीं गई उपरोक्त एक- एक मानक मुमियों में कृषि व्यय को काटने के बाद चाही प्रथम वर्ग में लगभग 950/- रुपये प्रति हैक्टेयर तथा बारानी प्रथम में लगभग 630/ - रु. प्रति हैक्टेयर बचत होती है। इस प्रकार हिसाब लगाने पर चाही प्रथम वर्ग का प्रयेक्षित मृत्यांकन 95 तथा बारानी प्रथम वर्ग का घ्रमेश्वित मृत्यांकन है 63 होगा। पर इतना ही काफी नहीं है। गांवों में मौके पर जाकर जांच करने पर जिस प्रकार विभिन्न भूमि वर्गों / उपवर्गों का अपेक्षित मृत्यांकन मृ-प्रबन्ध अधिकारी ने किया, उससे मान लीजिये, यह स्थिति सामने ग्राती है कि चाही उत्तम वर्ग की भूमि की ग्रामदनी चाही प्रथम वर्ग से सवाई है तथा चाही द्वितीय वर्ग की स्नामदनी चाही प्रथम से 20 प्रतिशत कम रहती है एवं चाही ततीय की 35 प्रतिशत कम रहती है तथा नहरी भूमि चाही द्वितीय एवं चाही प्रथम के मध्य बैठती है, तो चाही उत्तम का गुणांक 125, चाही प्रथम का गुणांक 100, चाही द्वितीय का गुणांक 80 व चाही ततीय का गणांक 65 तथा नहरी का गुणांक 90 हुआ। यदि मौके की जांच से बारानी भूमि का मुल्यांक 63 किया जाना ज्यादा प्रतीत होता है तो इसको इससे कम भी किया जा संकता है। बारानी भूमि की पैदादार केवल वर्षा पर ही निर्भर रहती है जो मनिश्चित् सी है। म्रतः इस हेतु भी बारानी के गुणांक को कम किया जा सकता है। मान लीजिये बारानी प्रथम को 55 का गुणांक दिया जाना निश्चित् किया गया और इहरी तथा पेटा तालाबी वर्ग को भूमि में बचत बारानी प्रथम से कुछ ज्यादा यानी लगभग 10 प्रतिशंत तक प्रधिक हो तथा खातली भूमि की पैदावार एवं बचत बारानी प्रथम के समकक्ष प्रथवा उससे कुछ ज्यादा हो एवं बारानी द्वितीय की पैदावार एवं बचत बारानी प्रथम के मुकाबले एक तिहाई कम हो तो बारानी प्रथम के गुणांक 55 के मुकाबले बारानी दितीय का गुणांक 40 होगा । उहरी एवं पेटा तालाबी का गुणांक 65 तथा खातली वर्ग का गुणांक 60 होगा ।

इस प्रकार उवाहरण के लिये लिए गये क्षेत्र में विभिन्न भूमि के श्रापेक्षित मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा :—

1.	चाही उत्तम	125
2.	चाही प्रथम	100
3.	चाही द्वितीब	80
4.	चाही तृतीय	6.5
5.	डहरो ै	6.5
6.	पेटा तालाबी	6.5
7.	खातली	60
8.	बारानी प्रथम	5
9.	बारानी द्वितीय	40
550000		

स्मरण रहे अपेक्षित मूल्यांकन करते समय अवसायी बंदोबस्त के आपेक्षित मूल्यांकनों को भी ध्यान में रखना चाहिये।

(14) भिम की इकाइयां कायम करना :---

बंदोबस्त के ब्राधीत क्षेत्र में त्रिक्षित्र सूमि वर्गी उप-वर्गी में कितना-कितना रकवा है तथा प्रत्येक उप-वर्ग का क्या अपेक्षित मूल्यांकन हुआ है, यह निश्वित हो जाने के बाद यह आबस्यक हो जाता है कि तहसील की सारी भूमि को समान स्तर पर लाया जावे । इसके बिना क्षेत्र को पूरो पैदावार के मूल्य व बचत इत्यादि के ब्राधार पर सही तौर पर लगान निर्धारण नहीं हो सकता । साथ ही साथ अवसायी बंदोबस्त की लगान दरों की तुलना अब निर्धारत की जाने वाली लगान दरों से नहीं हो सकती ।

प्रत्येक भूमि उप-वर्ग के क्षेत्रफल को उसके मूल्यांकन से गुणा कर देने पर उक्त भूमि क्यां को कुल इकाइयों का पता चल जायेगा। इस तरह सारे भूमि वर्गों को इकाइयां फैलाकर उनको जोड़ देने से यह मालूम हो जावेगा कि इस क्षेत्र में कुल कितनी भूमि की इकाइयां (Unit) है। नीचे की तालिका से यह स्थिति श्रौर भी स्पष्ट समझ में श्रा जायेगी।

कम संख्या भूमि वर्ग	भेत्रफल हैक्टेयरों में	अपेक्षिक मूल्यांक	इकाइयां
1 2	3	4	5
। चाही उत्तम	1250	125	156250
2. घही प्रथम	1550	100	155000
3. चाही द्वितीय	2600	80	208000
4. चाही तृतीय	1000	65	65000
5. नहरो	2050	90	184500
6. डहरी	1700	65	110500
7. पेटा तालाबी	TRUE DAS MUSE & PRO	6.5	
8. खातली	OF HE STATES OF	60	THE CHAPTER
9. बारानी प्रथम	4600	5.5	363000
10. बारानी द्वितीय	1800	40	72000
	15750		1314250

इस प्रकार इस क्षेत्र में कुल 1314250 भूमि की इकाइयां बनी।

(15) कृषि उत्पादन की बचत :-

अनुच्छेद 13 से जो काल्पनिक स्रांकड़े उाहरण के लिये हम काम में लेते आ रहे हैं उन्हीं के साधार पर भू-प्रबन्ध के सधीन क्षेत्र में स्रमुक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों का कुल मूल्य रुपये 33096000/- बैठा तथा तालिका संख्या 2 में श्रंकित खर्च के प्रतिशत से हिसाब लगाने पर कुल कृषि व्यय रुपये 20675250/-तथा बक्रत रुपये 12458750/-बैठी। इसको तालिका संख्या 4 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका संस्वा 4

मानचित्र कुल पैदावार की बचत

क.सं. जिन्स का नाम	कुल मूल्य	खर्चें का प्रतिशत	कुल खर्चा	(ग्रंक चपयो में) बचत
1 2	3	4	5	6
1. बाजरा	2580000	50 प्रतिशत	1290000	1290000
2. मनका	3080000	5 5 प्रतिशत	1694000	1386000
3. दाल	400000	2 5 प्रतिशत	100000	300000
4. मूंगफली	2520000	45 प्रतिशत	1134000	1386000
5. तिल	320000	25 प्रतिशत	80000	240000
6. गेहूं	13926000	75 प्रतिशत	10444500	3481500
7. जी	4225000	65 प्रतिशत	2764250	1478750
8. चना	3525000	50 प्रतिशत	1762500	1762500
9. सरसों	2520000	5 5 प्रतिशत	1386000	1134000
योग:	33096000		20637250	12458750

(16) श्रन्य खर्चे तथा कटौतियां :--

राजस्थान भू-राजस्व ग्रधिनियम, 1956 की धारा 152 में उल्लिखित कई प्रकार के खर्चों तथा श्रन्य परिस्थितियों का ध्यान भी रखा जाना श्रावश्यक है।

1. गाड़ी भाड़ा :--फसल को मंडी तक बेचने के लिये ले जाने के लिये गाड़ी भाड़ा एक प्रमुख खर्ची है। श्रतः गाड़ी भाड़े के पेटे खर्ची ऊपर वर्णित बचत में से मुजरा दिया जाना जरूरी है। गांवों से मंडी की सामान्य दूरी देखते हुए प्रति बोरी गाड़ी भाड़ा को उस क्षेत्र में दिया जाता हो उसका श्रनुमान पूछताछ कर लगा लेना चाहिये। जितना

विवदल कुल जिन्स पैदा हुई है उसके हिसाब से गाड़ों भाड़ा मुजरा देमा उचित होगा। इसके लिये कोई निश्चित निर्देश नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत उदाहरण में तालिका संख्या 1 के अनुसार कुल 270000 निवदल माल का उत्पादन हुआ। यदि रुपये 5/-प्रति बोरी के हिसाब से गाड़ो भाड़ा लगता हो तो लगभग 1350000 गाड़ी माड़ा हुआ जो उत्पादन भूल्य का लगभग 4 प्रतिशत हुआ। इस प्रकार बजाय वास्तविक आंकड़ों का अनुमान लगाने के एक शाजिबी प्रतिशत इस हेतु मानकर यह खर्बी मुजरा दे दिया जाना चाहिये। प्रस्तुत केस में यह खर्बी उत्पादन मूल्य का 4 प्रतिशत हुआ।

- 2. कमीशन इत्यादि:—मंडो के व्यापारी कृषक से कमीशन तथा कुछ ग्रन्य खर्चे चार्ज करता है। कृषक का भी मंडी तक जाने ग्राने एवं ठहरने में कुछ खर्ची होता है। इस मद में ग्राधिक से ग्राधिक 2 प्रतिशत कड़ीती दी जा सकती है।
- 3. स्टोरेज क्यय:—कई बार कृतकाण फसल पर माल न बेच कर अच्छे भायों की आशा में कुछ दिन माल अपने घर पर ही पड़ा र बते हैं अथवा मंडी में पहुंच कर बेयर हाऊस निगम के गीदाम में अथवा सहकारी सिमिति के गीदाम में रखा देते हैं। ऐसी स्थिति में उनको गोदाम भाड़ा भी भुगतना पड़ना है। प्रविलत रेट मालूम कर लेना चाहिये। उदाहरणार्थ यदि 25 पैसा प्रति बोरी प्रतिनाह माना जावे तो प्रस्तुत मामले में लगभग क्यये 70,000/-प्रति माह हुआ। यदि असतन 6 माह तक भंडारण होतो लगभग 40000/- बनता है जो उत्पादन मूल्य का 1 प्रति के करीब आता है। सामान्यतया इतना ही खर्ची भंडारण में पड़ता है। पर यह घटता बढ़ता रहता है। अतः पूछताछ करके ही इसका निर्धारण करना चाहिये।
- 4. अभाव की स्थितियों के कारण कटौतियां :—बंदोबस्त के अधीन क्षेत्र में कितने-कितने गांवों में कितने वर्षों में अम्मन एक बार वर्जी की कभी के कारण अथवा अितवृष्टि के कारण अभाव की स्थिति बनती है, इसका अध्ययन भू-अबन्ध अधिकारी की करना चाहिये के कारण अभाव की स्थित बनती है, इसका अध्ययन भू-अबन्ध अधिकारी की करना चाहिये तथा औसत अनुमान जगाना चाहिये कि कृषि बचत का कितना प्रतिशत भाग इस हेतु मुजरा दिया जावे। अनाव को स्थिति घोषित करने को विचित्त्यों से व तहसील के रेकाई से यह सूचना एकित्रत की जा सकती है। अनुमान कितना खराबा फसल में हो जो है, यह भी ध्यान में रखा जावेगा। यदि औतता 6-7 वर्ष में एक बार पूरी तहसील के क्षेत्रफल जितना क्षेत्र अनावमस्त होता हो तो खराबा के औसतन अतिशत का ध्यान रखते हुए बाजिबी अतिशत कटौती इस होतु लगभग 15 अतिशत होगी। अस्तुत उदाहरण में इस हेतु 15 अतिशत कटौती मानी जाती है। आवश्यकतानुसार इससे ज्यादा कटौती भी दो जा सकती है।
- 5. मूमि पड़त रखता: ——गांव के अनुभवी कृषकों से तथा कृषि विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करके भू-प्रबन्ध अधिकारी को यह जानकारी करनी चाहिये कि भू-प्रबन्ध के अधीन क्षेत्र में रकवा पड़त रखने को नवा परिवादों प्रचलित है। भूमि की उर्वरा शिंक के बढ़ने देने के दृष्टिकोण से कृषकगण अपनी जोत के कुल क्षेत्रफल में से कुछ हिस्से को बारी बारी से पड़त छोड़ देते हैं। तहसील से मिलान खसरा प्राप्त करके भी अध्ययन किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण बिन्दू का अध्ययन करके इस हेतु भी कटौती स्वीकार की जानी चाहिये। उदाहरणार्थ 5 प्रतिशत कटौती इस हेतु देना अधिक नहीं कहा जा सकता।
- 6. अन्य कटौतियां :-छोजत इत्यादि अन्य किमयों व खर्ची हेतु 3 प्रतिशत स्रौर भी मुजरा दिया जा सकता है।

इस प्रकार निम्न प्रकार से मुख्य-मुख्य कटौतियां बचत के ग्रांकड़ों में मुजरा दी जानी चाहिये।

1.	गाड़ी माड़ा	4 प्रतिशत
2.	विऋय या खर्ची कमीशन इत्यादि	2 प्रतिशत
3.	मंडारण का खर्चा	1 प्रतिशत
4.	ग्रभाव की स्थिति हे तु कटौती	1 5 प्रतिशत
5.	मूमि पड़त रखने हेतु कटोती	5 प्रतिशत
6.	श्चन्य कटौतियां छोजत इत्यादि	3 प्रतिशत

योग कटौतियां 30 प्रतिशत प्रस्तुत उदाहरण के लिये

इस बिन्दु को समझाने के लिये जो उदाहरण हम ले रहे हैं उसके लिये क्षये 33,134,000/- का 30 प्रतिसत लगभग रु. 99,40,200/- हुआ जिसे मुजरा देने पर रुपये 25,18,550/- की शुद्ध बचत हुई ।

(17) कृषक के स्वयं तथा परिवार के भरण पीवण हेतु खर्ची :

कृषक तथा उसका परिवार अपनी जीत की भूमियों पर कृषि कार्यों में हर फसल में लगे ही रहते हैं तथा किराये से मजदूर अत्यन्त आवश्यक होने पर ही लगाय जाते हैं अन्यथा व स्वयं ही अपने खेतों पर मजदूरों करते रहते हैं। किन्तु परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा होतो है व अशेसतन जोत का रकबा कम होता है जिससे परिवार के भरण-पोषण हतु पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती। इसलिये ऊपर विणत बचत में से हतु भी कुछ कटौती स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। वर्तमान समय में कुषदगर्ण अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कई बार पास के कसबों में पढ़ाई के लिये रखते हैं। विद्या के प्रसार के साथ-साथ व भी अपने रहन-सहन का स्तर बढ़ाना चाहते हैं तथा साधारणं सुविधाओं की वस्तुये प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त बचत का कुल भाग इस हेतु कटौती के रूप में और भी स्वीकार किया जाना चाहिये। उदाहरणार्थ प्रस्तुत केस में इस हेतु लगभग 25-30 प्रतिशत उपरोक्त सुद्ध बचत में से और कम कर दिये जाने पर लगभग रुपये 18,00,000/- बचेंगे। रुपये 7,18,550 इस हेतु मुजरा दिये गये।

(18) कुल लगान की राशि:

जपर र्वाणत प्रकार से कृषक एवं उसके परिवार के भरण-पोषण हतु प्रावधान रखने के परवात् जो सुद्ध बवत रहती है इसका लगान 6ठा ग्रंश पूरे क्षेत्रका लगान बनना चाहिये प्रस्तुत उदाहरण में यह राशि रु. 18,00,000/- का 6ठा ग्रंश यानी रुपये 3,00,000/- बनता है।

(19) इकाई का मूल्य निकालना :

इस प्रकार पूरे क्षेत्र के लगान की जो राशि बनती है उसनें कूल इकाइयों का भाग देने पर जो भाग कल जाता है वह एक इकाई का मूल्य होगा प्रस्तुत केंस में कुल 13,14,250 इकाइयां बनी थी। इस संख्या का भाग रुपये 3,00,000/- से देने पर इकाई का मूल्य लगभग 23 पैसा आया।

(20) भूमि वर्गवार लगान दरें:

इकाई के मूल्य को भूमि वर्ग के अपेक्षिक मूल्यांकन से गुणा करने पर जो गुणनफल आयोंगा वह प्रत्येक भूमि वर्ग की लगान दर होगी। प्रस्तुत उदाहरण में स्विति इस प्रकार बनेगी।

क.सं भूमि वर्ग	ग्रयेक्षिक म्र्वांकन	लगान दर इति हैक्टेंपर
1 2	3	4
1. चाही उत्तम	125	20 55 55 50/
2. चाही प्रथम	100	28.75 স্থবা ছ. 29/- 23.00
3. चाही द्वितीय	80	
	80	18. 40 ग्रम्बा र. 18/-
4. चाही तृतीय	6.5	14.95 अथवा र. 15/
5. नहरी	90	20.70 अथवा र. 21/-
6. हरी	65	14.95 अथवा र. 15/
7. बारानी प्रथम	5 5	12.65 ग्रथवा र. 13
8. बारानी द्वितीय	4.0	9.20 अथवा र. 9/

(21) अवसायो भू-प्रबन्ध के इकाई मृत्य से तुलना :

गत 20 वर्षों में भू-प्रबन्ध के अधीन क्षेत्र में प्रति वर्ध भू-राजस्य की जमा कायमी तथा वसली के आंकड़े तहलाल से प्राप्त कर लेगा चाहिये। 20 वर्ष की वसली के आंकड़ों का औसत निकाल कर 20 वर्षोय औसत वस्ती मालूम करना चाहिये जिससे श्रीसतन शुद्ध आय कहते हैं। इस श्रीसतन वार्षिक भू-राजस्वं को श्राय में इकाइयों की संख्या का भाग देकर अवसायों बंदीबरत की लगान दरों से बनने वाला इकाई का मूल्य मालूम कर लिया जाना चाहिये।

उबाहरणार्थ यदि यह श्रीसत रुपये 2,00,000/- बनती है तो श्रवसायी भू-प्रबन्ध की लगान दरों से इकाई का मूल्य 15 पैसे श्रायेगा ।

(22) पुराने इकाई मल्य को वर्तमान स्तर पर लाना :

पुराने इकाई मूल्य को वर्तनात स्तर पर लाने के लिये अवसीय भू-प्रबन्ध के समय है अब तक जिस कदर कृषि उपज के भावों में बृद्धि हुई है उसका हिसाब लगाया आजा अकरों है। दूसरों बात यह भी देखने को है कि गत भू-प्रबन्ध की लगान दरों उपज के कितने अंते को राज्यांश मान कर निकाली गई है। यदि पूर्व में भी 65ा अंश ही माना गया या तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु यदि पूर्व में राज्यांश इससे अधिक लिया जाता या तो इस हें तु फ नावट करके इकाई मुख्य को सलान किया जाना जरूरी है। उदाहरणार्थ यदि पूर्व में पंजमांश राज्य कोच के लिये लिया जाता या तो इकाई के मूल्य को 5 से गुणा करके उसमें 6 का भाग देने पर वर्तमान स्थित बन जायेंगी जैसे-

15 पैसे × 5 ÷ 6 = 12. 5 पैसे

यदि इस अवधि में कृषि उपज के मूल्य श्रीसतन 4 गुणा बढ़ गये हों तो इस बड़ीतरी को प्रभावशील करने के लिये निस्त प्रकार गुणंन किया जावेंगा —

 $12.5 \times 4 = 50$ पैसे

इस प्रकार अवसायों भू-प्रवन्ध को दरों से बनने वालो इकाई मूल्य को आज की स्थिति के प्रमुख्य लाये जाने पर इकाई का मूल्य 50 पैसा बैठता है जम कि वर्तपान समय में पैदा होने वाली पैदावार तथा उसके मृत्य, कृषि व्यय एवं प्रत्य खर्वी का हिसाब लगाने पर इकाई का मूल्य 23 पैसा बैठता है।

(23) इकाई मूल्य का ग्रीचित्य :

इस प्रकार वर्तमान समय में होने वाले उत्पादन के हिसाब से निकलने वाने इकाई मूल्य, प्रवसायों भू-प्रवःत्र को लगान दरों से बनने वाले इकाई मूल्य तथा इकाई प्रणालों से बनने वाले समक्ष्म सूल्य का अध्ययन करने के परचात् भ्-प्रबन्ध प्रधिकारों को यह मुनिश्चित करना चाहिये कि इकाई का वता मूल्य मान । उत्तित एवं न्याय संगत होगा । यदि गत इकाई मूल्य तथा वर्तमान भावों के हिसाब से बनने वाले मूल्य यदि 15 पैसे और 50 पैसे का श्रीसत लिया जावे तो 33.5 पैसा बनतों है । इसके ग्रालावा समायोजन सारिणों के अनुसार गत लगान दरों का नताया करने वर्तनान भूमि वर्गीनुसार क्षेत्रकल से दरों को गुणा करके कुल तहसील को लगान रागि मालून करके भी देखना चाहिये । इस प्रक्रिया से कुल तहसील का लगान वनता है वह उत्पादन विधि से बनने वाले लगान (रुपये 3,00,000 प्रस्तुत उदाहरण में) से किस करर कम या ज्यादा है । यदि मामूली फर्क ग्राता हो तो विशेष ध्यान देने की ग्रावस्थकता नहीं है । यदि ग्रन्तर बहुत ज्यादा हो तो उस दशा में भू-प्रबन्ध ग्रिकारों को सारो स्थित पर विचार करके यह मुनिश्चित करना चाहिये कि इकाई का मूल्य किस करर घटाया ग्रयवा बढ़ाया जावे ।

(24) पड़ौस के क्षेत्र की लगान दरें :--

पड़ीस की तहसीलों में जहां हाल ही में बंदोबस्त हुआ हो, उनमें क्या लगान दरें कायम की गई हैं, यह भी वेखना अत्यावस्थक है। पड़ीत की तहसिलों में हाल हो में जो लगान दरें कायम को गई है उनमें विग्रेंच संतर रहने की दशा में वर्ग अतंतीय फैलता है। अतः अस्तावित लगान दरें पड़ीत की तहसीओं की लगान दरों से प्रादा मिन्न महीं होती चाहिये।

(25) मुधारों के लिये छूट :--

राजस्थान भू-राजस्व प्रधिनियम की धारा 159 के प्रावधानों के प्रन्तर्गत कृषि
सुधारों के लिये लगान में 20 वर्ष तक छूट दिया जाना ग्रावस्थक है। यह छूट वर्तमान
समय में केवल नये कुआों के लिय ही दी जानी है। यह काफी प्रतीत होता है। प्रत्येक
कुएंबार छूट के वर्ष निकाल कर छूट की राशि की फैलावट करवा लेना चाहिये। चाहात
तैयारी के समय कुएं की निर्माण काल माल्म करके कूर विवरण में ग्रंकित कर दिशा जाता
है। उसी आधार पर छूट की राशि फैला ली जानी चाहिये। यदि कूर निर्माण को कुछ वर्ष
क्यतीत हो चुके हों तो उतने वर्ष 20 वर्ष में से कर ही जार्येगे। ग्रोर शंत्र वर्षों के लिये ही छूट

मिलेगी यानी कृषक को पुरानी भूमि वर्ग के हिसाब से ही शेष अवधि में लगान देना पड़ेगा यद्यपि लगान दर नई लागू को जाने वाली होगी। इस प्रकार छूट की कुल राशि का हिसाब लगाया जाना चाहिये।

(26) ग्रन्तिम प्रस्ताव:

उपरोक्त प्रकार व सारी स्थिति पर विचार करते हुये भू-प्रबन्ध श्रधिकारी को नवीन लगान दरों के अपने प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे देना चाहिये। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने पर उत्पादन विधि, यूनिट विधि एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण विन्दुओं पर विचार होकर जो लगान दरें सुनिश्चित की जावेगी व निःसन्देह न्यायोजित होगी।

(27) चाही जोतों के लिये विशेष प्रावधान :

राजस्थान भू-राजस्व ग्रधिनियम की धारा 163 के प्रावधानों के अन्तर्गत कुन्नों से सिचित होने वाली भूमियों के संबंध में गत 5 वर्ष का सिचाई का रकवा तथा जिस इत्याबि लिखते हुये कूप विवरण तथार करके कुएं से सिचित होने वाला 5 वर्षीय ग्रौसत क्षेत्रफल निकाला जायेगा । चाही का लगान इसी ग्रौसत क्षेत्रफल पर लगेगा । शेष क्षेत्रफल कुएं का जाव गुमार किया जावेगा जिस पर बारानी अथवा पड़त की दरों से लगान लगेगा । विभाग में प्रचलित प्रणाली के अनुसार सामान्यतः पूरे जाव पर बाही की लगान दर से आधी दर पर लगान लगाया जाता है । पिरचमी राजस्थान में जाव की लगान दर, चाही, की लगान दर से एक तिहाई मात्र रखी जातो है क्योंकि जाव बड़े-बड़े है जिनको पानी की कमी के कारण ज्यादा अवधि तक पड़त रखना पड़ जाता है । इस संबन्ध में विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि यदि यह पाया जावे कि किसी कुषक ने चाही लगान दर से बचने के लिये अपनी भूमियों को गत 5 वर्षी में किसी वर्ष में जो जानबूझ कर सिचित नहीं किया है जबिक वे सिचित हो सकतो यो व साधन भी पर्याप्त था, तो उस मामले में ऐसी असिचित रखी गई भूमि को भी चाही भूमि शुमार किया जावेगा वाली उस भूमि पर उगाई गई पैदावार को कुएं से सिचित फसल माना जावेगा ।

(28) लगान दरों में गांववार संशोधन :

लगान दरों का प्रस्ताव तथार करने के पश्चात् यदि किन्हीं कारणों से भू-प्रबन्ध श्रधि कारी यह आवश्यक समझते हों कि अनुक-अनुक गांव में फसल की स्थिति सामान्य से कमजीर रहती है अथवा अनुक अनुक गांव भूमि वर्ग के अनुक में पैदाबार की स्थिति सामान्य से कमजीर रहती है तो उन गांवों के लिये अथवा उन गांवों के उन भूमि वर्गों के लिये लगान दर में कुछ कमी/ बगी भी प्रस्तावित की जा सकती है। इस प्रकार का प्रावधान अधिनियम की आरा 153 में उल्लिखित है।

(29) लगान ग्रदायगी का समय:

प्रधिनियम की धारा 154 के जन्तंगत भू-प्रबन्ध अधिकारी को यह भी निश्चित करना चाहिय कि जोत का कुल लगान प्रतिवर्ष एक ही किश्त में झदा होगा अथवा दो या अधिक किस्तों में। प्रत्येक किस्त किस तारीख को देव होगी तथा जोत के कुल लगान का कितना भाग किस-किस में दिया जावेगा यह भी मुनिश्चित करना चाहिये।

(30) ग्रस्थायी कर प्रस्तावना एवं तत्संबन्धी ग्रन्य कार्यवाही :

उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् भू-अवन्ध श्रधिकारी को श्रस्थाई कर प्रस्तावना प्रतिवेदन तैयार करके भू-प्रवन्ध श्रायुक्त की श्रनुमोदन के लिये मेजना चाहिये। श्रनुमोदन प्राप्त होने पर श्रयवा प्रस्ताव में कुछ सुधार करने के निर्देश प्राप्त होने पर निर्देशित प्रकार से सुधार करके भू-प्रवन्ध श्रायुक्त को श्रनुमोदन प्राप्त कर लेने के पश्चात् भू-प्रवन्ध श्रिष्ठकारी को अपने प्रस्ताव श्रिष्ठित्यम की धारा 155 के प्रावधानों के श्रन्तर्थत राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करवाने चाहिये। इसके साथ-साथ ही प्रस्तावों का नोटिस निर्धारित विधि से श्रयने कार्यालय, महायक भू-प्रवन्ध श्रिष्ठकारी के कार्यालय तथा तहसील परगना एवं जिला कार्यालय पर प्रकाशित करना चाहिये। पंचायत स्वितित एवं पंचायतों के कार्यालयों पर भी प्रकाशित कर दिया जाना चाहिये तािक सर्वसाधारण को सूचना हो जावे। श्रस्थाई कर प्रस्ताव का नोटिस प्रकाशित होने के एक महीने की श्रवधि में इन प्रस्तावों के लिख्ड कोई भी व्यक्ति श्रयवा संस्था श्रापत्ति उठा सकती है। निर्धारित ग्रवधि में जो ग्रायत्वयां प्राप्त हो उस पर सुनवाई करके मू-प्रवन्ध ग्रिष्ठकारी प्रत्येक पर ग्रयना निर्णय देंगे तथा श्रयने प्रस्तावों पर पुनिवन्न करेंगे। यदि प्रस्तावों में संशोधन करना श्रावश्यक हो तो श्रावश्यकतानार उनमें संशोधन भी करेंगे।

(31) कर प्रस्तावना प्रतिवेदन प्रेवित करना तथा उसकी मंजूरी:

श्रव बंदोबस्त के श्रधीन क्षेत्र का कर प्रस्तावना प्रतिवेदन तैयार करके भू-प्रबन्ध आयुक्त को अधित कर दिया जावेगा । धारा 156 राजधान लेण्ड रेवेन्यू एवट के प्रादधानों के श्रन्संगत भू-प्रबन्ध आयुक्त अपने सिफारिशों सहित इस प्रतिबेदन को राजस्व मंडल को प्रेषित कर देंगे तथा राजस्व मंडल इसकी जांच करके राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करते हुये ग्रपनी समीक्षा-त्मक टिप्पणी सहित प्रतिवेदन को राज्य सरकार को प्रेषित करेगा तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर जिस तिथि से नई लगान वरें लाग करने की मन्जूरी हुई है उसी तिथि से नया मु-प्रवन्ध लाग् हो जावेगा। प्रत्येक स्तर पर गानि भु-ग्रबन्ध आयुवत, राजस्य मंडल एवं राज्य सरकार प्रतिवेदन की जांच करके यदि कुछ श्रौर जांच करवाना उचित समझें तो प्रतिवेदन वापिस भ-प्रवन्ध अधिकारी के पास उचित निदशों के साथ भेज सकते हैं। कर प्रस्तावना प्रतिवेदन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसका महत्व बंदोबस्त की अविध समाप्त होने के साथ ही खतम नहीं होता विकि हमेशा बना रहता है। श्रायाका होने दाले पुन-भू-प्रबंध के लिये भी पुरानी कर प्रस्तावना प्रतिवेदन के रूप में काम आती है। इस प्रति-वेदन से तस्कालीन हालात पर प्रकाश पड़ता है जो ब्रायन्दा भू-प्रबन्ध अथवा भू-प्रसिलेख की कार्यवाहियां करने वाले श्रधिकारियों के लिये तथा श्रन्य सामलों में भी उपयोगी है। स्रतः शर प्रतिवेदन बहुत सतर्कतापूर्वक तैयार करना चारिये । इसका अत्यन्त संक्षिप्त होना अथवा ज्यादा लम्बा होना ठीक नहीं है। सारे तथ्यों का समझा कर लिखा जाना चाहिये तथा जिन परिस्थितियों का प्रभाव लगान दरों के उद्भव पर पड़ता हो, उन परिस्थितियों को स्पष्ट कप से उजागर किया जाना जातिये। इस प्रतिबेदन में शामिल किये जाने वाले प्रमुख बिन्व बध्यायकार परिशिष्ट 5 में दिये गये हैं। प्रतिवेदन लिखने से पहले मुन्प्रकम्ध प्रधिकारी का इसका अध्ययन कर लेना चाहिये।

जोतों पर लगान कायम करना

(32) प्रत्येक जोत पर श्वीकृत दरों से लगान फैला कर लगान लगाया जावेगा जिसमें नये बने हुये कुश्रों के लिये निर्माण के वर्ष से 20 वर्ष तक की छूट दी जायगी यानि नये कुएं से जो भूमियों सिचित होती है उनका लगान कूप निर्माण के वर्ष से 20 वर्ष तक उसकी किस्म जमीन पुरानी ही मानते हुए उक्त किस्म जमीन पर लागू होने वाली लगान दर से लगाया जावेगा।

उसके अलावा प्रत्येक जोत पर जो लगान अब बनता है तथा जो लगान कृषक अवसायी बंदो-बस्त के अन्तर्गत जब तक अदा करता आरहा है उसके अन्तर को भी ध्यान में रखा जावेगा। यदि नया लगान पुराने लगान से ज्यादा है तो बढ़ोतरी पुराने लगान के 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी । किन्तु नवे लगान के 7.5 प्रतिशत से कम भी नहीं होगी । इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी जीत पर नथा कायम होने वाला लगान पुराने लगान के सवाये से ज्यादा है तो नये लगान का तीन चौथाई करके देखा जायगा कि क्या यह तीन चौथाई भी गत लगान के सदाये मे ज्यादा है। यदि नये लगान का तीन चौथाई गत लगान के सवाये से ज्यादा है तो नये लगान के तीन स्वीवाई तक लगान इस जीत पर कायम होगा। कि तु यदि गत लगान का सवाया नये लगान से तो कम है किन्तु नयं लगान के तीन चौथाई से ज्यादा है तो गत लगान का सवाया लगान लगेगा। उपरोक्त सीमाग्रों के अंदर प्रत्येक जोत पर नया लगान निर्धारित किया जावगा। जहां तक वसली का प्रश्न है गत लगान के सवाय से ज्यादा बनने वाले लगान के उस ग्रंश को जो सवाय से बेशी हो एक साथ न बढ़ा कर आगामी 3 वर्षों में बराबर अनुपात में बढ़ या जावेगा। इसका तात्पर्य यह हुन्ना कि ऐसे मामलों में 3 वर्ष की ग्रवधि की समाप्ति पर नई लगान दरों ते देय लगान (ऊपर वर्णित सीमाग्रों के ग्रधीन)पूरे तीर पर देय होगा। उदाहरण के तीर पर यदि गत लगान किसी जोत पर 60 रुपये है और नई लगान दरों से बनने वाला लगान 901- रुपये है तो ग्रब लगाया जाने वाला लगान रुपये 751- से ग्रधिक नहीं होगा किन्तु साथ हो साथ रुपये 67. 50 कम भी नही होगा। ऐसी स्थित में बजाय रुपये 901- के रूपये 751- लगान इस जोत पर कावन होगा। किन्तु यदि नया लगान 1201- आता है तो इस जोत पर 901- ज्यादा लगान नहीं लगेगा और 901- से कम भी लगान नहीं लगेगा। क्योंकि इस केत में गत लगान का सवाया यानि रु. 751- वर्तमान लगान के तीन चौथाई यानी रुपये 901- से कत है। इसलिये इस जोत का लगान रु. 901- प्रतिवर्ध कायम होंगा। किन्तु रु. 901- ग्रीर रु 751- का ग्रन्तर यानी रु. 151- की बढ़ोतरी एक साथ न की जाकर प्रतिवर्ध 5-5 रुपये बढ़ीतरी की जाबेगी।

(33) पर्वा लगान की तैयारी एवं विवरण :

प्रधिनियम की धारा 164 के प्रावधानों के प्रन्तेगत उक्त धारा में विणत विवरणों सिंहत पर्वा लगान तथार किये जावेंगे तथा संविध्यत कुषकों को बांट दिये जावेंगे। पर्वी की एक-एक प्रति भूमि धारक यानी तहसील के तहसीलदार को भेज हो जावेगी। पर्वा वितरण भू-भावकों हारा सहायक भू-प्रकृष्ध सिंधकारी की वेखरेख में गांव में जाकर स्वयं किया जावेगा तथा पर्वे की एक प्रति पर खातेदार की रसीद की जावेगी। प्रत्येक पर्वा 3 प्रति में बनेगा। एक परत खातेदार को दी जावेगी तथा दूसरी परत तहसील को भेजी जावेगी ग्रीर तीसरी परत पर खुवक की रसीद प्रान्त उरली जावेगी। पर्वा वितरण हेतु पहले से ही प्रोप्राग तथार करके प्रोप्राय की मुनादी गांव में करवादी जावेगी। निर्धारित तिथि प्रीर समय पर पर्व लेते व स्वाने वाले व्यक्ति का पर्वा दासा अविद्या जावेगा किन्तु ऐसा व्यक्ति एक माह में ख़ाकर अवना पर्वी ते सक्ता अववा स्वयं द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मंगवा सकेगा। एक बाह परवात् ऐसे अवितरित वर्षों को वितरण हेतु तहसीलदार के पास भेज दिया जावेगा तथा तहसीलदार उनको रसीद भू-प्रवस्थ प्रधिकारी को भिजव। देंगे। इन पर्वी की बंदवान का काम तहसीलदार के जिममें होगा।

(34) आवित्यां प्रस्तुत करते हेतु उद्वोषणा एवं आवित्यों की सुनवाई :

पर्चा लगान विधिवत वितरण हो जाने के परचात् भू-प्रवन्ध श्रधिकारी एक उद्योषणा जारी करेंग कि उद्योषणा के दिनांक से एक माह के अन्दर पर्चा लगान पर आपित को जा सकती है। अन्दर नियाद प्राप्त १ ने वाली श्रापत्तियां भू-प्रवन्ध/सहायक भ-प्रवन्ध श्रधिकारी हारा विधिवत सुनी जायेगी स्रीर उन पर स्रावेश दिया जाकर जात का लगान श्रन्तिम तीर पर निर्णीत कर दिया जावेगा। नया कायम किया गया यह लगान उसी तिथि से देय होगा जिस तिथि से त्या भू-प्रवन्ध स्नमले में स्नाता है। यदि भू-प्रवन्ध स्निधकारी किन्हीं प्रयप्ति कारणों के स्नाधार पर यह समझे कि नये लगान को नया भू-प्रवन्ध स्नमले में त्राने की तिथि से वहले की किसी तिथि से लागू किया जाना उद्धित होगा तो बे ऐसा भी स्नादेश दे सकते हैं। उजर-दारी का निर्णय होने पर जो लगान राशि लागू हुई, उस पर यदि कुष्णक को फिर भी स्नापित है तो वह लिखि तो में इस लगान के स्नसहमति प्रकट कर सकता है। स्नसहमित प्रकट करने की दशा में कुष्णक को स्नाने जोत की भूमि छोड़ देनी पड़ेगी। यदि वह स्नपनी खातेदारी की भूमि को स्वेच्छा से नहीं छोड़ता है तो राजस्थान कारतकारी स्निमियम, 1955 की धारा 183 के सन्तर्गत उसको स्नितकमी सानते हुये उक्त प्रावधानों को काम में लेते हुये उससे मूमि का कब्जा छुड़वाया जावेगा। ऐसी छोड़ी हुई भूमि को कानून के प्रावधानों के सन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को स्नावंदित किया जा सकता है। यदि कोई कुष्णक नये लगान की राशि से स्नसहमित प्रकट नहीं करता है तो यही साना जावेगा कि उसे स्नपनी जीत के लिये नई लगान राशि स्वीकार है।

(35) स्रवधि बंबोबस्त :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अथवा पुर्भ-भू-प्रबन्ध की अविध 20 वर्ष की होगी जो उस तिथि से गिनी जायेगी जिस तिथि के लिये राज्य सरकार राज-पत्र में अधितुचना प्रकाशित करती है। बंदोबस्त की अविध के दौरान नई कायम की गई लगान राशि देय होगी। यदि पर्याप्त कारण हों यानी कृषि उत्पादन की वस्तुओं के भूत्य में भारी गिराबट आ गई हो अथवा पड़ौस के क्षेत्र में लागू की जाने वाली नई लगान दरें काफी कम हो अथवा जांच करने पर मीजूदा लगान दरें न्याय संगत नहीं हो और काफी अंची हो अथवा अन्य कोई ठोस कारण हो तो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिमुचना प्रकाशित करके भू-प्रबन्ध की अविध समाप्त कर सकती है तथा उस क्षेत्र को भू-प्रबन्ध के अधीत रख सकती है। भू-प्रबन्ध को अविध समाप्त करने तथा स्थानीय क्षेत्र को पुन-भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत लाने की विजयित प्रकाशित होने पर वह स्थानीय क्षेत्र भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत जाने की विजयित प्रकाशित होने पर वह स्थानीय क्षेत्र भू-प्रबन्ध के अन्तर्गत जा अधीर अधिनियम के अध्याय 8 के आवधान उस क्षेत्र पर लागू हो जायेंगे। भू-प्रबन्ध की निर्धारित अविध यानि 20 वर्ष समाप्त हो जाने के बाद भी जब तक नया पुन-भू-प्रबन्ध में हो जाये तब तक चालू भू-प्रबन्ध की शर्तों के अधीन ही कुषकगण भूमि धारण करते रहेंगे।

(36) राजकीय खर्च से सिचाई का साधन उपलब्ध कराना :

यदि भू-प्रबन्ध की स्रविध के दौरान राजकीय खर्च से किसी क्षेत्र में सिचाई के साधन उपलब्ध कर दिये गये हों जिनसे खेतों में सिचाई होने लगी हो तो ऐसी मूमियों की लगान दर राज्य सरकार दारा संशोधित की जाकर चाही और नहरी भूमियों की लगान दरें उक्त भूमियों पर लागू की जा सकती है। यह काम संबन्धित जिलाधीशों का है।

(37) निवयों के बहाब के कारण कृषि योग्य भूमियों का बढ़ जाना अथवा वट जाना :

कई बार निदयों के तेज बहाब के कारण उनके बहाब का रुख परिवर्तन हो जाता है जिससे कुछ नई सूमि कृषि योग्य होकर जोतों में आ जाती है। अथवा कुछ सूमि खराब होकर जोतों से निकल जातो है। ऐसे मामलों में जिलाधीश अथवा सू-प्रबन्ध अधिकारी कमी हो। वाले क्षेत्र का लगान पुनरीक्षण करके कम कर सकते हैं। देशो होने वाले क्षेत्र

के लिये लगान कायम कर सकते है। इसी तरह से कृषि प्रयोजन से अकृषि प्रयोजनार्थ बदली गई भूमियों के लिये जिलाधीय अथवा भू-प्रबन्ध अधिकारी लगान कम कर सकते हैं। किन्तु इन सब परिस्थितियों में संशोधन लगान अथवा नये लगाये गये लगान की स्वीकृति भू-प्रबन्ध आयुक्त से लेना आवश्यक है।

(38) भूल सुधार :

कर निर्धारण मंडलों /तसूहों के निर्माण में, भूमि वर्गीकरण में तथा लगान दरों के उद्भव में यदि कोई गलती रह गई हो अथवा कुछ भूल हो गई हो तो भू-प्रबन्ध अधिकारी अपने प्रस्तावों की मंजूरी होने से पहले-पहले ऐसी गलती अथवा मूल को दुशस्त कर सकते हैं। यदि किसी जोत पर लगान फैलाने की गलती रह गई हो तो उसकी दुशस्ती इस हेतु प्रेषित की गई उजरदारियों का निर्णय करने से पहले की जा सकती है।

(39) राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण :

मू-प्रबन्ध की कार्यवाहियों को समाप्त करने की अधिसूचना प्रकाशित करने से पहले-पहले यदि राज्य सरकार को स्वयं द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों एवं लगान वरों में किसी भूल अयवा गलती रह जाने का पता चले जिसका संबन्ध निर्धारण मंडलों/समूहों के गठत अथवा भूमि वर्गीकरण अथवा किसी भूमि वर्ग की लगान वरों से उद्भव से हो तो राज्य सरकार यह आवेश दे सकती है कि भू-प्रबन्ध अधिकारी अस्वीकृत लगान वरों अथवा प्रस्तावों की नजरसानी करेंगे। ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर भू-प्रबन्ध अधिकारी सभी मामले पर पूर्ण विचार करके किर से प्रस्ताव तैयार कर विधिवत पेश करेंगे जिनकी संजूरी के संबंध में भी धारा 155 एवं 156 के अधीन पूर्व विणत अकिया ही लागू होगी।

(40) भू-प्रबन्ध कार्यवाहियों की समाप्ति पर पेंडिंग मामले :

मू-प्रबन्ध कार्यवाहियों की समाध्ति पर भू-प्रबन्ध अधिकारी अथवा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष विवाराधीन समस्त प्रार्थना-पत्न एवं अन्य कार्यवाहियों जिलाधीश को स्थानान्तरित हो जायेगी यदि उक्त क्षेत्र के लिये स्थाई भू-प्रबन्ध अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई हो। यदि स्थानीय क्षेत्र के लिये स्थाई भू-प्रबन्ध अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है तो भू-प्रबन्ध कार्यवाहियों की समाध्ति हो जाने के उपरान्त भी पेन्डिंग मामलों पर शेष कार्यवाही वे ही करते रहेंगे।

ग्रध्याय 7

भू-प्रबध कार्यवाहियों का समापन

(1) तैयारी जमाबंबी बंदोबस्त :-

पर्ची लगान के विरुद्ध प्राप्त होने वाली उजरदारियों की विधिवत सुनवाई सहायक सू-प्रबन्ध प्रधिकारी द्वारा की जावेगी तथा जो निर्णय दिये जायेंगे उनका ग्रमलदरामद खसरा, पर्ची तथा अन्य कागजात में किया जावेगा। यह कार्यवाही चलती रहेगी। किन्तु इतके साथ साथ ही बंदोवस्त की जमावंदी (जिसल बंदोवस्त अथवा मिसल हकीयत) तैयार करने की कार्यवाही भी शुरु कर देनी चाहिये। सभी उजरदारियों का निस्तारण होने तक इस काम के लिये रका रहना जरूरी नहीं है। पर्ची लगान वितरण से 30 दिन की मियाद उजरदारी करने की है जिसके गुजरने पर नई उजरदारियों स्थतः ही नहीं अथ्येगी। भू-प्रबन्ध कार्यवाहियों को समाप्त करने की राजकीय विजिध्त प्रकाशित होने के पश्चात् सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियान को उजरदारी सुनने का क्षेत्राधिकार भी नहीं रहता। मिसल बंदोवस्त (जमाबंदी खतीनी) में निम्नांकित प्रपक्ष सम्मिलत किये जाने चाहिये:—

- (क) शीर्षक पत्र
- (ख) ग्राम का नवशा
- (ग) इन्डेक्स
- (घ) मिलान क्षेत्रफल
- (ड़) लगान को दर
- (ब) बतोनी प्रपत्न
- (छ) सूची सीमा चिन्ह
- (ज) दस्तूर गांवाई
- (झ) नक्शा चाहात
- (ट) ग्रंतिम ग्राजा
- (ठ) शुद्धि पव

(2) मू-प्रबन्ध कार्यबाही समाप्त होने पर पेडिंग पत्राविलयों का हस्तान्तरण :-

भ-प्रबन्ध की कार्यवाहियां समाप्त होने की राजकीय विवरित राज-पत्न में प्रकाशित

होने के पश्चात् उजरदारियों को सुनवाई तुरन्त बन्द कर देनी चाहिये तथा सभी पेंडिना उजरदारी की पत्नाविलयों को विधिवत तैयार करके संबन्धित जिलाधीश के यहां प्रियम कार्यवाही के लिये भिजवादी जानी चाहिये जो इन मामलों की सुनवाई करके प्रतिम निर्णय देंगे। उनका निर्णय प्राप्त होने पर प्रमत्तदरामद कर दिया जायेगा। यदि मिसल बंदोलेस्त बनने की कार्यवाही चालू हो। यदि मिसल बंदोलस्त बन कर तैयार हो चुकी है तो उस सूरत में उन निर्णयों का प्रमत्तदरामद संबन्धित तहसीलदार करेगा। स्मरण पहे, जिलाधीश के उपरोक्त प्रधिकार प्रब उपखण्डाधिकारियों को भी प्रदत्त किये जा चुके हैं। श्रतः सामान्यतया वे ही इन हस्तान्तरित पेंन्डिंग उजरदारियों को मुनेगे।

(3) सामान्य :---

भू-प्रबन्ध को सम्पूर्ण कार्यवाही में तैयार किये गये अनेक कागजात के संबन्ध में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि हर स्तर पर किसी भी कागजात में यदि कोई शुद्धि करनी हो तो तरसीस पर्चा तैयार किया जाना चाहिये और उस पर आदेश प्राप्त करके रेकार्ड में लाल स्याही से शुद्धि करना चाहिये तथा शुद्धि करने वाला भू-मापक, निरोक्षक तथा सहायक मू-प्रबन्ध अधिकारी उस शुद्धि पर हस्ताक्षर अवश्य करें।

(4) कागजात का सही तैयार होना :--

दूसरी महत्वपूर्ण बात सारी कार्यवाहियों के दौरान यह है कि विभिन्न स्तरों पर जो रेकार्ड तैयार किया जाता है वह बिल्कुल सही और शुद्ध होना चाहिये तथा वर्तमान स्थिति का दिग्दर्शन इस श्रीललेख में श्रवश्य होना चाहिये श्रग्यथा भू-प्रबन्ध कार्यवाहियों का सही लाभ कृषकों को प्राप्त नहीं होगा। यदि इन्द्राजात गलत किये जाते हैं और दर्तमान सही स्थिति का प्रदर्शन श्रीधकार श्रीललेख में नहीं होता है, तो इसे श्रत्यन्त गंभीर दृष्टि माना जावेगा तथा अधिकार श्रीललेख में श्रथवा भूमि वर्गीकरण में गलती रखने वाले कर्मचारियों एवं श्रीधकारियों के विषद्ध सख्त श्रनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) पचा लगान की प्रति तहसील को अजबाया जाना :--

मिसल बंदोबस्त तैयार होकर जिलाधीश तथा तहसील को भेजने में समय लगता है। भू-प्रबन्ध कार्यवाहियों समाप्त होकर नया भू-प्रबन्ध लागू हो चुकता है पर कई बफा सभी गांवों की जमाबन्दियों तैयार होकर जिलाधीश व तहसील को हाथोहाथ नहीं पहुंच गाती। इसिलये पर्वा लगान 3 प्रतियों में बनाया जाना चाहिये। एक प्रति हृष्क को बी जाकर दूसरी प्रति पर उसकी रसीद लेकर भू-प्रबन्ध अधिकारी के रेकार्ड में रहेगी तथा तीसरी प्रति तहसील को भेज देना चाहिये। यदि उन्हें कोई उजरवारी करनी होगी तो कर सकेंगे ग्रन्थथा इन पर्चों के आधार पर खसरा गिरदावरी तथा ढालबांछ तैयार करके गिरदावरी करने का काम तथा लगान बसुली का काम बालू रख सकेंगे।

(6) जमाबन्दी बंदोबला का भिजवाया जाना :-

संबन्धित जिलाधीश के पास निम्नलिखित रेकार्ड भिजवाया जावेगा :-

- 1. जमाबंदी बंबोबस्त (मिसल बंदोबस्त एवं मिसल हकीयत) 2 त्रति
- 2- देंसिंग क्लाथ पर बने हुवे गाँवों के मानिवन 1 प्रति

3 - तक्का लट्डा किस्तबार -1 प्रति

मिसल बंबोबस्त तथा मानिचन्न की 2- 2 प्रतियां भंजी जावेगी जिनमें से एक जिला-धीश के प्रभितेखागार में रहेगी तथा बूलरी संबन्धित तहसील को भेजी जावेगी जिसके आधार पर तहसीलवार खतौनी जमावंदी तथा खसरा गिरदावरी तैयार करेंगे। नवशं लट्ठा किस्त-बार भी तहसील को हो जायेगा जिले पटवारी काम में लेंगे।

(7) गोव रेकार्ड रखा जाना :-

डपरोक्त के प्रलावा धन्य सभी रेंकार्ड तथा सब लीटें भू-प्रबन्ध श्रधिकारी के श्रमिलेखागर में विधिवत सुरक्षित रखा जावेगा।

(8) प्रमिलेख रखने की अवधि :-

सर्वे शीटें, फीन्ड बुके एवं सिसल बंदोबस्त ब्रदेव के लिये सुरक्षित रखे जायेंगे। शेष रेकार्ड कितनी कितनी अवधि तक सुरक्षित रखां जावेगा उसका विवरण अध्याय 9 में दिया गया है। अवधि समाप्त होने के पश्चात् उनत रेकार्ड को विधिवत तलख कर दिया जावेगा।

कार तथाय नांच निराहा.

(9) उजरत पर कार्य कराना :-

मिसल बंदोबस्त की दितीय प्रति भू-प्रबन्ध श्रधिकारी के निर्देश से उजरत पर तैयार कराई जावेगी। उजरत की दर निष्न प्रकार से होगी। सफाई द्वितीय प्रति 10 रु. प्रति संकड़ा खसरा नम्बर व ततीय प्रति पर यदि भू-प्रबन्ध श्रीवकारी आवश्यक समझे श्रीर तद-नुसार निर्देश दें तो नक्शा ट्रेंसिंग क्लोय की द्वितीय कार्पा 8 रुपये प्रति संकड़ा खसरा नम्बर पर उजरत पर तैयार कराई जा सकती है। इसी प्रकार यदि खट्ठा ट्रेस की द्वितीय प्रति तैयार कराई जाये तो 12/- रु. प्रति संकड़ा खसरा नं. के हिसाब से उजरत दी जावें।

ग्रध्याय-8

1. श्रापत्तियों (उजरदारियों) तथा श्रपीलों की सुनवाई एवं ग्रमलदरामद :-

भ-प्रबन्ध ग्रधिकारी एवं सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी श्रपने ग्रपिकार क्षेत्र में न्यायालय के अधिकारियों के रूप में भी काम करते है। न्यायालय का कार्य करने में राजस्थान भ-राजस्व श्रधिनियम के श्रध्याय 4 में विणत प्रावधानों का श्रनुसरण करना होता है। बंदोबस्त के न्यायालय राजस्व न्यायालय हैं जिनके संचालन हेतु राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैनुम्रलर्ण राजस्व न्याया नियम् भाग 2 के प्रावधान पूर्णतया लागू होते हैं । भू-राजस्व प्रधिनियम में प्रथवा रेवेन्यू कोर्ट स येन्य्रल भाग 2 में राजस्व न्यायालयों पर जहां जहां जिस सीमा तक व्यवहार संहिता कि प्रावधान सी लागू हैं। इन प्रावधान लागू किये गये हैं, उस सीमा तक व्यवहार संहिता के प्रावधान सी लागू हैं। इन प्रावधानों को यहां बोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस मैनुग्रल के भाग 2 में कानुनी प्रावधान उद्धृत कर दिये

2. न्यायिक मामले :--

भू-प्रबन्ध से संबन्धित निम्नांकित मामले राजस्व भू-राजस्व श्रीधनियम की श्रनुसूची एक (धारा 23) के अन्तर्गत न्यायिक मामले माने गये हैं। :--

(4) सीमा विवादों का निस्तारण

(5) प्रधिकार ग्रिभिलेख में की गई प्रविष्ठि संबन्धी विवाद।

- (6) कारतकार के वर्ग प्रथवा जोत धारणाधिकार संबन्धी शर्तों के संबन्ध में
- (7) उत्तराधिकार, स्थानान्तरण अथवा अव्य कारणों से किया जाने वाला नायान्तरकरण।

राजस्व ग्रथवा तत्संबन्धी विवाद।

- (9) दस्तूर गांवाई/ वाजिबुल श्रजं से संबन्धित विवाद ।
- (10) कर मुक्ति संबन्धी जांच एवं कर विधान ।
- ब्रध्याय 7 के अन्तर्गत नियुक्ति राजस्य ब्रधिकारी (ब्रतिरिक्त सहायक भू-प्रभिलेख अधिकारी) द्वारा न्यायिक सामलों में प्रयोग में ली जाने वाली प्रक्रिया :--
 - (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के मध्याय 4 की धारा 51 से धारा 73, मध्याय 5 की धारा 74 से धारा 87 के प्रावधान।
 - (2) राजस्थान राजस्व न्यायालय मंनुझल भाग 1 व 2 के प्रावधान।
 - (3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 15 की धारा 206 से धारा 245 के प्रावधान ।
 - (4) प्राकृतिक न्याय का मूलभूत सिद्धान्त कि किसी व्यक्ति के हितों के विरुद्ध कोई निर्णय तब तक नहीं किया जावे जब तक कि उसे सुनवाई का समुचित भ्रवसर

प्रवान नहीं किया गया हो । श्रतएव पूर्ववर्ती श्रधिकार श्रमिलेख, वार्षिक जमा-बंबी रजिस्टर अथवा अन्य रजिस्टरों में की गई प्रतिष्ठि तब तक संशोधित नहीं की जावे जब तक कि उससे हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सुनवाई का तमुचित अवसर प्रवान नहीं कर दिया गया हो। समृचित अवसर क्या होगा तया किस प्रकार प्रवान किया जावेगा उसकी विस्तृत प्रक्रिया एवं प्रावधान उपरोक्त श्रीधनियमों तथा राजस्व न्यायालय मेनुभल के प्रावधानों में दिवा गया है जिसका पूर्णतया पालन किया जाना चाहिये।

(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(35) या 5(36) में राजस्व न्यायालयों तथा अधिकारियों को परिमाषित किया गया है। उसमें दी गई परि-भाषा के अनुसार कोई भी अधिकारी जिसे कृषि जोत धारणाधिक (Acot) of right संबन्धी मामलों में कोई न्यायिक निर्णय देने की भी कार्यवाही करना है वे सभी राजस्व न्यायालय होगें। तथा रेन्ट निर्धारण तथा राजस्व ग्राभिलेख निर्माण की प्रक्रिया से संबन्धित भू-प्रमिलेख प्रधिकारी एवं सहायक प्रधिकारी राजस्व ग्रधिकारी तथा न्यायासय है । उन्हें कुषक वर्ग तथा जोत धारणाधिकार संबन्धी विवादों का निर्णय देने का अधिकार धारा 123 राजस्थान भू-राजस्व श्रधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त है जबकि वह राजस्थान काश्तकारी श्रधिनियम में विये सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर ऐसे विवादों को हल करते है परन्तु इसके लिये पद्धति एवं प्रक्रिया जो राजस्थान भू-राजस्व ग्रधिनियम में निर्धारित है को पालना करते है । इससे स्पष्ट है कि भू-श्रमिलेख श्रधिकारी अधिकार श्रिभलेख का निर्माण करते समय समेरी एनक्वायरी (संदिष्य श्रीच) की पद्धति एवं प्रक्रिया अपनाते हुये कुषक के वर्ग तथा जीत धारणाधिकार संबन्धी विवादों का निर्णय करेगें ग्रीर उन्हें इनमें राजस्थान काश्तकारी ग्रिधिनियम के सिद्धान्तों को लाग करने होगें। पर्वा खतौनी तस्दीक करते समय मजमुए ग्राम में विवादों का निपटारा भू-ग्राभिलेख/सहायक भू-ग्राभिलेख ग्राधकारी ग्रपनी स्वेच्छा से अपने तौर पर स्वगत पर्ची खतानी पर बयान इत्यादि या श्रन्य बिवरण लिखकर भी कर सकते है ग्रीर प्रार्थना-पत्र लेकर भी कर सकते है। किन्तु जहां तक हो, मौके पर ही पर्वे पर लिखकर विवाद का निपटारा कर देना चाहिये। कुषकों के कितने वर्ग हैं तथा उन्हें जोत धारणाधिकार संबन्धी क्या अधिकार है एवं उन पर क्या प्रतिबंध है, यह राजस्थान काश्तकारी अधि-नियम के निम्नांकित ग्रध्यायों में अल्लिखित है :---

बुदकारत कुत्रकों से संबन्धित जोत धारणा धिकार 1 ब्रध्याय 2--संबन्धी प्रावधान ।

कुषकों के वर्ग खुदकाश्त कृषक सहित । 2-ग्रध्याय 3---

3-ग्रध्याय 3ए-खातेहारी कृषक के जोत धारणाधिकार किन किन उप-कुषकों तथा खुदकाश्त के भ्रासामी को दिये जावेगे।

कृषकों के प्राथमिक जोत धारणाधिकार संबन्धी 4-श्रध्याय 3बी-

इनके ग्रन्तंगत कुवकों के जोत धारणाधिकार विभिन्न 5-ग्रध्याय 4.5-6 एवं 7-प्रक्रियाओं से किस लोगा तक प्रभावित होते हैं तथा

उनमें उत्पन्न विवादों का निपटारा किन-किन सिद्धान्तों पर किया जावे।

श्रतएव सहायक भू-ग्रभिलेख ग्रधिकारो उपरोक्त कृषक वर्ग तथा जोत धारणाधिकार ते संबन्धित विवादास्पद सभी मामलों में राजस्व न्यायालय का कार्य करते हैं श्रीर उन्हें न्यायिक प्रक्रिया ग्रपना कर ही इन विवादों का निर्णय करना चाहिये।

- 4. भू-प्रबन्ध अधिकारी तथा भू-अभिलेख अधिकारी के समिहित अधिकार एवं कर्तव्य— अधिकार अभिलेखन से संबन्धित :
- (1) भू-प्रबन्ध कार्य के अर्त्तगत चल रही तहसीलों में सभी तहसीलदार नायब तहसीलदार भू-प्रबन्ध अधिकारी के अधीन धारा 24 भू-राजस्व अधिनियम के अर्त्तगत होते हैं। इसी प्रकार धारा 27 के अर्तगत उपरोक्त अधिकारियों तथा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के सभी अधिकार भू-अभिलेख अधिकारों में निहित होते हैं।
- (2) मू-प्रबन्ध श्रधिकारी/सहायक मू-प्रबन्ध श्रधिकारी द्वारा 25(4) के अन्तर्गत भू-राजस्य श्रधिनियम श्रथवा अन्य किसी श्रधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अपने श्रधिकार क्षेत्र में उन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगें तथा उन सभी कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होगें जो उन्हें उक्त श्रधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं अथवा दिये जाते हैं। अत्रत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत श्राने वाले उसमें उल्लिखित विवादों के निर्णय का अधिकार उन्हें धारा 123 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होता है और उनके नियदारे के लिये वे सक्षम हैं।
- (3) धारा 36 राजस्यान मू-राजस्य अधिनियम के श्रन्तर्गत वे सभी व्यक्ति जिनका कि श्रविकार हित अधिकार अभिनेख में इन्द्राज किये जाने के लिये प्रभावित होता है, वे तद्वत सुवना देने के लिये वाध्य हैं।
- (4) धारा 51 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में कहीं भी अदालत लगा सकते हैं।
- (5) धारा 54 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों से मुकदमें स्थानान्तरित कर सकेगें, विथड़ा कर स्वयं या अन्य अधिकारी को दे सकेगें।
- (6) केवल फरीकेन, उनके अधिकृत एजेन्ट अथवा अधिकृत वकील उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्न न्यायालय अधिकारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायिक मामलों में डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्न ग्रावश्यक डाक टिकट प्राप्त न होने पर लौटाया जा सकेगा अथवा फाईल कर दिये जावे। अधिकृत एजेन्ट से अभिप्राय पावर आफ अटोनों होल्डर (अभिकृता) से है।
- (7) ग्राधिकार ग्राधिलेखन की प्रक्रिया के लिये कोई नियाद नहीं है। ग्रातएव कृषक वर्ग कार्य प्रारम्भ होने के दिनांक से पर्चा लगानों की तस्वीक होने तक प्रार्थना-पत्र सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के समझ दे सकते हैं तथा उसका निपटारा किया जाना चाहिये। पर्चा लगानी की उज्जदारी करने की नियाद 30 दिन होगी।

- (8) ग्रमीन/निरीक्षक भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु उस म्रवस्था में उन्हें सहायक भू-प्रबन्ध प्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर निर्देश प्राप्त कर उसी के म्रनुसार कार्यवाही करनी चाहिये।
- 5 निम्म ग्रानुच्छेदों में भू-प्रबन्ध विभाग से संबन्धित कुछ विशाब्द बातों का उल्लेख किया जा रहा है :--
- (1) प्रार्थना-पत्नों का प्राप्त होना :--तहसील क्षेत्र में पैमाइश की कार्यवाही शुर् होते ही कृषकगण कई तरह के प्रार्थना-पत्र सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी के समक्ष पेश करना प्रारम्भ कर देते हैं। इनमें से जो प्रार्थना-पत्र खेतों को मेड़ों ग्रथवा सीमा तथा गांव की सीमा के विवादों से संबन्धित हो, केवल उनकी सुनवाई पर्चा तस्दीक से पहले की जा सकती है, श्रन्यथा पर्चा खतौनी की तस्वीक होने से पहले प्रार्थना-ग्रतों की सुनवाई नहीं करना चाहिये। किन्तु ऐसे प्रार्थना-पत्नों का पैमाइश के समय तथा मु-प्रभिलेख तैयार करते समय श्रवश्य ध्यान रख लेना चाहिये। उन पर श्रीपचारिक निर्णय करने की जरूरत नहीं है। केवल इस ग्रम्न का नोट ग्रंकित कर दिया जाना चाहिये कि प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्द पर ग्रमक-अमक कार्यवाही हो चुकी है। जिन प्रार्थना-पत्नों का विषय परिशोधन-पत्न खोलकर तस्वीक कराने से संबन्ध रखता हो, उनमें परिशोधन तस्वीक की कार्यवाही ही जाने से प्रार्थना-पत्नों का निस्तारण हो जायेगा। पर्चा तस्दीक के समय तक ग्रानेकों प्रार्थना-पत्नों में उठाई गई ग्रापत्तियों का निराकरण हो चुका होता है। जिन प्रार्थना-पत्नों का पर्ची तस्बीक के पहले निराकरण हो जाता है वे सब "बी" फाईल में सम्मिलित कर दिये जावेगें। शेष प्रार्थना-पत्न जिन पर सुनवाई होकर निर्णय होना है उनको तथा तस्दीक के बाद स्नाने बाले ग्रौर प्रार्थना-पत्नों को अथवा तस्दीक की प्रक्रिया में ही बिना पूरी सुनवाई के निर्णय न हो पाने योग्य प्रार्थना-पत्नों को रिजस्टर मुकदमात में दर्ज किया जावेगा । पर्ची तस्दीक से पूर्व भी विवादप्रस्त प्रार्थना-पत्नों के निपटारे के लिये उनको दर्ज रजिस्टर की फाईल खोलकर जांच करने में कोई ग्रापित नहीं है। किन्तु बहुत कम ग्रत्यावस्थक मामलों में ही ऐसा करना चाहिये। विभाग में प्रचलित "ए" फाईल व "बी" फाईल का विवरण निम्न प्रकार है । इसमें उल्लिखित प्रवादि उनमें शामिल होंगें ।
 - ए फाईल :--इसमें रेन्ट रेट्स निकालने संबन्धी निस्नांकित प्रपत्नों को सम्मि-स्नित किया जा सकता है ।
 - (क) नक्ता अनुमानित उनज (स्थानीय पूछताछ)
 - (ख) नक्शा फसल कटाई प्रयोग (किसी भी मानक भूमिवर्ग का चयन किया जाकर किया जाने वाला फसल कटाई प्रयोग)
 - (ग) कर निर्धारण प्रयत्न (Assesment note
 - (घ) भूमि वर्गीकरण संशोधन पत्र
 - (ङ) ग्राम विवरण-पत्र (Willage note)
 - 2. बी फाईल :--इसमें निम्नांकित अभिलेख सम्मिलित किया जा सकता है-
 - (क) राजस्थान भू-राजस्व श्रिधिनियम, 1956 को धारा 110 को प्रक्रिया-न्विति के लिये बनाये गये नियम 15 व 16 द्वारा निर्धारित प्रपत्न में जारी की गई घोषणायें।

- (ख) परिशोधन पत्र एवं अन्य प्रार्थना-पत्र जिन पर तत्काल कार्यवाही होकर आदेश हुये हों।
- (ग)परिशोधन-पत्र खुलत्राने हेतु प्रार्थना-पन्न
- (घ) निरीक्षण-पत्र
- (ङ) सूची सीमा चिन्ह
- (च) नक्शा मरकज जीपारा
- (छ) रजिस्टर सीमा
- (ज) खाका (मुसल्लसन्बंदी से सर्वे के समय)
- (झ) सूची फलदार वृक्ष
- (डा) विवाद-पत्र
- (ट) बदर पर्चा
- (ठ) दस्तूर गांवाई
- (ड) फील्ड बुक
- (2) प्रार्थना-पत्र पेशहोनाः —प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रस्तुतकर्त्ता का नाम लिखते हुये प्रस्तुतीकरण ग्रंकित किया जाना चाहिये तथा ग्रंधिकारी को ग्रंथने हस्ताक्षरों के नीचे तारीख ग्रंबरय डालनी चाहिये। ग्रंधिकारी का प्रस्तुतीकरण ग्रंकित न होने की दशा में प्रार्थना-पत्न का पंजीकरण नहीं होगा। प्रार्थना-पत्न पेश होते ही उस पर ग्रागाभी तारीख देकर ग्रावेदक से नोट करा लेना चाहिये ग्रन्थया पक्षकारान को विधिवत नोटिस देकर तलब किया जावे। समय व खर्च की बचत का ध्यान रखा जाना चाहिये।
- (3) प्रार्थना-पत्नों का पंजीकरण:-पर्चा तस्दीक स्माप्त होने के वश्चात् उजरदारी के प्रार्थना-पत्नों का पंजीकरण तुरन्त किया जाना चाहिये व प्रत्येक प्रार्थना-पत्न की मलग-मलग पत्नावली खोल कर सरवर्क इत्यादि लगा कर प्रार्थना पत्नों को तारीख पेशी पर ले लेना चाहिये।
- (4) रेकार्ड रिपोर्ट प्राप्त करनाः—प्रार्वना पत्र का पंजीकरण होने के परचात् तंबन्धित भू-मापक को पत्रावली देकर प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर ग्रगली तःरीख से पहले रेकार्ड रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी चाहिये। भू-मापकों को जिसले देने के लिये विधिवत रिजस्टर खोल कर रिजस्टर के माध्यम से ही लेन देन करना चाहिये तािक रेकार्ड मुकम्मिल रह सके। तारीख पेशी से पहले रेकार्ड रिपोर्ट हर सूरत से प्राप्त करली जाय। देरी करने वाले मामलों को पेशकार सहायक भू-प्रवन्ध ग्रधिकारी के विशेष ध्यान में तारीख पेशी से पहले 1-2 दिन पहले ग्रवस्य लायेगा। सहायक भू-प्रवन्ध ग्रधिकारी यह सुनश्चित् करेगें कि पेशी से पहले पहले रेकार्ड रिपोर्ट प्राप्त हो जाय।
- (5) पेशी रिजस्टर:-प्रत्येक पंजीकृत मिसल को तारीख पेशी पर लेकर संबन्धित तारीख में पेशी रिजस्टर में दर्ज कर दिया जाना चाहिये। बिना दर्ज किये कोई पत्रावली न रहें।

- (6) कार्जीलस्ट:—प्रस्थेक तारीख पेशो कै विन उस विन की सुनवाई के मुकरमात की चुनी(कार्ज लिस्ट) पेशकार तथार करके सुनवाई की कार्यवाही शुरु होने से पहले त्यायालय के बाहर प्रविश्त करेगा तथा एक सूची अधिकारी की मेज पर रखेगा । दौरों के कोर्ट में भी यही प्रणाली रहेगी दैनिक कोर्ट -कार्य समाप्त होने पर इस सूची को एक फाइल में रखा जावेगा । निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ती अधिकारी के समक्ष ऐसी फाइल पेश की जायेगी।
- (7) मुनवाई:—उजरदारी की मुनवाई जहां तक संभव हो, मौके पर ही करके निर्णय करना चाहिये। सहायक अधिकारियों को पंचायत मुख्यालयों पर या आवश्यकतानुसार गांवों में केम्प लगाना चाहिये। एक केम्प के बाद दूसरा, इस तरह निरन्तर सुनवाई करना चाहिये। बार-बार मुख्यावास पर लोट आना उचित नहीं है। पर इस विषय में भू-अबन्ध अधिकारी के समक्ष अपना प्रोग्राम डिस्कस करके निर्देशानुसार फाइनल करना चाहिये।
- (8) निर्णयः उजरवारी की विधिवत सुनवाई होने के पश्चात् निर्णय लिखकर सुनाया जाना चाहिये। निर्णय का स्रमलदरामद भू-प्रबन्ध के कागजात में तुरन्त करवाया जावें। स्रावश्यकतानुसार पर्चा खतौनी संशोधित करके संशोधित पर्चा जारीकर दिाया जाना चाहिये। सगान से संबन्धित उजरवारियों में संशोधित पर्चा लगान जारी किया जाना चाहिये।

5. एक बार निर्णय कर देने पर बुबारा निर्णय करने की मनाही :-

किसी मामले में प्रथवा प्रमुक अमुक बिन्दु पर सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा एक बार अन्तिम निर्णय कर दिये जाने के बाद उसी मामले में पूर्व निर्णय को बदल कर दूसरा निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल धारा 86 के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्दर नियाव नजरसानी की जा सकती है। किन्तु मियाद गुजरने के बाद निर्णय में किसी तरह के हरफेर करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी को इस मामले में पूरी सर्त कता वरतनी चाहिये।

जिन मामलो में सक्षम राजस्व न्यायालय के स्थान भ्रादेश जारी हुमा हो, उन मामलों में सहायक भू-प्रबन्ध प्रधिकारी को निर्णय नहीं करना चाहिये। सक्षम न्यायालय के निर्णय होने तक इन्द्राज पूर्वबन् हो रखा जाना चाहिये। केवल यह नोट ग्रंकित कर देना चाहिये कि न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है। निर्णय होने पर तवनुसार ग्रमल होगा।

6. अपीलों की सुनवाई :--

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानों के अन्तर्गत सहायक भू-प्रभिनेख अधिकारी जरवा सहायक पू-प्रबन्ध अधिकारी के आदेशों की प्रथम अपोल सू-प्रबन्ध अधिकारी के सावेशों की प्रथम अपोल सू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होती है। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा परिशोधन तस्वीक किया गया हो, कोई अन्य न्यायिक आदेश दिया गया हो अथवा उज रदारी की मिसल में निर्णय किया गया हो, नभी आदेशों की प्रथम अपोल भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा अवर्ण की जावेगी। भू-प्रबन्ध अधिकारी के अपीलीय निर्णय की इशरी अपील भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा अनी जायेगी। अपील, पुनरीक्षण एवं नजरसानी तथा इनकी मुनवाई एवं मियाद के संबन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अधाय 5 में समुचित प्रावधान उपलब्ध है जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। अधिनियम की धारा 63 एवं 77 में वर्णित मामलों एवं आदेशों के विषद्ध अपोल नहीं की जा सकती। अपीलों से संबन्धत कुछ मुख्य बातें नीचे अंकित की जाती है।

(1) प्रपील पेश होते ही भू-प्रबन्ध प्रधिकारी को उन पर प्रस्तुतीकरण का नोट शंकित करके लघु हस्ताक्षर कर तारीख जलनी चाहिये। वप्तर से जांच होकर पेश होने पर पंजीकरण का आदेश तथा विपक्ष को नोटिस जारी करने का आदेश दिया जाना चाहिये। जिन मामलों में अपील मियाद बाहर प्रतीत होती है उनमें स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिये कि मियाद का बिन्दु अपील की अन्तिम बहस के समय सुन कर निर्णित किया जावेगा अथवा पहले मियाब के बिन्दु पर सुनवाई होगी।

- (2) पंजीकरण का आदेश होने पर अपील रजिस्टर में केस चढ़ाया जाकर सरवर्क इस्पादि से पूरा करके आगे की कार्यवाही करनी चाहिये । अधीनस्य न्यायालय से मिसल तुरन्त तलब कर लेना चाहिये । इसमें विलम्ब न हों ।
- (3) अपील का निर्णय होने पर विवतीय अपील की सियाद निकलने तक इंतजार करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय की पतावली अपील निर्णय की प्रति लगा कर अधीनस्थ न्यायालय की प्रति लगा कर अधीनस्थ न्यायालय की आदेश की अपलबरामद करने के निर्देश के साथ भिजवा देना चाहिये। यि अन्दर मियाद विवतीय अपील भू-प्रवन्ध आयुक्त के समक्ष पेश होकर वहां से नोटिस प्राप्त हो जाय। तो पतावली अधीनस्थ न्यायालय की पतावली के साथ भू-प्रवन्ध आयुक्त न्यायालय में भिजवाई जावेगी। पतावलियों को प्राप्त करने तथा वापिस लौटाने का पूरा विवरण एक रिजस्टर में रखा जाना चाहिये दिवतीय अपील के लिये जब पतावली ऊपर भेजी जाय तो तहरीर की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को भी भेज देनी चाहिये जिससे उनको अपनी अपनी काइल की स्थित का पता रहें और न्यायालय में उससे संबन्धित नोट रखा जा सके।
- (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में केवल 2 अपीलों का ही प्रावधान है। यदि मौलिक आदेश भू-प्रवन्ध अधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो पहली अपील मू-प्रवन्ध आयुक्त द्वारा तथा उनके द्वारा निर्णय होने के बाद दूसरी अपील राजस्व मन्डल द्वारा अवर्ण की जावेगी। अपीलीय न्यायालय को अधीनस्य न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित ता फैसला अपील रोक देने का अधिकार प्राप्त है।

7. पुनरीक्षण (Revision) का प्रावधान :

राजस्थान भू-राजस्व ऋधिनियम की धारा 84 के अन्त गत जिन मामलों में राजस्व मंडल को अपील प्रेषित नहीं की जा सकती यानी दोनों ही अपीलें राजस्व मंडल से नीचे स्तर के अधि-कारियों द्वारा श्रवणीय हों, इन मामलों में राजस्व मंडल भू-प्रबन्ध से संन्धित मामलों में पुन-रीक्षण कर सकते हैं।

8. नजरसानी (Review) :--

राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्ग त प्रत्येक राजस्व न्यायालय को अपने आदेश की नजरसानी करने का अधिकार प्राप्त है । किन्तु ऐसा करने से पहले धारा 86 में विणत प्रावधानों का अली-भाति पालन किया जाना चाहिये। मुख्यतया दो जातों का, एक तो मियाद तथा दूसरी विषक्ष को नोटिस देकर सुनना ध्यान में रखना जरूरी है।

9. गलतियों को दुरुस्ती करना :

मू-राजस्व ब्रिधिनियम की धारा 67 के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व न्यायालय की यह अधिकार प्राप्त है कि अपने आदेश में यदि कोई गलती छूट गई हो तो उसको दुरस्त करवें। किन्तु ऐसी गलती की दुरुस्ती करने में ब्रादेश का मौलिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता। मूल मुद्यार का यह ब्रादेश भी दोनों पक्षों की सूनवाई करके ही किया जाना चाहिये।

10. निर्णयों का अमलदरामद करना :

निर्णयों का ग्रमलदरामद शील्रातिशील करवाने का कर्त्तव्य सहायक भू-प्रवन्ध ग्रधिकारी का है। स्वयं के न्यायालय से ग्रयवा ग्रपीलीय न्यायालय से ग्रयवा राजस्व मण्डल से
निर्णय प्राप्त होते ही उसका ग्रमलदरामद करवा देना चाहिये। किन्तु उच्चाधिकारी द्वारा ग्रमलदरामद रोकने का ग्रादेश प्राप्त हो जाय तो ता-हुक्मसानी ग्रमलदरामद रुका रहेगा। ग्रमलदरामद की कारगजारी विभाग द्वारा निर्धारित की गई है जो परिशिष्ठ 1 पर उपलब्ध है।
ग्रमलदरामद में फाईलों का पड़ा रहना ग्रथवा देरी होना सहायक भू-प्रवन्ध ग्रधिकारी की स्वयं
की ग्रमुशलता तथा देख-रेख की कभी माना जावेगा। भू-मापकों द्वारा ग्रमलदरामद कर दिया
जाने पर निरीक्षक द्वारा उसे जांच करके जांच के हस्ताक्षर किये जावें। सभी ग्रमलदरामद
सही होना माना जावेगा।

11. न्यायालयों की डिकियों श्रादेशों का श्रमलदरामद:

नियमित राजस्व न्यायालयों द्वारा मुक्तदमात में जो मिर्णय/डिकियां दी जाती है अथवा जिन मामलों में उनत न्यायालयों में प्रार्थना-पत्न पेश होकर उनके द्वारा वाद मुनवाई विधिवत श्रादेश पारित किये जा सकते हों, उन सब मामलों में निर्णयों/डिकियों/श्रादेशों को प्रमाणित प्रतिलिपि मय दरख्वास्त पेश होने पर सहायक भू-प्रबन्ध श्रधिकारी को तुरन्त अमलदरामद करने की श्राज्ञा दे देनी चाहिये। इन मामलों को पेशियों पर चलाना नितानस अनुचित है। श्रलबत्ता यदि सहायक भ-प्रबन्ध श्रधिकारी को केवल न्यायालय की सरसरी तहरीर ही प्राप्त हुई हो श्रीर सहायक भू-प्रबन्ध श्रधिकारी श्रपनी संतुष्टि हेतु निर्णय/श्रादेश की पूरी प्रमाणित प्रतिलिपि पढ़ कर देखना जरूरी समझते हो तो पक्षकारों से प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी जा सकती है जिसके प्राप्त होने पर अवलोकन कर श्रमल करने का श्रादेश श्रविनक्ष्य दे दिया जाना चाहिये।

7. सम्मन व नोटिस की तामीलः

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी के न्यायालयों के सम्मन व नोटिस संबन्धित तहसील कार्यालय द्वारा तामील करवाये जायेंगे ।

8. निर्णीत पतावलियों का श्रिभिलेखागार में जमाहोने से पहले चे किंग:

श्रिभिलेखागार में जमा होने से पहले प्रत्येक पत्नावली का समुचित चैंकिंग कर लिया जाना चाहिये तथा जो-जो खामी हो, उसकी पूर्ति कराली जानी चाहिये। यदि संबन्धित लिपिक या श्रिधिकारी द्वारा किसी प्रकार की श्रसावधानी बरतना या गलत कार्यवाही करना पाया जावे तो उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

ग्रध्याय-9

ग्रजिलेखों का संधारण, निरीक्षण एवं प्रतिनिषियों का जारी करता

धारा 106 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अस्तर्गत राज्य सरकार राजकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि किसी स्थानीय क्षेत्र का सर्वेक्षण अयवा पुनःसर्वेक्षण किया जाय और ऐसा अत्येक स्थानीय क्षेत्र उक्त अधिसूचना की तारीख से सर्वेक्षण एवं अभिलेखन कार्यों के अधीन रहेगा जब तक दूसरी अधिसूचना द्वारा ऐसा कार्य बंद किये जाने की घोषणा नहीं करदी जाने ।

धारा 107 के अन्तर्गत राज्य सरकार उसी प्रकार किसी स्थानीय क्षेत्र के संबन्ध में जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है निर्देश दे सकती है कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र में अभिलेखों का सामान्यतः अथवा आंशिक रूप से परिशोधन किया जाय और ऐसा स्थानीय क्षेत्र अभि-लेखन कार्य के लिये तब तक रहेगा जब तक ऐसे कार्य से उसी प्रकार बंद न किया जाय।

धारा 108 के अन्तर्गत राज्य सरकार धारा 106 व 107 के अन्तर्गत घोषणा के अधीन क्षेत्र के लिये एक अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार आवश्यकतानुसार सहायक भू-अभिलेख अधिकारी नी नियुक्त कर सकती है।

इसी प्रकार राज्य सरकार धारा 142(1) के ग्रन्तगंत राजकीय राज-पत्न में श्रिधिसूचना द्वारा किसी जिले ग्रथवा स्थानीय क्षेत्र को भू-प्रबन्ध या पुर्नः प्रबन्ध जैसी स्थिति हो के ग्रन्तगंत लाने का ग्रादेश दे सकती है। इस धारा की उप-धारा (2) के ग्रन्तगंत पुनः ग्रिधिसूचना जारी होने तक वह क्षेत्र भू-प्रबन्ध किया के ग्रन्तगंत रहेगा।

धारा 106, 107 तथा 142 के श्रन्तर्गत श्रधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप सर्वेक्षण श्रभिलेख तथा भू-प्रबन्ध का कार्य सम्यन्न होगा तथा इसमें निम्नलिखित श्रभिलेख तैयार किये जावेंगे :-

(1) मू-प्रबन्ध श्रधिकारी द्वारा धारा 110 भू-राजस्व श्रधिनियम के श्रन्तर्गत उद्-बोबणा जारी होगी जिसके द्वारा समस्त भू-सम्पत्ति धारक एवं कारतकार ऐसी सहायता देने के लिये बाध्य होंगें जो इस कार्य के लिये श्रपेक्षित है।

(उद्घोषणा का प्रारूप परिशिष्ट संख्या 2 पर है)

- (2) प्रत्येक गांव की फील्ड बुक तथा मानचित्र प्रथवा ट्रेस तैयार किया जायेना । (धारा 112) ।
- (3) घारा 113-114 के ग्रन्तर्गत प्रत्येक गांव के श्रधिकार श्रश्लिक्स तैयार किये जावेंगे ।

वर्तमात समय में खतौनी जमावंदी तथा भू-ग्रिमलेख के ग्रन्तर्गत ग्राई हुई तहसील के गांबों के लिये मिसल बंदोबस्त तथा बस्तूर गांवाई ग्रिधकार ग्रिमलेख में शामिल है। खेबद तथा रजिस्टर माफीदारान इत्यादि प्रव समाप्त हो चुके हैं क्योंकि जागीरें व माफिया तथा जमींबारी व बिस्वेदारी समाप्त हो चुकी है।

- 4. भू-प्रबन्ध कार्यवाहियों में निम्न कागजात तैयार होते हैं।
 - 1. फील्ड बुक
 - 2. मानचित्र ग्रथवा शीट
 - 3. खसरा
 - 4. नक्या कप
 - 5. नक्शा तालाबी
 - 6. नवशा नहरी
 - 7. ट्रेस चकतराशी
 - 8. पर्चा खतौनी
 - 9. जमाबंदी
- 10. खसरा परिशोधन
- 11. पर्वा तरमीम (चकतराशी)
- 12. नक्शा कमी बेशी
- 13. टांचन
- 14. तहरीज
- 15. जिन्सवार स्थाल, उन्हालू
- 16- रकता बरारी के पत्र (पूर्ण सेंड, रकता बरारी का)
- 17. नक्शा अनुमानित उपक
- 18. नक्शा मरकज बौपारा
- 19. गांव विवरण पंजिका
- 20. दस्तुर गांवाई

- 21. निरीक्षण पत्र
- 22. डायरी ग्रमीन
- 23. डाबरी इन्सपैक्टर
- 24. हाजरी रजिस्टर कुली चैनमैन
- 25. सीमा रजिस्टर
- 26. विवाद-पत्र (1) सरहदी (2) काश्तकारों के
- 27. सिसल बंदोबस्त
- 28. सूची फलदार वृक्ष

इसमें निम्न लिखित रेकार्ड स्थायो महत्व के है और उन्हें भिन्न बंदोबस्त के साथ स्थायो रूप से रखना आवश्यक है :---

- 1. नक्शा शीट
- 2. नक्शा देस भूमि वर्गीकरण
- 3. रजिस्टर सीमा-फार्म नं, 6
- 4. खसरा प्रपत्र-फार्म नं. 1
- 5. सूची सीमा चिन्ह-फार्म नं. 5
- 6. पर्द कमी बेशी रकबा
- 7. दस्तूर गांवाई राज. भू-राजस्व ऋधिनियम की धारा 114 के नियम 23 के अन्तेगत।
- 8. ग्राम विवरण पंजिका
- 9. सूची क्षेत्रफल का निर्णायक पत्र
- 10. सारांश खसरा फार्म नं. 21
- 11. नक्शा जिन्सवार स्थासू, उन्हालू फार्म 54
- 1 2. ग्रस्वाई कर प्रस्तावना प्रतिवेदन
- 13. कर प्रस्ताबना प्रतिवेदन

- 14. पर्चा लगान
- 15. खतौनी जमाबंदी-फार्म नं 42
- 16. गीर्वक-पत्र-फार्म नं. 38
- 17. श्रन्तिम श्राज्ञा-फार्म नं. 44
- 18. लगान की दर-फार्म नं. 41
- (5) भू-प्रबन्ध कार्यवाहियों का कौन-कौन सा स्रमिलेख कितने-कितने वर्ष या स्रविध तक मुरक्षित रखा जावेंगा, इसका विवरण निम्न तालिका में विधा गया है। बाद गुजरने अविध संबन्धित स्रमिलेख विधिवत तलक कर दिया जावेंगा।

क. सं.	नाम प्रभिलेख	जमाकरनेकी एस. श्रो श्रिक्ति- वि. वि. तारीख खागार में रखे
1	2	जाने की श्रवधि <u>3</u> 4 5
(1)	िज्ञप्ति धारा 110 रा. भू-राजस्व	पर्चा तस्दीक भू-प्रबध कार्य की
	प्रधितियम, 1956	के तुरन्त पश्चात् समाप्ति के 5 वर्ष पश्चात् तक
(2)	नक्शा शीट या ट्रेस	पर्ची लगान तस्दीक स्थायी के तुरन्त पश्चात्
(3)	खसरा प्रपत्न संख्या 1	पर्ची तस्दीक के स्थायी नुरन्त पश्चात्
(4)	खसरा परिशोधन-पत्र प्रपत्न संख्या 2	पर्चा तस्दीक के भूशबन्ध के ग्रागले तुरन्त पश्चात् बोहराने के बाद नया
(5)	सूची फलादार वृक्ष प्र. सं. 5	स्थाई मू-प्रबन्ध लागू होने तक
(6)	नकता भरकृत च जीपारा प्रणत संख्या 4	**************************************
(7)	सूची सीमा चिन्ह प्र. सं. 5	n स्थायो
(8)	रजिस्टर सीमा प्र. सं 6	" । । स्थाई
(9)	लक्शा कृप वय गोशवारा प्रपन्न संख्या 7 व 7-क	, अगले दौरान बाद नया ,, भू-प्रबन्ध नागू होने तक

1 2	3	4 5
(10) नक्शा तालाब व नाडा	स्थाई पर्जा तस्वीक के तुरम्त पश्चात्	अगले बौहरान बाद नया मू-प्रबन्ध लागू होने तक
(11) नक्ता इपज प्र. सं. 11	n n	वालू मू-प्रबन्ध कार्य समाप्त होने के बाद 5 साल तक
(12) विवाद-पत्र प्र. सं. 12	,,	n
(13) निरीक्षण-पत्त ग्रमीन प्र. सं. 1		चालू प्रबन्ध - सनाप्त होने पर के 3 साल
(14) दैनिक कार्यवाही श्रमीन प्र. सं.		बाद तक
(15) दैनिक कार्यवाही निरीक्षक प्र.	₹.15 "	
(16) बस्तूर गांवाई	पर्चा लगान वितरण होने के तुरन्त बाद	स्थायी
(17) श्रेक्षफल निर्णायात्मक फार्म	क्षेत्रफल पास होने के तुरन्त बाद ।	स्यायी
(18) सूची क्षेत्रफल प्र. सं. 17		स्रगले मू-प्रबन्ध कार्य दोहराये जाने तथा नया लागू करने तक
(19) क्षेत्रफल प्रथम प्रति प्र. सं. 18	n n	"
(20) खेंबफल दिलीय प्रति प्र. सं. 1	9 ,	
(21) क्षेत्रफल तृटि (बबर) प्र. सं.	20 "	,,
(22) क्षेत्रफल तुटिफल (सदर) प्र.	सं. 21 "	n
(23) क्षेत्रकल प्लानोमीटर प्र. सं. 2	2 केंब्रफल पास होने के तुरन्त बाद	भू-प्रबन्ध कार्य दौहराये जाने तथा नया लागू
(24) क्षेत्रफल फर्व मिलान रकवा प्र	ा. सं. 23 "	करन तक
(25) क्षेत्रफल योग बहाई प्र. सं. 10	1 (24) "	,
(26) क्षेत्रफल योज पन्द्रह्वीं प्र. सं.	15 (25) "	n

1	2	3	4
(27)	क्षेत्रफल फार्म प्रापसेट प्र. सं. 26	क्षेत्रफल पास होने के तुरन्त बाद	मू-प्रवन्ध कार्यं दौहराये जाने तथा नया लागू करने तक
(28)	विज्ञप्ति बाबत तस्वीक	पर्चा तस्दीक होने के तुरन्त पश्चात	चालू भू-प्रबन्ध समा- प्ति के 5 वर्ष पश्चात् तक
(29)	पर्चा खतौनी मय स्लिप प्र. सं 27	पर्चा तस्दीक होने के तुरन्त पश्चात्	चालू भू-प्रबन्ध समाप्ति के 5 वर्ष पश्चात् तक
(30)	गौश्वारा सफेबार प्र. सं. 28	n	Marian Fan (E)
(31)	खातों की वर्गक्रमानुसार सूची प्र. सं. 29	n	n (a)
(32)	नक्शा लट्ठा (भूमि वर्गीकरण)	पर्वा लगान तस्दीक । के तुरन्त पश्चात्	होने स्थायी
(33)	भूमि वर्गोकरण विवरण पत्र प्र. सं. 30	ń	चालू भू-प्रबन्ध कार्य समाप्त होने के 5 वर्ष तक
(34)) मक्शा प्रमाणित उपज प्र. सं. 31	ñ	n
(35)) मूमि वर्गीकरण संशोधन प्र. सं. 32	'n	n e
(36) ग्राम विवरण पंजिका प्र. सं.	n	स्थायी
(37) जिन्सवार स्यालू प्र. सं. 33	n in	चालू भू-प्रबन्ध कार्य समाप्त होने के 5 वर्ष तक
(38) जिन्सवार उन्हालू प्र. सं. 34	7	Tel in
(39) जिन्सवार अतिरिक्त प्र. सं. 35	,,	n
(40) खातों की वर्णक्रमानुसार सूची	**	<i>n</i> .
(41) लगान निर्धारण प्रतं. 37	"	स्थायी
(42) पर्चा लगान प्र. सं. 38		" (6)
(43) शीर्षक पत्र प्र. सं. 39	11	plus 17 and the same
(44	l) ग्राम नक्शा प्र. सं. 40	10	10 (TE)

1	2	3	4
(45)	लगान की दर प्र. सं. 41	भू-प्रबन्ध कार्य सामाप्त	स्थायी
(46)	खतौनी जमाबंदी प्र. सं 42	होने के तुरन्त पश्चात् "	
(47)	सूची सीमा चिन्ह प्र. सं.	"	"
(48)	दस्तूर गांवाई	"	********* (C.)
(49)	ग्रन्तिम ग्राज्ञा पत्र प्र. सं. 44	"	" reference
(50)	रेन्ट रेट रिपोर्ट प्रथम एवं श्रंतिम	n	n
(51)	फील्ड बुक	11	श्रगले बंदोबस्त समाप्त तथा लागू होने तक
			77

6. ग्रभिलेख संधारण :---

अत्येक दल के कार्यालय में एक अभिलेखागार गांवों के रेकार्ड के लिये होगा। वसरा अभिलेखागार कार्यालय के रेकार्ड के लिये होगा। गांवों के रेकार्ड का अभिलेखागार दल के सदर मुन्तरिम की देखरेख में रहेगा। अभिलेखागार में यदि 5 तहसीलों तक का अभिलेख जमा हो तो उसके संधारण के लिये 2 भू-मायक लगाये जायेंगे। इससे ज्यादा होने पर 3 भू-मायक लगाये जायेंगे। अभिलेखों के लेन देन, निरीक्षण करवाना व नकलें देना सभी पंजिकाओं में यथा सयय पृविष्ठियां करते रहना तथा रेकार्ड को सुरक्षित रखना इस्यादि सभी कर्तव्य अभिलेखागार से संबन्धित भू-मायकों के हैं।

- (ए) अभिलेख गांववार बस्तों में बांधकर रखे जायेंगे तथा बस्तों पर गांव एवं तहसील का नाम साफ-साफ अक्षरों में इस तरह लिखकर रखा जायेगा कि दूर से नजर आवे।
- (बी) श्रिभलेख आप्त होते ही उसको प्राथमिक रिजस्टर में इकजाई दर्ज किया जावेगा । तत्परचात् तहसीलवार तथा मौजेवार ग्रलग रिजस्टर में दर्ज किया जावेगा । इस रिजस्टर में अमुक गांव के रेकार्ड की जो कम संख्या होगी, वही कम संख्या बस्ते पर भी दर्ज की जायेगी ।
- (सी) छोटे-छोटे गांवों का एक वस्ते में 3-4 गांव तक का रेकार्ड भी सुविधानुसार रखा जा सकता है ।
- (डी) भू-मापक द्वारा जमा कराये जाने वाले रेकार्ड में भू-प्रबन्धत से संबन्धित कागजात होंगे जिनका विवरण ऊपर दिया जा चुका है।

- (इ) सदर मुन्सरिम शाखा से भू-मापक एवं निरीक्षकों की डायरियां श्रीभलेखागार में जमा की जाती है जिनको सहायक सू-प्रबन्ध श्रीधकारी की पार्टीबार न्यारे-न्यारे बस्तों में इकजाई बांध कर रखना चाहिये।
- (एफ) सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा निर्णीत उजरदारियों की मिसलें भी इसी अभिलेखागार में जमा होती है। निसल जमा करने से पहले यह देख लेना चाहिये कि फैसलों का अभलदरामद हो चुका है। इन मिसलों को भी गांववार जमा कर बस्तों में बांधना चाहिये। इनकी पंजिका अलग होगी।
- (जी) ग्रिजिलेखागार को साफ रखा जाने तथा समय पर बीमक एवं श्रन्य कीड़ों को मारने के लिये बस्तों पर एवं रिजस्टरों पर कीटनाशक पाउडर छिड़का जाने। जूहों से भी रेकार्ड की बचाया जाने।
- गुज सर्वेशीट व अन्य अभिलेख रेकार्ड इम में जमा कराये जावें तो रेकार्डकीपर रेकार्ड जमा करते समय निम्नाकित बातों का ध्यान रखेगा :--
 - (1) रेकार्ड की नत्थी ठीक हो रही है, कहीं से फटा हुन्ना न्नथवा नहीं है।
 - (2) कोई इन्द्राज कटे हुये वा खाली अथवा पेन्सिली तो नहीं है। कटे हुये इन्द्राजात पर काटने वाले के हस्ताक्षर है या नहीं।
 - (3) सर्वेशोटों पर भू-मापक, निरीक्षक व सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी के हस्साक्षर है या नहीं ।
 - (4) जमा कराये जाने वाले ग्रिभिलेख पर तैयार करने वाले भू-मापक जांच कर्त्ता निरीक्षक व सहायक भू-प्रबन्ध ग्रिधिकारी के हस्ताक्षर है या नहीं।
 - (5) प्रत्येक पृष्ठ पर भू-मापक व निरीक्षक के हस्ताक्षर है या नहीं।
 - (6) ग्रंतिम गोशवारे पर भू-मापक, निरीक्षक व सहायक मू-प्रबन्ध ग्रधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर मय विनांक है या नहीं।

यदि इन पर हस्ताक्षर न हो या रेकार्ड भलो प्रकार से नत्थी किया हुम्रा न हो तो उसके लये भली प्रकार से नोट तैयार कर भू-प्रबन्ध श्रधिकारी की जानकारी में प्रकरण लाया जावे था प्राथेश प्राप्त कर संबन्धित से पूर्ति कराई जाकर जांच करने के पश्चात् हो ग्रभिलेख ग्रिश-लेखागर में जमा किया जाना चाहिये।

8. निरीक्षण-

रेकार्ड का निरीक्षण करवाने के लिये निरीक्षण पंजिका खोलनी चाहिये तथा निरीक्षण हेतु आये प्रत्येक आवेदन-पत्र को उसमें दर्ज करना चाहिये। आवेदन-पत्र पर 1/-रुपये का टिकट होना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त करके निरीक्षण करवाया जाना चाहिये। निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता पेन्सिली नोट लिख सकता है स्याही से नकल न करने दी जाय। निरीक्षण कर लेने के उपरान्त निरीक्षणकर्ता से आवेदन-पत्र पर लिखवा लेना चाहिये। सभी आवेदन-पत्रों को एक फाइल में संभाल कर कमानुसार रखना चाहिये।

9. प्रतिलिपियां जारी करना :-

खसरा, पर्चा खतौनी, मिसल बंदोबस्त, मानचित्र तथा अन्य अमिलेखों की व उजरदारियों की मिसलों में शामिल कागजात की प्रतिलिपियां दी जा सकती हैं। किन्तु जो अमिलेख सक्षम अधिकारी द्वारा तस्वीक अथवा प्रमाणित नहीं किया गया है, उस अभिलेख की प्रतिलिपि नहीं दो जा सकती। कांट-छांट की अथवा पेन्सिल नोट की नकल नहीं दी जा सकती। जो शुद्ध लिखा हुआ हो उसी की नकल दो जानी वाहिये। उसके अलावा सर्वे, भू-अभिलेख एवं भू-प्रबन्ध कार्यवाहियां समाप्त होने की विज्ञाप्त जारी न होने तक की जानी वाली नकलों पर यह नोट अवस्य अकित किया जायेगा कि भू-अभिलेख / भू-प्रबन्ध कार्यवाहियों अभी चालू है, अतः यह रेकार्ड अन्तिम नहीं है।

- 1. नकल हेतु आवेदन-पत्न भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष पेश होगें जिन पर आदेश होने पर आवेदन-पत्न सदर मुन्सरिम के पास भेजे जावेंगें। जो रेकार्ड अभिलेख में जमा न होकर सहा-यक भू-प्रबन्ध अधिकारी के पास हो है, उनकी प्रतिलिपियां सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के स्तर से जारों को जा सकती है।
- 2. स्रमिलेखागार में प्रार्थना-पत्र पहुंचते ही उनको प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने हेतु रिजस्टर (नक्लात) में दर्ज करना चाहिये सबन्धित खाने में स्वष्ट श्रंकित किया जाना चाहिये कि यह साधारण स्रावेदन-पत्र है या स्रावश्यक स्रावेदन-पत्र है।
- 3. जिस रेकार्ड की नकल चाही जा रही है उसे देख कर यह सुनिश्चित् किया जाना चाहिये कि नकल फीस के टिकट पूरे लगे हैं या नहीं। आवश्यक आवदन-पत्नों पर डबल फीस के टिकट लगेंगें। प्राथंना-पत्न पर लगने वाला टिकट (1/-रुपये का)नकल फीस में शुमार नहीं होगा। नकल फीस की दरें आगे दी गई हैं।
- 4. साधारण नकलें आवंदन प्राप्त होने के बाद 7 दिन के अन्दर-अन्दर जारी कर दी जानी चाहिये। आवश्यक नकूलात 24 घंटे में अवश्य जारी करदी जाय। यदि कोई विशेष अड़चन आती हो तो अधिकारी के ध्यान में लाया जाकर 1-2 दिन देर से भी दी जा सकती है।
- 5. नकल तैयार हो जाने पर जारी करने की ग्रविध समाप्त होने तक भी यदि ग्रावे-दनकर्ती नकन लेने नहीं ग्राये तो ऐसी नकतों का एक नोटिस बनाकर नोटिस बोर्ड पर लगा देना चाडिये। नोटिस शाया करने के बाद यदि एक महोने तक ग्रावेदनकर्ता नकल लेने नहीं ग्राये तो उन नकतों को दाखित दस्तर कर देना चाडिये।
- 6. सामान्यतया त्रावेदनकर्त्ता को स्वयं की ही नकले लेने जाना चाहिये किन्तु यदि श्रावेदन पत्न में श्रावेदनकर्ता ने श्रन्य व्यक्ति का नाम खोल दिया हो तो वह भी श्राकर नकले ले सकता है। यदि रेकार्ड कीपर को उक्त व्यक्ति की शिनाख्त में सन्देह होता हो तो उस व्यक्ति को नकल नहीं भी दी जा सकती है। किन्तु ऐसा मामला सदर मुन्सरिम के सामने पेश कर दिया जाना चाहिये।
- 7. रजिस्टर निकृतात में ही निकल प्राप्ति की रसीद का खाना भी बना होता है। उा ही खाने में रसीद के दस्तखत करवा कर निकल दे देनी चाहिये। साथ ही साथ ग्रावेदन-पन्न का पुरुष पर भी प्राप्ति कर्ला की रसीद लिखवा तेनो चाहिये।

- 8. नकल जारी करते समय ही बेशी टिकट लीटा दिये जाने चाहिये।
- 9. नकल तैयार होने से पहले ही यदि आवेदनकर्ता नकल न लेने की दरख्वास्त देदे तो सक्षम अधिकारी का आदेश लेकर नकल कीस के टिकट आवेदन कर्ता की लौटाये जा सकते हैं। इनकी रसीद रजिस्टर में तथा आर्थना-पत्र की पुष्टत पर दोनों जगह ले लेनी चाहिये।
- 10. गांवों के मानचित्र को नकल मानचित्र शाखा द्वारा तैयार की जावेगी। किन्तु प्रार्थना-पत्नों का पेश होना व नकल पंजिका में दर्ज होना व नकल जारी करना इत्यादि कार्य उपरोक्त प्रकार से ही होंगे।

10 रेकार्ड रूम का निरीक्षण:-

सदर मुन्सरिम को सप्ताह में कम से कन एक बार रेकार्ड रूम में चक्कर लगाना चाहिये ग्रीर यह सुनिश्चत् करना चाहिये कि रेकार्ड का लेनदेन विधियत हो रहा है। नकूलात समय पर जारी हो रही है तथा बस्ते सिल्सिले से यथा स्थान जबे हुये हैं। ग्रिक्षिलेखागार में निरोक्तण पंजिका रखी जानी चाहिये जिसमें सदर मुन्सरिम अपना ग्रागमननोट संक्षिप्त में दर्ज करेंगें। वर्ष में 4बार यानी प्रत्येक तिमाही में एक बार स्वयं भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी को ग्रिक्षिल खागार का निरोक्षण करना चाहिये। भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी द्वारा ग्रधिकृत सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी को हर महीने रेकार्ड रूम का निरोक्षण करके निरोक्षण पंजिका में ग्रपना नोट ग्रंकित करना चाहिये।

नकल फीस की दरें : नकल फीस की दरें निक्नानसार होगी।

कमांक रेकार्ड का विवरण	गत दरें नवीन स्वीकृत दरें				
	लिखाई	मुकाबला	लिखाई	मुकाबला	प्रति फार्म
1 2	3	4	5	6	7
1. खसरा	2.50	0.50	5.00	1.00 .	0.2
2. खतीनी बंदोबस्त	2.50	0.50	5.00	1.00	0.20
3. नक्शा चाहत बक्त सर्वे	2.50	0.50	5.00	1.00	0.2
4. नक्शा चाहत वक्त सफाई		4	3.00	1.00	0.2
5. नक्शां तालाब ग्रीर नाडा	2.50	0.50	5.00	1.00	0.2
6. सूची लगान डिमांड स्लिप	1.50	0.25	3.00	0.50	0.20
7. पर्चा खतौनी तस्दीक	1.50	0.25	3.00	0.50	0.16
8. पर्ची लगान	1.50	0.25	3.00	0.50	0.1
9 सूचील फलदार वृक्ष	1.50	0.25	3.00	0.50	0.10
10. सूची सीमा चिन्ह	-	-	3.00	0.50	0.1

1	2	3	1	5	6	7
11.	खसरा परिशोधन-पत्र	2.50	0.50	5.00	1.00	0.15
	दस्तूर गांव।ई		-	5.00	1.00	0.20
13.	ग्राम विवरण-पव	-	-	5.00	1.00	0.20
14.	फर्द मिलान क्षेत्रफल	2.50	0.50	5.00	1.00	0.20
15.	ग्राम की दर भूमि वर्गानुसार	1.50	0.25	3.00	0.50	0.10

- प्रत्येक प्रतिलिपि पर 1/- रुपयें का टिकट चियकाया जायेगा जो प्रार्थन -पत्न के साथ ही प्रस्तुत करना होगा। यदि छये हुये राजकीय फार्म पर नकल बनती हो तो प्रति फार्म बीस पैसा मूल्य ग्रालग लिया जावेगा।
- 2. कम से कम 100 खसरा नम्बरान की लिखाई लो जायेगी 100 नम्बर से प्रधिक होने पर स्वाकृत दर से और ली जायेगी ।
- 3. प्रतालिप संबन्धी कार्य विमांगीय कर्मचारियों द्वारा ही किया जावेगा।
- 4. लट्ठा व ट्रेसिंग क्लाथ प्रार्थी स्वयं प्रस्तुत करेगा।

12. रजिस्टरों की पेशानियां :---

श्रभिलेखागार की छः मुख्य पंजिकाओं की पेशानी निस्न प्रकार होगी।

क.सं. नाम	ा तहसील 2	नाम ग्राम	खसरा जिल्द 4	पर्का जिल्ह 5	नक्शाचकत राष्ट्रि
1	4	Company Margaret	**	J	
चाहात	दीग	र ऐ	रेया फाइल	फील्ड बुक	ब्रसरा परिशोधन प
			(20)	10	590500
7	8		9		11
		निरीक्षण			
जनगणना					
जनगणना	व पशुगणना	निरीक्षण 13		बार स्यालू व उ	उन्हालू तह रीज
जनगणना	व पशुगणना 1 2	निरीक्षण 13	-पत्र जिल्स	ाबार स्थालू व उ 14	उन्हाल् तह री ज

पेशानी नम्बर 2

श्रमिलेखागार में फैसलशुदा मिसलें वर्ज करने के रजिस्टर की पेशानी

ऋ. सं. नाम ग्राः	व नाम तहसील	मिसल नं.	दिनांक फैसला	उनवान	किता	विशेष विवरण
1 2	3	4	5	6	7	8
		पेशानी नम्ब	T 3			
	क्रिभिलेखागार में नव			नस्टर की	पेशानी	
क. सं. नाम ग्रा	म नकल तहसील	प्रार्थना	पत्र देने क	ी तारीख	नाम प्रा वहि	र्थी मय स्यत
1 2	3		4			5
	and print, " of print, west to be seen to real print, but the seen to be seen		Neg AR			
नकल चाहने काग विवरण सहि		नेका त	गरीख नक	ल तैयारी		व नकल (दंगी
6	7		8		-	9
नकल साधारण फीस पर 10	फीस	त्रावश्यक) पर 1.1	कुल । 12			त्रर नकल त कर्ता 13
		पेशानी नम	बर 4			
	55 55	Cardonne	करने के	रजिस्टर	की पेशानं	1
	श्रीभलेखागार में रेव	ाड ।नराक्षण	करव क			
नम्बर शुभार	तारीख गुजरने दरख्व (प्रार्थना-पत्न प्रेषित)			ाम तहसील	। मुद्राय	ना रेकार्ड गर्थी का
नम्बर शुभार	श्रीभनेखागार में रेन तारीख गुजरने दरख्व (प्रार्थना-पत्न प्रेषित) दिनांक प्राप्ति				भ्याय भयाः भयाः	ना रेकार्ड गार्थी का गाम
नम्बर शुभार 1	तारीख गुजरने दरख्व (प्रार्थना-पत्न प्रेषित) दिनांक प्राप्ति 2	स्त नामग		ाम तहसील 4 सन	भ मुश्राय मय प्र	ाम

वेशानी नम्बर 5

स्रभिलेखागार में इकजाई (फहरिस्त सूची) ग्रामवार व तहसीलवार रजिस्टर की पेत्रानी

क. सं. नाम त	हसील ना	म ग्राम खसरा	पर्चा	खसरा परि	रशोधन	एरिया
1 -	2	3 4	5	6		फाइल 7
						
हाल सर्वे शीट	साबिक श	ोट निरोक्षण-प	7 -	ी-फाईल	मिसल बं	दोवस्त
8	9	10		11		2
नक्शा लढ्ठा	नाम रेकार्ड ज		टबार रिका	र्ड ग्रन	य विशे	ष विवर
	कराने वाले भ् का	-मापक जमा बं दी	नामान्तर			
13	1-	15	16	1	7	18
प्रिके	बातार में कर्वज	पेशानी नस्				
म्र[मले	खागार में कर्मचा ज	पेशानी नरू रियों को कार्य कर मा करने के रजि	ने के लिये	रेकार्ड देना शानी	व वापिस	
THE COLD	<u></u> ज	रियों को कार्य कर मा करने के रिज नाम सहसील	ने के लिये स्टर्की वे	रेकार्ड देना शानी	रेकार्ड व	ा नाम
THE COLD	<u></u> ज	रियों को कार्य कर मा करने के रजि	ने के लिये स्टर्की वे	शानी	रेकार्ड व (ङ	हा नाम यौरा)
THE COLD	<u></u> ज	रियों को कार्य कर मा करने के रिज नाम सहसील	ने के लिये स्टर्की वे	शानी	रेकार्ड व	हा नाम यौरा)
क. सं. रेकाड 1	ज हें देने का दिनांक 2	रियों को कार्य कर मा करने के रिज नाम सहसील	ने के लिये स्टर्की वे	शानी	रेकार्ड व (ङ	हा नाम पौरा)
क. सं. रेकाड	जं देने का दिनांक 2 व कार्य	रियों को कार्य कर मा करने के रिज नाम सहसील	ने के लिये स्टर की पे नाम रेकार्ड के	शानी	रेकाई व (ब चिड्र	हा नाम यौरा) 4 5

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

		41 (14106-1		
क सं. यव का प्रकार	: मुख्य कार्य	मेजर भाइटम आफ वर्क का विवरण		मानवन्द
1 2	3	4		5
1. ट्रावर्शर	सर्वे एवं ग्रभि लेख लेखन	- ट्रावर्स	15 व	त. कि. मी. प्रति मास
2. वास्यूटर		कम्प्यूटेशन	20	"
3. भू-मापक		चांवातलाशी	15	n
THE WAY	(1) भू-मापक	द्वारा डिनोबो-सर्वे		
(*)	जिला जैसलमेर जिला बाइमेर जोधपुर की तहर बीकानेर नहरी। जिला जालोर की	तील फलीवी व शेरगढ़ भेत्र को छोड़कर ो तहसील सांचौर		व. कि. मी. प्रति मास
(u)	व बिलाड़ा	ती तहसील जोधपुर की तहसील सूरतगढ़; वटरा		कलोमीटर प्रति मास
(ग)	पुर , टोंक, बूंबी, वाड़, पाली , ग्रज	ग्रलवर , सवाई माधो- जयपुर , कोटा, झाला- भेर, भीलवाड़ा तथा । तहसील सांचीर		व. कि. मी. प्रति मास

(ब) 1. जिला उदयपुर, चितौड़गढ़, सिरोही, डिंढ से 3 व. कि. मी. प्रति मास इंगरपुर, बांसवाड़ा

नोट:—इन पहाड़ी जिलों में सर्वेक्षण के समय भू-प्रबन्ध ग्रिधिकारी तय करेंगे कि जिन ग्रामों में 1 व. कि. मी. क्षेत्र की भू-माप कें खसरा नम्बर यदि 400 या ग्रिधिक ग्राते हों तो, वहां पर सर्वे का मानदन्ड 1 व कि. मी. मान लिया जावें। शेष ग्रामों के लिये डेढ से 3 व कि. मी. ही माना जावेंगा।

दशमलव प्रणाली में परिवर्तन

कर श्रंकन करना।

करना। .

14. खसरा में जिन्सवार क्षेत्रफल ग्रंकित 400 "

करना ।

1	2	3 4	5		1	2	3	4 5
	4.2	राजस्थान नहर घग्घर क्षेत्र गंग एवं भाकरा परियोजना क्षेत्र (2) नक्शा संशोधन (तरमीम)	3 से 5 व. कि. मी.	4) तैयारी रजिस्टर सीमा) तैयारी सूची सीमा चिन्ह । तैयारी नक्शा मरकज चौपारा	तीन दिन प्रति प्राम
	(क) जिला जैसलमेर बाड़मेर, बीकानेर (नहरी क्षेत्र को छोड़कर), जोधपुर ब	ह की 6 से 2 व कि की प्रतिस्थान			(ভ (ভ)) तैयारी सूची फलदार वृक्ष तैयारी नौका गस्त जिन्स गिरदावर	री 250 स. नं. प्रतिदिन
		तहसील फलोबी व शेरगढ़, जिला ज की तहसील सांचोर	ालोर			(ज)	तैयारी मिलान क्षेत्रफल	200 ख. नं. प्रतिदिन
						(哥)	मिलान क्षेत्रफल से खसरे में क्षेत्रफर	त 250 खं. नं. प्रतिबिन
	(ৰ)	जिला चूरू,सीकर, झुन्झुनूं, नागौर,जो की तहसील बिलाड़ा जिला गंगानगर					(गत) श्रंकित करना, मय पृष्ठवा योग व गोशवारा (तरमीम के	₹
		की तहसील सूरतगढ़, अनुपगढ़, नोह व भादरा	T			(খ)	खसरा व मिलान क्षेत्रफल का मुक (तरमीम के समय)	विला 500 ख.मं. प्रतिदिन
	(1)	जिला भरतपुर, ग्रलवर, स. माधोपुर टौंक, जयपुर, बूंदी, कोटा, पाली,				(E)	श्रभिकृत व स्रनिभवृत की छांट मय	500 खं.नं. प्रतिदिन
		झालावाड़, ग्रजमेर, जिला जालौर की तहसील सांचोर को छोड़कर	3व. कि. मी. प्रतिमास				गोशवारा	
		भोलवाड़ा					(4) रकवा बरारी	
	(ঘ)	जिला उदयपुर, चितौड़गढ़, सिरोही डूंगरपुर व बांसवाड़ा	2 व. कि. मी. प्रतिमास		note in	1.	रकवा बरारी प्रथम प्रति निकालना रकवा बरारी द्वितीय	200 से 250 ख. नं.प्रतिदिन 200 से 250
	(호)	राजस्थान नहर, घग्घर नाजी, गंगनहर, भाकरा परियोजा क्षेत्र	6 से 8 व. कि.मी. प्रतिमास			3. 4.	वंदर रकबा निकालना सदर रकबा निकालना	125 खसरा नं. प्रतिदिन 90 ख. नं. प्रतिदिन
		ं रहेन सम्बंधा मारवाजा क्षत					योग दहाई	1000 ख. नं. प्रतिदिन
	(च)	वन विभाग व ग्रन्य विभागों की सीमा का मिलान कर फिटिंग करना	10 शीट प्रतिदिन			7.	15 हैक्टेयर से बड़े खसरा नम्बरों	1000 ख. नं. प्रतिदिन
		हमराह निरीक्षक					का रक्बा निकालना	25 ,, ,,
		Grad Cividia			 8	8.	5 हैक्टेयर से 14 हैक्टेयर तक के	75 ,, ,,
	(3)	भ्-प्रभिलेख लेखन			Sugar to the		खसरा नम्बरों का रकबा निकालना	
).	होल रकवा शीट (प्लानीबीटर से)	
	(南)	राजस्व जहातंत्री से समार जंगे	***		10		संपूर्ण पाम का रक्बा निकालना	8 ,, ,,
	-	राजस्व जमाबंदी से खसरा बंदोबस्त में (जत भू-माप) इन्द्राज करना	प्रदेस ।				प्रथम प्रति (केवल मुसल्लसबंदी के समग्र (यू. टो.)	
	(ख) र	जिस्त जमावंदी से खसरा बंदोबस्त			11,		एरिया फाइल से खतरे में नंबरवार क्षेत्रकल ग्रंकित करना मय पृष्ठवार	500 ख. नं. प्रतिदिन
		म भाम वर्गाकरण (गत भ-प्रबन्ध	100 ख. नं. प्रतिदिन				योग व गोशंवारा	
		आकृत कर्ना, एक को स्थान			19			15 परिशोधन प्रतिदिन
	P 400 3	नम्बर में एक से अधिक भ मित्रा						200 ख. नं. प्रतिदिन
	3 11 1	ोने को अवस्था में क्षेत्रफल को			2.00		रना।	a co a. n. Alliqq

1	2	3	4	5
		(5) तैयारी पर्चा, खतौनी व तस्वी		
	1.	तैयारी पर्चा खतौनी प्रथम प्रति	200 ख. न	ं. प्रतिदिन
	2.	मुकाबला पर्ची खतौनी प्रथम से	500 ,,	91
	3.	खसरा (दो कर्मचारी) तैयारी पर्चा खतौनी द्वितीय प्रति	300 "	
	4.	मुकावला पर्चा प्रथम से द्वितीय	300 "	"
Tallia.		प्रति (दो कर्मचारी)	600 ,,	,,
	5.	तैयारी पर्चा खतीनी तृतीय प्रति	300 ,,	"
	6.	मुकाबला पर्चा प्रथम से तृतीय प्रति (दो कर्मचारी)	600 "	"
	7.	राजस्व जमाबंदी से पूर्वी पर गत	100 खात	प्रतिदिन
		क्षेत्रफल की हैक्टेयर में परिवर्तन कर		
		खातेवार श्रंकन करना व गत व हाल का मिलान करना।		
	8.	खाम तहरीज (पर्ची का गोशवारा)	250 ख. नं	. प्रतिदिन
		मय गोशंवारा-टकराव ।	11 4 10	
	9.	पर्चा वितरण एवं सस्दोक कार्य कराना ।	100 खाता	प्रतिदिन
	10.	पर्वा तस्दीक द्वारा ए.एस.घो.	300 खात	ा प्रतिदिन
	(6)	नूमि वर्गीकरण संबन्धी कार्य		
	1,	तैयारी नक्शा चाहात पंचसाला मय योग	5 चाह या प्रतिदिन	30 ख. नं.
	2.	श्रोसत निकालना, हिस्सेवार छांट करना तथा करेनशन करना।	10 चाह	रा 75 j,
	3.	नवशा चाहात का ग्रामवार मय	30 चाहात	प्रतिदिन
		योग व श्रोसत तैयार कराना		
	4.	नक्शा तालाव व नाडा सय योग	50 ख. नं	
	- 5.	नक्शा चाहात में भूमिवर्ग ग्रंकित करना।	250 ख. नं	. प्रतिदिन
	6.	चक तराशि ट्रेस व चाहात से खसरे	250 ख. नं.	प्रतिदिन
	7.	में भूमि वर्ग ग्रंकित करना मकाबला	1000 ख. र	रं प्रतितित
	THE PROPERTY A	A Marie	दो भू-मापको	
	8.	खसरे से पर्चा खतौनी में भूमि वर्ग	250 खसरा	
		श्रंकित करना।	7.33	
	9.	पर्वा खतौनी में भूमिवर्गवार छांट	500 ख. नं.	प्रातादन

2

(7) कर निर्धारण हेर्नु प्रपत्न तैयारी (तरतीब)

 तरतीब से पूर्व खसरा पर्चा खतौनी व चाहात ग्रादि का मुकाबला (वो कर्मचारी) 	500 ख. नं. प्रतिदिन
2. खातेबार रदीफल लगाना	250 खाता प्रतिदिन
3 तैयारी तहरीज	50 खाता प्रतिदिन
4. तैयारी टांचन नम्बरवार	150 ख. नं. प्रतिदिन
 तैयारी जिन्सवार (तीनों) 	150 ख. नं. प्रतिदिन
6 तैयारी जिन्सवार रेन्टरेट्स के लिये भूमि वर्गवार (मानक भूमिवर्ग)	150 ख. नं. प्रतिदिन
7. श्रमलदरामद के फलस्वरेप तहरीज दुरुस्ती	100 खाता प्रतिदिन

(8) कर निर्धारण संबन्धी सूचना तैयार करना

1. कर निर्धारण प्रपन्न तैयार करना	2 प्रपत्न अतिदिन
2. तहरीज में खातेदार लगान निकालना	60 खाते प्रतिदिन
3. तहरीज से पर्चा खतौनी में लगान व चढ़ाना (दो कर्मचारी)	100 खाता प्रतिदिन
4. पर्चा खतौनी का तहरीज के लगान का मुकाबला (दो कर्मचारी)	200 खाता प्रतिदिन
5. तहरोज पर स्थाल उन्हालू की छांट	100 खाता प्रतिदिन

(9) तैयारी पर्चा लगान एवं वितरण

1. तैयारी पर्चा लगान प्रथम प्रति	200 खसरा नं. प्रतिदिन
2. वर्चा खतौनी से पर्चा लगान प्रथम का मुकाबला (दो कर्मचारी)	400 ख. नं. प्रतिदिन
3. तैयारी पर्चा लगान द्वितीय प्रति	300 ख. नं. प्रतिदिन
4. पर्चा प्रति द्वितीय का पर्चा खतौनी से मुकाबला (दो कर्मचारी)	600 ख. नं. प्रतिबिन
5. तैयारी डिमांड स्लिप प्रथम प्रति	80 खाता प्रतिदिन
6. नुकाबला पर्चा खतौनी से डिमांड स्लिप (दो कर्मचारी)	150 खाता प्रतिबिन
7. तैयारी डिमांड स्लिप द्वितीय	150 खाता प्रतिदिन
8. मुकाबला डिमांड स्लिप I से II (दो कर्मचारी)	225 खाता प्रतिदिन
9. पर्चा लगान व डिमांड स्लिप पर रियायत का नीट श्रंकित करना	125 खाता प्रतिदिन

164	
1 2 3 4	5
(10) ग्रमलदरामद करन	<u> </u>
 मिसलों के निर्णयों का रेकार्ड में ग्रमलदरामद करना। 	15 परिशोधन प्रतिदिन
 खसरा परिशोधन का रेकार्ड में ग्रमलदरामद करना । 	20 परिशोधन प्रतिविन
(11) तैयारी मिसल बंदोबस्त (स	फाई कार्य) :-
 सफाई से पूर्व खसरा पर्चा व चाहात स्रादि का मुकाबला करना (दो कर्मचारी) 	250 ख. नं. प्रतिदिन
2. खातेदार रबीफ लगाना	250 खाता प्रतिदिन
3. ख प्तरा नम्बरवार इन्डेक्स तैयार करना	300 ख.सं. प्रतिदिन
4. मिलान क्षेत्रफल तैयार करना	300 ख. नं. प्रतिदिन
5. तैयारी खतौनी जमाबंदी प्रपत्न-42	100 ख.नं. प्रतिदिन
6. तैयारी सूची सीमा चिन्ह	100 नेखम प्रतिदिन
7. नक्शा चाहात	100 ख.नं. प्रतिदिन
8. शीर्षक पत्रः—	
(क) लगान की दर	एक ग्राम प्रतिदिन
(ख) दस्तूर गांवाई	(ग्राम बड़ा होने की ग्रवस्य
(ग) शुदाशुद्धि-पत्र	2 दिन प्रति ग्राम)
(घ) सफाई जिल्द की सिलाई	
9. मुकाबला खतौनी प्रथम प्रति का	150 ख. नं. प्रतिदिन
विभिन्न ग्रमिलेखों से (दो कर्मचारी)	
(12) तैयारी मिसल बन्दोबस्त द्वित	ोय प्रति
1. सफाई, खतौनी द्वितीय प्रति तैयारी	प्रत्येक प्रथम प्रति का 25% ग्रधिक (1 से 1/4 कार्य)
2. मुकाबला प्रथम प्रति से द्वितीय	200 ख. नं. प्रतिदिन
(दो कर्मकचारी)	
(13) उजरदारी निर्णय-ए.एस.घ	ी. के लिये
1. इन्द्राज संबन्धी उजरदारी	10 प्रतिदिन
2. लगान संबन्धी उजरवारी	1 5 प्रतिदिन
3. श्रमलदरामद चैकिंग	50 प्रतिदिन
(14) कारगुजारी मानवित्र शाखा	
 शीटों पर हैंडिंग लिखना व सरहबी मौजे लिखना 	10 शीट प्रतिदिन

1 2 400 ख. नं. प्रतिदिन 2. तैयारी चकतराशि दैस 3. भू-मापक 3. तैयारी धकतराशि देस का मिलान 1000 ख. नं. प्रतिदिन (क्रमशः) 4. शीटों में तरमीम उठाना 100 ख. नं. प्रतिदिन 300 ख. नं. प्रतिदिन 5. ट्रेस तैया री सफाई 300 खं. नं. प्रतिदिन 6. तैयारी खट्ठा द्रेस (15) निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले कार्य:-4. निरीक्षक 50 चैन लाइन प्रतिबिन 1. भू-मापन की जांच (स्वयं) 2. सीमा निल न (हमराह म्-मापक) 10 शीट प्रतिदिन 50 चैन लाइन प्रतिदिन 3. तरमीम की जांच (स्वयं) 200 ख. नं. प्रतिबिन 4. साबिक शी : से हाल शीट का मिलान (हु।राह भु-मापक) 1000 ख. नं. प्रतिदिन 5. एरिया फाईल से शीट का नजरी मिलान 200 ख. नं. प्रतिदिन 6. भू-ग्रभिलेख की जांच (साबिक जम। बंदो की प्रविष्टियों के भ्रनुसार खसरा की जांच (हमराह भ-मापक) 300 ख. नं. प्रतिविन 7. शीट पुलतमी मय नम्बर अन्दाजी 600 ख. न. प्रतिदिन 8. रक्बा बराने की जांच (मिन करना) 9. तैयार किये गये खसरा से पर्चा खतौनी शत प्रतिशत को जांच 10. चकतराशि--250 खसरा नं. प्रतिदिन (क) चकतनाशि मय गिरवावरी (निरीक्षक द्वारा हमराह भ-मापक) 400 ख. न. त्रतिदिन (ख) नक्या चकतराशि से खसरे में किस्म जमीन श्रंकित करना (निरीक्षक द्वारा हमराह् भू-मापक) 600 ख. नं. प्रतिदिन (ग) नकता चकतराशि से खसरे का मुकाबला करना (हमराह भ-भापक) (16) कर निर्धारण :--1. लगान फलावट की जांच (निरीक्षक 600 ख. नं. प्रतिबिन 800 ख. नं. प्रतिदिन 2. पर्चा लगान की जांच (निरीक्षक द्वारा) 25 मिसलें प्रतिदिन (17) श्रमलदरामद की जांच (निरीक्षक द्वारा)

1 2	3	4 5
1 निरीक्षक ((क्रमशः)	18) मिसल बन्दोबस्त की जांच:-	
	1. प्रथम प्रति	500 ख. नं. प्रतिदिन
	2. हितीय प्रति	500 ख. नं. प्रतिदिन
		नोट:—निरीक्षक द्वारा श्रपने श्रधीनस्य अमीन के कार्य का शत प्रतिशत चैंकिंग ग्रवस्य किया जावेगा ।
5. सदरमुन्सरिय	(19) सदरम्न्सरिमः-	
	1. निरोक्षक द्वारा सम्पादित	1. साल घर में 10 निरीक्षकों
	कार्यकी देखरेख	को एवं उसके प्रधीनस्थ भू-मापकों से कार्य निरीक्ष
	2. अमीनवार प्रस्तावित कार्य का	2. इसका आदिनांक रखने क
	समयावधि प्रोग्राम (ग्रलांटमेन्ट रजिस्टर)	उत्तरदायित्व होगा ।
	3. भू-माप धन्तों के बारे में इन्डेन्ट करना	 मुख्यालय में मार्च के अन्त तक इण्डेन्ट भिजवाने हेतु उत्तरदायी होगा ।
	4. मुद्रित फार्म के वारे में इण्डेन्ट करना	4. उपरोक्त
	5. भू-मापकों को सर्वे यन्त्र समय पर उपलब्ध कराना	n n n
	6. भु-ब्रिभिलेख का संरक्षण	n n n
	 कर निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़े तैयार करना व करवाना 	
	 भू-अबन्ध ग्रधिकारी को टैक्नीकल नामलों में समय पर प्रस्तुत करना 	
	9. सफाई का सुवर चेकिंग	10 प्रतिशत सदर भुन्सरिम हारा किया जावेगा।
7. सहायक भ्-त्रब श्रधिकारी	च्य (20) सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी	•
	1. मू-मापन की जांच	लगभग 30 जरीब की लाईन में प्रत्येक शीट के ग्रनुसार
	2. तरमीम की जांच	उपरोक्त
	3. रेकार्ड राईटिंग की जांच	शतप्रतिशत (100 प्रति.)
	4- चकतराशि की जांच	n n
	5. रकबा बरारी की जांच	" " "
	6 तस्वीक (पर्ची खतौती)	100 खाते प्रतिदिन
	7. उजरदारी	

3	4 5	
प्रोग्राम (श्रलाटमेन्ट रजिस्टर) इसकी श्रियान्विति	10 श्रीत दिन 25 श्रीतदिन 100 श्रीतशत	
(21) ब्-प्रबन्ध ग्रधिकारी:-		
 भू-माप, तरसीम, चकतराशि एवं भू-ग्राभिलेख की जांच पार्टी में कार्यरत सभी अभीनों द्वारा प्रस्तावित समयाविध कार्यक्रम का रिजस्टर को ग्रा दिनांक रखना एवं उसके मुताबिक प्रोग्राम की कियान्वित सुनिश्चित करना। 	5 प्रतिशत चैंकिंग तथा वर्ष वे लिए निर्धारित सम्पूर्ण भू प्रबंध कार्यक्रम को शतप्रतिश कियान्त्रित करना तथा ग्रध नस्थों से करवाना। चैक लाइ 50 प्रतिशत ग्रामों में डाल जावे। (क) सप्लाई लाईन मैन्टीनें करना। (ख) हैण्डविल वितरण कर	ू- त ो- ने नी
 मुख्य कायांलय द्वारा समयावधि कार्यक्रम अनुसार जमाबन्दी तैयारी करने अस्थाई कर अस्तावना एवं स्थाई कर प्रस्तावना एवं स्थाई कर प्रस्तावना प्रस्तुत करना। पार्टी हेतु आवश्यक सर्वे यन्त्र एवं फार्मस हेतु मार्च के अन्त तक मुख्यालय को इच्छेन्ट प्रस्तुत करना। अधीनस्य सहायक सू-प्रबन्ध अधिकारियों के कार्य का निरीक्षण। अधीनस्य निरीक्षकों के कार्य का निरीक्षण। अधीनस्य निरीक्षकों के कार्य का निरीक्षण। 	(क) स्टाफ को मार्गदर्शन जा करना । (घ) 5 प्रतिशत पर्चा लगानी प्र वितरण । (ङ) सभी निरीक्षकों का वर्षे एकबार निरीक्षण ग्रावस्य रूप से किया जावे । (च) फील्ड सीजन चालू हें ही प्लान तैयार करन् एलोटमेंट रजिस्टर तैय करना एवं जांब डिस्ट्रीब्यूर करना।	री का में का नेता, गार
	1. इन्द्राज सम्बन्धी 2. लगान सम्बन्धी 8. श्रमीन द्वारा योजनाबद्ध कार्यक्रम का प्रोग्राम (श्रलाटमेन्ट रिजस्टर) इसकी क्रियान्वित 9. ग्रमलबरामद की कांच (21) क्रमबन्ध ग्रधिकारी:- 1. श्रमाप, तरमीम, चकतराशि एवं भ्रमिलेख की जांच 2. पार्टी में कार्यरत समी श्रमीनों द्वारा प्रस्तावित समयाविध कार्यक्रम का रिजस्टर को आ दिनाक रखना एवं उसके मुताबिक प्रोग्राम की कियान्वित सुनिश्चित करना। 3. सुख्य कार्यालय द्वारा समयाविध कार्यक्रम अनुसार जमाबन्दी तैयारी करने ग्रस्थाई कर प्रस्तावना एवं स्थाई कर प्रस्तावना प्रस्तुत करना। 4. पार्टी हेतु श्रावस्थक सर्वे यन्त्र एवं फार्लस हेतु मार्च के श्रन्त तक मुख्यान्वय को इच्छेन्ट प्रस्तुत करना। 5. ग्रधीनस्थ सहायक स्-प्रबन्ध ग्रधिकारियों के कार्य का निरीक्षण। 6 ग्रधीनस्थ निरीक्षकों के कार्य का निरीक्षण।	1. इन्द्राज सन्बन्धी 2. लगान सम्बन्धी 3. श्रमीन द्वारा योजनाबद्ध कार्यक्रम का प्रोग्राम (अलाटमेन्ट रिजस्टर) इसकी क्षियान्वित 9. ग्रमलबरामद की कांच 100 प्रतिशत (21) क्रमलबरामद की कांच 100 प्रतिशत चींकग तथा वर्ष विष्णु निर्धारित सम्पूर्ण क्रयंच कार्यक्रम को शतप्रतिश करना तथा अर्ध मस्योवित करना । चिक लांच रिजस्ट को ग्रा दिनांक रखना एवं जावे । (3) क्रमलबर्ग करना । (अ) हेण्डविल वितरण कर वितरण कर अर्मलाद कर प्रस्तावना प्रस्तुत करना । (अ) स्थाई कर प्रस्तावना प्रस्तुत करना । (अ) स्थान को प्रवास कार्य करना एवं जावे डिस्ट्रोब्यू करना । (अ) व्यतिवार खाता बन जाना ।

 पूर्व प्रस्ताबित श्रमण कार्यक्रमानुसार असल ।

परिशिष्ट-2

राजस्थान राज्य

भ्-प्रबन्ध विभाग

[राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम, 1956 (संख्या 15, सन् 1956) की बारा 110 की जब-धारा 1 के अधीन बोबणा] (देखिये नियम 15)

बोधणा-पत

चूंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956(संख्या 15, 1956) की घारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विजयित के द्वारा पास का सर्वे/ पुनः सर्वेक्षण और अभिलेखन कार्य के अन्तर्गत रख दिया गया है।

श्रतएव उक्त क्षेत्र के समस्त भू-तम्पदाधारियों और आसामियों की एतब्द्वारा सूचना बी जाती है कि वे गांव की सीमाओं की तथा गांव के खेतों की सीमाओं को पैमाइश में निम्न इस्ताक्षर कर्ता या मेरे द्वारा नियुक्त किये गये ग्रन्थ व्यक्ति को ऐसी सहायता देने के लिये भावक है, जिसकी उनसे अपेक्षा की जाये।

मेरे हस्ताक्षर और मुहर से विनांक सन् 19..... सन् को जारी हुआ ।

मू-प्रवन्ध प्रधिकारी

परिशिष्ट-3

राजस्थान राज्य

भू-प्रबन्ध विभाग

[राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956(संख्या 15, 1956) की घारा 110 की उप-धारा (2) के अधीन घोषणा] (वेखिये नियम 16)

घोषणा-पत्र

श्रवगत रहे कि इस घोषणा में उल्लिखित अवधि के भीतर अक्त निर्देश का पालन न होने पर स्वयं सहायक भू-प्रवन्ध अधिकारी (अतिरिक्ति लेण्ड रेकार्ड ऑफिसर) उनके खर्चे पर ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवायेगा और वह खर्ची भू-राजस्य की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।

क्षेरे हस्ताक्षर और मुद्रा से दिनांक को जारी हुआ ।


मू-प्रवन्ध सधिकारी

.


े मू-प्रवत्य विसाग के नक्तों में प्रयोग होने वाले संकेत (इक्ष्म नं. १)

MARKET.	with the same of t	1	
ain.	(feet) of all a) im	Name in English
	धन्तर्राष्ट्रीय भी मा	A CONTRACT OF STREET AND ADDRESS OF STREET	
ı			Inter National Boundary
3	ছিবিক্সৰ 🐧 🖯	Company of the Asset Services	Division
Į	विद्या #	STATES HELD SERVICE SERVICES	District
	uta .	0	Village .
ı	तर्वोतं .		Tehsil
I	कच्ची सहक		Gravelled Road
١	वच्ची सड़क	0	Matelled Road
ı	मर्ग		River
I	पाल नय सालाव		Tank with Paal
	NITE		Band
Į	feat:		
Į	gw	5 3	Fort
			Bridge
ı	wend	75.75	Abadi
	मिन्दर	4	Temple
	मसमिव	Transport	
١			Mosque
	पविस्तान		Burial Ground
1	and all a second	1 000	Crematorium
1	बादड़ी		Baori
1	कृषा पुरस्त	00	Pakka Well
I	fuesture	1+1	Church
y #		1 1 2	Charen

4	
24	पुष्त गरीद
22	पड़त कदीम
23	तालाव
24	दरवत
25	वहरक
26	नाला
	रेलवे लाइन
28	सीमा बात बाउम्ब्री
29	गाड़ी का रास्ता
30	पाल का चेहदा
31	दत्तर दिशा लुचक
32	चांदा लाइन
33	तूवा
34	णूबी बाग
35	विस्रती रहेवन
36	नमक की क्यारी



37	बोकोर कुमा	0	Square well
3&	तहर मय मोरी	到于	[Sluice
39	पान बीडी (पान का बाग)	######################################	Panbari
40	वांस के शुन्द	建业 444	Bamboo clumps
41.	मुक्तिलिफ पेड़ी का बंगक		Mixed Tree Jungle
42	नाकाबिल कास्त	As . Au . Mi.	Unculturable Fallow
43	बलवल सील		Snampy land or Marsh Jhil & Lakes
44	नहर मय लोक	り。中で	Canal with lock, Sluice
45	दान	Cumunity	Quarry
46	हवाई स्टेशन की सीमा	(A)	Limit of Aerodame or
47	रेल के ऊपर व नीचे सड़क	Marigania Mariana	(1) Road over Railway, Railway (2) Road under
48	नदो के ऊपर रेल		Railway over River
49	नदों में राज्य की सीमा	1	State Boundary in Centre of River or Strean
50	नदी या सड़क के एख किलारे जिले की खीवा		District Boundary-Alongone
51	बेहर	Side	of River stream or Road Stony waste, Boulders & Rock



	नारियल के पेड़	_ 1	
68		学学学	Coccanut Pales
69	पान व तन्त्राणु के पेड़	[क्ष्रेक्ष्य	Botal Palm
70	वेंद्रोल पन्छ	[PP	Petrol Pump
71	स्ता .	+	Spring
72	पाइव लाइन	000	Pipe Line
73	झरणा सिंगल और उबल	FALLS	Water Fall in Single & Double Line Stream
74	वापरभैस का स्तब्ध	WIRELE SS MAST	Wireless Mast
75	पुषा	00	Caves
76	बीवार सक इरलामें के जल्हे	-	Wall with Gate Pillars
77	तार बायर फेस	- Martin Martin	Wire Fence
78	येड् कर्द्ररीया पाइम इर	355 fff	Trees : Casuarina?
79	एतोस वा क्ष्मक्रव	444	Aloes or Cactus
80	चाय के बाग	050000000000000000000000000000000000000	Tea Garden, Fence Fence : Dry
81	संबा स्तम्ब	€ F5.	Green or Hedge & Flag Staff
82		@SB.	Sentry Box
8		●DB.	Dust Bin
8		din	Gurudwara
		1	1 1

परिशिष्ट_5

राजस्थान राज्य

भू-प्रबन्ध विभाग

राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 114 व नियम 23 के अन्तर्गत दस्तुर गांवाई

ग्राम——तहसील———जिला——सम्वत्———

- 1. ग्राम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :
- ग्राम की ब्राबादा तथा विभिन्न प्रकार के लोगों एवं जातियों का ग्रामीण समाज में स्थान (ऐतिहासिक पुष्ठ भूमि से जोड़ते हुये) ग्राम में शिक्षा का स्तर एवं स्थित :
- 3. कृषि, श्रम लेन-देन, उत्सव, त्यौहार इत्यादी से संबंधित ग्राम्य परम्परायें :
- 4. भूमि धारणा के प्रकारों की पृष्ठभूमि तथा वर्तमान स्थिति :
- 5. कृषि मूमियों से संबन्धित उत्तराधिकार की प्रणालियां जो ग्राम के विभिन्न वर्ग में प्रच-लित हों :
- 6. ग्राम के निवासियों का ग्राबादी भूमि पर ग्रधिकार का प्रकार:
- 7. ग्राम की श्राबादी में खाद व कूड़ा-करकट का जमा होना व किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है तथा इस संबन्ध में लोगों के क्या ग्रधिकार हैं :
- 8. सिचाई के साधन, सिचाई का शुल्क तथा कृषकों के ग्रधिकार :
- 9. पीने के पानी के साधन तथा उनके जीगींद्धार एवं विकास की ग्रावश्यकता :
- 10. समाज के कमजोर तबके की ग्राम में स्थिति :
- 11. चारागाह—
 - (क) बारागाह का खसरा तम्बर व क्षेत्रफल तथा शुल्क :
 - (ख) क्या इस ग्राम के वासियों को अन्य ग्राम में या अन्य ग्रामवासियों को इस ग्राम में पशु चराने व पानी पिलाने का अधिकार है ?
- 12. भूमि की श्राकृतिक उपज तथा लूंग, पाला, मूंज, घास आदि के विषय में कृषकों तथा प्रान्य वासियों को क्या प्रधिकार है ?

- 13. कंकड़ (चूने की मिट्टी तथा इमारती पत्थर के उपयोग के संबन्ध में ग्रामवासियों के अधिकार :
- 14. ग्राम में सेवकों यानी बलाई एवं चौकीदार की स्थिति एवं कर्तव्य :
- 15. ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र :
- 16. मृतक पशुओं की खाल तथा हिंदुयां :
- 17. ग्राम की सड़क, मार्ग व पगडन्डी :
- 18. लगान तथा उनके भ्रदा करने की किस्म :
- 19. कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग की ग्राम में स्थिति:
- 20 ग्राम का व्यापार एवं उसका प्रकार:
- 21 अन्य मुख्य प्रयायें तथा वर्णनीय विषय ।

परिशिष्ट-6

भू-प्रबन्ध एवं लगान निर्धारण प्रतिवेदन :---

लगान निर्धारण एवं भू-अबन्ध प्रतिवेदन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लेख है जिसका महत्य हमेशा बना रहता है। भू-अबन्ध की अवधि समाप्त हो जाने के पण्चात भी आवसायी भू-अबन्ध का यह प्रतिवेदन भविष्य में बहुत कान आता रहता है। इसलिये इस प्रतिवेदन को बहुत सतर्कता-पूर्वक लिखना चाहिये। यह अधिक संक्षिप्त भी न हो और अधिक विल्तृत भी न हो, किन्तु इसमें सारे तथ्य स्पष्ट रूप से संक्षिप्त में उल्लिखित कर विथे जाने चाहिये। लगान दरों के निर्धारण पर उन सब तथ्यों का क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी इस प्रतिवेदन से प्रदिश्ति होना चाहिये। इस प्रतिवेदन के लिये कोई पुष्ट सीमा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा। नीचे जो अध्याय तथा शीर्षक इस प्रतिवेदन में होने चाहिये, उनका उल्लेख कर दिया गया है:—

प्रध्याय- 1- सामान्य वर्णन एवं प्राकृतिक दशा तथा ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि।

- (1) प्रारंभिक-जिले की संपूर्ण तहसीलों में भू-प्रबन्ध की स्थित तथा प्रविध, क्षेत्रफल, जनसंख्या, गांवों की संख्या इत्यादि । किस-किस तहसील में वर्त-मान समय में भू-प्रबन्ध की कार्यवाही चल रही है, जिसकी न्यारी-न्यारी क्या स्टेज है ।
- (2) स्थिति सीमा विस्तार गांव एवं क्षेत्रफल दूसरे-मोजों में मिलाकर खतम किये गये मौजों के सन्बन्ध में विवरण-एक मौजे में से तोड़कर बनाये गये नये मौजों का विवरण-गांवों की संख्या सर्वे के द्वारा क्षेत्रफल में घटोतरी-बढ़ोतरी श्रंतिम क्षेत्रफल-विभिन्न प्रकार का क्षेत्रफल मिलान खसरे के मुताबिक ।
- (3) ऐतिहासिक पृष्ठमृनि ।
- (4) आकृतिक दशा।
- (5) प्राकृतिक भनि एवं निम वर्गी का सामान्य विवरण ।
- (6) समायोजन सारिणी मोटे तौर पर।
- (7) जलवायु एवं वर्षा ।
- (8) प्राकृतिक प्रकोप-विस्तृत विवेचन ।
- (9) वन सम्पदा एवं वनस्पति ।
- (10) जन्तु तथा मतस्यपालन
- (11) वानिक कल्पदा ।

अध्याय 2--जिला प्रशासन, जनसंख्या, पशुधन, व्यापार-व्यवसाय, ऋण व्यवस्था, स्वास्थ्य व शिक्षा इत्यादि:-

(1) जिला प्रशासन ।

(2) पंचायती राज-एकीकृत ग्राम विकास योजना ।

- (3) जनसंख्या-काम करने वालों की संख्या-जातियां कृषकों का स्वास्थ्य-कृषि में कुशलता इत्यादि ।
- (4) प्रमुख मंडी, मेले व ग्रन्य व्यापार इत्यादि ।
- (5) त्रावागमन के साधन व संचार व्यवस्था।

(6) जनस्वास्थ्य ।

(7) पश्धन एवं पशु चिकित्सा ।

(8) शिक्षण संस्थायें ।

- (9) कृषि ऋण की व्यवस्था-बेंकों से ऋण, बोहरों से ऋण लगाने की बकाया।
- (10) लगु एवं सीमान्त कृषक विकास अभिकरण ।

(11) विछड़े को पहले (अन्त्योदय योजना)।

(12) सहकारी आन्दोलन ।

म्राच्याय 3-कृषि एवं सिवाई के साधन :--

(1) कृषि

(2) भूमि का उपभोग-जोतों का ग्राकार-उतार-बढ़ाव।

(3) भीम का विकास ।

(4) प्रदल-बदल कर बुवाई।

(5) दुकसली काश्त ।

(6) जन-कुएं-सिचाई के साधन-नहरें-बंध वगरह।

(7) फसलें व जुताई ग्रादि।

8) खाद-बीज

(9) सामान्य उपज (प्रत्येक जिन्स प्रति हैक्टेयर) व उपज की विशेषता, यवि कोई हो ।

श्रम्याय 4-गत भू-प्रवन्ध का सिंहावलोकन तथा प्रमुख आंकड़े :--

(1) तहसील में मू-प्रबन्ध का इतिहास-विभिन्न कालों में जोत धारण करवाने का प्रकार ।

(2) गत स्-प्रबन्ध का सिंहावलोकन ।

(3) प्रमुख-प्रमुख ग्रांकड़े।

म्रध्याय 5- सर्वेक्षण, मू-म्रिमलेखन, जिन्सवार एवं कृषकों की भ्रायिक स्थिति :---

(1) भूमि का सर्वे (पैमाइश)।

(2) ट्रावर्स ।

(3) भू-ग्राभिलेखन कार्य।

(4) जिन्सवार क्षेत्रफल । (5) कृषि की कुल जोतें अधिकतमक्त्यूनतम आवसायी मु-प्रबन्ध से **मुकाबका**

(6) खेती का स्तर।

(7) जिन्सवार का विश्लेषण ।

(8) खेती के खर्चे तथा इवकों के भरण-पोषण के खर्चे ।

(9) मंडियों तथा प्रावागमन के रास्ते माल का विक्रय व भंडार।

(10) छीजत व नुकसान इत्यादि।

(11) ग्राधिक स्थित ।

ग्रध्याय 6--कृषि उत्पादन, वाजार जाव, उपज का मूल्यांकन एवं कृषि व्यय तथा श्रन्य सर्वे:-

(1) जिन्सवार क्षेत्रफल ।

(2) श्रीसत उपज ।

3) बाजार भाव।

(4) कृषि व्यय ।

(5) पैदावार मूल्यांकन ।

(6) कृषि व्यय की कटौती।

(7) कटौतियां-ग्रमाव की स्थिति के कारण कटौती।

(8) भूमि पड़त रखना-गाड़ी-भाड़ा-कमीशन इत्यादि-स्टोरेज एवं छीजत व्यय-भू-राजस्व की अदायमी-शृद्ध बचत ।

(9) कृषकों एवं उनके परिवार के भरण-पोषण का खर्च।

(10) लगान निर्धारण के ब्राधार ।

म्रध्याय 7-कर निर्धारण मंडलों का गठन एवं भूमि वर्गीकरण:-

(1) कर निर्धारण बंडलों के गठम का आधार तथा पूर्व बंदोबस्त की स्थिति।

(2) वर्तमान बंदोबस्त में कर निर्धारण मंडलों का गठन ।

(3) भूमि वर्गीकरण-पृष्ठमूमि । (4) वर्तमान भमि वर्गीकरण ।

(5) भूमि वर्गों एवं उपवर्गों की परिभाषायें।

(6) वर्तमान भूमि वर्गीकरण के ग्रांकड़ें।

(7) स्रावसायी मू-प्रबन्ध के भूमि वर्गवार रकवे से तुलना।

(8) चारागाह

(9) ग्रामवार रियायती चाह की सूची।

ग्रध्याय 8-लगान दरों का उद्भव :--

(1) लगान दरों का निर्धारण।

(2) पैदावार के ब्राधार पर लगान का निर्धारण ।

(3) विभिन्न भूमि वर्गी का अवेक्षित मूल्यांकन ।

(4) जिन्सवार के ब्राधार पर उपज का मूल्यांकन एवं मौटे तौर पर लगान दरों की उद्भव ।

(5) मौके की जांच एवं अनुभवी कृषकों से विचार-विमर्श का नतीजा।

(6) विजिन्न भूमि वर्गों की इकाइयों का निर्माण।

(7) गत बील वर्षों की वर्णवार कायमी मांग एवं वसूली तथा बकाया का विश्लेषण ।

(8) इकाई प्रणाली से लगान का फैलावट तथा उत्पादन व इकाई प्रणाली द्वारा निर्मित लगान दरों का मुकाबला। (9) केवल इकाई प्रणाली वोषपूर्ण ।

(10) उत्पादन प्रणाली और इकाई प्रणाली का समन्वय ।

(11) लगान दरों का उद्भव।

(12) गत भू-प्रबन्ध की लगान दरों से तुलना-गत लगान दरों से निर्मित परता दरों की सवाई दरों से लगान फैलाकर तुलना।

(13) पड़ौस की तहसील की लगान दरों से तुलना।

(14) अन्तिम प्रस्ताव ।

(15) अन्तिम लगान दरों से पूरी तहसील के लगान की फैलावट।

16) सुधारों पर छूट ।

(17) लगान वसूली की किस्तें व प्रकार।

- (18) गत लगान पर हुई कुल बढ़ौतरी का विश्लेषण।
- (19) वित्तीय परिणाम तथा उनका विश्लेषण ।

वरिशिष्ट

- परिशिष्ट-1 (क) विलीनीकरण एडजस्टमेन्ट टेबिल मय रकवा, लगान व इन्सीडेन्ट्स दरों के
- परिशिष्ट-1 (ख) वर्तमान भूमि वर्गों का गत भू-प्रबन्ध के भूमि वर्गों से समायोजन के अनुसार मंडलवार गत भू-प्रबन्ध की औसत लगान वरें।

परिशिष्ट-2 मानचित्र गत 20 वर्षीय वर्षा एवं ग्रीसत वर्षा।

परिशिष्ट-3 (क) नक्शा ग्रामवार गत रक्तबा व वर्तमान रक्तवा सिंकलवाइज ।

- परिशिष्ट-3 (ख) नक्शा उन ग्रामों का जिनमें चक ग्रथवा मौजे दाखिल खारिज हुये कर निर्धारण मंडलवाइज मय पूर्ण विवरण के।
- परिशिष्ट-4 कृषि जिन्सों के 20 वर्षीय बाजार भाव एवं श्रौसत।

परिशिष्ट-5 कर निर्धारण मंडलवाइज गांवों की सूची।

- परिशिष्ट-6 (1) नक्शा जिन्सवार चाही प्रथम (मानक भूमि) भूमिवर्ग प्रति हैक्टेयर पैदावार सिचित, ग्रींसिचित, कुल उपज एवं ग्रीसत बाजार भावों से उत्पादन का मृत्यांकन मंडलवाइज ।
- परिशिष्ट-6 (2) नक्शा जिन्सवार बारानी प्रथम (मान भूमि) भूमि वर्गवार प्रति हैक्टेयर पैदावार, कुल उपज एवं श्रौसत, बाजार भावों से उत्पादन का मृत्यांकन मंडलवाइज ।
- परिशिष्ट-7 निरीक्षण पत्र का निर्धारण मंडलवाइज कृषि उपज, श्रोसत उपज, कृषि व्यय एवं दीगर हालात कृषि एवं कृषकराण।

परिशिष्ट- 8 सूची चारागाह ग्रामवाइज ।

परिशिष्ट-9 सूची रियायती चाहात मय रकम छूट प्राप्त कुन्ना व कुल देह ।

- परिशिष्ट-10 ग्रामवार भूमि वर्गीकरण कर गत भूमि वर्गीकरण से मुकाबले का मानचित्र घटत-बढ़त बताते हुये ।
- परिशिष्ट-11 मुकाबला मानचित्र लगान फैलावट गांववार वर्तमान भूमि वर्गी पर गत लगान दर से तथा वर्तमान प्रस्तावित लगान दर से घटतव-दृत दिखाते हुये ।

Copy of the letter No. F. 4 (4)Rev. B/Gr. I/65, dated Jaipur, the 28th May, 1965 from the Secretary to the Govt. of Rajasthan, Revenue (B) Department to the Settlement commissioner, Rajasthan, Jaipur.

Sub:—Necessity of bring the records of rights up-to-date prior to the preparation and distribution of assessment parchas under section 164 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

Sir.

- I am directed to say that the provisions relating to 'Survey and records operations' are contained in Chapter VII, sections 106 to 141, and these relating to 'Settlement operations' in Chapter VIII, sections 142 to 183 of the Rajasthan Land Revenue Act. 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956). With the exception of some 345 villages, the whole of Rajasthan has been cadastrally surveyed and records-of rights prepared; but it is regretted that in the great majority of the villages the records are not up-to-date.
- 2. A notification under section 14? of the Land Revenue Act to bring an area under settlement or re-settlement operations is almost invariably prepared by a notification under section 107 of the Act to bring the area under record operations.
- 3. Section 113 of the Act requires the Land Records Officer to prepare for each village or portion of a village under survey and record operations or only under record operations, a record-of-rights. The succeeding section mentions the contents of the record of-rights.
- 4. Section 122 lays down that all undisputed entries in the record-of-rights shall be attested by the parties interested, and all disputes regarding such entries, whether taken up by the Land Records Officer of his own motion or upon application by any party interested, shall be disposted of by him in accordance with the provisions of sections 123, 124 and 125.
- 5. Section 123 is about 'determination of class of tenant section 124 is about' 'procedure when rent or revenue payable is disputed,'and section 12 is about 'Settlement of disputes as to entries in record of rights'. This last mentioned section provides that disputes regarding entries in the record-of-rights shall be decided on the basis of possession
- 6. Section 126 lays down that, until a new map and a field book are prepared, or untial a new record-of-rights is framed, the Existing map, filed book and record-of-rights, if any, shall be the map, field book and record-of-rights of the area concerned.
- 7. After the record operations are over, it is the duty of the Land Records Officer, viz, the Collector, to maintain the record-of-rights, and for that purpose he is to prepare a set or an amended set, as the case may be, of the Khewat, Khatauni, and register of

Manufiyets, and the registers so prepared are to be called the annual registers (of section 132 of the Act).

- 8. Section 133 requires land holders and tenants to report all charges of rights, possession, etc.
- 9. The power to record the change in the annual register's is conferred by section 135 of the Act on the Tehsildar.
- 10. Detailed rules relating to mutations are to be found in paragraphs 119 to 148 of the Rajasthan Land Revenue (Land Records) Rules, 1957.
- 11. Section 146 of the Act provides that when any district or other local area is under settlement operations, the duty of maintaining the mapes and field books and preparing the annual registers may be transferred under the orders of the State Government from the Land Records Officer to the Settlement Officer, who shall thereupon exercise all the powers conferred on the Land Records Officer by Chapter VII.
- 12. Provisions regarding preparations and distribution of assessment parchas are contained in section 164 of the Land Revenue Act. It is clear that, before the Settlement Officer prepares and distribute assessment parchas it must be ensured that the records are absolutely up-to-date.
- 13. At present several areas of Rajasthan are under revision of Settlement and it is has been reported that the task of the Settlement Officer is rendered unusually difficult because of the annual registers ... being incomplete.
- 14. The Government has given anxious consideration to this matter and it has now been decided that as soon as it is proposed to being any local area under settlement or re-settlement, the Government should be moved to issue immediate instructions to all Tehsildars and village Panchayats (to whom the of all pendiag mutations within two months and you should also address demi-official letters to the Collectors concerned to see that
- of the Land Revenue Act, the settlement officer should propose, and preparing annual registers may, as contemplated by section 146, be transferred from the Land Records Officer to the Settlement Officer under Chapter VII of the Land Revenue Act. In this connection I am to point out that, by reason of clause (iv) of section 3 of the Act, Settlement Officer includes as Assistant Settlement Officer

- 16. Proposals should also be simultaneously submitted that the Patwaris of the area under survey or record operations or under Settlement operations should be placed at the disposal of the Settlement Officer as laid down in paragraph 21 of the Land Records Rules.
- 17. After the expiry of the period of the two months all un-disposed of mutation cases should be immediately transferred to the Assistant Settlement Officer concerned for disposal.
- 18. Government may also, in its discretion, instruct the Tehsildars of the Tehsils in which this work has not yet been completed to transfer to the Assistant Settlement Officer all the pending cases in which the possession of trespassers over un-occupied Government owned agricultural land is yet to be regularised in compliance, with the Government's instructions as contained in its Circular No. F. 3(66)Rev. B.62, dated the 1st September, 1962 as subsequently clarified and modified copies of these circulars are attached for ready reference. The arrears of rent and penalty, if would however, continue to be realised by the Tehsildar concerned.
- 19. When an order contemplated by section 145 of the Land Revenue Act is issued the Settlement Officer and the Assistant Settlement Officer shall exercise all the powers of the Land Records Officer under Chapter VII of the Land Revenue Act and should be in a position to bring the records up-to-date. In exercising their powers under section 135 of the Act, the Settlement Officers and Assistant Settlement Officers should as far as possible, act in accordance with the instructions contained in paragraphs 119 to 148 of the Land Records Rules; but no mutation fee would be charged.
- 20. In addition to the instructions contained in the Land Records Rules, the Settlement Officers and the Assistant Settlement Officers should keep the following provisions of the Law in view:—
 - (1) the proviso to sub-section (1) of section 15 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 1956), about non-accrual of Khatedari rights under that section to tenants to whom I and had been let out temporarily in the Gang Canal, Bhakra. Chambal or Jawai Project area, or any other area notified in this behalf by the State Government (A list of all areas so far notified may be obtained from the department concerned; and copies of all future notifications would be sent to you);
 - (2) the provisions of sub-section (2) of section 15 of the Tenancy Act about non-accrual of Khatedari rights to persons who had committed breach of any special conditions Act; prior to the commencement of the Tenancy Act.
 - (3) section 15-A about non-accrual of Khatedari rights in the Rajasthan Canal area;

- (4) section 15-AA about non-accrual of Khatedari rights in Chambal project area in certain cases;
- (5) section 16 relating to lands in which Khatedari rights a shall not accrue;
- (6) the provisions of section 19 as to the extent of land in which, and the categories of sub-tenants and tenants of Khudkasht to whom. Khatedari rights accrued under that section;
- (7) the provisions of section 300 about certain transfers not to be recogaised for fixing ceiling area under section 20-C. [See this department's Notification No. F. 6 (120)1 Rev. B/60 (ii), dated the 26th November, 1963, as published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-C, dated the 1st December, 1963].
- (8) section 40 of the Tenancy Act which lays down that when a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death;
- (9) the provisions of the Substituted section 42 about general restrictions on sale, gifts and request, which provisions prohibit the certain of iragments, the transfer of lands held by members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to others who are not members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as well as the sales and transfers in the river valley project areas;
- (10) the proviso to sub-section (1) of section 43 of the Tenancy Act, which prohibits the transfer, by usufructuary mortgages, of holdings by khatedar tenants belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to persons who do belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; not
- (11) section 46-A about special provision for letting or sub-letting by members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;
- (12) section 49-A-Special provisions for exchange by members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes;
- (13) section 53, which lays down that no holding shall be divided so as to result in holdings of less area than the minimum prescribed by the State Government for each district, or part of a district. The Statutory rule to give effect to this provision is Rule 24-A of the Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955; and the minimum area for the purposes of sub-setjon (1) of section 53 is one-fifth of the minimum area fixed for purposes of clause (a) of section 180 and given in Rule 66 of the said rules and the schedule thereto;

- (14) section 63 about extinction of tenancy rights in certain circumstances; and
- (15) the provisions of the Indian Registration Act under which transfers of immovable property of the value of rupees one hundred and upwards are compulsorily registerable.
- 21. The cardinal principle in sanctioning mutation is that mutation is ordered on the basis of possession. A person is not to be deemed to be out of possession, if he is in constructive possession. Possession, whether actual or constructive obtained on the basis of a transaction, which is full and void under any law or has been entered into in controvention of the provisions of the Tenancy Act or is not in conformity with the provisions of any other law for time being in force is not to be recognised. The following illustrations may be of some help to the Settlement Officers and the Assistant Settlement Officers in bringing the records up-to-date:—
 - (a) A, a tenant, dies leaving 3 sons, B,C and D as heirs B is in actual possession of the holding. The mutation shall be ordered in favour of all the three co-heirs B,C and D, unless it is proved in the summary inquiry that C and D have been legally ousted; as C and D shall be deemed to be in constructive possesssion of the holding;
 - (b) A, a tenant, dies leaving B as his heir. The land is in the actual possession of C as sub-tenant. Mutation shall be ordered in the name of B as he should be deemed to be in constructive possession of the holding;
 - (c) A, a tenant, sells a part of his holding, the area of which is below the minimum area prescribed for the purposes of section 53 of the Tenancy Act, to B.B applied for mutation. Even though possession has been transferred to B, his application should be rejected as the sale is void under the provisions of the substituted section 42 of the Tenancy Act.
 - (d) A, a member of Scheduled Caste, transfers his holding in favour of B, who is not a member of the Scheduled. Caste. B applied for mutation. B's application shall be rejected, as the transfer is void under the provisions of section 42 of the Rajasthan Tenancy Act;
 - (e) B applies for mutation of a field of the value over one hundred rupees in his favour claiming that A, a tenant had sold the field to him under an unregistered sale deed. B's application shall be rejected as the sale was effected without complying with the provisions of section 17 of the (Indian Registration Act, 1908) Central Act 16 of 1908;

- (f) B is in adverse possession of a field of a khatedar tenant, A, for more than the period prescribed for filing a suit for possession. B applies for mutation. His application shall be accepted, as A's right to the field has been extinguished under section 27 of the Indian Limitation Act, 1963 (Central Act 36 of 1963).
- 22. I am to request you to issue detailed instructions to all your subordinate Settlement Officers and Assistant Settlement Officers on the above lines, and to take all possible steps to see that in all areas that area now under Settlement or revision of Settlement Operations, or that may in future be brought under such operations, the records are brought up-to date with in the shortest possible time; and in any case, before the preparation and distribution of assessment parchas under section 164 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

परिशिष्ट (क)

विषय:--विमागीय कार्यविधि

मू-प्रबन्ध कार्य राजस्थान मू-राजस्व ग्रधिनियम, 1956 के ग्रध्याय 7 एवम् 8 में स्थित घारा 106 से 186 के तहत किया जाता है।

भू-प्रबन्ध कार्य की प्रक्रिया 5 मिन्न 2 स्तर में विमाजित है। यदि राज्य सरकार को किसी तहसील प्रयवा जिले के किसी क्षेत्र में भू-प्रबन्ध कार्य ग्रारम्म करवाना है तो राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 106,107 एवम् 142 के ग्रन्तगंत राजस्थान राज-पत्र में ग्रिधिसूचना प्रकाशित करवाती है। इसी अनुक्रम में धारा 108 व 145 के तहत मू-प्रबन्ध ग्रिधिकारी एवम् सहायक भू-प्रबन्ध ग्रिधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

राज-पत्न में अधिसूचना प्रकाशित हो जाने के पश्चात् मू-प्रबन्ध अधिकारी दल उस जिले के राजस्व अधिकारियों, जिले से तहसील का राजस्व रेकार्ड प्राप्त करता है तथा उस तहसील में स्थित गांवों का सर्वे कार्य श्रारम्भ करवाए, देता है। सर्वे कार्य समाप्त होने के पवरत् मू-ग्रिमलेख तैयार किये जाने का कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

भु-श्रभिलेख तैयारी का कार्य खसरा लेखन से प्रारम्भ होता है। खसरा लेखन करने के बाद रकवा बरारी का कार्य किया जाता है तथा प्रत्येक खसरे के रकवा मिलान का कार्य किया जाता है। इसी ग्राधार पर पर्वा खतौनी तैयार की जाकर कास्तकारों में वितरण की जाती है इसका ग्राय्य यह है कि प्रत्येक गांव के कास्तकार /खातेदार को यह जानकारी हो जावे कि उसके खाते में कितनी कृषि भूमि है। यदि किसी काश्तकार को उसे दी गई पर्वा खतौनी पर किसी प्रकार का एतराज है तो वह सहायक भू-प्रवन्ध ग्रधिकारी के समक्ष उज्जवारी पेश कर सकता है जिसे बाद जांव एवम् सुनवाई का ग्रवसर दिये जाने के बाद सहायक भू-प्रवन्ध ग्रधिकारी द्वारा उजरदारी का नियमानुसार निस्तारण किया जाता है।

यदि काश्तकार सहायक भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो प्रथम ग्रपील भू-प्रबन्ध ग्रधिकारी के समक्ष एवम् मू प्रबन्ध ग्रधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर दितीय ग्रपील भू-प्रबन्ध ग्रायुक्त, राजस्थान, जयपुर के समक्ष पेश कर सकता है।

इसी कार्य के दौरान कोई भी काश्तकार अपने खाते की भूमि में विकय, दान (शिपट) विरासत एवम् सप्तम न्यायालयों के निर्णय के आधार पर अपनी जोत का नवीनीकरण कर सकते हैं।

विभाग के प्रधिकारी एवम् कर्म चारी प्रभावित क्षेत्र को भौगोलिक स्थिति के आधार पर लगान निर्धारण वृत्त कायम करते हैं इसके पश्चात् इन्हें लगान निर्धारण वृत्त में स्थित सूनि डा सिंचाई एवम् उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं।

भूमि वर्गोकरण करने के पश्चात् प्रत्येक भूमि वर्ग की लगान दर कायम करने का कार्य ग्रारम्भ कर देता है। तहसील में स्थित समस्त गांवों की ग्रस्थायी लगान दर निर्धारण प्रस्तावना (देन्देदिव रेंट रेंट रिपोर्ट) तैयार कर भू-प्रबन्ध ग्रायुक्त, राजस्थान, जयपुर को ग्रनुमोदनार्थ प्रेथित कर देता है। भू-प्रबन्ध ग्रायुक्त ग्रयने स्तर पर इसकी तकनीकी पृथक आवश्यक जांच कर लगान दरों का अनुमोदन कर देने पर मू-प्रबन्ध अधिकारी उन्हें राज-पह में प्रकाशन करनाता है। प्रकाशन के बाद उन लगान दरों के बाबत प्राप्त आपितियों/उजर-वारियों पर भू-प्रबन्ध अधिकारी/सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी सुनवाई कर उसका निस्तारण करते हैं। इसके पश्चात भू-प्रबन्ध अधिकारों अंतिम भू-कर प्रस्तावना (फाइनल रेन्ट रेट रिपोर्ट) भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करता है। भू-प्रबन्ध आयुक्त प्राप्त लगान दरों के प्रस्तावों की जांच कर अपनी टिप्पणी सहित राजस्य मण्डल, अवसर के माध्यम से राजस्व विभाग को प्रेषित कर देता है। राज्य सरकार यदि भू-कर प्रस्तावना को जांच में उचित समझती है तो स्वीकृति प्रदान कर देती है अन्यया पूर्ति हेतु निर्देश के साथ पुनः विभाग को भिजवा देती है।

स्वीकृति लगान दर प्रन्तावों के शाधार पर भू-प्रबन्ध अधिकारी प्रत्येक खातेदार के लिये पर्वा जगान तथार कर कारतकारों में वितरण करता है तथा मिसल बन्दोबस्त तथारी का कार्य आरम्भ कर देता है।

मिसल बन्दोबस्त तैयार हो जाने के पश्चात् भू-प्रबन्ध कार्य बन्द करने हेतु राजपत्र में अधिभूचना प्रकाशित करने के लिए राज्य सरकार को सिकारिश करता है। इस आधार पर राज्य सरकार वांछित अधिभूचना राज-पत्न में प्रकाशित करवा देती है और इसी के साय उस तहसील में भू-प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त हो जाती है तथा तैयारी किया गया भू-प्रमिलेख राजस्व अधिकारियों को सौंप दिया जाता है।

प्राप्त अभिलेख के आधार पर राजस्व श्रधिकारी (तहसीलदार) काश्तकारों से लगान बसुली का कार्य प्रारम्भ कर देते हैं।

2. विभाग द्वारा भेजी जाने वाली/प्राप्त को जाने वाली तालिकाश्रों का विवरण का व्यौरा एवम् प्रवतः

भू-प्रबन्ध अधिकारियों को उनके क्षेत्र में स्थित जिस तहसील/जिले में **णू-प्रबन्ध कार्य** चालू रहता है उसके कार्य के निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति प्राप्त करने की दृष्टि से विभाग द्वारा जो प्रपत्न निर्धारित किये हैं वे संलग्न कर दिये गये हैं (जो परिशिष्ट"ग्र" पर स्थित, है)।

इसी प्रकार भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व व ग्रन्थ विभागों को जो प्रगति-पद्म प्रेक्ति किये जाते हैं अनके प्रपन्न संलग्न कर दिये हैं जो परिशिष्ट "ख" पर स्थित है।

3. विभाग के बिभिन्न प्रतुभाग/शाखा के कार्य कलाप :--

मू-प्रबन्ध विमाग राजस्व विमाग का ही ग्रंग है जो भिन्न-धिन्न ग्रनुमागों में विभन्त नहीं है। भू-प्रबन्ध विभाग का ढांचा निम्न प्रकार है :---

राजस्य सचिव | भू-प्रबन्ध स्रायुक्त

प्रतिरिक्त भू-प्रबन्ध श्रायुक्त सहायक मू-प्रबन्ध प्रधिकारी ग्रति भू-प्रबन्ध प्रायुक्त प्रथम | द्वितीय

ग्यारह भू-प्रबन्ध अधिकारी दल कार्यरत

। । । । । । । । । । । । सहायक मू-प्र. ग्रधिकारी स. मू-प्र. ग्रधिकारी सहा. भू-प्र. ग्र. स. भू-प्र. ग्र.

(स्वीकृत स्ट्रेन्थ के अनुसार सः भू-अबन्ध अधिकारी दो से चार तक नियुक्त होते हैं सामान्यतया एक दल में चार पद स्वीकृत हैं)

> भू-प्रबन्ध निरोक्षक | भू-मापक

भू-प्रबन्ध आयुक्त का समस्त कार्य के लिए एक पद स्वीकृत है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित हैं ।

भू-प्रबन्ध स्रायुक्त की सहायतार्थं नियक्त दो स्रति. भू-प्रबन्ध स्रायुक्त हैं। एक सहायक मू-प्रबन्ध स्रिधकारी सू-प्रबन्ध स्रायुक्त को तकनिकी सहायता करते हैं तथा फील्ड में कार्यरत स्र-प्रबन्ध स्रिधकारी दलों के कार्य पर निगरानी रखते हैं तथा समय-समय पर चैकिंग व निरीक्षण भी करते हैं।

ग्राम स्तर पर विभाग की सबते नीचे की किंकड़ी भू-मापक है जो उसके ग्रधीन ग्राम का सर्वे तथा भू-ग्रामिलेख तैयार करने का कार्य करता है।

भू-मापक के कार्य के दैनिक एवं समय-समय पर मार्गदर्शन एवं निगरानी /निरीक्षण हेतु भू-प्रबन्ध निरीक्षक नियुक्त हैं।

भू-मापक एवं निरीक्षकों के कार्य पर व निगरानी हेतु सहायक भू-प्रबन्ध ग्रिधिकारी नियुक्त हैं।

इन सभी का कार्य मुख्यतया उनके हल्के का सर्वे, भू-ग्रिभिलेख तैयारी एवं रेन्ट रेट रिपोर्ट की सामग्री तैयार करना है।

श्रतः स्पष्ट है कि विभाग भिन्न श्रनुषाणों में विभक्त नहीं है। श्रतः उनके कार्य कलाप देने की श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्य मू-प्रजन्ध श्रिधकारी के नाम पर ही किये जाते हैं।

भू-प्रबन्ध झायुक्त सम्पूर्ण राज्य में भू-प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्त मामलों का भार साधक निदेशक भू-प्रिभिलेख तथा सर्वेक्षण व श्रीभिलेख संक्रियाधीन क्षेत्रों का प्रभारी एवं संक्रियाधीन क्षेत्रों का प्रभारी होगा। भू-प्रबन्ध आधुक्त राजस्थान भू-राजस्व श्रीधित्यम तथा उस समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के आदेशानुसार भू-प्रबन्ध झायुक्त अपने पद के साथ साथ पदेन संघालक भू-प्रकोकरण, आयुक्त जागोर विभाग व निदेशक भूथि क्यान्तरकरण विभाग के पदीय अधिकारी व कर्तव्यों के निवहन की शक्तियां भी ग्रहण किथे हुए हैं।

- (2) स्रायुक्त में विभागाध्यक्ष के रूप में सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के ब्रन्तर्गत प्राप्त समस्त स्रधिकारियों के प्रयोग को शक्तियां निहित हैं।
 - (3) विमागाध्यक्ष एवं नियुक्ति अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों निम्न प्रकार-
 - (क) तहसीलदार संवर्ग (सहायक अभिलेख एवं सहायक भू-प्रवन्ध अधिकारी) के अधिकारियों पर राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन वेतन वृद्धि रोकने, तथा परिनिन्दा की शास्ती अधिरोपित करने की गक्तियां हैं।
 - (ख) भू-प्रबन्ध विभाग के समस्त संवर्ग के कर्मचारियों पर राजस्थान सिविल सेवा में (वर्गीकरण,नियंत्रण ग्रापील) नियमों के नियम 14 में वर्णित समस्त शक्तियां ग्राधिरोपित करने की शक्तियां हैं।
 - (ग) अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर दिये गयें कर्मचारियों पर नियम 14 में विणत समस्त शक्तियां अधिरोपित कर सकते हैं। जो ऐसे कर्मचारियों पर इस विभाग में कार्यरत रहते की जा सकती है।
 - (घ) विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर ग्राये कर्मचारियों पर साधारण शास्ती त्रिधिरोपित करने की शक्तियां हैं।
 - (5) (क) राजस्थान भू-राजस्य ग्राधिनियम 1956 के ग्रन्थाय 7 व 8 में वींणत समस्त ग्राधिकारों के प्रयोग एवं दायित्यों के निर्वहन की ग्राव्तियां हैं।
 - (ख) उक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित गक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील, रेफरेन्स व रिवजीन प्रकरणों का निस्तारण करने की गक्तियां हैं।
 - (6) विभागीय कार्य मुवार रूप से बलाने हेतु नीति सम्बन्धी निर्णय लेने व उनकी कियान्विति के लिए ग्रावश्यक हिदायते जारी करते हैं।

मुख्य कार्यालय पर विमाग के विभिन्न अनुभाग, शाखा के कार्य कलाय निम्न प्रकार होंगे :--

1. संस्थावन शाखाः—

इस शाखा द्वारा मुख्यतया व्यवस्था (भर्ती, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगी परीक्षायें)

सेवाशिलेख संवारण, कवंचारियों के सेवा निवृत्त के ब्रादेश एवं श्रवकाश ब्रादि के मामल पर कार्यवाही की जाती है। इस शाखा का प्रमाी कार्यलय ब्रधीक्षक होता है जो सम्पूर्ण संस्थापन एवं कार्यालय के ब्रन्थ सभी कार्यों की देख-रेख करता है। सम्पूर्ण कर्मचारियों पर नियन्त्रण कार्यालय श्रधीक्षक का ही होता है। इस शाखा में कार्मिक एवं प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए इस शाखा के कार्य को 4 उप-शाखाओं में विभाजित कर निम्न प्रकार कार्य का सम्यादन किया जाता है:—

संस्थात । (क) :--भत्तीं, स्थानान्तरण/पदस्थापन ।

संस्था। (ख):—वरिष्ठता सूचियां जारी करना, नियम 244 (1)के अन्तर्गत कार्यवाही कराना, रोस्टर रजिल्टर का संधारण करना।

संस्था । (ग):- राजपितत अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन की कार्यवाही विभागीय स्ट्रेन्थ वृद्धि आदि कराना ।

संस्था । (घ) :--विभागीय पदोन्नति समितियों से सम्बन्धित कार्यं करना ।

संस्था 11:—विभाग में कार्यरत ग्रधिकारियों/कर्मचारियों के सेवाभिलेखों का संधारण ।

जांच शाखा: — विभाग में कार्यरत कर्मचारियों प्रधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान ग्रसैनिक सेवार्षे (वर्गीकरण, नियं तण एवं अपील) नियमों के अधीन विभागीय जांच की कार्यवाही करना व ग्रन्य जांच सम्बन्धी प्रकरणों पर कार्यवाही करना ।

सामान्य शाखाः—संस्थापन से सम्बन्धित अन्य सामान्य विविध कार्यों व श्रभाव श्रमियोग जैसे प्रकरणों पर कार्यवाही करना ।

2.लेखा शाखा--

वित्त सध्वन्धी सभी प्रकार के कार्यों की वेख-रेख लेखाकार द्वारा की जावेगी । इसमें सामान्य वित्त एवं लेखा नियम में वाँगत प्रावधानों के प्रमुसार कार्यवाही करना, विभाग के बजट, राशि अन्तर्गत वितरण, पेन्यान वेतन निर्धारण, विभागीय खरीद व भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करना ।

3. सदर मुन्सरिम शाखा :--

भू-प्रबन्ध विकास की यह शाखा बहुत ही सहत्वपूर्ण शाखा है। राज्य में भू-प्रबन्ध कर वाहियां की प्रारम्भ करवाना, कार्य सम्पन्न हो जाने पर कार्य को बन्द घोषित करवाना, वाधिक व पंचवर्णीय योजना तैयार कर उनका कार्यान्ययन करवाना, प्रधीनस्य प्रधिकारियों की कठिनाइयों देर करवाना, मार्गदर्शन जारी किया जाना मासिक वैमासिक कार्य प्रमित की जांच करना लक्ष्यों को उपलब्धि हेतु कार्य का सिहाद लोकन करना, समय-समय पर मू-प्रबन्ध प्रधिकारियों को बैठक ग्रायोजित करवाना, मू-प्रबन्ध प्रधिकारियों से प्राप्त हिदायत चकतराशि व टेन्टेटिव रेन्ट रेट प्रस्तावों का परीक्षण कर ग्रानुसोदन करवाना, मू-प्रबन्ध ग्रधिकारियों से प्राप्त काइनल रेन्ट रेट प्रस्तावों को जांच कर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सिक्कात्मक टिप्पणी राजस्व मण्डल के माध्यम से भिजवाना तथा राज्य सरकार से लगान दरों को स्वीकृति प्राप्त होने की दशा में उसकी कियान्वित सम्बन्धित भू-प्रबन्ध ग्रधिकारियों से कराना ग्रादि का

करते हैं । मुख्यालय पर कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु इस शाखा को पांच उप शाखाश्रों में विमाजित कर कार्य सम्पादन कराया जाता है ।

उप-शा द्यायें निस्त अकार हैं :-

(क) लगान दर निर्धारण:-

इस उप-गाखा में किसो स्थानीय क्षेत्र (जिता य तहसील) में सर्वेक्षण, अभिलेख लेखन व भू-प्रबन्ध संक्रिक्त व प्रारम्ब कराये जाने हेतु एवं कार्य बन्द कराये जाने के लिए ग्रिध-सूचनाओं का प्रकाशन कराने ग्राहि ।

- (2) भूमि वर्गीकरण हेतु हिदायत चक्रतराशि का अनुमोदन कराना ।
- (3) अस्थाई लगान दर प्रस्तावों का अनुमोदन कराना।
- (4) अन्तिम लगान दर प्रस्तावों की जांच कर समीक्षात्मक टिप्पणी देना ।
- (5) राज्य सरकार से लगान दरों की स्वीकृति ब्राने पर उसका क्रियान्वयन करवाना।
- (6) भू-प्रबन्ध संक्रियाओं सम्बन्धी भू-प्रबन्ध अधिकारी की कठिनाइयों का निरा-करण व मार्ग दर्शन करना।
- (7) रेशनेलाइजेशन ग्रॉफ रेन्ट रेट की कार्यवाही कराना ।
- (8) ग्रोल्ड रेकार्ड से सम्बन्धित नकलें जारी करना।

(ख) श्रोग्राम प्रोग्रेस :--

विभिन्न भू- प्रबन्ध अधिकारियों/सहायक भू-प्रबंध अधिकारियों से प्राप्त मासिक/ वैमासिक कार्य प्रगति की जांच कर टिप्पणी भिजवाना ।

- (2) भू-प्रबन्ध प्रधिकारो/सहायक भू-प्रबन्ध प्रधिकारियों के केस वर्क. दौरा, दैनिक डायरी ग्रादि सूचनाग्रों की जांच कर कार्यवाही करना ।
- (3) वार्षिक पंचवर्षीय योजना तैयार करना ।
- (4) वार्षिक योजना में तैमासिक लक्ष्य निर्धारित करना व उनकी कियान्विति करना।
- (5) भू-माप यंत्रों व विभागीय अपत्रों बाबत इण्डेन्ट करना व स्पेसिफिकेशन के श्रनुसार उनकी जांच करना ।
- (ग) निरीक्षण :-
- (1) मू-प्रबन्ध आयुक्त अतिरिक्त आ-प्रजन्म आयुक्त हारा किये गये निरीक्षणों

की अनुपालना कराना/भू-प्रबन्ध अधिकारी/सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों की अनुपालना मंगवाना/करवाना ।

- (2) विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदक तैयार करना।
- (3) ग्राई. ए. एस., ग्रार. ए. एस., व ग्रार. टी. एस. ग्रधिकारियों की सैटलमेन्ड ट्रेनिंग की व्यवस्थान कराना।
- (4) विभिन्न प्रकार की मीटिंग श्रायोजित करना व मीटिंग सामग्री तैयार कराना व भिजवाना तथा मीटिंग में लिये गये निर्णयों की पालना कराना।
- (5) कम्युटेशन कार्यं करवाकर शीटें भिजवाना।

(व) सामान्य:--

- (1) विभिन्न प्रकार के पत्नों पर कार्यवाही करना।
- (2) ग्रन्तर जियीय सीमा विवादों के प्रकरणों में कार्यवाही करना।
- (3) जन-जाति उप-योजना व राज्य योजना/स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करना।
- (4) टी. ए. डी. की वार्षिक व पंचवर्षीय योजना तैयार कर लागू कराना।
- (5) टी. ए. डी. के मासिक/तैमासिक प्रगति विवरण सम्बन्धित विभागों को भिजवाना।
- (6) एरियल फोटोग्राफी सर्वे सम्बन्धी निर्णयों की भू-प्रबन्ध/सहायक भू-प्रबन्ध ग्रिश्वकारियों को जानकारी कराना।

(अ) प्रारूपकार:--

- (1) तहसील/जिला की मजमूलियां तैयार करना।
- (2) विभिन्न भू-प्रबन्ध ग्रधिकारियों के प्रधीन होने वाले ड्राइंग कार्य की प्रगति की जांच कर टिप्पणी भिजवाना।
- (3) नक्शों को विभिन्न स्केलों में परिवर्तित करना।

- (4) टोपोशीट्स में जिला सीमाग्रों का सत्यापन करवाकर सर्वे ग्रॉफ इण्डिया को भिजवाना।
 - (5) ग्रादिनांक टोपोशीट्स के ग्रनुसार तहसीलों व जिलों की संशोकधम मजमूलियां वनानां।
 - (6) दो या इससे अधिक ग्रामों की सीमाओं का तनाजा प्लान बनाना।
- (7) समय-समय पर श्रावश्यकतानुसार ड्राइंग से सम्बन्धित सूचनायें श्रंकित कर नक्शे तैयार करना।
- (8) कम्प्यूटरशुदा शीटों पर चांदे व रेखायें बनाना।
- (9) पेन्टोग्राफ करना।
- (10) प्लानीमीटर से क्षेत्रफल निकालना।
- (11) शीट पुख्तगी व ट्रेस कार्य करना।

4. न्याय शाखा :---

इस शाखा का प्रभारी विधि सहायक होगा और वह विभागीय प्रकरण जो लोग्नर कोर्ट, हाई कोर्ट व सिविल सेवा, प्राधिकरण में चल रहे हैं, उसे बाबत आवश्यक कार्यवाही कर विभागाष्यक्ष को अवगत कराता रहेगा।

5. कोर्ट शाखा :--

शाखा प्रभारी रीडर होगा। भू-प्रवन्ध ग्रायुक्त के समक्ष प्रस्तुत होने वाली ग्रपीलों, से सम्बन्धित सभी पत्राविलयों का भली प्रकार से संधारण करेगा तथा समय-समय पर होने वाली पेशियों से सम्बन्धित पत्राविलयां भू-प्रवन्ध ग्रायुक्त को प्रस्तुत करेगा।

6 ग्रभिलेखागार :--

इस शाखा में विभाग से सम्बन्धित पुरातन प्रभिलेख रहेगा। इसी प्रकार मुख्यालय पर कार्यालय की पत्नाविलयों को रेकार्ड रूप में वर्गवार विभाजित कर सुरक्षित करने की कार्यवाही की जावेगी। पुरातन रेकार्ड का निरीक्षण कराने व प्रतिलिपियां दिये जाने की व्यवस्था भी रखी जावेगी।

STATE OF THE PARTY						कार्यक्रम	þ	
कम संख्या	कार्षे विवरण		वह सील	<u> </u>	तादाद	खाता नम्बर	बसरा	क्षेत्रफल वर्ग मीलों में
	8		3	4	2	9	7	8
्र कार्य	हूकार्य जो गत तिमाही में समाप्त हुआ	गान हुमा	,		कार्य जो इस	कार्य जो इस तिमाही में समाप्त हुआ	गान्त हुआ	
तादाद ग्राम	खाता नम्बर	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल वर्ग मीलों में	तादाद	खाता नम्बर	ष्ट	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल वर्ग मीलों में
6	10	11	12	13	14	1	15	16
100	-	See Live	- College College					

तादाद खाता ग्राम नम्बर
21 22
The State of the same
भू-सावक
28
तक पार्टी भू-प्रबन्ध स्रधिकारी,
तादाद

क्षेत्रकल गं मीलों मे	दादाद ग्राम	प्राम
क्षेत्रक क्		TO .

-

	कुल कार्य भी	कुल कार्य नो समाप्त हुआ			नियाही के	नमाही ने बाद शेष कार्य	
तादाद ग्राम	खाता नम्बर	बसरा नम्बर	भ्रेत्रफल बगे मीलों में	तादाद	बाता	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल व गे मीलों में
	18	19	20	21	22	23	24
	Thing books or	dates and					

मू-मापक नियोजित कारगुजारी 3.8 29		भू-मापक
		निरीक्षक 27
₽	निरोक्षक 27	
	नियी	

परिशिष्ट 'ख'

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की माह्नवारी सूचना

				199		
विशेष विवरण	6	Commence of the Control of the Contr				ग्रन्य कोई सूचना यदि कोई हो
पद रिक्त होने का कारण विश्रष विवरण	8					लम्बित होने की दशा/ पूरा होने के समय का अनुमान
3 माह से कम	7			। माह	जपतित कर्मचारी	विलम्ब का कारण यदि कोई हो
3 माह से भ्रधिक	9		त्य	प्रारम्भिक जांच की सूचना माह	राजपत्नित झधिकारी/अराजपत्नित कर्मचारी	जांच की वर्तमान स्थिति
-	5		कार्यालय:	प्रारिक	राजप	गांच के आदेश की तिथि तय करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद
कार्य रत कर्मचारी रिश्व पद	4					भिक्तायत जिसके बारे में प्रारम्भिक जांत्र वि की जा रही है अ कब प्राप्त हुई
स्वीकृत पद	3					
नाम पद	2					राज्य सेवक का नाम एवं पद
和说:	-					.स.

200

विभागीय जांच के मामलों की मूचना राजपन्निव/अराजपन्नित कर्मचारी

परिशिष्ट संख्या 1

भ्रवधि

राज्य सेवक				मामले की वर्तमान स्थिति	स्यिति		क्या ग्रारोप	मन्य को
श्वं यद सं	नियम 16 क म्हातीत मा 17 के भहतकैत	क भन्तात जारा किये गये जापन की सं एवं दिनांक एवं संजिप्त भारोप	क्या श्वादीपित श्राप्तकारी का उत्तर प्राप्त हो बुका है यदि नहीं तो प्राप्त करने में श्वाई कितनाई	जांच अधिकारी का नाम एवं पद तथा निय- क्ति की तिथि	क्या जांच प्रति श्राप्ति तो कब, यदि तहीं तो बतमान स्थिति	यदि आंब प्रति प्राप्त हो गयी है तो उस पर की गई कार्यवाही तथा बर्तमान स्थिति	भूत प्राच पहले आव- एकतित कर् लिया ग्या	
2	3	4	5	9	7	œ	6	10

विभाग का नाम-

निलम्बित अराजपतित कर्मचारियों का वैमासिक मानिबत दिनांक-

			201	
जांच ग्रधिकारी की नियुक्ति की तिथि	8		विशेष विवरण	14
मारोप-पत जारी होने की तिथि	7		निर्वाह भता दिया जा रहा है अथवा नहीं । यदि हां तो किस तिथि से	13
ग्रारोप की तिथि	9		तिव सहित्व विव	
निलम्बित होने की तिथि	5		बहाल नहीं किये जाने के कारण	12
श्रासेष	4		कोर्ट में चालान पेश होने की तारीख	11
पद व विभाग	3	*	नाम दर्ज होने की तारीख पुलिस/भ्रष्टा- चार विभाग	10
नाम कर्मचारी	7			
नाम क			দ্ৰ গ্ৰ	
भ स	1		विभागीय जांच शुक् होने की तिथि	6

सारांश (शस्ट्रेक्ट) श्रांकड़ों सूचना के निलम्बित अराजपतित कर्मचारियों की

- निल्मिनत कर्मचारियों की कुल संख्या। 6 माह से कम अवधि के निल्मिक्षत कर्मनारियों की संख्या। 6 माह से अधिक के 1 वर्ष से कम अवधि के निल्मिन्नत कर्मनारियों की संख्या। 1 वर्ष की अवधि के निल्मिन्नत कर्मनारियों की संख्या। 1 4 6
- संख्या । 2 वर्षे की अवधि से निलम्बित कर्मचारियों की संख्या । 2 वर्षे से स्रधिक अवधि के निलम्बित कर्मचारियों की संख्या । 9.

48

1 वर्ष से अधिक व 2 वर्ष से कम अवधि के निलिम्बित कर्मचारियों

ø		
1		
	1	
٠		
6		
ğ		
а		
ø		
а		
ij		
3		
3		
ø		
4		
1		
ĕ		
d		
,		
į		
d		
ø		

			202			
व गई बसूली है यदि कोई हो		0		पूर्व विवरणिका प्रस्तुत करने के बाद विभागीय		14
प्रभारी ग्रधिकारी का नाम जो राशि व ग्रसम ग्रमिरक्षा के लिए उत्तरदायी है	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	7		इसके लिये जांच अधि- कारी का नाम	*	13
प्रभारी ग्रधिक ग्रक्षम ग्रभि	यधिकारी	9			लिपिक वर्गीय कर्मचारी	12
म्ब राशि		5		उत्तरदायित्व निष्टित्त करने के लिये विभागीय जांच प्रारम्भ करने की तिथि	लिपिक	
श्रारोपित प्रधिकारी भटना की वारीख का नाम व पद		4		उत्तरदायित्व नि जांच प्रा	मधिकारी	11
		3		बमूली की तिथि		10
विभाग का नाम		2		अधिकारी का नाम जिसने बसूली की यदि कोई हो		6
₩ .#:		1		आधिकारी वसूली की		

मतिरक्त भू-प्रबन्ध मायुक्त राजस्थान, जयपुर।

t Commissioner,	No. of complaints No. of complaints if any on which if any which were discpillinary referred to A.C.D receding started for registration of without making cases without p.E.
sposed by Settlemen	No. of complaints No. of complaint if any on which if any which were discoult in any ceferred to A.C.L. receding started for registration of without making cases without F.E. asking P.E.
Settlement showing the number of complaints of corruption received and disposed by Settlement Commissioner, Rajasthan, the quarter endingTo	Complaints received No. of Comp- No. of complaints No. of complain

On which			NO OF THE	
not disciplainary not proceedings Proved ordered	referred to the A.C.D. for registration of cases	Total No. disposed of (Tetal of Clos. 9 to 11	pending at the end of the quarter	Remarks
10	1.1	. 12	13	14
	10		of cases	of cases

PROFORMA OF REPORT OF LOSE DEFALESATION/MISDEFALSATION/MIS-SPPROPRIATION/ EHAFT & DHBEAIEOMENT OF GOVERNMENT MONEY/PROPERTY

Date of Aesignation of detection property of partial of full delinquent involved indicating date officers/officials of 5 6 7 8
Name & Date of designation of delinguent fileers/officials 5
Name & designation of delinquent officers/officials
Date of Acsignation of designation of delinquent officers/officials
Date of occurrance
S. Name of Unit Brief Particulars Date of No. (office) where of the case occurrance of the case occurrance

Addl. Settlement Commissioner, Rajasthan, Jaipur. योग

दण्डत कर्मनारियों की संख्या

दिया गया दण्ड

ज़िकायत के प्रकार

事. 年.

त्रेमासिक स्टेटमेंट दिनांक-

कायिलय-

भराजपितत

राजपन्नित

-

9

10

4

00

N

विभिन्न प्रकरणों में बजे कराई गई एक. झाई. ब्रार. की सूचना के सन्बन्ध में

एफ. माई. मार. मं. व दिनांक एफ. आई. आर. दजे कराने का संदर्भ मय क्रमांक व दिनांक

> T 1

विवर्ण

वर्तमान स्थिति

10

4

206

3 7

=

8

विभागीय एवं. मुख्य कार्यालय के ग्रजीनस्य सेवा के कर्मचारियों को 244 (2) की कार्यवाही के संबंध में पूर्व दण्डों सूचना दिनांकसे......तक की स्थिति

4

जांच

			207				
बन रण	5	ना विवर्ण	इन्टरन स्क्री- निंग कमेटी की सिफारिश	10		विशोध विवरण	6
विशेष विवरण		मेंबारियों का के	50 वर्ष आयु पूर्ण करने का दिनांक	6	ाना	सेवा-निवृत्त होने का दिनांक	8
गीय हत्त्व 1.7		ो स्कीतिम हेतु ब तक	मधिवाषिकी भाषु का दिनांक	00	ों की वार्षिक सूच	स्याई प्रस्थाई कमंनारी की जन्म विधि	7
वर्तमान में यदि विभागीय आंच जैरकार हो तो किस नियम के तहत 16/17	-	त के कर्म बारियों क	2 वर्ष पेशन योग्य सेवा पूर्ण करते का दिसांक	7	कारियों/कर्मनारिय	स्याई प्रस्था	9
됣		राजस्यात केवा नियम 244(2) के अन्तरीत मुख्य कार्यातय के अवीतस्य होग के कर्मचारियों की स्कीतिय हेतु कर्मचारियों का सेवा विवरण	पेंशन योग्य मेवा प्रारम्भ करने का दिनांक	9	प्रगले दो वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले ग्रधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक सूचना	कार्यालय का नाम	o.
पूर्व में दिये गये दण्डों विवरण	3	ज्ञन्तर्गत मुख्य काय दिनांक	जन्म विधि	5	गले दो वर्षों में सेवा	नाम पद	4
		H(2)	p.	4	12	祖祖	
NA NA		सेना नियम 2.	कार्यालय क <i>ि</i> नाम	8		पिता का नाम	e
नाम कर्मचारी	01	राजस्यान	नाम कर्मचारी	2		नान कर्मचारी	2
. .			(A)	1		36. 元	1

राज्य कमंचारियों के सेवा सम्बन्धी 3 माह से ग्राधक ग्रवधि के बकाया मामलों का तैमासिक विवरण दिनांक

निष्टाये गये मामलों की प्रतिशत	7
तीन माह से लम्बित मामलों की संख्या	9
वैमास में निषटाये गये मामलों की सख्या	to
長	4
हैमास में कर्मचारियों से प्राप्त मामलों की कुल संख्या	3
क.सं. पिछले हौमास के अवशेष हौमास में कर्मचारियों सामते से प्राप्त सामलों की कुल संख्या	1 2

1. बेतन सम्बन्धी :--

(क) वेतन स्थितिकरण (ब) वाधिक वेतन वृद्धि

208

भेवा सम्बन्धी :--oi.

(क) वरिष्ठता (ख) स्याहेकरण (म) पदोन्नति

सेवा पुरित्ता सम्बन्धी:-

(क) पुस्तका में पूर्ण प्रविध्यां अकित करना
 (ब) सेवा पुस्तिका पूर्ण कर उसकी प्रति देना

क.सं. पिछले वैमास के श्रवशेष मामले	बैमास में कर्मचारियों से प्राप्त मामलों की कुल संख्या	मीज	वैमास में निषटाये गये मामलों की संख्या	तीन माह से लम्बित मामलों की संख्या	निपटाये गये मामलॉ की प्रतिशत
2	3	4	ıo	9	

4. विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी :--

(H) (G)

निलम्बन) निवहि भता प्रवकाश सम्बन्धी ऐसे प्रकरण जिनकी उपदेवना के सम्बन्धी स्पष्टीकरण प्रशासनिक विभाग से अपेक्षित हो।

पेंशन, ग्रेच्यूटी, बीमा, प्रोबिडेन्ट फण्ड राशि के भुगतान सम्बन्धी :--ò

व च च छ

पेशन ग्रेच्यूटी बीमा प्रोबेडिन्ट फण्ड

मुत्य :-.9

	टिस्पणी	80	
त्पोर्ट	जिन मामलों में श्रमुंशासनात्मक कार्यवाहियां लम्बित है उनकी संख्या	7	
वभाग, जयपुर की	स्तम्भ पांच के संदर्भ के मामलों की संख्या जिनमें प्रत्निम श्रादेश पारित किये	9	
ं के लिए भू-प्रबन्ध विभाग, जयपुर की रिपोर्ट	जिनके विरुद्ध वर्गी- करण नियन्त्रेण और प्रपील नियमों के नियम 17 के प्रधीन कार्यवाही प्रारम्भ की	3	
	जिन्हें बेतन सहित छुट्टियां स्वीकृत की गई थी उनकी संख्या	4	
198के मास	की गई कार्यवाही जिनके सम्बन्ध में झा. छुट्टी की कटौती के झादेश जारी किये गये थे उत्तकी संख्या	3	F-2
19	सं. जो विलम्ब से आये-पाये गये थे, उनकी संख्या	7	मुख्य कार्यालय भू-प्रबन्ध प्रधिकारी, जयपुर ॥ वीकानेर ॥ प्रजमेर ॥ भीलवाडा ॥ उदयपुर ॥ उत्यपुर डी. ॥ सीकर
	₩ W	1	100000000000000000000000000000000000000

बजट स्थित

लेखा भीषंक :-

क. सं. उप-शीर्षक वितीय वर्ष का आवटन	दितीय वर्ष का आवंटन के अनुसरण गत वर्ष का व्यय आवंटन में व्यय	गत वर्ष का व्यय	य व्ययकीगईरोश शाधिकपुरविवचत क्य आधिक्य (+) केकारण ग बचत () ता	फ्राधिक्य एवं बचत के कारण	ा क्या बजट के झभाव म गत वर्ष का कोई भूग- तान शेष हो तो कारण
--	---	-----------------	---	------------------------------	---

1. संबेतन ।

2. मजदूरी

3. चिकित्सा व्यय ।

4. याता व्यय।

7. किराया कर एवं दरें।

9. अत्य व्यय ।

5. कार्यालय व्यय ।

6. बाहन संघारण।

8. मशीनरी एव साज सामान ।

2

	212							21	3
भेष अनुच्छेद के निस्तारण हेत क्या कार्यवाही की जा रही है?		गवन की राधि विश्वेष बसूल की गई विवरण अथना नहीं?	- 4			ामान यदिनहीं की गई है है? तो कारण	9		क्या प्राप्त राशि ट्रेजरी विशेष चालान से राजकोष में विवरण जमा करवाई जा चुकी है? यदि हां तो चालान संख्या एवं दिनांक
म्ब कितो भन्छेद श्रेष हे ?		निर्णय का अनुपालन में क्या कार्यवाही की गई?	**	•		अधिक क्या कम पाये गये सामान त्र का की बसूली करली गई है?	J.	<u>т</u>	यदि हो तो निलामी से क्या प्राप्त भाय की राशि चाल जम
लता का जिन अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु १ स्वीकृतियां चाही गई है उनके लिए क्या अलग से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्य-	ग्रह्म श मामल श	क्या गबन की प्रारम्भिक जांच में जांच कर ली दिया गया निर्णय गई है?			भण्डार का प्रमाणिकरण	रान कमी सत्थापन के दौरान अधिक ान का पाये गये सामान का विवरण	4	अनुप्योग सामान का निस्तारण	घोषित करने के पश्चात् क्या मृख्यालय में निलाम करने की अथवा नष्ट करने की स्वीकृति ली जा चुकी है?
प्रथम अनुपालना का कब भेजी े जवाब कब प्राप्त हुआ ?		पुलिस में प्रथम क्या ग दृष्ट्यारिपोर्ट कब जांच करवाई गई? गई	4	1	gr.	कर लिया गया है, सत्यापन के दौरान कमी मुख्यालब को कब पाये गये सामान का सूचित किया ? वितरण	2 3		क्या श्वतुष्योगी सामान त्रितीय निग्मनुसार घोषित किया जा चुका है ?
क.स. रिपोर्ट का प्रकार वर्ष प्र 1. महालेखाकार 2. निदेशक कोष एव लेखा		क, सं. गवन की राशि				क्या वितीय वर्षेका कर ि भण्डार का भौतिक सत्यापन मुख्या कर लिया गया है ?	-		क. सं. अनुषयोगी (राईट ग्रांफ) किए जाने वाले सामान की कीमा

सबँ यन्त्रो एवं सामान की स्थिति

षाना । अनुसार कितना सामान कितना सामान अनुपयोग स्टॉक में है ? हो चुका है ?	स्टाक राजस्टर म आकृत कितना सामान अपयाग कितना सामान अनुपयोगी में लिया जा सकता है? हो चुका है?	व्यमाय मार्ग	विकाल विवर्
3	5	9	7

भवन का विवरण-पत्र

बाहन की स्थित

Fit. 111 1.211	The state of the s	ार्गाना पल चुका ह	गत वथ का मरम्मत	गत वर्ष का पारित	अब क्या स्यिति है ?	विशेष
दिनांक म	मॉडल		न्त्रम	कार व्यय		विवरण
1	2	3	4	S.	9	1

दौरा स्टेटमेंटसहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी/भू-प्रबन्ध अधिकारी

नाम आधकारा	80	क्षेत्र में	क्षेत	क्षेत्र के बाहर	16-17	भ	विशेष
	दिन	रात	दिन	यात	दिन	रात	विवर
2	2	4	2	9	7	00	6

म-प्रबन्ध प्रधिकारी

नक्या केश वर्क (प्रापील) माह.....

विशेष	5 5 5 5	15		विशेष निरम्म	2446	10	-
	長	14					-
व	2 वर्ष से प्रधिक ग्रवधि से विचारा- धीन	13	नारी	शेष कार्य		6	
का विवर	1 वर्षं से प्रधिक प्रवधि से विचारा- धीन	12	न्य श्रधि				
शेष वादों का विवरण	श्रवधि से विचारा धीन	11	ायक भू-प्रव		योग	8	
	अधिक अधिक ग्वधि से वेचारा- धीन	10	कार्षे प्रगति/लक्ष्य एवं उपलब्धियां भू-प्रबन्ध स्रधिकारी/सहायक भू-प्रबन्ध स्रधिकारी	उपलब्धियां	इस माह में	7	
	3 माह से प्रधिक प्रवधि से इ विचारा-	6	-प्रबन्ध भ्रा	מ			
ात	योग	80	निंडधयां भ		गत माह तक	9	
वाद निर्णित	पूर्ण सुनवाई कर	7	प एवं उपर	ण माह			-
	एक	9	प्रगति/लक्ष	निरीक्ष	वर्षे	ro	-
	मूं च	5	भाष	तहसील		4	-
बाद श्रंकन	इस माह में प्राप्त	4					-
बाद	नी शेष हैं	3		यूनिट		3	-
नाम प्रधि-		2		भाइटम		2	
新. 莊.		-		新.阳.		-	-

नक्शा उजरवारी सहायक भू-प्रबन्ध प्रधिकारी

हिम्दि से	基	3 माह से प्रधिक अवधि से विचाराधीन	6 माह से प्रधिक ग्रवधि से विवारा- धीन	6 माह से ग्रधिक एक वर्ष से ग्रधिक योग ग्रवधि में विचारा- ग्रवधि से विचारा- धीन	योग	कुल प्राप्ति	कुल निर्णय	कुल विभेष भेष विवरण	वियो
141	1.5	16	17	18	19	20	2.1	66	23

	122
	100
1	
ž.	
	-
2	(8)
	80
	(4)
	1100
3	195
-6	-
300	Ic.
	0
3	-
200	119
2	र दिनांक
16121	11
100	
	*
	*
	1.4
	- 10
	- 1
	- 5
S.	1.2
6	100
	- 3
	100
	IC
	10
	L
	10
100	• दिनांक
9.	100
~	
0	10.53
	10.55
I	*
=	*
32.53	*
नेक्शा पेण्डिम नामान्तरण	*
10	
E	
15	
-	
57	
16	
1	F
	1

		218
	黄黄	10
बकाया	कीतभी रजिस्टडें डीड, प्रधिकारियों के निषैय के पालन में	6
	योग	SO.
इस माह में निर्णत	फौतगी रजिस्टर्ड डीड, ब्रधिकारियों के निर्णय के पालन में	7
	योग	9
इस माह में भरे गये	कौतनी रजिस्टडें डोड, प्रधिकारियों के निर्णय के पालन में	9
	स्म	4
पिछले माह के अंप	कौतगी रजिस्टर्ड डोड.,ब्रधिकारियों के निर्णय के पालन में	3
क मं नाम ग्रधिकारी		2
H. H.		1

नामान्तरणकरणों का ग्रमिलेखों में ग्रमलदरामद करने का विवरण

कार्यालय सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारीसन्

मीग	7	नियोप	विवरण	
इस माह में निर्णित नामान्तरकरण की संख्या	9	न्तिरकरण	योग	
गत माह तक निर्णित नामान्तरकरण की संख्या	ıo	अमलदरामद में शेष नामान्तरकरण	गत माह के पूर्व के के	The state of the s
तहसील	4			
जिला	3	िकया	臣	
नाम स. मू. प्र. यधिकारी	2	ग्रमिलेख में ग्रमलदरामद किया	इस म हि वक	
新. 莊.	1	2	गत माह तक	

फार्म सं. 1 प्रठ मंह्या

विभाग राजस्थान सरकार भू-प्रबन्ध

पत्रक खसरा

धारा 112 के नियम 19 के अनुसार) (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 14 की

ग्रामःाहसीलाहमाल

इ असिवित दो फसनी संशोधन भू-माप सम्बत् **म्** मिनित BFIFIR 13 Бनीमी ✓सम्बत् 20.... 12 मुनही मान म्मीम वर्गीकरण मत भू-माप क्षेत्रकल 6 मध्यर बसरा ११७ में मह्य मिष्टि क्षेत्रचाई के साधन कृषि समोग्य क्षेत्रफल विवर्ण सहित वतंमान माप **क्रिक्टि** कृषि यो.य भूमि १७५२मीम्ह ल्ला । जिल्ला । एम्क प्रकार Бक्रमार क 🗝

717 707	5F7P/1 5F5J	एउइडी कि स्टिड्	25	
	नाम उप-कृषक मय पिता का नाम	24		
नाम कृषक	Nothing to the last	जाति, निवास-स्थान, श्रेणी कृषक तथा कृषि-काल	2.3	
नाम अबक	नाम कृषक (गत भू-माप), पिता का नाम, आति, निवास-स्थान व श्रेशी कृषक			
	नाम भोनता		21	
	फसली	यसिवित	20	
। सम्बत्	म् स	्ष्टा <u>च</u>	19	
ार्गीकरण स		क्नीमी र	18	
भूमि व		ह्मीम्	17	
4	12:	क्ति माम	91	

शुद्धि-पत्र

	पंख्या पंक्ति संख्या		गुद्ध (पढ़ा जावे)
	1 2	3	4
2	2	सिराज	खिराज 📉
9	12	प्रबंध अधिकारियों	भू-प्रवंध ग्रधिकारियों
12	28	भू मामक	भू मापक
13	7	भू भावक	भू-माप
22	13	घारा 10 (1)	धारा 110 (1)
23	19	विवर	विवरण ।
23	21	विनाग	विभाग
25	28	तनावा	तनाजा
27	8	निस्कानिस्क	निस्फानिस्फ
28	10	इक्तलाफ दोनों का	इल्तलाफ होने का
28	21	श्रास घास	श्रासपास
31	5	शिवस	शिस्त
36	2	चांदी	चांदों
3.6	30	टेमाईश	पैमाइश
39	1.5	फोल्डबुक	फील्डबुक
39	26	भेड़ों	मेड़ों े
39	26	कनेनों	कोनों
40	13	भेड़	मेड
40	14	भेड	मड
41	4	भूमि व बोर्ड	भूमि व बीड़
42	5	वापलीलाइन	वापसी लाइन
43	27	गुजिरता	गुजिस्ता
43	31	भ्रासानी	श्रासामी
44	19	गत पे	गत पैमाइश
45	15	खाली पड़ी हो	खाली न पड़ी हो
49	10	परिभिष्ट-4	परिशिष्ट-5
50	1	माह	चाह
56	1	परिशिष्ट-4	परिणिष्ट—ख
66	9	प्रयत्त	प्रदत्त
67	25	परिशोधन पक्ष	परिशोधन पत्न
67	36	प्रेरित	प्रीवत
68	36	भादेश कारित	यादेश पारित
72	32	पांच वित्रेतास्रों	पांच केताभ्रों
73	12	राज/ग्रुप/476	राज/ग्रुप/- 4/7 6
73	32	भूतहीन	मुतेहीन
73	36	मुतेहीन	मुर्तहीन

1 2 1 9 2 5 8 3 3 1 2 3 6	राजस्थान कारतकारी जब अधिनियम धारा 17 से 2 अधीन द्वारा राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम क्षत्र	राजस्थान काश्तकारी ग्रिधिनियम धारा 17 से 22 ग्रमीन द्वारा राजस्थान भू-राजस्य ग्रिधिनयम
1 9 25 8 3 3 1 2	जब म्रधिनियम धारा 17 से 2 म्रधीन द्वारा राजस्थान भू राजस्थान म्रधिनियम क्षत्र	श्रधिनियम धारा 17 से 22 श्रमीन द्वारा राजस्थान भू-राजस्व
25 8 3 3 1 2	श्रधीन द्वारा राजस्थान भू राजस्थान श्रधिनियम क्षत्र	ग्रमीन द्वारा राजस्थान भू-राजस्व
8 3 3 1 2	राजस्थान भू राजस्थान ग्रधिनियम क्षत्र	राजस्थान भू-राजस्व
3 3 1 2	ग्रधिनियम क्षत्र	राजस्थान भू-राजस्य ग्रधिनियम
12		
		क्षेत्र
36	प्रकार	इस प्रकार
	राजकीय किये जाने का प्रावधान है। नियमों के नियम-39	राजकीय नियमों के नियम-39
1	निर्वारित	निर्धारित
11	श्रसर ही पड़े	असर नहीं पड़े
9	मंडवार	मंडलवार
14	13,962,000	13,92,6000
13	2500	2620
35	किस किस में	किस किश्त में
34		परिशिष्ट-6
24	तैयारी एवम् विवरण	तैयारी एवम् वितरण
38	देशी होने वाले	बेशी होने वाले
16		स्वीकृत लगान
35-36	प्रक्रियान्वित	क्रियान्विति ।
33	इशरी	दसरी
11	सभी	तभी
7	सिसल बंदोबस्त	मिसल बंदोबस्त
16	पर्द कमी बेशी	फर्द कमी-बेशी
2		15 मिसल
		Scheduled Tribes
	सप्तम न्यायालयों	सक्षम न्यायालयों
24		परिशिष्ट-क
		ग्रधिकारों
13	संस्था-11	सस्था-II
3		संशोधित
2		की गई वसूली
6	कॉलम नं. 11 में 8.6 विव.	कॉलम न. 12 में 86 किंव. पढ़ा जावे
	11 9 14 13 35 34 24 38 16 35-36 33 11 7 16 2 29 25 24 10 13 3 2	1 निर्वारित 11 श्रसर ही कु 9 मंडवार 14 13,962,000 13 2500 35 किस किस में 34 परिशिष्ट-5 24 तैयारी एवम् विवरण 38 देशी होने वाले 38 देशी होने वाले 35-36 श्रक्तियान्वित 33 इशरी 11 सभी 7 सिसल बंदोबस्त 16 पर्द कमी बेशी 2 15 परिशोधन 29 Scheduled Tribes not 4 परिशिष्ट-श्र 10 श्रधिकारियों 13 संस्था-11 3 संशोकधम 2 गई बमूली 6 काँलम नं. 11 में